महाविद्यालयीय अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों की शैक्षिक अभिवृत्ति, सामाजिक मान्यताओं एवं समस्याओं का एक अध्ययन

(बाँदा जनपद के सन्दर्भ में)

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी की समाजशास्त्र विषय में डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी उपाधि हेतु प्रस्तुत

शोध-प्रबन्ध

निर्देशक -

डॉ०(श्रीमती) निर्मला शर्मा

एम०ए०,पी-एच०डी०

रीडर

समाजशास्त्र विभाग

पं०जे०एन०पी०जी०कालेज,

बाँदा (उ०प्र०)

शोधार्थिनी

भारवी सिंह

एम०ए०(समाजशास्त्र)

शोध-केन्द्र

समाजशास्त्र परास्नातक विभाग

पं0 जवाहरलाल नेहरू पोस्ट ग्रेजुएट कालेज, बाँदा

2002

डॉ0(श्रीमती)निर्मला शर्मा
एम0ए0, पी0-एच0डी0
रीडर,
समाजशास्त्र विभाग
पं0 जे0एन0पी0जी0 कालेज,
बाँदा (उ0प्र0)210001.

☎ : 05192-224572
निवास : मढ़ियानाका,
बाँदा

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती भारवी सिंह ने प्रस्तुत शोध प्रबन्ध मेरे निर्देशन में बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी के पत्रांक - बु0वि0/एके0/शोध/ 2000-2001/1083-85 दिनांक 20.10.02 के द्वारा समाज शास्त्र विषय में ''महाविद्यालयीय अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों की शैक्षिक अभिवृत्ति, सामाजिक मान्यताओं एवं समस्याओं का एक अध्ययन'' शीर्षक से पंजीकृत कराया था। इन्होंने मेरे निर्देशन में बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी की परिनियमावली की धारा (7) के अन्तर्गत निर्धारित अवधि तक उपस्थित रहकर अपना शोध कार्य पूर्ण किया। शोधार्थी का यह कार्य मौलिक और सन्तोषजनक है। मैं इसे विश्वविद्यालय में मूल्यांकन हेतु प्रस्तुत करने की संस्तुति करती हूँ।

दिनांक-23.12.02

(डॉ0 (श्रीमती) निर्मला शर्मा)

घोषणा-पत्र

मैं, श्रीमती भारवी सिंह घोषणा करती हूँ कि बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी द्वारा पी-एच0डी0 (समाजशास्त्र) उपाधि हेतु स्वीकृत प्रस्तुत शोध अध्ययन ''महाविद्यालयीय अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों की शैक्षिक अभिवृत्ति सामाजिक मान्यताओं एवं समस्याओं का एक अध्ययन'' (बाँदा जनपद के सन्दर्भ में) मेरी मौलिक कृति है। इसके पूर्व इस शीर्षक से अभी तक शोध कार्य नहीं किया गया है। जिन पुस्तकों, विद्वानों एवं सन्दर्भ शोध ग्रन्थों से सहयोग लिया है, उनकी सूची परिशिष्ट में संलग्न की गई है।

शोधार्थिनी

भारवी सिंह

दिनांक-23.12.02

(श्रीमती भारवी सिंह)

एम0ए0(समाजशास्त्र)

कृतज्ञता प्रकाशन

हमारे देश का सामाजिक ताना–बाना जन्म प्रदत्त जातियों पर आधारित है । वर्ण व्यवस्था आज भी लागू है । वर्ण व्यवस्था के क्रम में शूद्र सबसे निम्न स्तर पर हैं । अन्य उच्च वर्णों ने इन्हें अस्पृश्य माना है ।

भारतीय संविधान ने अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया है, इससे भारतीय समाज में एक महान क्रान्तिकारी परिवर्तन हुआ है, लेकिन हमारा परम्परागत दृष्टिकोण आज भी वही है । कानून एवं संविधान की दृष्टि में सभी नागरिक समान हैं ।

भारतीय जनसंख्या का एक महत्वपूर्ण अंश जिन्हें संवैधानिक भाषा में अनुसूचित जाति के नाम से सम्बोधित किया गया है । सामाजिक दृष्टि से अत्यन्त हेय और आर्थिक दृष्टि से अत्यन्त निम्न तथा अभावग्रस्त वर्ग के सदस्य हैं । इस समुदाय के उत्थान और कल्याण के लिए भारत सरकार ने महत्वपूर्ण संवैधानिक, वैधानिक और प्रशासकीय व्यवस्थायें की हैं । शैक्षिक, आर्थिक, राजनीतिक आरक्षण की व्यवस्था द्वारा इन्हें समाज के अन्य वर्गो के समकक्ष लाने का प्रयास किया है । शैक्षिक आरक्षण और तत्सम्बन्धी सुविधायें इस समुदाय के जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन ला रही है । वर्तमान अध्ययन यह देखने का प्रयत्न करता है कि नवीन शैक्षिक सुविधाओं से इस समुदाय के युवक किस मात्रा में लाभान्वित हो रहे हैं तथा उनकी उपलब्धि और अभिवृत्ति पर क्या प्रभाव पड़ा है ? इनकी सामाजिक समस्याओं और मान्यताओं में क्या परिवर्तन हुए हैं ? यह ज्ञात करने के लिए उत्तर प्रदेश के अत्यन्त पिछड़े जनपद बाँदा स्थित महाविद्यालयों में अध्ययनरत 400 अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को सूचनादाता के रूप में चुना गया है ।

प्रस्तुत अध्ययन को पूर्ण करने में शोधार्थिनी को अनेक विद्वानों का बहुमूल्य सहयोग तथा कृपा प्राप्त हुई है । जिनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना शोधार्थिनी का परम कर्तव्य है। सर्वप्रथम मैं परमपिता परमात्मा का स्मरण करती हूँ जिनकी महती कृपा से यह कार्य सम्भव हो सका। आदरणीया श्रीमती डॉ0निर्मला शर्मा की मैं हृदय से आभारी हूँ जिन्होंने प्रस्तुत शोध कार्य के लिए अपनी अनुमति, आर्शीवाद और विद्वतापूर्ण निर्देशन प्रदान किया। समाजशास्त्र विभाग के रीडर एवं अध्यक्ष

डॉ0 जे0 पी0 नाग साहब का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने सदैव उत्साहवर्धन कर कार्य की गुणवत्ता की ओर प्रेरित किया । इसी विभाग के डॉ0 एस0एस0गुप्ता का भी आभार व्यक्त करती हूँ जिनका वरद् हस्त हमेशा हमें सम्बल प्रदान करता रहा । इसी श्रृंखला में बी0एच0यू0 के अग्रणी समाजशास्त्री, अपने विषय के परम् विद्वान समाज विज्ञान विभाग के पूर्व अध्यक्ष प्रो0 ए0 एल0 श्रीवास्तव का मैं विशेष रूप से आभार व्यक्त करती हूँ जिनकी अपार कृपा से यह शोध कार्य पूर्ण हुआ । इसी श्रंखला में मैं अपनी माता श्रीमती उर्मिला सिंह, चाचा श्री आनन्द तथा अपने पति इंजीनियर अजय पाल की चिरऋणी हूँ जिनकी पावन प्रेरणा एवं उत्साह व हर प्रकार के सहयोग से यह शोध कार्य पूर्णता को प्राप्त कर सका ।

मैं उन महाविद्यालयीय छात्र–छात्राओं का भी आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होने साक्षात्कार आदि कार्य में अपना अमूल्य सहयोग दिया । तथ्यों के संकलन में अनुमति और सहयोग प्रदान कर जिन प्राचार्यों, कर्मचारियों ने सहयोग दिया उनका मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ । प्रस्तुत शोध–प्रबन्ध से सम्बन्धित अनेक महत्वपूर्ण आँकड़ों के संकलन में बाँदा जनपद के जनगणना और साँख्यिकी कार्यालय तथा समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों का भी आभार व्यक्त करती हूँ । प्रस्तुत शोध में जिन पुस्तकों लेखकों और प्रकाशित शोध ग्रन्थों का सहयोग लिया गया है उनके प्रति भी मैं आभारी हूँ ।

अन्त में इस शोध प्रबन्ध को अल्प समय में इतना सुन्दर, परिष्कृत बनाने में जो सहयोग प्रदान किया है उसके लिए करणी प्रिन्टर्स, कटरा, बाँदा व श्री हरि शंकर श्रीवास्तव, आशुलिपिक, पं0जे0एन0कालेज, बाँदा की भी आभारी हूँ । अनेक सावधानियों के बावजूद भी इस शोध में मुझसे अनेक त्रुटियाँ हुई होंगी जिनके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ ।

शोधार्थिनी
भारवी सिंह
(भारवी सिंह)

दि0 23–12–2002

अनुक्रमणिका

तालिका सूची

तालिका क्रमाँक	विवरण	पृष्ठ संख्या

तालिका क्रमाँक	विवरण	पृष्ठ संख्या

तालिका क्रमाँक	विवरण	पृष्ठ संख्या

अध्याय-प्रथम

प्रस्तावना

शोध की समस्या, पृष्ठ भूमि एवं महत्व

शोध की आवश्यकता एवं समस्या कथन

शोध अध्ययन का शीर्षक

अध्ययन के उद्देश्य

शोध की उपकल्पनाएं

शोध में प्रयुक्त शब्दों व अवधारणाओं का परिभाषीकरण

अध्ययन की सीमाएं

शोध की विधि एवं प्रक्रिया

अध्ययन का समग्र

अध्ययन का निदर्श

अध्ययन के उपकरण एवं तथ्यों का संकलन

तथ्यों का वर्गीकरण, सारणीयन एवं विश्लेषण

प्रस्तावना

शोध की समस्या पृष्ठभूमि एवं महत्व :

एक लम्बी पराधीनता के बाद हमारा देश स्वतन्त्र हुआ । स्वतन्त्रता के पश्चात भारत ने लोकतंत्रात्मक प्रशासन प्रणाली को अंगीकृत किया । संविधान की प्रस्तावना में हमने, एक ऐसे लोकतंत्र की कल्पना की जिसमें सभी बराबर हों सबको सभी मूल अधिकार बिना किसी भेदभाव के प्रयोग करने का अधिकार हो। अन्य देशों की भॉति भारत ने भी समाजवादी लोकतंत्र को बढ़ावा दिया और अपना लक्ष्य समाजवादी समाज की स्थापना घोषित किया । प्रजातांत्रिक विचारधारा के साथ आजकल जो विचार शिक्षा के क्षेत्र में पनप रहा है, वह है सबके लिये समान अवसर प्रजातंत्र की सफलता उस देश के उत्तरदायी नागरिकों पर निर्भर करती है। यह सरकार जनता की, जनता के लिये जनता द्वारा चलाई जाती है, जिसमें साधारण से साधारण व्यक्ति भी अपनी उच्चतम योग्यताओं के माध्यम से देश की सेवा करता है।

दुर्भाग्य से भारतीय समाज में सबके लिये अवसरों की समानता नहीं है। भारतीय सामाजिक जीवन के इतिहास में यद्यपि आन्तरिक शक्तियों के द्वारा जाति या वर्ण व्यवस्था में कुछ परिर्वतन हुये है परन्तु स्तरीकरण की इस परम्परागत व्यवस्था द्वारा उत्पन्न असमानता भारतीय सामाजिक व सांस्कृतिक जीवन की एक स्थायी व्यवस्था सी बन गयी है। भारतीय संविधान को लागू हुए लगभग 52 वर्ष हो गये लेकिन भारतीय समाज में रहने वाले अनुसूचित जाति के लोग आज भी सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं। वर्ण व्यवस्था के क्रम में शूद्र सबसे निम्न स्तर पर हैं। अन्य उच्च वर्णों ने इन्हें अस्पृश्य माना है। प्राचीन काल के उत्तरार्द्ध में तो शूद्रों को शिक्षा से भी वंचित कर दिया गया था। ईसाई मिश्नरी, राजाराम मोहनराय, स्वामी दयानन्द सरस्वती, विवेकानन्द, महात्मा गाँधी और बाबा साहेब अम्बेड़कर के सदप्रयासों के फलस्वरूप स्वंतत्रता संग्राम के दौरान सामाजिक, राजनैतिक

चेतना ने निर्बल वर्गों की स्थिति को काफी प्रभावित किया।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात भारत सरकार ने संविधान द्वारा अनुसूचित जाति के लोगों के लिये अनेक कल्याणकारी योजनाएं तथा औपचारिक प्रबन्ध किये, जिनके माध्यम से जीवन के सभी अवसरों में समानता व्याप्त हो सके। यह सर्वविदित हैं कि शिक्षा सामाजिक परिर्वतन का एक शक्तिशाली साधन है। समाजशास्त्रियों ने सामाजिक परिर्वतन के जो प्राकृतिक और सांस्कृतिक घटक बताये हैं उन सबके विकास का मूल कारण शिक्षा ही होती है। अगर हम विचार करें कि मनुष्य विकास कैसे करता है ? तो सबसे पहले वह अपनी जाति की सामाजिक चेतना में भाग लेता है और उसकी भाषा, रहन–सहन और खान–पान के तरीकों, रीति–रिवाज और मान्यताओं, विश्वासों, आदर्शो और मूल्यों से परिचित होता है, इस सबके ज्ञान के लिये सभी सभ्य समाज औपचारिक शिक्षा की व्यवस्था करते हैं। इससे मनुष्य का मानसिक विकास होता है। समाज में रहकर वह अनेक अनुभूतियाँ करता है। इन्हीं अनुभूतियों को प्रबल बनाने के लिये सरकार ने कल्याणकारी कार्यक्रम अपनाए । जिनके द्वारा अनुसूचित जाति के लोग शैक्षिक, आर्थिक और राजनीतिक आरक्षण प्राप्त कर सामाजिक जीवन के विभिन्न पक्षों जैसे– शिक्षा, व्यवसाय, राजनीति आदि में समानरूप से शामिल होकर शोषण, असमानता तथा आत्मग्लानि के भाव से मुक्त हो सके, शिक्षा ही इस समाज का उन्नयन कर सकती है। शिक्षा विकास का प्रथम सोपान है, शिक्षा ही मनुष्य को योग्य बनाती है, समर्थ बनाती है। व्यक्ति में कौशल एवं जीवन यापन के साधनों का विकास करती है, शिक्षा के द्वारा व्यक्ति जो चाहे वह प्राप्त कर सकता है।

वर्तमान अध्ययन यह ज्ञात करने का प्रयत्न करता है कि चित्रकूटधाम मण्डल के मुख्यालय बाँदा जनपद में महाविद्यालयीय छात्र–छात्राओं की शिक्षा के प्रति क्या अभिवृत्ति है ? उनके परम्परागत सामाजिक आर्थिक ढ़ांचे तथा समस्या ग्रस्त जीवन का उनकी शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा है ? शिक्षा के द्वारा उनकी परम्परागत

जीवन शैली और संस्थागत व्यवहार किस प्रकार प्रभावित हुये हैं ? साथ ही साथ सांस्कृतिक तथा सामाजिक मूल्यों एवं आधुनिक मूल्यों को ग्रहण करने के प्रति क्या प्रतिक्रिया हुई है ?

शिक्षा सामाजिक परिर्वतन का एक प्रमुख निर्धारक है, परिर्वतन की प्रमुख शक्तियां जैसे-औद्योगीकरण, नगरीकरण, सूचना सम्प्रेषण के नवीन साधन, लौकिकीकरण, सामाजिक मान्यताएं आदि प्रक्रियायें शैक्षिक प्रसार की प्रक्रिया के साथ मिलकर अनुसूचित जाति के छात्रों एवं छात्राओं के व्यवहार और मूल्यों को किस प्रकार प्रभावित कर रही हैं।

शोध की आवश्यकता एवं कथन :

भारत सरकार ने अनुसूचित जाति के उत्थान के लिये कानून बनाये, संवैधानिक अधिकारों को प्रदान कर भारत में निवास करने वाले प्रत्येक भारतीय को समान अधिकार प्रदान किये, भारतीय संविधान की धाराओं[1] 14–15–16–17 के द्वारा विधि के समक्ष समता, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध किया तथा अस्पृश्यता का अन्त किया । धारा 29 (2) के द्वारा सभी के लिये शिक्षा के द्वार समान रूप से खोले जाने का प्राविधान किया।

शिक्षा सामाजिक परिर्वतन का एक महत्वपूर्ण साधन है। उससे अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के जीवन में महत्वपूर्ण परिर्वतन हुये। साथ ही साथ अनेक समस्याओं ने जन्म लिया। शिक्षा संस्थाओं में आरक्षण की व्यवस्था, सरकारी सेवाओं में न्यूनतम योग्यता सम्बन्धी छूट तथा आर्थिक सहायता की अत्यन्त उदार व्यवस्था ने भी अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों पर प्रतिकूल प्रभाव ड़ाला। क्या इन सुविधाओं के कारण इनमें समाज पर अत्याधिक निर्भरता की प्रवृत्ति में वृद्धि हुई तथा शैक्षणिक

1– भारतीय संविधान (सत्तरहवाँ संशोधन) अधिनियम 1995.

योग्यता की वृद्धि के स्थान पर केवल उपाधि प्राप्त करना मात्र लक्ष्य बन गया। मुक्त स्पर्द्धा में भाग लेने की क्षमता का ह्रास हुआ हैं ?

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात भारत सरकार ने अनुसूचित जाति के विकास हेतु व्यापक कार्यक्रम अपनाये तथापि इस क्षेत्र में होने वाली प्रगति मन्द और सीमित है। शैक्षिक प्रसार की प्रक्रिया ने इन समुदायों के विद्यार्थियों में शैक्षणिक जीवन और अन्तः क्रिया के क्षेत्र में अनेक समस्याओं को जन्म दिया। इस समुदाय के विद्यार्थियों की समस्याएं मुख्यतः दो भागों में बांटी जा सकती है : प्रथम–शिक्षण संस्थाओं में इस समुदाय के विद्यार्थियों की संख्या, द्वितीय परम्परागत– जातिगत संस्तरण में प्राप्त निम्न सामाजिक स्थान से सम्बन्धित समस्यायें हैं। प्रथम प्रकार की समस्याओं के निदान के लिये सरकारी प्रयास किये जा सकते हैं, और किये भी जा रहे हैं, लेकिन दूसरी प्रकार की समस्या के लिये इस क्षेत्र में गवेषणा की आवश्यकता है। त्वरित विकास और प्रशासनिक दृष्टि को ध्यान में रखते हुये उत्तर प्रदेश सरकार ने बुन्देलखण्ड मण्डल से 4 जिले निकालकर एक नये मण्डल चित्रकूटधाम मण्डल का सृजन 1997 में किया। उसके अन्तर्गत बाँदा जनपद है, जो अपने तमाम संसाधनों के बावजूद भी अत्यन्त पिछड़ा जनपद है। इसके पिछड़ेपन के प्रमुख कारणों में यहाँ की भौगोलिक संरचना, सामाजिक तथा राजनैतिक पृष्ठभूमि तथा जनसंख्यात्मक समस्याएं तो हैं ही शिक्षा की दृष्टि से भी बहुत पिछड़ा हुआ है। अनुसूचित जाति से सम्बन्धित विश्वविद्यालयों में शोध कार्य किये गये हैं, उन अध्ययनों में चित्रकूटधाम मण्डल पर अभी तक कोई शोध कार्य नहीं किया गया हैं। जहाँ तक अनुसूचित जाति से सम्बन्धित अध्ययन है उनमें जे० पी० नाग 1988[1] द्वारा जनजाति कोलों से सम्बन्धित अध्ययन तथा सुधानाग 1998[2] आदिवासी महिलाओं की प्रस्थिति सम्बन्धी अध्ययन

1– नाग जे०पी० (1988) कोलों की राजनैतिक चेतना का एक अध्ययन, समाजशास्त्र विभाग. अप्रकाशित, काशी विद्यापीठ, विश्वविद्यालय, वाराणसी।

2– नाग सुधा; कोल आदिवासी महिलाओं का समाजशास्त्रीय अध्ययन. 1998, अप्रकाशित, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी।

प्रमुख है : इस क्षेत्र के अत्यन्त पिछडे जनपद बाँदा के अनुसूचित जाति के महाविद्यालीय विद्यार्थी सरकारी सुविधाओं के बावजूद घोर अभावग्रस्त परिस्थितियों से जूझ रहे हैं, इनके परिवेश में ऐसी कौन सी समस्यायें हैं जो सामाजिक मूल्यों तथा प्रजातांत्रिक पद्धतियों को अपनाने में बाधक हैं ? जहाँ तक शोधार्थिनी को ज्ञात है चित्रकूटधाम मण्डल में बाँदा जनपद के अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों की समस्याओं पर अभी तक कोई गहन अध्ययन नहीं किया गया हैं। प्रस्तुत शोध अध्ययन बाँदा के ही नहीं वरन् चित्रकूटधाम मण्डल के अन्तर्गत आने वाले सभी जनपदों के अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों की समस्याओं के निदान में सहायक तथा उनकी उन्नति का आधार बनेगा। इन्हीं विचारों ने शोधार्थिनी को महाविद्यालीय अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों की शैक्षिक अभिवृत्ति सामाजिक मान्यताओं एवं समस्याओं के अध्ययन के लिये प्रेरित किया है।

शोध अध्ययन का शीर्षक :

प्रस्तुत शोध अध्ययन का शीर्षक इस प्रकार है : ''महाविद्यालीय अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों की शैक्षिक अभिवृत्ति, सामाजिक मान्यताओं एवं समस्याओं का एक अध्ययन '' (बाँदा जनपद के सन्दर्भ में)

अध्ययन के उद्देश्य :

(1) सामाजिक - आर्थिक पृष्ठ भूमि का अध्ययन -

प्रस्तावित शोध अध्ययन का प्रथम महत्वपूर्ण उद्देश्य महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की सामाजिक–आर्थिक पृष्ठभूमि कैसी है ? यदि उनकी सामाजिक–आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो उनकी शैक्षिक अभिवृत्ति भी प्रभावित होगी, सामाजिक गतिशीलता में परिर्वतन न के बराबर होगें, अतः वर्तमान अध्ययन यह ज्ञात करने का प्रयत्न करता है कि अनुसूचित जाति के विद्यार्थी जो शिक्षा ग्रहण करने की ओर अग्रसर हो रहे हैं उनकी सामाजिक–आर्थिक स्थिति कैसी है? इन्हीं से सम्बन्धित

कारणों को ज्ञात करना है।

(2) शैक्षिक स्थिति एवं अभिवृत्ति :

प्रस्तुत शोध द्वारा अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों की सामाजिक–आर्थिक, सांस्कृतिक, तथा शैक्षिक स्थितियों को ज्ञात करना है। तमाम सरकारी एवं संवैधानिक आपूर्तियों के पश्चात् भी उनके शैक्षिक जीवन एवं अभिवृत्तियों के विकास में अनेक बाधायें हैं। जो उनके शिक्षकों एवं सहपाठियों के साथ अन्तःक्रिया की सीमितता तथा प्रतिवद्धता को प्रभावित करती हैं।

(3) शैक्षिक मूल्य और सामाजिक जागरूकता :

शिक्षा एक उद्देश्यपरक प्रक्रिया है तथा इसके द्वारा वैयक्तिक एवं सामाजिक जीवन में आकाँक्षाओं के विस्तार एवं प्रोत्साहन में सहायता मिलती है। अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों में जहाँ पिछड़ापन अपने पैर जमाए हुए है । वहाँ शिक्षा उच्च गति शीलता और परिर्वतन का मार्ग प्रदान करती है, शैक्षिक मूल्यों एवं सामाजिक जागरूकता के प्रभाव को नजदीक से देखना है।

(4) शैक्षिक समस्यायें एवं संरक्षण :

केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों के शैक्षिक उन्नयन और परम्परागत सामाजिक–आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिये पर्याप्त सुरक्षा तथा संरक्षण की व्यवस्था की गयी है, प्रस्तुत शोध में यह ज्ञात करना अभीष्ठ है कि क्या राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा प्रदत्त सभी सुविधाओं का उपभोग इस वर्ग के छात्र कर रहें हैं ? और ये सुविधायें कहाँ तक उनके जीवन में गतिशीलता पैदा करने में समर्थ हो रहीं हैं।

(5) सामाजिक मन्यताओं एवं समस्याओं के प्रति प्रतिक्रिया :

अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों की सामाजिक मान्यताओं एवं समस्याओं के परम्परागत स्वरूप पर आर्थिक एवं शैक्षिक स्थितियों का क्या प्रभाव हो रहा है, विवाह,

परिवार, धार्मिक विश्वास तथा सामाजिक अन्तःक्रिया के सम्बन्ध में उनकी क्या समस्यायें हैं ? उस वर्ग के छात्र–छात्राएं उन समस्याओं से किस प्रकार. सामंजस्य कर रहें है, के तथ्यों का अध्ययन करना प्रमुख उद्देश्य है।

उपकल्पनायें :

शोध अध्ययन के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु निम्नलिखित उपकल्पनायें निर्धारित की गयी हैं–

(1) यह कि अनुसूचित जाति के विद्यार्थी अनेक जटिलताओं एवं अभावों के मध्य अध्ययन कर रहे हैं।

(2) यह कि अनुसूचित जाति की छात्राओं की संख्या में वृद्धि हो रही है यदि उनके परिवार के आर्थिक–सामाजिक स्थिति सन्तोषप्रद है।

(3) यह कि अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों की निम्न सामाजिक–आर्थिक स्थिति उनके पाठ्यक्रम चुनाव एवं अध्ययन रूचि को प्रभावित करती है।

(4) यह कि अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों की अपने शिक्षकों एवं सहपाठियों के साथ अन्तःक्रिया की सीमितता एवं प्रतिबद्धता इस समुदाय के छात्र–छात्राओं की आर्थिक और सांस्कृतिक पिछड़ेपन को प्रदर्शित करती है।

(5) यह कि अनुसूचित जाति के विद्यार्थी आर्थिक मूल्य को जितना महत्व देते हैं। उतना ज्ञान को नहीं ।

(6) यह कि अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों की निम्न सामाजिक आर्थिक स्थिति उनके शैक्षिक मूल्य के स्तर में नकारात्मक सम्बन्ध है।

(7) यह कि अनुसूचित जाति के विद्यार्थी गैर सरकारी संस्थाओं में भी आरक्षण की व्यवस्था चाहते हैं।

(8) यह कि अनुसूचित जाति के विद्यार्थी आरक्षण से उच्च आर्थिक लाभ पाने वाले स्वजातीय लोगों से प्रसन्न नहीं रहते हैं।

(9) यह कि अनुसूचित जाति के विद्यार्थी उच्च जातियों की सांस्कृतिक मान्यताओं और जीवन शैली को अपनाना चाहते हैं।

(10) यह कि अनुसूचित जाति के विद्यार्थी अपनी परम्परागत मान्यताओं, व्यवहार प्रतिमानो से निरन्तर दूर होते जा रहे हैं।

शोध में प्रयुक्त शब्दों का परिभाषीकरण :

प्रस्तुत अध्ययन में जिन शब्दों, अवधारणाओं का प्रयोग किया जा रहा है उनके विषय में प्रारम्भिक स्पष्टता आवश्यक है।

(1) महाविद्यालयीय शिक्षा – जीवन के विकास का प्रमुख साधन है इस शिक्षा के विविध स्तर प्रचलित हैं यथा-प्राथमिक, माध्यमिक, और उच्च आदि। सामान्यतया यह माना जाता है कि माध्यमिक शिक्षा के पश्चात ही उच्च शिक्षा का प्रारम्भ होता है जिसका निष्पादन महाविद्यालयों विश्वविद्यालयों एवं अन्य उच्च संस्थाओं में किया जाता है, यहाँ महाविद्यालय का तात्पर्य माध्यमिक स्तर की शिक्षा से ऊपर की शिक्षा से है।

(2) अनुसूचित जाति – महात्मा गाँधी ने हरिजन शब्द का प्रयोग ईश्वर की सन्तान से माना है, वे इस शब्द का प्रयोग उसके लिये करते थे जिनका स्तर अपने निम्न सामाजिक एवं धार्मिक हैसियत के कारण पारम्परिक पद्धति के अन्तर्गत अनेक असमर्थताओं से ग्रसित थे । भारत सरकार के अधिनियम 1935 में ऐसे लोगों को अनुसूचित जाति कहा गया। संविधान का अनुच्छेद 341 इस प्रकार है– ''अनुसूचित जातियों से अभिप्राय ऐसी जातियों, मूल वंशों (रेसेज) अथवा जन जातियों या ऐसी जातियों, मूलवंशों या अन्य जन जातियों के भीतर उनके भागों या गुणों से है जिन्हें भारत के संविधान के प्रयोजनों के लिये अनुच्छेद 341 के अधीन अनुसूचित जातियां समझा गया है।

(3) विद्यार्थी – वर्तमान अध्ययन में जो छात्र–छात्रा संस्थागत रूप से महाविद्यालयों में पंजीकृत है उसे विद्यार्थी माना गया है।

(4) अभिवृत्ति – मानव व्यवहार का अध्ययन करने के लिये उसकी अभिवृत्तियों का पता

लगाना नितान्त आवश्यक है, अभिवृत्तियाँ ही व्यक्ति के मानसिक व सामाजिक व्यवहारों को दिशा प्रदान करती है। वर्तमान अध्ययन में अभिवृत्ति शब्द का प्रयोग एक मानसिक या स्नायविक तत्परता संगठन अथवा विन्यास के लिये किया गया है जिसमें प्रेरणात्मक, भावात्मक, प्रत्यक्षात्मक और विचारात्मक प्रक्रियायें सम्मलित हैं और जिसके कारण व्यक्ति के चारों ओर की वस्तुओं, व्यक्तियों तथा समूहों की ओर उसकी सकारात्मक या नकारात्मक प्रक्रिया निर्देशित होती है।

(5) **सामाजिक मान्यतायें** :

समाज और शिक्षा का अन्योन्याश्रित सम्बन्ध है । समाजशास्त्रीय भाषा में समाज एक अमूर्त सम्प्रत्यय है, सामाजिक सम्बन्धों का जाल प्रत्येक समाज अपने मान्यताओं एवं आवश्यकताओं के अनुकूल ही शिक्षा की व्यवस्था करता है और समाज की मान्यतायें उनकी सामाजिक संरचना तथा उसकी भौगोलिक, धार्मिक, राजनैतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्थिति पर निर्भर करती है । प्रस्तुत अध्ययन में मान्यताओं एवं तद्जनित समस्याओं से यही आशय है।

अध्ययन की सीमाएं :

प्रस्तावित शोध अध्ययन का क्षेत्र चित्रकूटधाम मण्डल के अन्तर्गत स्थिति बाँदा जनपद है। इस जपनद में वर्तमान में 6 महाविद्यालय स्थित हैं, इनमें संस्कृत और अरबी महाविद्यालयों को शामिल नहीं किया गया हैं। अध्ययनरत अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों की शैक्षिक अभिवृत्ति एवं उनकी सामाजिक मान्यताओं एवं समस्याओं का अध्ययन करना है।

वर्तमान में बाँदा जनपद में 6 महाविद्यालय हैं :-

(1) पं0 जवाहरलाल नेहरू पी0जी0 कालेज, बाँदा

(2) राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बाँदा

(3) जिला परिषद कृषि महाविद्यालय, बाँदा

(4) राजीव गाँधी डी०ए०वी० महाविद्यालय, बाँदा

(5) अतर्रा पोस्टग्रेजुएट कालेज, अतर्रा .

(6) सुकदेव सिंह लवकुश महाविद्यालय, बबेरू ।

अनुसंधान की विधि एवं प्रक्रिया :

प्रस्तावित शोध अध्ययन में वे सभी साधन अपनाए जा रहे है जो कि मानकीय सर्वेक्षण विधि (नारमेटिव सर्वे मेथड) के लिये आवश्यक हैं।

अध्ययन का समग्र :

शोध अध्ययन के समग्र का चुनाव अध्ययन के लक्ष्य और प्रकृति के अनुरूप होता है। वर्तमान अध्ययन का उद्देश्य बाँदा जनपद के अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों की सामाजिक–आर्थिक पृष्ठभूमि, शैक्षिक अभिवृत्ति एवं सामाजिक आर्थिक मूल्यों की अन्तः सम्बन्धों के विश्लेषण के माध्यम से उनकी समस्याओं को प्रकाशित करना है। जनपद बाँदा उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक पिछड़ा क्षेत्र माना जाता है। उस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति विषम प्रकार की है। इस क्षेत्र की प्रमुख अनुसूचित जातियाँ – चमार, धोबी, कोरी, खटिक, पासी और डोमार हैं। इसमें चमार जाति की संख्या सर्वोपरि है।

बाँदा जनपद कृषि प्रधान हैं और अधिकांश जनसंख्या गाँवों में निवास करती है। यहाँ का समाज प्रायः दो वर्गो में बंटा है, प्रथम – सवर्ण, द्वितीय – शोषित वर्ग । यही कारण है कि यहाँ वर्ग संघर्ष की घटनाएं सर्वाधिक होती हैं। समाज की आर्थिक दशा दयनीय है। ग्रामीण श्रम शक्ति का महत्वपूर्ण भाग बेरोजगार है, जिनके पास काम हैं उन्हें पूरे वर्ष काम नहीं मिलता, प्रच्छन्न बेरोजगारी विकराल समस्या है। यहाँ की आम जनता के पास समय अधिक है, घरेलू व बाहरी कार्यो में स्त्रियों की भागीदारी अधिक है। खाली समय में पुरूषों के दिमाग में खुराफात रहती है। वे एक दूसरे की बुराई या स्वार्थपूर्ति में अपना मूल्यवान समय बिताते हैं। जाति पांति के भेद–भाव परस्पर वैमनस्यता के कारण मुकदमेंबाजी अधिक है पुस्तैनी दुश्मनी पीढ़ी दर

पीढ़ी चलती रहती है। जिनके पास खेत हैं वे बिक जाते हैं और कचहरी की आवाजाही में समय व धन बर्बाद होता है।

अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को बाँदा जनपद में समग्र के रूप में चुना गया है। बाँदा जनपद में चार तहसीलें तथा आठ विकास खण्ड हैं, जनपद में 06 महाविद्यालय हैं । अतर्रा महाविद्यालय, अतर्रा, सुकदेव सिंह लवकुश महाविद्यालय, बबेरू तहसील के मुख्यालय पर स्थित हैं । अन्य चार महाविद्यालय जनपद मुख्यालय बाँदा में स्थित हैं । महाविद्यालयों में पढ़ने वाले सभी छात्र–छात्राओं को समग्र में रखा गया हैं।

महाविद्यालय (Degree College)

क्रम सं0	महाविद्यालयों के नाम	कुल छात्र	छात्र	छात्राएं	अनुसूचित जाति		
					कुल	छात्र	छात्राएं
1.	पं0जे0एन0पी0जी0कालेज,बाँदा	5906	3969	1937	763	629	134
2.	राज0महिला स्नात0महा0,बाँदा	754	—	754	47	—	47
3.	राजीव गाँधी डी0ए0वी0महा0,बाँदा	42	40	02	02	02	—
4.	जिला परिषद कृषि महा0,बाँदा	205	205	—	25	25	—
5.	अतर्रा पो0ग्रे0कालेज,अतर्रा	5875	4298	1577	935	732	183
6.	सुकदेव सिंह लवकुश महा0,बबेरू	267	195	72	32	24	08
	योग	13049	8707	4342	1804	1434	372

स्रोत – महाविद्यालयों के अभिलेख, सत्र 2000–01.

अध्ययन का निदर्श :

वर्तमान अध्ययन में अनुसूचित जाति के 400 विद्यार्थियों का चयन मतदाता के रूप में किया गया है। चयन के लिये संस्तरित दैव निदर्शन विधि को अपनाया गया है। प्रत्येक महाविद्यालय से अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के सम्बन्ध में उनकी कक्षा, जाति के बारे में प्राप्त सूचनाओं के आधार पर एक सूची तैयार की गयी, इस सूची में

अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों की तुलनात्मक स्थिति को ध्यान में रखते हुये 280 छात्रों तथा 120 छात्राओं का कोटा निर्धारित किया गया है। इसके बाद प्रमुख रूप से 06 उपजातियों मे विभक्त विद्यार्थियों की संख्या की अधिकता के आधार पर चमार, धोबी, कोरी, खटिक, डोमार व पासी के विद्यार्थियों की अलग से सूची बनायी गयी। इस सूची से वास्तविक सूचनादाताओं का चयन दैव निदर्शन प्रणाली के द्वारा कर लिया गया है। वर्तमान अध्ययन के निदर्श के रूप में स्नातक एवं परास्नातक स्तर के अनुसूचित जाति के छात्र छात्राओं का चयन किया गया है। अनुसूचित जाति के समूह में चमार जाति के 150 विद्यार्थी चयनित हैं। जिसमें 105 छात्र तथा 45 छात्रायें है। धोबी जाति समूह से 100 सूचनादाताओं का चयन किया गया है। जिसमें 70 छात्र और 30 छात्रायें, कोरी जाति समूह से 70 विद्यार्थी हैं, जिसमें 49 छात्र और 21 छात्रायें , खटिक जाति समूह के 50 विद्यार्थी हैं, जिसमें 35 छात्र एवं 15 छात्रायें, डोमार जाति समूह के 20 विद्यार्थियों का चुनाव किया गया है, जिसमें 14 छात्र और 06 छात्रायें है, तथा पासी जाति समूह से 10 विद्यार्थियों का चयन किया गया है जिसमें 07 छात्र और 03 छात्रायें हैं।

<u>निदर्श के रूप में चयनित छात्र-छात्रायें</u> :

जातिगत स्थिति	छात्र	छात्राएं	योग
चमार	105	45	150
धोबी	70	30	100
कोरी	49	21	70
खटिक	35	15	50
डोमार	14	6	20
पासी	7	3	10
योग	280	120	400

चयनित उत्तरदाताओं का शैक्षिक आधार पर विभाजन :

शैक्षिक आधार पर डिग्री स्तर के उत्तरदाताओं का चयन स्नातक तथा परास्नातक विद्यार्थियों में किया गया है। इस प्रकार ग्रामीण स्तर के 310 विद्यार्थी एवं नगरीय स्तर के 90 विद्यार्थियों को सूचनादाता के रूप में चयन किया गया है।

चयनित उत्तरदाताओं का शैक्षिक आधार

क्रम सं0	महाविद्यालयों के नाम	स्नातक स्तर छात्र	स्नातक स्तर छात्राएं	योग	परास्नातक स्तर छात्र	परास्नातक स्तर छात्राएं	योग	महायोग
1.	पं0जे0एन0पी0जी0कालेज, बाँदा	116	38	154	28	13	41	195
2.	राज0महिला स्नात0महा0, बाँदा	–	18	18	–	03	03	21
3.	राजीव गाँधी डी0ए0वी0महा0, बाँदा	02	–	02	–	–	–	02
4.	जिला परिषद कृषि महा0, बाँदा	07	–	07	–	–	–	07
5.	अतर्रा पो0ग्रे0कालेज,अतर्रा	108	31	139	12	14	26	165
6.	सुकदेव सिंह लवकुश महा0, बबेरू	07	03	10	–	–	–	10
	योग – ग्रामीण	179	77	256	38	16	54	310
	नगरीय	61	13	74	02	14	16	90
	कुलयोग –	240	90	330	40	30	70	400

अध्ययन का उपकरण और तथ्यों का संकलन :

अध्ययन के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुये तथ्यों के संकलन में दो प्रकार के स्रोतों का उपयोग किया गया है। अध्ययन के निमित्त प्राथमिक तथ्यों का संकलन करने के लिये साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग किया गया है । जिसे परिशिष्ट "ब" में स्थान दिया गया है। साक्षात्कार अनुसूची के अन्तर्गत अध्ययन समस्या में सम्बन्धित प्रश्न सरल तथा बोधगम्य भाषा में हिन्दी मे निर्मित किये गये हैं। इस अनुसूची को

अन्तिम रूप से तैयार करने के पहले 40 विद्यार्थियों पर परीक्षण कर लिया गया है। परीक्षण से प्राप्त अनुभव के आधार पर प्रश्नों को और अधिक स्पष्ट तथा सरल बनाये गये हैं। तथ्यों के संकलन का मुख्य कार्य शोधार्थिनी ने शिक्षण संस्थाओं में स्वयं जाकर एवं सूचनादाताओं से व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित कर सम्पन्न किया । प्रत्येक सूचनादाता से पृथक–पृथक रूप से प्रश्नों को पूंछकर अनुसूची को पूरित किया गया है। प्रत्येक सूचनादाता से साक्षात्कार शिक्षण संस्था के परिसर में ही किया गया है। द्वितीयक स्त्रोत जिसमें जनगणना रिपोर्ट तथा सम्बन्धित कार्यालयों से एवं महाविद्यालयों से प्राप्त सांख्यकीय विवरण का प्रयोग जनपद की सामान्य जनसंख्यात्मक आर्थिक और शैक्षिक विशेषताओं के अध्ययन विश्लेषण के लिये किया गया है।

तथ्यों का वर्गीकरण, सारणीयन एवं विश्लेषण :

तथ्यों के संकलन का कार्य समाप्त करने के पश्चात तथ्यों के वर्गीकरण और सारणीयन का कार्य किया गया । यह कार्य शोधार्थिनी ने कोडिंग व कार्ड पद्धति का प्रयोग करते हुये स्वयं किया है। साधारण तथा मिश्रित सारणीयाँ तैयार की गयी हैं। जिसमें आवृत्ति और साधारण प्रतिशत प्रदर्शित की गयी है, तथ्यों का विश्लेषण विवरणात्मक विधि से किया गया है। विश्लेषण के आधार पर तथ्यों की समान्य प्रवृत्ति और निष्कर्षो को प्राप्त किया गया हैं।

अध्याय-द्वितीय

सम्बन्धित साहित्य एवं सर्वेक्षणों का अध्ययन

सम्बन्धित साहित्य एवं सर्वेक्षणों का अध्ययन

मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो अपने अनुभवों को संचित करता है और फिर आवश्यकता पड़ने पर उनका स्मरण करके उनसे लाभ उठाता है। ऐसे व्यक्तिगत अनुभवों के अतिरिक्त समाज के अन्य सदस्यों के भी अनुभव होते है– जिन्हें वे युग–युग से प्राप्त करते आये हैं। यह हमारी सामाजिक विरासत (Social Heridity) कहलाती है, यह पुस्तकों, ग्रन्थों, प्रतिवेदनों और अनुसंधानों के रूप में सुरक्षित रखी जाती है।

सम्बन्धित साहित्य से हमारा तात्पर्य उस साहित्य से है जिसमें प्रस्तावित समस्या अथवा उससे सम्बन्धित किसी पक्ष की विवेचना की गयी हो, शोधकर्ता को सम्बद्व साहित्य के विषय से ज्ञान प्राप्त कर लेना अति अवश्यक होता है। इस प्रकार का ज्ञान समस्या के निदान एवं सुझाव प्रस्तुत करने में भी सहायक होता है, साथ ही साथ यह भी ज्ञात होता है किस प्रस्तावित क्षेत्र में कितना कार्य किया जा चुका है,और अभी क्या करने की सम्भावनायें हैं।

इस सम्बन्ध में गुड, बार एवं स्केट्स ने लिखा है कि सम्बद्ध साहित्य के सर्वेक्षण के पाँच उद्देश्य हो सकते हैं। प्रथम–यह प्रदर्शित करने के लिये कि आगामी अन्वेषण के बिना ही क्या उपलब्ध साक्ष्य समस्या का समाधान उपयुक्त ढंग से कर सकता है ? इस प्रकार पुनरावृत्ति की शंका समाप्त हो जाती है, दूसरे–समस्या के व्यवस्थापन की दृष्टि से उपयोगी विचार, सिद्धान्त व्याख्या अथवा उपकल्पनाएं उपलब्ध कराना और तीसरे– समस्या के अनुकूल शोध प्रणाली प्रस्तावित कराना, चौथा– निष्कर्षो की व्याख्या करने में उपयोगी तथा तुलनात्मक प्रदत्त प्राप्त हो सकते हैं, पाँचवे– शोधकर्ता की सामान्य जानकारी में वृद्धि हो सकती है।

सम्बन्धित साहित्य का अध्ययन कर लेने से नयी विधियों एवं उपकरणों का ज्ञान प्राप्त होता है, सन्दर्भित साहित्य के अध्ययन से शोध हेतु लिये गये विषय की

सीमाओं का ज्ञान प्राप्त होता है और अनावश्यक पुनरावृत्तियों से बचने का अवसर प्राप्त होता है, साहित्याध्ययन से शोधार्थिनी को जो अन्तदृष्टि प्राप्त हुई उससे समस्या के परिसीमन, परिभाषीकरण, एवं अनुसंधान विधि के चयन में लाभ हुआ ।

इसी दृष्टि को ध्यान में रखकर प्रस्तुत शोध से सम्बन्धित साहित्य का अध्ययन किया गया है, जो भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों, संस्थाओं, शिक्षाविदों, समाज वैज्ञानिकों एवं अनुसंधानकर्ताओं के द्वारा अनुसंधान करके प्राप्त किये गये हैं।

अनुसूचित जाति से सम्बन्धित अध्ययनों का सर्वेक्षण :

हमारे देश में समाज का विस्तृत विवरण आदि ग्रन्थों वेदों में तथा मनुस्मृति में मिलता है, पाश्चात्य जगत में यूनानी दार्शनिक प्लेटो (427-347 B.C) सबसे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने समाज के स्वरूप की व्याख्या की उनके बाद उनके शिष्य अरस्तु (384–322B.C) ने मनुष्य को एक चेतन एवं सामाजिक प्राणी के रूप में स्वीकार किया । 19वीं शताब्दी के प्रारम्भ में (1778-1857 A.D) फ्रांसीसी दार्शनिक काम्टे सबसे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने समाज के वैज्ञानिक अध्ययन का शुभारम्भ किया। प्रारम्भ में तो उन्होंने अपने इन अध्ययन को सोशल फिजिक्स की संज्ञा दी। परन्तु आगे चलकर इसके लिये सोसियालॉजी शब्द का प्रयोग किया । काम्टे के बाद हर्बट स्पेन्सर ने इस क्षेत्र में कार्य किया । 1876 में उनकी प्रिसिंपिल्स ऑव सोसियालोजी नामक पुस्तक प्रकाशित हुई । इनके बाद फैड्रिक लेपले, डंकन, मैकाइबर, बोर्गाडस तथा एलरिच ने उल्लेखनीय कार्य किये।

शिक्षा के समाजशास्त्र के इतिहास के अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि सर्वप्रथम 1883 में शिक्षा को माननीय प्रगति के एक प्रमुख अभिकरण के रूप में लेस्टरवार्ड ने अपनी पुस्तक "डायनामिक सोसियालॉजी" (Dynamic Sociology 1883)[1] में विश्लेषित किया। परन्तु सन् 1915–16 तक शिक्षा के समाजशास्त्र विश्लेषण

1- Ward, L.F. : Dynamic Sociology, New York, Appletin Century Crafts, 1883.

के स्वतन्त्र शाखा के रूप में स्थान प्राप्त न हो सका । डब्ल्यू0 वालर (1932)[1] और फलोरियन जनांनिकी (1936)[2] ने प्रथम बार शिक्षा के समाजशास्त्र का एक प्रबल सैद्धान्तिक आधार प्रस्तुत किया। कार्ल मैनहिम की पुस्तक "फ्रीडम पावर एण्ड ए डिमोक्रेटिव प्लानिंग" (Freedom Power and a Democrative Plannning) में इस सैद्धान्तिक आधार को और अधिक विस्तृत किया। परन्तु शिक्षा के समाजशास्त्र के क्षेत्र में अनुभवात्मक अध्ययन 1955 से ही प्रारम्भ हो सका (बुच:1974:83)[3] भारतवर्ष में डाक्टरेट व प्रोजेक्ट स्तर पर शिक्षा के समाज में अध्ययन 1958 से प्रारम्भ हुआ । परन्तु स्नातकोत्तर स्तर पर इसके पूर्व अनेक अध्ययन किये जा चुके थे। 1926 में 'सेम' ने सर्वप्रथम बालकों की शिक्षा पर पर्यावरण के प्रभाव का अध्ययन किया । इसके पश्चात् जोगलेकर (1928)[4] ने ऐतिहासिक दृष्टिकोण से शिक्षा और सामाजिक वर्ग के पारस्परिक अन्तःक्रिया का अध्ययन किया । गुप्ता (1944) ने आधुनिक शिक्षा की गतिशीलता का अध्ययन किया । इसके पश्चात् सनेगरी (1950)[5] और टण्डन (1950)[6] ने क्रमशः द्वितीय विश्वयुद्ध के शिक्षा पर प्रभाव और "वार्धा योजना" का अध्ययन किया। भट्टाचार्या (1951)[7] ने पश्चिमी बंगाल की शैक्षणिक समस्या हीकी (1951)[8] ने

1- Waller, W. : The Sociology of teaching, New York, John Wiley and Sons, inc., 1932.

2- Znanicck, F. : Social Action, New York, Johnwiley & Sons, Inc., 1936.

3- Buch, M.B. : A Survey of Research in education Baroda, 1974.

4- Joglekar, J.G. : Education and Social ideas in Maharastra during the 19th century, Mastrs. Thesis in Sociology, Bombay University, 1928.

5-Sanegigi, L.V. : The effect of Second word war on education. Master Thesis in Education, Bombay University, 1950.

6- Tandon, A. : The wordha scheme. Master Thesis in education, Allahabad University, 1950.

7- Bhattacharya, S. : Sociological Problems in relation to education in West Bengal and Their Possible Solution, Master Thesis in education, Calcutta University, 1951.

8- Hickey, M.C. : Problems of Freedom and discipline in education, Master Thesis in education, Calcutta University, 1951.

शिक्षा में स्वतन्त्रता और अनुशासन की समस्या बोस (1956)[1] ने शिक्षा और राष्ट्रीय एकता, राय (1956)[2] ने शिक्षा और राजनीति के परस्पर सम्बन्ध और मलिक (1957)[3] ने शिक्षा और स्वतन्त्र समाज के पारस्परिक सम्बन्ध का अध्ययन किया।

भारत में 1958 से लेकर अब तक शिक्षा के समाजशास्त्र के क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण अध्ययन हुए है, जिनकी विशद विवेचना बुच द्वारा सम्पादित अध्ययनों के सर्वेक्षण में प्रकाशित की गयी है। (बुचः1974 और 1980) इसके अतिरिक्त आई0सी0 एस0एस0आर0 द्वारा प्रकाशित (A Survey of Research in Sociology and Social Anthropology. Vol. 2) में भी इन अध्ययनों के सम्बन्ध में पर्याप्त सामग्री प्रस्तुत की गयी है । वर्तमान अध्ययन के सैद्धान्तिक पृष्ठभूमि को स्पष्ट करने के लिये भारत में विद्यार्थियों विशेषकर अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों पर आधारित अध्ययनों का सर्वेक्षण आवश्यक है। अतः इनमें महत्वपूर्ण अध्ययनों का विश्लेषण नीचे किया जा रहा है ।

Chandra Sekher, K. (1969) : Educational Problems of Scheduled Castes.[4]

इस अध्ययन का उद्देश्य (1) मैसूर राज्य के ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों के अनुसूचित जाति के शैक्षणिक समस्याओं का अध्ययन करना, (2) यह ज्ञात करना कि शिक्षण संस्थाओं में सहभागिता और शैक्षणिक उपलब्धि किस मात्रा में शिक्षण संस्थाओं के परिवेश, पारिवारिक पृष्ठभूमि और माता–पिता के दृष्टिकोण तथा सामुदायिक

1- Bose, A.K. : Education for National Unity with special references to International situation. Master Thesis in education, Patna University, 1956.

2- Ray, P. : Investigation into the reaction of Politics and education. Master Thesis in education. Patna University, 1956.

3- Mullik, K. : Education for a Free Society. Master Thesis in ecducation, Patna University, 1957.

4- Chandrasekher, K. : Educational Problems of Scheduled Castes. N.C.E.R.T., 1969.

संरचना से सम्बन्धित है (3) यह ज्ञात करना कि क्या सामुदायिक संरचना और अनुसूचित जाति की विभिन्न समुदायों के सामान्य स्थिति के आधार पर अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धि की व्याख्या की जा सकती है।

Bindu, Ram Palat (1974) : Progress of education of Scheduled Castes in Utter Pradesh.[1]

इस अध्ययन का उद्देश्य (1) स्वतन्त्रता प्राप्ति से अनुसूचित जाति के साक्षरता और शैक्षणिक प्रसार का अध्ययन करना (2) अनुसूचित जाति एवं सामान्य जनसंख्या के शैक्षणिक प्रगति की तुलना करना (3) उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति के शैक्षणिक प्रगति का अन्य राज्यों के शैक्षणिक प्रगति से तुलना करना (4) उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में अनुसूचित जाति के शैक्षणिक प्रगति के अन्तराल का पता लगाना तथा विभिन्न अनुसूचित जातियों के मध्य शैक्षणिक विकास में पाये जाने वाले अन्तर का पता लगाना (5) विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का अनुसूचित जाति के शैक्षणिक विकास में योगदान का मूल्यांकन करना है।

Chitnis, S. (1974) " Literacy and education enrolment among the Scheduled Castes of Maharashtra.[2]

इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य यह ज्ञात करना कि (1) केन्द्र और राज्य के द्वारा अनुसूचित जाति उत्थान के लिये जो प्रयत्न किये जा रहे हैं, क्या उनसे अनुसूचित जाति के सदस्य संविधान द्वारा प्रदत्त समानता के अधिकार के निकट पहुँच रहे हैं ? (2) क्या स्कूल और कालेज में अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों का प्रतिशत सामान्य जनसंख्या के प्रतिशत के अनुरूप है ? (3) क्या विभिन्न पाठ्यक्रमों और शिक्षण संस्थाओं में उनका विवरण सामान्य जनसंख्या के अनुरूप है ? (4) क्या अनुसूचित

1- Bindu, Ram Palat : Progress of education of Scheduled castes in U.P., Ph.D. Thesis (Unpublished), B.H.U., Varanasi, 1974.

2- Chitnis, S. : Literacy and education Enrolment among the Scheduled castes of Maharastra. Tata Institute of Social Science, Bombay, 1974.

जाति के विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धि सामान्य विद्यार्थियों के अनुरूप है ? और (5) क्या शिक्षा ने अनुसूचित जाति को आर्थिक एवं सामाजिक गतिशीलता के मार्ग में बढ़ने के योग्य बना दिया है ? या जाति उनके प्रगति के मार्ग में अभी भी बाधक बनी हुई है।

Dubey, S.M. (1974) : The study of Scheduled Caste and Scheduled tribe college Student in Assam.[1]

यह अध्ययन आसाम के अनुसूचित जाति के कालेज विद्यार्थियों के समाजिक –आर्थिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करने के लिये और यह देखने के लिये कि किस प्रकार शिक्षा उनकी आकांक्षाओं, उपलब्धियों जीवन शैली, सामाजिक क्रियाकलापों में सहभागिता दृष्टिकोण, सामाजिक स्थिति इत्यादि को प्रभावित कर रहा है।

Goyal, S.K. (1974) : The study of Scheduled Castes Student of College in East U.P.[2]

यह अध्ययन पूर्वी उत्तर प्रदेश के कालेज स्तर के अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि तथा शैक्षणिक उपलब्धि एवं आकांक्षाओं का विश्लेषण करता है इस अध्ययन में वाराणसी, गोरखपुर, फैजाबाद और देवरिया जिले के 16 कालेज के 230 विद्यार्थियों और 64 अध्यापकों को सम्मिलित किया गया है इस अध्ययन से यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि (1) उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति की संख्या सबसे अधिक है (2) सामान्य जनसंख्या की तुलना में अनुसूचित जाति के साक्षारता का स्तर अत्यन्त निम्न है तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश में यह निम्नतर है (3) माता पिता का शैक्षणिक स्तर साथ ही साथ युवा पीढ़ी का शैक्षणिक स्तर अत्यन्त निम्न है (4) अधिकांश विद्यार्थी ग्रामीण क्षेत्र के हैं, तथा कला विषय ग्रहण किया है (5) अधिकांश विद्यार्थियों की शैक्षणिक आकांक्षा अत्यन्त उच्च है।

1- Dubey, S.M. : The Study of Scheduled Caste and Scheduled Tribe College Student in Assam, I.C.S.S.R., 1974.

2- Goyal, S.K. : The Study of Scheduled Castes Student of College in East U.P., Department of Sociology, B.H.U., Varanasi, I.C.S.S.R., 1973-74.

Parvathamma, C. (1974) : The study of Scheduled Caste and Scheduled Tribe college student in Karnatak.[1]

यह अध्ययन कर्नाटक राज्य के 260 अनुसूचित जाति के कालेज स्तर विद्यार्थियों और 113 कालेज और अध्यापकों पर किया गया है। इस अध्ययन का उद्देश्य अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि एवं शैक्षणिक समस्याओं का अध्ययन करना है अध्ययन से निम्न तथ्यों पर प्रकाश पड़ता है । (1) अनुसूचित जाति के विद्यार्थी कालेज में निर्धारित समय से अधिक समय तक रहते हैं। (2) अधिकांश विद्यार्थी गाँव में रहते है जबकि शिक्षण संस्थायें नगर में है अतः वे या तो होस्टल में रहते हैं या गाँव से प्रतिदिन पढ़ने आते हैं (3) छात्रावास में अत्यधिक भीड़ की समस्या पायी गयी है । (4) अनेक विद्यार्थी छात्रवृत्ति के वितरण से असन्तुष्ट हैं ।

Raj Gopalan, C. (1974) : Educational Progress and Problems of Scheduled Castes and Scheduled Tribe Student in Karnatak (High School)[2]

यह अध्ययन कर्नाटक राज्य के 196 अनुसूचित जाति के हाईस्कूल के विद्यार्थियों और 134 अध्यापकों से प्राप्त सूचना पर आधारित है इस अध्ययन से यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि (1) 30 प्रतिशत विद्यार्थी छात्रावास में निवास करते है (2) अधिकांश विद्यार्थियों की आर्थिक स्थिति असन्तोषजनक है (3) पारिवारिक कार्य इनके अध्ययन के मार्ग में बाधक है (4) अधिकतर विद्यार्थी प्राइवेट ट्यूशन की आवश्यकता का अनुभव करते हैं (5) विद्यार्थियों को माता–पिता का प्रोत्साहन प्राप्त है।

1- Parvathamma, C. : The Study of Scheduled Caste and Scheduled Tribe College student in Karnatak, Department of Post-Graduate studied and Research in Sociology, Mysoor University , 1974 (I.C.S.S.R.)

2- Raj Gopalan, C. : Educational Progress and Problems of Scheduled castes and Scheduled Tribe in Karnatak (High School), 1974 (I.C.S.S.R.).

Sachchidanand (1974) : Education among Scheduled Castes and Scheduled Tribe in Bihar (College Student)[1]

यह अध्ययन बिहार के 225 अनुसूचित जाति के कालेज स्तर के विद्यार्थी तथा 144 अध्यापकों पर आधारित है इस अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि (1) अनुसूचित जाति के 30 प्रतिशत विद्यार्थी विवाहित है (2) केवल 17 प्रतिशत विद्यार्थियों ने विज्ञान विषय ग्रहण किया है। (3) कालेज स्तर के विद्यार्थियों को पारिवारिक बोझ का अधिक सामना नहीं करना पड़ता (4) अधिकांश विद्यार्थियों की शैक्षणिक और व्यावसायिक आकांक्षा अत्यन्त उच्च है (5) अधिकांश विद्यार्थी राजनीति के दृष्टिकोण से अधिक जागरूक व सक्रिय हैं।

Singhi, N.K. (1979) : Education and Social Change[2]

इस अध्ययन द्वारा यह देखने का प्रयत्न किया गया है कि राजस्थान के अनुसूचित जाति के विद्यार्थी किस मात्रा में शिक्षा, नवीन सामाजिक विधान और आधुनिकीकरण की अन्य नवीन शक्तियाँ असमानता के स्रोतों का उन्मूलन करके नवीन सामाजिक सम्बन्धों और अन्तःक्रिया का विस्तार कर रही है । अध्ययन द्वारा विदित होता है कि अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों का परिवार अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में नवीन और आधुनिक परिर्वतन के कारकों से प्रभावित है। अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों का विगोपन स्तर अपेक्षाकृत अधिक सीमित और प्रथक है तथा अपने समुदाय से बाहर सामाजिक सम्पर्क की मात्रा भी सीमित है।

Khare, R.S., 1984, 'The Untouchable as himself', Cambridge University Press, Cambridge.[3]

1- Sachchidanand : Education Among Scheduled castes and scheduled Tribe in Bihar (College Student), 1974 (I.C.S.S.R.)

2- Singhi, N.K. : Education and Social Change Rawat Publication, Jaipur, 1979.

3- Khare, R.S. : The Untouchable as himself, Cambridge, University Press, Cambridge, 1984.

खरे 1984 ने लखनऊ के नगरीय क्षेत्र में चमारों की सामाजिक पृष्ठभूमि का मूल्यांकन करते हुये अस्पृश्यता की अवधारणा का विवेचन किया है अपने अध्ययन के आधार पर उन्होंने नगरीय क्षेत्र में चमार जाति के परिवारों में दो वर्गो का उल्लेख किया है एक वर्ग तो परम्परागत संस्थात्मिक जाति व्यवस्था में जीवन यापन कर रहा है। तो दूसरा वर्ग आधुनिक लोकतंत्र की सुविधाओं का उपभोग करते हुये राष्ट्र की मुख्यधारा से जुड़ा हुआ है इन अस्पृश्य जातियों की सांस्कृतिक वैचारिकी के विश्लेषण हेतु खरे ने ही इन जातियों के सांस्कृतिक सिद्धान्तों और विधानों का विश्लेषण किया है । अपने अध्ययन के आधार पर खरे ने यह निष्कर्ष प्रस्थापित किया है कि लखनऊ के चमारों ने बौद्धिक और वैचारिक माध्यमों से अपनी सांस्कृतिक निर्योग्यताओं को कुछ सन्दर्भो में एक विशिष्ट तरीके से दूर किया है। उनकी सामाजिक दृढ़ता ने उच्च जातियों को उनके प्रति परिवर्तित दृष्टिकोण विकसित करने के लिये बाध्य किया है लेकिन आधिकांश चमारों ने अपनी सांस्कृतिक विरासत को बनाये रखने के लिये कुछ परम्परागत प्रतीकों का साथ नहीं छोड़ा है जिसका परिणाम अस्पृश्ता को बनाये रखने में उनकी हिस्सेदारी के रूप में दिखलाई पड़ता है।

Vishwanathan G. and Narsing, R., 1985, 'Scheduled Caste; A study in Education Achievement, 'Scientific Service, Hyderabad.[1]

विश्वनाथन और नरसिंह रेड्डी 1985 ने अनुसूचित जातियों की शैक्षणिक उपलब्धि के सन्दर्भ में किये गये अपने अध्ययन को आन्ध्र प्रदेश की अनुसूचित जातियों पर केन्द्रित किया है उर्ध्व सामाजिक गतिशीलता के लिये औपचारिक शिक्षा के महत्व को अनुसूचित जातियों के सन्दर्भ में विश्लेषित करते हुये इन्होंने यह स्पष्ट किया है कि अनुसूचित जातियों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति में सुधार के लिये यह आवश्यक है कि इन जातियों की परम्परागत संकुचित विचारधारा में परिर्वतन लाया जाये।

1- Vishwanathan G. and Narsingh, R., : Scheduled Caste A Study in education achievement, Scientific Service, Hyderabad, 1985.

सामाजिक संरचना में मूलभूत परिर्वतन के लिये इस जाति के सदस्य कभी भी सक्रिय नहीं पाये गये। अतएवं जब तक समाज में संरचानात्मक परिर्वतन नहीं किया जायेगा, इन जातियों के प्रस्थिति में सुधार कल्पना लगता है, और वे शैक्षणिक क्षेत्र में पिछड़े रहेंगे।

Vakil, A.K., 1985, 'Reservation Policy and Scheduled Caste in India', Ashish Publications House, New Delhi.[1]

वकील 1985 ने अनुसूचित जातियों के लिये आरक्षण के सन्दर्भ में किये गये अपने अध्ययन के अन्तर्गत इन जातियों के सदस्यों की शैक्षणिक एवं आर्थिक दशाओं का मूल्यांकन किया है । इस अध्ययन से प्राप्त तथ्य यह स्पष्ट करता है कि आरक्षण नीति को समय–समय पर परिशोधित किया जाना चाहिये। एक निश्चित आय स्तर वाले अनुसूचित जाति के परिवारों को ही इसका लाभ दिया जाना चाहिये। अनुसूचित जाति के सदस्यों की आर्थिक स्थिति का विश्लेषण करते हुये वकील ने यह स्पष्ट किया है कि 1978–83 की केन्द्र सरकार की योजना जो अनुसूचित जाति की आर्थिक परिस्थितियों के सुधार के लिये बनायी गयी थी असफल हुई है जिसका कारण अनुसूचित जाति के समस्याओं के निराकरण हेतु नियोजित उपायों के प्रयोग से सम्बन्धित है। केवल नौकरियों में आरक्षण और आर्थिक कार्यक्रमों में लागत दर वृद्धि कर देना ही अनुसूचित जाति के वास्तविक उत्थान का सूचक नहीं है। अपितु व्यावसायिक भिन्नताओं के कारण इन जातियों की असमान आर्थिक दशायें भी वे महत्वपूर्ण कारण है जो उनकी परिस्थिति को सुधारने के लिये प्रमुख अवरोधक मानी जा सकती है। सामान्यतः इन जातियों के लोग निम्न स्तरीय लाभ वाले व्यवसायों में लगे हुये हैं। उनके द्वारा स्वयं नया व्यवसाय शुरू करने की स्थितियां भी आर्थिक

1- Vakil, A.K. : Reservation Policy and Scheduled Caste in India, Ashish Publications House, New Delhi, 1985.

कारणों से प्रतिबन्धित है। राज्य सरकारों की भूमि सुधार नीति भी इन जातियों के हितों को संरक्षित करने में असफल हुई हैं।

Shyam Lal, K.S.Saxena (ed) 1998 Ambedkar and Nation-Building Rawat Publications, New Delhi[1]

प्रो0 श्यामलाल एवं के0एस0 सक्सेना द्वारा सम्पादित पुस्तक Ambedkar and Nation-Building में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के जीवन से सम्बन्धित विभिन्न पक्षों को डॉ0 वी0आर0 अम्बेड़कर के विचारों के परिप्रेक्ष्य में विश्लेषित करने का प्रयास किया गया है। इसके अन्तर्गत समाज के दलित वर्ग के जीवन के विभिन्न सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक जीवन के विभिन्न आयामों को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। पुस्तक के अन्तर्गत विभिन्न लेखकों ने अनुसूचित जाति एवं जनजति के शैक्षिक अज्ञानता आर्थिक पिछड़ापन एवं जातिगत संस्तरण में दीन–हीन भावना आदि का विवेचना किया गया है। इसमें यह भी स्पष्ट किया गया है कि इनकी दशा में सुधार तभी सम्भव है जब आरक्षण के द्वारा इन्हें विविध प्रकार की सुविधाओं को प्रदान किया जाये तथा उनके लिये विकास के द्वार तभी खुल पा सकते हैं जब उनके जीवन के विविध पक्षों से सम्बन्धित अभाव को दूर किया जाये। अतः अनुसूचित जाति एवं जनजाति का समाज के सवर्णो के साथ विकास तभी सम्भव है जब उन्हें उन सुविधाओं को प्रदान करने की व्यवस्था की जाये जिससे वे वंचित रहे हैं।

इस प्रकार अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों की शैक्षिक अभिवृत्ति एवं समस्याओं से सम्बन्धित पूर्ववर्ती अध्ययनों के विश्लेषणं से यह स्पष्ट होता है कि अनुसूचित जाति और जनजाति के विद्यार्थियों के शैक्षणिक अभिवृत्ति, शैक्षणिक आकांक्षा, व्यावसायिक आकांक्षा और सामाजिक मूल्यों से सम्बन्धित अनुभवात्मक

1- Shyam Lal, K.S. Saxena ed : Ambedkar and Nation Building, Rawat Publications, New Delhi, 1998.

अध्ययनों की मात्रा कम है।

चित्रकूटधाम मण्डल का बाँदा जनपद के अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों की आकांक्षाओं और अभिवृत्तियों तथा सामाजिक समस्याओं से सम्बन्धित अध्ययन नहीं हुआ है। इस दृष्टि से अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों से सम्बन्धित अध्ययन एक महत्वपूर्ण अध्ययन है।

अध्याय-तृतीय

सैद्धान्तिक परिप्रेक्ष्य

शिक्षा का तात्पर्य

शिक्षा प्रक्रिया एवं व्यक्तित्व विकास

शिक्षा का समाजीकरण

अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों की शैक्षिक समस्याएं

अनुसूचित जाति एवं भारतीय समाज

अनुसूचित जाति के कल्याण से सम्बन्धित सरकारी प्रयास

सैद्धान्तिक परिप्रेक्ष्य

शिक्षा का तात्पर्य :

शिक्षा समाज की एक प्रक्रिया है। समाज के प्रत्येक मनुष्य के लिये इसकी आवश्यकता होती है। शिक्षा व्यैक्तिक, सामाजिक और राष्ट्रीय विकास के लिये ही नहीं अपितु सभ्यता और संस्कृति के विकास के लिये भी आवश्यक है। भारतीयों ने शिक्षा के इस महत्व को हजारों वर्ष पहले ही समझ लिया था । प्रभाव व परिणाम की दृष्टि से शिक्षा की भूमिका सदैव महत्वपूर्ण रही है व्यक्ति समाज और संस्कृति तीनों से ही शिक्षा का सम्बन्ध प्रत्यक्ष और प्राथमिक है । ब्यवस्था का स्थायित्व निरन्तरता विकास और गतिशीलता शिक्षा से पूर्णतया सम्बन्धित है। शिक्षा की इन विभिन्न भूमिकाओं के कारण शिक्षा का अध्ययन विभिन्न दृष्टिकोण से किया जा सकता है । शिक्षाशास्त्र के अतिरिक्त मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, दर्शनशास्त्र नीतिशास्त्र तथा विभिन्न सामाजिक विज्ञान शैक्षणिक प्रक्रिया का विश्लेषण अपने विशिष्ट अध्ययन दृष्टि अध्ययन उपागम प्रविधियों और अवधारणाओं का प्रयोग करके करते हैं। शिक्षा का समाजशास्त्र अध्ययन का नवीन और स्वतन्त्र उपागम है जो शैक्षणिक प्रक्रिया को एक अन्तः क्रियात्मक प्रक्रिया मानकर व्यक्तिगत निर्माण सामाजिक–आर्थिक गतिशीलता की वृद्धि, सामाजिक पुननिर्माण इत्यादि क्षेत्रों में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका की विवेचना करता है ।

शिक्षा का अर्थ अत्यन्त व्यापक है। शिक्षा की प्रक्रिया समाज में निरन्तर चलती रहती है तथा जिसके माध्यम से सामाजिक और साँस्कृतिक विशेषताओं का हस्तानतरण समाज की नवीन पीढ़ी को किया जाता है । इस व्यापक अर्थ में आचार विचार, व्यवहार के ढ़ंग, मूल्य और आदर्श नवीन पीढ़ी के द्वारा ग्रहण करने की प्रक्रिया शिक्षा है शिक्षा को प्रकाश का स्त्रोत अन्तर्दृष्टि, अन्तर्ज्योति, ज्ञानचक्षु और यहाँ तक ही मनुष्य का तीसरा नेत्र माना जाता है। भारतीयों का विचार था कि शिक्षा का प्रकाश

व्यक्ति के सब संशयों का उन्मूलन और सभी बाधाओं का निवारण करता है। शिक्षा से प्राप्त की गयी अन्तर्दृष्टि व्यक्ति की बुद्धि, विवेक और कुशलता में वृद्धि करती है । सुभाषित रत्न संग्रह मे लिखा है कि ज्ञान मुनष्य का तीसरा नेत्र है, जो उसे समस्त तत्वों के मूल को समझने मे समर्थ बनाता है तथा उसे सही कार्यो में प्रवृत्त करता है।[1] महाभारत मे कहा गया है कि विद्या के समान कोई दूसरा नेत्र नहीं होता।[2] विद्या हमें मोक्ष दिलाती है ।[3] विद्या से हमें जो ज्योति प्राप्त होती है वह संशयों का विनाश करती है विद्या से विकसित और परिष्कृत बुद्धि ही सच्चा बल है ।[4] विद्या से हीन व्यक्ति पशु के समान है ।[5] शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डालते हुये डॉ0 ए0एस0 अल्टेकर ने कहा कि शिक्षा को प्रकाश और शक्ति का ऐसा स्त्रोत माना जाता था, जो हमारी शारीरिक मानसिक, भौतिक और आध्यात्मिक शक्तियों तथा क्षमताओं का निरन्तर एवं सामन्जस्य पूर्ण विकास करके हमारे स्वभाव को परिवर्तित करती है और उसे उत्कृष्ट बनाती है ।[6]

शिक्षा के सामाजिक पक्ष पर बल देते हुये समाजशास्त्री "दुर्खीन" ने लिखा है कि "शिक्षा प्रौढ़ पीढ़ी का वह प्रभाव है जो उस नवीन पीढ़ी पर लागू किया जाता है, जो सामाजिक जीवन के लिये अभी तैयार नहीं है, इसका लक्ष्य बालक में ऐसे शारीरिक, बौद्धिक, नैतिक गुणों का विकास करना है जो उसकी राजनीतिक व्यवस्था तथा सामाजिक परिवेश के अनुरूप होता है, जिससे उसे एक निश्चित पद प्राप्त है।[7]

---

1. सुभाषित रत्न संग्रह, पृष्ठ 194 ।
2. महाभारत ।
3. सुभाषित रत्न संग्रह, पृष्ठ 12 ।
4. सुभाषित रत्न संग्रह, पृष्ठ 30 ।
5. नीतिशतक, पृष्ठ 16 ।
6. डॉ0 अल्टेकर ए0एस0 प्राचीन भारतीय शिक्षण पद्धति नन्द किशोर एण्ड ब्रदर्स, ज्ञानवापी, वाराणसी ।
7. **Durkheim, E.: Education and Sociology. The Free Press, Glancee. Illinois, 1959, P. 61.**

इस प्रकार दुर्खीन ने शिक्षा को मूल रूप से व्यक्ति और समूह के मध्य एक अन्तःक्रिया माना है । इसी प्रकार 'क्रो और क्रो' ने शिक्षा को वह गतिशील प्रेरक माना है जो प्रत्येक व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, सांवेगिक, सामाजिक और नैतिक विकास को प्रभावित करती है (क्रो एण्ड़ क्रो : 1955 : 25) कार्टर बी गुड शिक्षा को ऐसी प्रक्रिया माना है जिसके द्वारा व्यक्ति अनुभव या सूचना प्राप्त करता है । उनके अनुसार "शिक्षा उन सभी प्रक्रियाओं का सामूहिक नाम है जिसके द्वारा व्यक्ति ऐसी क्षमता मनोवृत्ति और व्यवहार के ढ़ंगों को ग्रहण करता है जो सामाजिक जीवन व्यतीत करने में व्यावहारिक महत्व रखता है।" औपचारिक रूप में शिक्षा वह प्रक्रिया है, जो नियन्त्रित और विशिष्ट पर्यावरण में व्यक्तिगत और सामाजिक क्षमता के विकास का अधिकतम अवसर प्रदान करती है," (कार्टर, वी गुडं) ।[1]

उपरोक्त परिभाषाएं शिक्षा को एक व्यापक और औपचारिक प्रक्रिया के रूप में प्रस्तुत करती है जिसका लक्ष्य परम्परागत मूल्यों आदतों और व्यवहार के ढंगों के संचरण द्वारा सामाजिक संरचना के स्थायित्व और निरन्तरता को बनाए रखना है। आदिम और परम्परागत समाजों में जहाँ इस प्रकार की शिक्षा की प्रधानता रही है उनमें शिक्षा समाज के सम्पूर्ण पर्यावरण में घटित होने वाली प्रक्रिया रही है तथा जिसका लक्ष्य व्यक्ति और समूह के मध्य तादात्मीकरण स्थापित करना रहा है। परन्तु आधुनिक समाज में शिक्षा शब्द का प्रयोग सीमित और संकुचित रूप से किया जाता है । शिक्षण संस्थाओं के नियन्त्रण और औपचारिक वातावरण में निश्चित पाठ्यक्रम शिक्षण विधि और स्वीकृत शैक्षणिक नीतिओं और मूल्यों के अनुरूप प्रदान किये जाने वाले प्रशिक्षण के लिये शिक्षा शब्द का प्रयोग किया जाता है । इस अर्थ में शिक्षा एक विशेषीकृत प्रक्रिया है जो ज्ञान, दक्षता एवं कुशलता को नवीन पीढ़ी को हस्तान्तरित

---

1. **Good Carter, V. : Dictionary of Education, Quoted in Introduction to Education, by Crow and Crow Op.cit.**

व्यक्ति के सब संशयों का उन्मूलन और सभी बाधाओं का निवारण करता है। शिक्षा से प्राप्त की गयी अन्तर्दृष्टि व्यक्ति की बुद्धि, विवेक और कुशलता में वृद्धि करती है । सुभाषित रत्न संग्रह मे लिखा है कि ज्ञान मुनष्य का तीसरा नेत्र है, जो उसे समस्त तत्वों के मूल को समझने मे समर्थ बनाता है तथा उसे सही कार्यो में प्रवृत्त करता है।[1] महाभारत मे कहा गया है कि विद्या के समान कोई दूसरा नेत्र नहीं होता।[2] विद्या हमें मोक्ष दिलाती है ।[3] विद्या से हमें जो ज्योति प्राप्त होती है वह संशयों का विनाश करती है विद्या से विकसित और परिष्कृत बुद्धि ही सच्चा बल है ।[4] विद्या से हीन व्यक्ति पशु के समान है ।[5] शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डालते हुये डॉ0 ए0एस0 अल्टेकर ने कहा कि शिक्षा को प्रकाश और शक्ति का ऐसा स्त्रोत माना जाता था, जो हमारी शारीरिक मानसिक, भौतिक और आध्यात्मिक शक्तियों तथा क्षमताओं का निरन्तर एवं सामन्जस्य पूर्ण विकास करके हमारे स्वभाव को परिवर्तित करती है और उसे उत्कृष्ट बनाती है ।[6]

शिक्षा के सामाजिक पक्ष पर बल देते हुये समाजशास्त्री "दुर्खीन" ने लिखा है कि "शिक्षा प्रौढ़ पीढ़ी का वह प्रभाव है जो उस नवीन पीढ़ी पर लागू किया जाता है, जो सामाजिक जीवन के लिये अभी तैयार नहीं है, इसका लक्ष्य बालक में ऐसे शारीरिक, बौद्धिक, नैतिक गुणों का विकास करना है जो उसकी राजनीतिक व्यवस्था तथा सामाजिक परिवेश के अनुरूप होता है, जिससे उसे एक निश्चित पद प्राप्त है।[7]

---

1. सुभाषित रत्न संग्रह, पृष्ठ 194 ।
2. महाभारत ।
3. सुभाषित रत्न संग्रह, पृष्ठ 12 ।
4. सुभाषित रत्न संग्रह, पृष्ठ 30 ।
5. नीतिशतक, पृष्ठ 16 ।
6. डॉ0 अल्टेकर ए0एस0 प्राचीन भारतीय शिक्षण पद्धति नन्द किशोर एण्ड ब्रदर्स, ज्ञानवापी, वाराणसी ।
7. **Durkheim, E.: Education and Sociology. The Free Press, Glancee. Illinois, 1959, P. 61.**

करके उसे अपने सामाजिक पर्यावरण में सक्रिय और उत्तरदायीपूर्ण भूमिका निर्वाह करने के योग्य बनाती है। औपचारिक रूप में शिक्षा की सम्पूर्ण प्रक्रिया व्यवस्थित और नियन्त्रित प्रक्रिया है जो किसी राजनीतिक, आर्थिक व्यवस्था के मूल मान्यताओं और सिद्धान्त दर्शन को प्रतिबिम्बित करती है।

समाजशास्त्री शिक्षा को समाज की विभिन्न उपव्यवस्था के अन्तर्गत घटित होने वाली अन्तःक्रिया की विवेचना के साथ–साथ यह भी विश्लेषित करते हैं कि शिक्षा उपव्यवस्था का बृहद् सामाजिक व्यवस्था के साथ अन्तःक्रिया और पारस्परिकता का स्वरूप क्या है ? (एस0 एन0 मुखर्जी : 1957 : 1–5) ।[1] शिक्षा संचित ज्ञान और साहित्य में सन्निहित है सामाजिक मूल्य संरचना के अनुरूप व्यक्ति के व्यक्तित्व को विकसित करती है। यह व्यक्ति को इस प्रकार की कुशलता प्रदान करती है तथा ऐसी योग्यताओं और क्षमताओं से युक्त बनाती है कि वह विशिष्ट और विभेदीकृत परिस्थिति में अपनी भूमिकाओं को उचित ढंग से निर्वाह कर सके । सामाजिक व्यवस्था के स्तर पर शिक्षा एक महत्वपूर्ण कारक है । जिसके द्वारा समकालीन समाज में व्यक्ति और समूह के पद का निर्धारण होता है।

आज हमारे राष्ट्र के समक्ष समस्याएं हैं जिनका चुनौतीपूर्ण ढंग से सामना करना न केवल राष्ट्र की असमीयता के लिये वरन् इसके अस्तित्व के लिये भी आवश्यक हो गया है। प्रशासनिक कमजोरियों, धार्मिक व जातिगत संकीर्णताओं, राजनीतिक अस्थिरता, राष्ट्र विखण्डन का षडयन्त्र, भ्रष्टाचार, नैतिकता का लोप, हड़ताल तालाबन्दी विदेशी कम्पनियों का निरन्तर फैलाव आदि के फलस्वरूप देश हतप्रभ होता जा रहा है। राजनीतिक तथा सामाजिक समस्याओं में संकीर्ण तथा साम्प्रदायिक हितों पर अधिक महत्व दिया जा रहा है । शिक्षा का क्षेत्र भी इन दोषों से मुक्त नहीं है राजनैतिक तथा

---

1. **Mukerji, S.N. : Education in India, Today and Tomorrow, Anand Press, Banda, PP. 1-5.**

सामाजिक गिरावट का प्रभाव शिक्षा संस्थाओं पर भी पड़ रहा है । ऐसी स्थिति में शिक्षा ही एक ऐसी शक्ति है जो सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक परिर्वतन लाकर राष्ट्र की अखण्ड़ता तथा असमीयता की रक्षा कर सकती है ।

शिक्षा प्रक्रिया एवं व्यक्तित्व विकास :

शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें समाज के सदस्यों की जानकारी के स्तरों एवं कौशल में सतत् सुधार सुनिश्चित होता है, किन्तु इसके साथ ही इसके माध्यम से व्यैक्तिक विकास होता है तथा व्यक्तियों, समूहों तथा राष्ट्रों के मध्य नवीन सम्बन्ध कायम किये जाते हैं । इस प्रकार व्यक्ति एवं समाज की जीवन शैली उसकी अभिव्यक्ति उसके आग्रह, संस्कार एवं मूल्यों के निर्माण में शिक्षा एवं शिक्षा प्रक्रिया की महती भूमिका होती है।

उपरोक्त सन्दर्भ में शिक्षा के उद्देश्य क्या होने चाहिये ? शिक्षा का परम कर्तव्य ऐसे मानवीय गुणों का विकास करना जो व्यक्ति तथा समाज की बौद्धिक, सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक सामर्थ्य को बढ़ाने में सहायक हो, व्यक्ति के ज्ञान एवं कौशल के स्तर में वृद्धि करना तथा समाज में परस्पर सौहार्द्र, भाई–चारा एवं एक दूसरे के प्रति आदर एवं सम्मान की भावना उत्पन्न करना जिससे एक जैसे समाज की कल्पना साकार हो सके। जिसमें जाति, पंथवाद, आर्थिक विषमता, क्षेत्रीयता एवं भाषा आधार पर पायी जाने वाली संकीर्ण प्रवृत्तियों के स्थान पर बुनियादी मानवीय गुणों को बढ़ावा मिले। कहने का तात्पर्य है कि शिक्षा वस्तुतः संस्कार एवं सोच निर्माण की प्रक्रिया है इससे व्यक्ति एवं समाज दोनों की क्षमता बढ़ती है।

जब मानवीय क्षमताओं का विकास होता है तो ज्ञान के नए क्षितिज प्रकट होते हैं, नए संकल्प पनपते हैं, तथा जीवन की पूर्णता को प्राप्त करने के लिये बहु आयामी चेष्टाओं एवं मूल्यों को गति मिलती है। शिक्षा का सर्वमान्य उद्देश्य व्यक्तित्व का विकास है व्यक्तित्व एक समग्रता सूचक पद है जिसके द्वारा व्यक्ति की मानसिक

शारीरिक, चारित्रिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक विशेषताओं का समन्वयात्मक रूप प्रकट होता है। संसार का प्रत्येक प्राणी अपने व्यैक्तिक विकास में वंशानुक्रम एवं वातावरण जन्य कारकों का मिला जुला स्वरूप होता है। समग्र रूप से देखा जाये तो ज्ञात होता है कि शिक्षा एवं शिक्षा की व्यवस्थाओं का व्यक्ति में नये संस्कारों अनुभवों एवं नई विशेषताएं सृजित करने का विशेष महत्व है, व्यक्तित्व निर्माण की प्रक्रिया शुरू होती है जब औपचारिक, अनौपचारिक एवं निरौपचारिक तीनों ही प्रकार शैक्षिक व्यवस्थाएं व्यक्ति के दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर की गयी हैं।

शिक्षा और सामाजीकरण :

समाजशास्त्र की दृष्टि में समाज एक अमूर्त सम्प्रदाय है, सामाजिक सम्बन्धों का जाल है । भारतीय समाज इसी प्रकार का एक समाज है, भिन्न–भिन्न लोगों ने भिन्न–भिन्न प्रकार से परिभाषित किया है । शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है।व्यक्ति की वास्तविक शिक्षा और उसका विकास उसके समाज की प्रकृति एवं स्वरूप पर निर्भर करता है । समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने समाज की जीवन शैली सीखता है और समाज में समायोजन करता है । वह यह सब कार्य एक दिन में नहीं सीखता । सीखने की प्रक्रिया में समय लगता है । ड्रेवर महोदय ने समाजीकरण के विषय में कहा कि समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने सामाजिक पर्यावरण के साथ अनुकूलन करता है और इस प्रकार वह उस समाज का मान्य, सहयोगी और कुशल सदस्य बनता है।

समाजीकरणं और शिक्षा की प्रक्रिया परस्पर पूरक और संश्लेषात्मक है। शिक्षा और समाजीकरण के पारस्परिक सम्बन्धों की विवेचना करते हुये व्यवहारवादी दृष्टिकोण के प्रमुख जार्ज सी होमन्स ने बताया "सीखने की प्रक्रिया से अधिक महत्वपूर्ण यह ज्ञात करना है कि सीखने की प्रक्रिया के बाद व्यक्ति क्या करता है" (होमन्स : 1950 : 330) अर्थात समाजीकरण का परिणाम शिक्षा द्वारा समाजीकरण की

प्रक्रिया को व्यवहारवादी विचारकों ने महत्व प्रदान किया है । परिणामस्वरूप समाजीकरण शिक्षा के पारस्परिक सम्बन्ध को व्यक्त करने में परिपूर्ण नहीं है। सिंह :1967:52–53)

शिक्षा और समाजीकरण के पारस्परिक सम्बन्ध के विषय में ब्रेकर ने कहा कि समाजीकरण व्यक्तित्व में मूल्यों के स्थापित करने की क्रमिक किन्तु निरन्तर प्रक्रिया है । इसी प्रकार सोरोकिन ने उन आदर्शात्मक और साँस्कृतिक कारकों पर बल दिया है जो व्यक्ति के द्वारा समाजीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से आन्तरीकृत किये जाते हैं उनके अनुसार "समाजीकरण सांस्कृतिक अर्थो या प्रतीकों के संचरण की प्रक्रिया है जो एक जैवकीय प्राणी को सामाजिक प्राणी के रूप में परिवर्तित करता है । सोरोकिन की यह मान्यता है कि समाज के संरचनात्मक विशेषताओं में परिर्वतन के अनुरूप व्यक्तित्व संरचना में परिर्वतन हो जाता है। समाजीकरण मानव का एक विशेषाधिकार है जो उसके विशिष्ट "जैवकीय मानवीय विशेषताओं" के द्वारा सम्भव होता है । शिक्षा और समाजीकरण के द्वारा व्यक्ति सीखता है, शिक्षा द्वितीयक समाजीकरण की प्रक्रिया है जो अर्जित आवश्यकताओं से सम्बन्धित प्रशिक्षण प्रदान करती है। औपचारिक शिक्षा के द्वारा समाज के निर्दिष्ट मूल्यों और आदर्शो के अनुरूप व्यक्ति नवीन भूमिका ग्रहण करता है।

जॉन ड्यूवी का इस सन्दर्भ में कथन है कि शिक्षा में अति निश्चित एवं अल्पमत साधनों द्वारा सामाजिक एवं संस्थागत उद्देश्य के साथ–साथ समाज के कल्याण प्रगति एवं सुझाव में रूचि का पुष्पित होना पाया जाता है।"

इस प्रकार शिक्षा अपने प्रभाव के द्वारा समाज की प्रगति करती है, शिक्षा यह कार्य अपनी शिक्षा संस्थाओं द्वारा करती है, ये संस्थायें समाज का नेतृत्व करके उसका सुधार करती हैं और उसे प्रगति की दिशा में अग्रसर करती हैं।

---

1. **Pathak, S.K. : Educational Attitude and Problems of Scheduled Castes Students in Relation with Mau District, Ph.D. Thesis, B.H.U., P. 5-6.**

अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों की शैक्षिक समस्यायें :

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् यद्यपि अनुसूचित जाति के शैक्षिक विकास के लिये सरकार द्वारा व्यापक कार्यक्रम अपनाए गये हैं तथापि इस क्षेत्र में होने वाली प्रगति अत्यन्त मन्द और सीमित है ।[1] शैक्षिक प्रसार की प्रक्रिया ने इस समुदाय के विद्यार्थियों को जन्म दिया है ।[2] अनुसूचित जाति के शैक्षिक विकास से सम्बन्धित समस्यायें मुख्यतः दो वर्गो में बांटी जा सकती हैं, प्रथम– शिक्षण संस्थाओं में इन समुदाय के विद्यार्थियों की अल्प संख्या, द्वितीय– परम्परागत जातिगत संस्तरण में प्राप्त निम्न सामाजिक स्थान से सम्बन्धित समस्यायें। प्रथम प्रकार की समस्या के लिये सरकारी प्रयासों द्वारा और अधिक प्रयत्न किया जा सकता है तथापि दूसरी प्रकार की समस्या के लिये विशेष अध्ययन और गवेष्णा की आवश्यकता है। अध्ययनों से यह विदित होता है कि शैक्षिक प्रसार और आर्थिक प्रति के होते हुये भी इन समुदाय के सदस्यों को उच्च जाति के सदस्यों द्वारा समान सामाजिक प्रतिष्ठा नहीं प्रदान की जा रही है।[3] अस्पृश्यता की समस्या केवल थोडे से साधारण परिर्वतन के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में पूर्ववत् बनी हुयी है।

शिक्षण संस्थाओं में अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों की अनेक महत्वपूर्ण समस्यायें है। अध्ययनों से विदित होता है कि अनुसूचित जाति के विद्यार्थी छात्रावास में अपने को अधिक सुरक्षित तथा अन्य विद्यार्थियों के समकक्ष स्थिति की अनुभूति करते है।[4] परन्तु कक्षा और शिक्षण संस्था के परिवेश में उनका शिक्षकों और सहपाठियों के साथ सम्पर्क तथा अन्तः वैयक्तिक सम्बन्ध सामान्यतः सीमित और

1- Sociology of education in India (ed) Gore et al., N.C.E.R.T., 1967, P.P. 228-249.

2- Sachchidanand : The Special Problems of the education of Scheduled Tribe. ed. Gore et. al., N.C.E.R.T., 1967, P.P. 201-207.

3- Cohon, B.S. : The changes status of a depresed caste in village India edited by Makim marriott. University of Chicago Press, Chicago, 1955.

4- Chauhan, B.R. : Ibid. P.P. 240-42.

प्रतिबन्धित है।[1] शिक्षा ने अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के पारिवारिक जीवन में महत्वपूर्ण समस्यायें उत्पन्न की हैं । पिता–पुत्र सम्बन्ध विशेष रूप से प्रभावित हो रहा है। शिक्षा के कारण युवा पीढ़ी और वृद्ध पीढ़ी के मध्य दूरी और विरोधाभास बढ़ता जा रहा है । युवा पीढ़ी की शिक्षा ने पारिवारिक जीवन में अभियोजन व अन्तर्द्वन्द्व की अनेक नवीन समस्थाओं को विकसित करने में योगदान दिया है।

शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण की व्यवस्था, न्यूनतम योग्यता सम्बन्धी छूट तथा आर्थिक सहायता की अत्यन्त उदार व्यवस्था ने भी अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों की उपलब्धि, आकांक्षा और मनोवृत्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। अत्यधिक निर्भरता की प्रवृत्ति का विस्तार हुआ है तथा शैक्षिक योग्यता के वृद्धि के स्थान पर केवल उपाधि मात्र प्राप्त करना लक्ष्य बन गया है। मुक्त स्पर्द्धा में भाग लेने की क्षमता का ह्रास हुआ है।[2]

भारतीय मनीषियों ने मानव समाज को संचालित करने के लिये कुछ संस्थाओं को आदर्श रूप प्रदान किया जिनके माध्यम से व्यक्ति के जीवन में निष्ठा एवं पूर्णता का भाव समाविष्ट हो सका । वस्तुतः विश्व के प्रत्येक देशों में चाहे वह विकसित अथवा अविकसित हो सामाजिक विभाजन की रूप–रेखा किसी न किसी रूप में विद्यमान अवश्य रही है ।[3] प्राचीन भारतीय समाज भी इस प्रवृत्ति से अछूता नहीं रहा । वर्ण व्यवस्था के रूप में सामाजिक वर्गीकरण के परिणामस्वरूप भेद परक ऊँच-नीच की भावना वैदिक काल लगभग 1500 ई0पू0 से निरन्तर प्रवाहमान है । सामाजिक इतिहास के अनुशीलन से ज्ञात होता है कि वैदिक समाज के दो वर्गों आर्य एवं अनार्य

1- Kuppuswami : A statistical Study of attitude to caste system in South India : Journal of Sociology, 1956 (42), P.P. 169-206.

2- Pandey, P. N. : Education and Social mobility among scheduled Castes, Ph.D. Thesis (Unpublished), B.H.U., 1979, P. 115.

3- J.M.Bristed : A History of Igipt Pase 246-47, WW Small : General Sociology, P.275.

(दास अथवा दस्यु) में पारस्परिक भिन्नता थी ।[1] उनके मध्य हुये संघर्ष में विजयी आर्यो ने अनार्यो को पराजित कर उन्हें अपना दास (अथवा सेवक) बनाया ।[2]

जिन्हें कालान्तर में शूद्र नाम से अभिहित किया गया ।[3] धर्म सूत्रकारों ने शूद्रो के अनार्यत्व को "कृष्ण वर्ण" से सम्बोधित किया ।[4] महाभारत में शूद्र को समस्त वर्णो का दास बताया गया ।[5] मनुस्मृति में शूद्र का उल्लेख "कीत दास" के रूप में मिलता है ।[6] इससे यह परिभाषित होता है कि उत्तर वैदिक काल से उनकी स्थिति में उत्तरोत्तर ह्रास होता गया । तत्कालीन समाज में उनकों निर्बल एवं शोषित वर्ग के रूप में मान्यता प्रदान की गयी । इसका प्रमुख कारण यह था कि उनकी स्थिति निम्नतम एवं हेय तथा एक मात्र वृत्ति पारिचारिकी मानी गयी। इससे उनकी मानसिक उद्विग्नता एवं हीन भावना का बोध परिलक्षित होता है ।

उत्तर वैदिक ग्रन्थों में शूद्र को असत्य वक्ता एवं परिश्रमी कहा गया है। दीक्षित व्यक्ति को शूद्र से वार्तालाप करना निषिद्ध बताया गया है ।[7] धर्मसूत्रों में शूद्रों की निर्योग्यताओं का विशद् विवेचन मिलता है ।[8] गौतम[9] के अनुसार शूद्र को स्वजीविका हेतु उच्च वर्णो पर आश्रित रहना पड़ता था। इसलिए उसे उन्हीं के कीत्यक्तपद–व्राणों, आतपत्र, वस्त्रों तथा आसनों का प्रयोग करना पड़ता था ।

1– ऋग्वेद, पृ0 1, 179, 6, 3, 34, 9.

2– वही, पृ0 1, 51, 2, 11, 24, 3, 29, 5, 70, 4, 9, 88, 4, दृष्टव्य ।

3– **E.J.Rapson- Cambridge History of India, P. 9.**

4– बोधायन धर्मसूत्र, 2, 1, 59, आपस्तम्भ धर्म सूत्र 1, 9, 27, 13 ।

5– महाभारत, शान्तिपर्व, 60, 28 ।

6– मनुस्मृति, पृ0 8, 413 ।

7– शपथपत्र ब्राह्मण, पृ0 14, 1, 31 ।

8– **U.N.Ghosal : Studies in Indian History and Culture, P. 349.**

9– गौतम धर्मसूत्र पृ0 10, 57, 58, 64, 65 ।

बौधायन[1] के विचार में शूद्र के वधकर्ता के लिये उसी दण्ड की व्यवस्था थी जो किसी कौवे, उल्लू, मेढ़क अथवा कुत्ते इत्यादि के वर्धकर्ता को प्राप्त थी । अन्यत्र उसे श्मशान की भाँति अपवित्र बताया गया है ।[2] स्मृतिकार मनु[3] के कथनानुसार अपने स्वामी द्वारा परित्यक्तवसनादिक तथा उच्छिष्ट भोजन उसके भरण–पोषण के मूल साधन थे। डॉ0 घोषाल[4] का मत है कि पूर्व मध्यकाल (1000 से 13000 ई0) की कृतियाँ और टीकायें शूद्रों के स्तर के विषय में पुराकालीन स्मृतियों का अनुसरण करती हैं।

प्राचीन शैक्षिक व्यवस्था के अन्तर्गत वेदाध्ययन के निमित्त उपनयन संस्कार का संपादक अपरिहार्य था। परन्तु अथर्ववेद और ब्राह्मण ग्रन्थों में शूद्रों को विद्या का उपदेश देना निषिद्ध बताया गया है।[5] धर्मसूत्रकारों [6] ने मात्र द्विजातियों के उपनयन संस्कार की व्यवस्था बतायी है। महाभारत में शूद्रों को संस्कार विहीन मानते हुये चतुराश्रमों का अनाधिकारी बताया गया है और ऐसी व्यवस्था निर्दिष्ट है कि कोई भी शूद्र विद्याध्ययन के लिये कुलपति के आश्रम में प्रवेश नहीं कर सकता था ।[7] इसी संदर्भ में स्वयं विदुर का कथन है कि "शूद्र होने के कारण मैं शिक्षा नहीं दे सकता।[8] मनु ने भी शूद्र को धार्मिक शिक्षा एवं व्रतों के अनुपयुक्त बताते हुये मत व्यक्त किया है कि उसके समस्त संस्कार मन्त्रहीन होने चाहिये।[9] विष्णु पुराण में यहां तक कहा

1– बौधायन धर्मसूत्र, पृ0 110, 19, 1.6, दृष्टव्य ए0एल0बाशम वॉण्डर दैट वाज इण्डिया, पृ0 80 ।

2– वशिष्ठ धर्मसूत्र, पृ0 4, 3 ।

3– मनुस्मृति, पृ0 107, 124–125 ।

4– **U.N.Ghosal. The struggle for Empire, Pase 475.**

5– अथर्वेद पृ0 3, 5, 6 शतपथ ब्राह्मण, पृ0 13, 4, 2, 17 ।

6– आ0ध0सू0, 1, 1, 6, वशिष्ठ सू0 18, 11–12, कौटिल्य अर्थशास्त्र, पृ0 3, 5, 8 ।

7– महाभारत, अनु0, पृ0 165, 10 ।

8– महाभारत, पृ0 5, 41, 5–6, 13, 10, 16 ।

9– विष्णु पुराण, पृ0 26, 18 ।

गया है कि अगर कोई ब्राह्मण उसके यज्ञ में सहायक होता था तो वह नरकगामी होता था ।[1] इसी सम्बन्ध में धर्म सूत्रकार गौतम[2] ने शोषणात्मक दण्ड विधान निर्दिष्ट करते हुये कहा है कि यदि वह वैदिक मन्त्रों का उच्चारण करे तो उसकी जिह्वा काट लेनी चाहिये और यदि वह उन्हें कण्ठस्थ करें तो उसके शरीर के दो खण्ड कर देने चाहिये। यदि वह जानबूझ कर वेद श्रवण करता है तो उसके कानों में टीन अथवा लाख का पिघलता हुआ गरम द्रव्य डाल देना चाहिये ।

प्राचीन भारत में शूद्रों की निर्बल स्थिति के द्योतक विधि निषेधों का उल्लेख करते हुये गौतम[3] ने कहा है कि द्विजातियों को अपमानित करने पर उन सदस्यों को आर्थिक दण्ड (काषार्पण) का भुगतान करना पड़ता था। शूद्र को अपमानित करने पर ब्राह्मण अदण्ड्य था । जब कि मनु[4] के विचार में ब्राह्मण के प्रति वाक्पारूष्य के अपराधों में शूद्र को अपने प्राणों अथवा अपनी जिह्वा से हाथ धोना पड़ता था । इसी प्रकार गौतम[5] ने द्विजाति स्त्री के साथ शूद्र के समागम को जघन्य अपराध मानते हुये इसके लिये कठोर एवं अमानवीय दण्ड निर्धारित किया है । जब कि मनु ने इसी अपराध में शूद्र को मृत्युदण्ड का भागी बताया है।

विभिन्न शूद्र जातियों को संवैधानिक भाषा में अनुसूचित जाति का सम्बोधन प्रदान किया गया है।

प्राचीन काल में 'शूद्र', 'चाण्डाल' 'अन्त्यज', 'निषाद' नाम से सम्बोधित की जाने वाली इन जातियों को ब्रिटिश काल में दलित वर्ग के नाम से सम्बोधित किया गया। 1931 की जनगणना में इन्हें 'बाह्य जाति' के नाम से सम्बोधित किया गया। (हट्टनः 1961)[6] ने भी अपनी पुस्तक में इन्हें बाह्य जाति की संज्ञा प्रदान की। महात्मा

1– विष्णु पुराण, पृ0 26, 18 ।
2– गौतम धर्मसूत्र, पृ0 12, 4–6 ।
3– वही, पृ0 21, 6–10 ।
4– मनुस्मृति पृ0 10, 267 – 270 ।
5– गौतम धर्मसूत्र, पृ0 12, 1–2 ।
6& **Hutton, J.H. : Caste in India, Cambridge University Press, 1961, P.P. 170-84.**

गान्धी ने इन जातियों को हिन्दू समाज में न्यायपूर्ण स्थान प्रदान करने के लिये 'हरिजन' का नवीन और सम्मानजनक सम्बोधन प्रदान किया । 1935 में साइमन कमीशन ने इन जातियों को अनुसूचित जाति के नाम से सम्बोधित किया । संविधान की धारा 341 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति राज्यपालों से परामर्श करके प्रत्येक राज्य के लिये अनुसूचित जाति की सूची घोषित करने का अधिकार रखता है।

अनुसूचित जाति और भारतीय समाज :

परम्परागत रूप से हिन्दू समाज का विभाजन चार प्रमुख वर्णों में हुआ है, जो कालान्तर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चार प्रमुख जातियों और अनेक उपजातियों में परिवर्तित हो गयीं। विभिन्न जातियाँ सामाजिक और धार्मिक आधार पर एक दूसरे से उच्चता और निम्नता के सम्बन्ध में बंधी हुयी हैं । शूद्र जाति की स्थिति अत्यन्त निम्न है, इन्हें न केवल सामाजिक संस्तरण में निम्न स्थान प्राप्त है, बल्कि इन्हें अस्पृश्य और अन्त्यज मानकर इनके साथ असमानता का व्यवहार किया गया है।

अनुसूचित जाति का भारतीय सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था में उत्पत्ति और विकास का इतिहास विरोधाभासों से परिपूर्ण है। प्राचीन धर्मग्रन्थों और धर्मशास्त्रकारों ने इस सम्बन्ध में जो विचार प्रस्तुत किये हैं उनसे स्थिति और अधिक जटिल होती है। ऋग्वेद के पुरूषसूक्त मंत्र 10, यजुर्वेद, अध्याय 32 मंत्र।। (ब्राह्मणोऽस्यमुखमासीद बाहुः राजन्यकृतः। उरू तद्वैश्य पदभ्यां शूद्रोअजायतः11) के आधार पर ब्राह्मणों की उत्पत्ति के ब्रह्मा के मुख से, क्षत्रिय की बाहु से, वैश्य की उदर से और शूद्र की पैर से हुयी । बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है कि विभिन्न वर्णों की उत्पत्ति सामाजिक कल्याण से सम्बन्धित विभिन्न प्रकार के कार्य करने के लिए हुई है । आरम्भ में ब्रह्म एक था सबसे पहले उसने ब्राह्मणों को जन्म दिया लेकिन जब ब्राह्मणों की सहायता से वह समस्त कार्यों को करने में सफल नहीं हुआ तब उसने क्षत्रिय वर्ण को उत्पन्न किया उसके बाद अन्य कार्यों के शेष रह जाने पर वैश्यों और

शूद्रो का जन्म हुआ । मनुस्मृति में विभिन्न वर्णो की उत्पत्ति के लिये ऋग्वेद के पुरूषसूक्त को स्वीकार किया गया है लेकिन विभिन्न जातियों की उत्पत्ति का उल्लेख करते हुये मनु का कथन है कि इनका उद्भव प्रतिलोम विवाह अथवा वर्ण संकरता के कारण हुआ। समाज में जैसे–जैसे विभिन्न कार्यो के बीच मिश्रण बढ़ता गया उपजातियों की संख्या में भी वृद्धि होती गयी। महाभारत और गीता में विभिन्न जातियों की उत्पत्ति को वर्ण संकरता के आधार पर स्पष्ट किया गया है, लेकिन उसके अनुसार स्वयं वर्ण विभाजन का आधार ''जन्म'' न होकर ''कर्म'' है। विभिन्न वर्णो के विभिन्न रंग तथा गुण के आधार पर वर्णो की उत्पत्ति हुयी।

वैदिक ग्रन्थों के अध्ययन से ही यह ज्ञात होता है कि उत्तर वैदिक काल में यज्ञ, धर्म आदि की शुद्धता और पवित्रता की धारणा अत्यन्त प्रखर होती चली गयी और शूद्रो की स्थिति निम्न और अस्पृश्य होने लगी। मनु के युग में ऐसे अस्पृश्य लोगों को न केवल गाँव के बाहर निकाल दिया गया बल्कि उन्हें ऐसे कार्य और कर्तव्य सौंपे गये जो अपवित्र और निम्न कोटि के थे । जैन और बौध धर्म काल मे यद्यपि इनकी स्थिति सुधरने के लिये प्रयास किये गये परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि समाज के बहुसंख्यक वर्ग ने इन्हें न्यापूर्ण स्थान प्रदान नहीं किया।

विभिन्न धार्मिक ग्रन्थों में इन्हें शूद्र मानकर सामाजिक निर्योग्यताओं को इनके ऊपर लाद दिया गया था। मनुस्मृति में स्पष्ट है कि शूद्र के लिये ईश्वर ने एक ही कर्म नियत किया है कि वह तन मन से तीन वर्णो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य की सेवा करे। आगे लिंखा गया है कि पृथ्वी पर जो जूठा अन्न है वह दास लोगों का हैं, परन्तु वह दास कुटिल या नटखट न हों अर्थात शीलवान हो। शूद्रों को न बुद्धि देना चाहिये, न यज्ञ का जूठा, न हवन कर बचा हुआ भाग और न धर्म का उद्देश्य, जो देता है तो वह भी शूद्र के साथ अन्धकारयुक्त ''असम्वृत'' नामक नरक में पड़ता है। शूद्र को भोजन के लिये जूठा अन्न, पहनने को पुराने कपड़े, बिछाने के लिये धान का पुआल

आदि लेना चाहिये। पराशरस्मृति में द्विजों की सेवा करना ही शूद्र का धर्म है, इसके अलावा शूद्र जो धर्म सम्बन्धी काम करता है वह उसका निष्फल है। शूद्र को गाय का दुग्ध पीने एवं वेद पढ़ने से नरक होता है इसलिये शूद्र इनसे अलग रहें। ब्राह्मण दुष्चरित्र हो तो भी पूज्य है। शूद्र जितेन्द्रिय होने पर भी पूज्य नहीं है क्योंकि कौन ऐसा मूर्ख है जो गाय को छोड़कर गधी को दुहेगा। विष्णुस्मृति में कहा गया है कि चौथा वर्ण शूद्र संस्कारों से हीन है, उसका संस्कार यही है कि वह अपने आपको द्विजों को समर्पण कर दे। जो शूद्र अपने प्राण, धन और स्त्री ब्राह्मण को अर्पित कर दे उस शूद्र का भोजन करने योग्य है। ब्राह्मण का नाम मंगलकारी, क्षत्रिय का बलशाली, वैश्य का धन सूचक एवं शूद्र का घृणा सूचक होना चाहिये। गौतम धर्मसूत्र के अनुसार शूद्र यदि वेद को सुन पाये तो उसके कानों में पिघला हुआ शीशा और लाख भरवा देना चाहिये, यदि वेद का स्मरण करे तो उसको मरवा देना चाहिये। शूद्र चौथे वर्ण का एक और जन्म वाला है, उसका धर्म बाकी तीन वर्णों की सेवा करना है। उच्च वर्ण के उतरे हुये जूते पहने तथा उच्च वर्ण के जूठे भोजन को खाकर जीवन व्यतीत करे।

वशिष्ठ के अनुसार शूद्र की औरत उच्च वर्ण के लिये केवल आनन्द उपभोग का साधन है। वह धार्मिक कार्यो या अन्य कार्यो के लिये अयोग्य है और शूद्र स्वयं श्मशान के समान है अतः उसके समीप वेद न पढ़े।

पातंजलि के अनुसार शूद्र दो तरह के होते हैं जो द्विजो के बर्तन छू सके वे दूसरा जो न छू सके । महाभारत के अनुसार शूद्र कुत्ते के समान हैं एवं शूद्र को चारों आश्रम का अधिकार नहीं है। श्रीनिवास ने कहा है कि हरिजन या अछूत जाति व्यवस्था के बाहर है एवं हरिजनों से सम्पर्क अन्यवर्ण को अपवित्र करता है।

इन सामाजिक धार्मिक निर्योग्यताओं के परिणामस्वरूप अस्पृश्य जाति की स्थिति निरन्तर निम्न होती चली गयी। अशिक्षा और दरिद्रता बढ़ती गयी तथा उच्च

जातियों के द्वारा इनका सामाजिक और आर्थिक शोषण बढ़ता चला गया। इस प्रकार सामाजिक और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित जातिगत व्यवस्था ने भारतीय समाज में आर्थिक असमानता और शोषण को नैतिक आधार प्रदान करके भारतीय सामाजिक संरचना में अनेक प्रकार की असंगतियों और विरोधाभास को उत्पन्न कर दिया।

मध्ययुगीन सन्तों और समाज सुधारकों ने इसके सुधार के लिये महत्वपूर्ण कार्य किये। कबीर, चैतन्य, नानक आदि के प्रयत्न इस दिशा में विशेष उल्लेखनीय हैं। ब्रिटिश काल में शूद्रों की स्थिति के सुधार के लिये एक ओर अनेक वैधानिक प्रयत्न किये गये, दूसरी ओर ईसाई मिशनरियॉ इनके मध्य रहकर शिक्षा, स्वास्थ्य, कल्याण, धर्म परिवर्तन इत्यादि महत्वपूर्ण कार्य किये। आर्य समाज, ब्रह्म समाज इत्यादि संस्थाओं तथा इनसे सम्बन्धित समाज सुधारकों ने भी जातिगत ऊँच–नीच और भेद–भाव कम करने का प्रयत्न किया, परन्तु हरिजन उत्थान का वास्तविक कार्य राष्ट्रीय स्वान्त्र्य आन्दोलन में महात्मा गान्धी के प्रवेश के बाद प्रारम्भ होता है। हरिजन कल्याण आन्दोलन का एक प्रमुख अंग बन गया तथा अस्पृश्यता उन्मूलन के लिये सचेत प्रयत्न किये जाने लगे। स्वयं हरिजनों के मध्य सुधार संस्थाओं तथा सुधारकों का जन्म हुआ। हरिजन सेवक संघ, भारतीय दलित वर्ग संघ, भारतीय दलित सेवक संघ इत्यादि समाज सुधार संस्थायें इनमें प्रमुख हैं। हरिजन नेता डॉ0 भीमराव अम्बेद्कर की भूमिका इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण रही है।

अनुसूचित जाति के कल्याण से सम्बन्धित सरकारी प्रयास :

यद्यपि आधुनिक भारत में अनुसूचित जाति और जनजाति के सामाजिक आर्थिक स्थिति को प्रभावित करने में परिवर्तन की नवीन शक्तियों जैसे औद्योगीकरण नगरीयकरण, यातायात और संचार के साधनों का प्रसार, शिक्षा का प्रसार, सहभागी राजनीतिक व्यवस्था, स्म्प्रेषण के साधनों का विस्तार आदि का महत्वपूर्ण स्थान है। तथापित कल्याणकारी कार्यक्रम की दिशा में सरकार के द्वारा उठाये गये पग इस क्षेत्र

में उल्लेखनीय महत्व रखते हैं। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् अनेक संवैधानिक व वैधानिक व्यवस्थाओं के द्वारा कल्याणकारी कार्यक्रमों को प्रभावी बनाने का प्रयत्न किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 15 के अनुसार राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, प्रजाति, जाति, लिंग जन्मस्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 16 के अनुसार राज्याधीन नौकरियों या पदों पर नियुक्ति के सम्बन्ध में समस्त नागरिकों के लिये अवसर की समानता होगी। अनुच्छेद 17 के अनुसार अस्पृश्यता का अन्त किया गया है और इसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया गया है। अनुच्छेद 29 के अनुसार राज्य निधि द्वारा पोषित अथवा राज्यनिधि से सहायता पाने वाली किसी शिक्षण संस्था में प्रवेश से किसी नागरिक को धर्म, प्रजाति, जाति, भाषा के आधार पर वंचित न किये जाने की व्यवस्था की गयी है। अनुच्छेद 46 के अनुसार राज्य जनता के कमजोर वर्ग विशेषकर अनुसूचित जाति और जनजाति की शिक्षा तथा अर्थ सम्बन्धी हितों की विशेष सावधानी से उन्नति करेगा तथा सामाजिक अन्याय व सब प्रकार के शोषण से उनका संरक्षण करेगा। सन् 1955 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम पारित करके सार्वजनिक स्थलों पर अस्पृश्यता का आचरण कानून द्वारा निषिद्ध और दण्डनीय बना दिया गया ।

अनुसूचित जाति और जनजाति के कल्याण से सम्बन्धित सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्यक्रम राजनीतिक आरक्षण, सरकारी नौकरियां में प्रतिनिधित्व, शैक्षणिक व आर्थिक सुविधा, सम्बन्धित नीतियाँ और कार्यक्रम हैं। संविधान के अनुसार राज्य के अनुसूचित जाति और जनजाति की जनसंख्या के अनुपात में इन लोगों के लिये लोकसभा तथा राज्यों की विधान सभाओं में संविधान लागू होने से 20 वर्ष की अवधि हेतु (25 जनवरी 1970 तक) स्थान सुरक्षित रखे गये थे। इस अवधि को संशोधन द्वारा 25 जनवरी 2000 तक बढ़ा दिया गया था जिसे पुनः एक नवीन संशोधन के द्वारा 2010 तक सुरक्षित कर दिया गया है। लोकसभा के लिये अनुसूचित जाति एवं जनजाति के 79 स्थान सुरक्षित

हैं जिनमें उत्तर प्रदेश में 18 स्थान हैं। राज्य के विधान सभाओं में भी अलग–अलग राज्यों में स्थान सुरक्षित हैं। उत्तर प्रदेश में इस प्रकार सुरक्षित सीटों की संख्या 89 हैं।

26 जनवरी, 1950 को केन्द्रीय सरकार ने यह निर्णय लिया कि 15 प्रतिशत नियुक्ति खुली प्रतियोगिता द्वारा भरी जाने वाली सेवाओं में तथा 16.7 प्रतिशत अन्य सेवा में नियुक्ति इन जाति समूहों की होगी। नौकरियों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिये आयु सीमा में छूट, योग्यताओं के मानदण्ड में रियायत आदि सुविधाओं की व्यवस्था की गयी है। इसके अतिरिक्त 15 प्रतिशत स्थान सुरक्षित रखने का सिद्धान्त उन नौकरियों पर भी लागू किया गया है जो केवल पदोन्नति तथा विभागीय उम्मीदवारों की प्रतियोगिता मूलक परीक्षा द्वारा भरी जाती हैं। कुछ राज्य सरकारों ने स्वायत्तशाषी निकायों के लिये भी इस प्रकार के आरक्षण की व्यवस्था की है।

अनुसूचित जाति और जनजाति के सदस्यों को शिक्षा सम्बन्धी अनेक महत्वपूर्ण सुविधायें प्रदान की गयी हैं। निःशुल्क शिक्षा, छात्रवृत्ति पुस्तकीय सहायता, प्रवेश की सुविधा आदि मुख्य है। इलाहाबाद, दिल्ली, मद्रास, कानपुर तथा जबलपुर में अनुसूचित जाति और जनजाति के विद्यार्थियों के लिये केन्द्रीय लोक सेवा आयोग से सम्बन्धित परीक्षाओं के लिये प्रशिक्षण केन्द्र खोले गये हैं। तकनीकी और प्रोफेशनल शिक्षा को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिये मेड़िकल, इन्जिनियरिंग तथा अन्य प्रौद्योगिक शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश प्रशिक्षण की विशेष व्यवस्था की गयी है।

उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम मार्च 1975 में स्थापित की गयी है, निगम के उद्देश्य के अन्तर्गत राज्य में अनुसूचित जाति के लोगों का सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक विकास करना, डाक्टरी, इन्जिनियरिंग, वकालत,

आर्किटेक्ट, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट या इनमें सम्बन्धित व्यवसाय के लिये सस्ती ब्याज पर ऋण दिलाना। इनको टैम्पो, स्कूटर, साइकिल, रिक्शा, टैक्सी या अन्य वाहन के लिए जिसका उपयोग व्यवसाय में किया जाएं, ऋण नगद या माल के रूप में दिलाना तथा इस प्रकार के ऋण की जमानत लेना । कृषि यन्त्र उद्योग–व्यापार आदि के लिये व्यक्तिगत प्रतिभूति अथवा व्यापारिक संस्थान के ऐसेसमेन्ट पर ऋण दिलाला । अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को उद्योग लगाने के लिए भारत सरकार द्वारा स्पष्ट आदेश प्रसारित किये गये हैं। कि 4 प्रतिशत ब्याज पर 6500/– रु0 बिना सम्पत्ति की जमानत के ऋण उपलब्ध कराया जाय । भिन्न बैंकों से इस डी0आर0आई0 योजना के अन्तर्गत ऋण उपलब्ध कराया जाता है ।

अनुसूचित जाति और जनजाति के कल्याण से सम्बन्धित प्रगति का अवलोकन तथा समुचित सुझाव देने के लिए भारत सरकार ने अनुसूचित जाति और जनजाति के कमिश्नर की नियुक्ति की है, जिनके द्वारा प्रतिवर्ष राष्ट्रपति को प्रगति सम्बन्धी प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाता है। इन प्रतिवेदनों को विचार–विमर्श के लिये संसद के सन्मुख भी प्रस्तुत किया जाता है। अनुसूचित जाति और जनजाति के कल्याण सम्बन्धी भारतीय सरकार की नीति के दो मूल स्तम्भ है प्रथम– यह देखना कि देश के सामान्य सभी कल्याणकारी कार्यक्रमों से अनुसूचित जाति और जनजाति के सदस्यों को समानुपातिक लाभ प्राप्त हो और द्वितीय– अनुसूचित जाति और जनजाति के कल्याण के लिये पृथक् और विशेष नीतियों और कार्यक्रमों को अपनाना, ताकि इन समुदाय के सदस्य देश के अन्य वर्गो के समान स्थिति प्राप्त कर सकें। इस दृष्टि से उठाये गये कार्यक्रमों में शैक्षणिक कल्याणकारी कार्यक्रम का विशेष महत्वपूर्ण स्थान है।

अध्याय-चतुर्थ

जनपद बाँदा की भौगोलिक स्थिति

जनपद बाँदा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

अध्ययन में सम्मिलित अनुसूचित जातियाँ

मानचित्र - चित्रकूटधाम मण्डल, बाँदा
संकेत तालिका
1. राज्य की सीमा
2. जिले की सीमा
3. जिला मुख्यालय
4. विकास खण्ड/तहसील मुख्यालय
5. सड़कें
6. रेलवे लाइन
7. रेलवे स्टेशन
उत्तर
कुरारा
हमीरपुर
सरीला
गोहाण्ड
मुस्करा
मौदहा
पनवाड़ी
चरखारी
कबरई
महोबा
कुलपहाड़
जैतपुर
श्रीनगर
तिन्दवारी
बबेरू
कमासिन
बिसण्डा
पैलानी
जसपुरा
बाँदा
अतर्रा
नरैनी
कालींजर
मऊ
रामनगर
पहाड़ी
राजापुर
कर्वी (चित्रकूट)
मानिकपुर
मार्ग फतेहपुर को
मार्ग सतना को
मार्ग नौगाँव को
मार्ग लौंडी को
मार्ग छतरपुर को
RESERVED FOREST
जनपद इलाहाबाद
जनपद कौशाम्बी
म प्र दे श

चित्रकूटधाम मण्डल एवं बाँदा की भौगोलिक स्थिति

चित्रकूटधाम मण्डल वस्तुतः बुन्देलखण्ड़ मण्डल का नवीनतम बंटवारा है। बुन्देलखण्ड जो प्रशासनिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में बंटा है। उत्तर प्रदेश का बुन्देलखण्ड $24^0 10'$ उत्तरी अंक्षाश से लेकर $26^0 30'$ उत्तरी अंक्षाश के मध्य एवं $68^0,10'$ पूर्वी देशान्तर से लेकर $81^0,30'$ पूर्वी देशान्तर तक विस्तृत है। यह खण्ड पाँच जिलों झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, जालौन और बाँदा से निर्मित है।

6 मई, 1997 को उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री सुश्री मायावती ने बाँदा जनपद को दो हिस्सों में बॉटकर एक नये जिले छत्रपति साहू जी महाराज नगर की घोषणा की। बाद में मुख्यमंत्री श्री कल्याण सिंह ने शाहू जी महाराज का नाम बदलकर चित्रकूटधाम (कर्वी) कर दिया।

बाँदा चित्रकूटधाम, महोबा तथा हमीरपुर जनपद को सम्मिलित कर एक नये मण्डल चित्रकूटधाम मण्डल का निर्माण भी कर दिया। जिसका मुख्यालय, जनपद बाँदा नगर बाँदा बनाया गया।

जनपद बाँदा के उत्तर में फतेहपुर एवं दक्षिण में छतरपुर, पन्ना, सतना (म0प्र0) स्थित हैं। पूर्व में चित्रकूट धाम कर्वी (उ0प्र0) एवम् रींवा (म0प्र0) जनपद स्थित है। पश्चिम में हमीरपुर एवं महोबा जनपद इसकी राजनैतिक सीमा निर्धारित करते हैं। बाँदा जनपद का विस्तार उत्तर से दक्षिण 104 कि0मी0 चौड़ा है। जनपद का कुल क्षेत्रफल लगभग 4112 कि0मी0 है। यह पूर्व में भरतकूप, पश्चिम में मटौंघ तथा उत्तर में चन्दवारा और दक्षिण में कांलिजर तक फैला है।

जनपद की प्राकृतिक संरचना :

जनपद बाँदा यमुना नदी और विन्ध्यांचल की पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है। इसका कुछ भाग छोड़कर शेष भाग ऊँचा–नीचा एवं पहाड़ी है। जनपद का ढ़ाल दक्षिण–पश्चिम से उत्तर–पूर्व की ओर है। प्राकृतिक बनावट की दृष्टि से जनपद को

मानचित्र जनपद - बाँदा
उत्तर
बाँदा
तिन्दवारी
बबेरू
अतर्रा
नरैनी
जसपुरा
पैलानी
अलोना
पचनेही
जमालपुर
कमासिन
ओरन
बिसण्डा
→ मार्ग पहाड़ी को
→ रेलवे लाइन कर्वी/मानिकपुर
→ मार्ग कर्वी/इलाहाबाद को
किला कालींजर
संकेत - तालिका
1. राज्य की सीमा
2. जिले की सीमा
3. तहसील की सीमा
4. वि०ख० की सीमा
5. जिला मुख्यालय
6. तहसील/वि०ख०मु०
7. सड़कें
8. रेलवे लाइन
9. रेलवे स्टेशन
10. फेरी/पुल

चार भागों में बाँटा जा सकता है।

1- **केन नदी के पास का पश्चिमी भाग** –

केन नदी के आस–पास तथा पश्चिम की ओर मार मिट्टी वाली भूमि है। यह मिट्टी बहुत उपजाऊ मानी जाती है।

2- **मध्य का समतल मैदान** –

इस भाग में नरैनी तथा बबेरू तहसीलें आती हैं। यह भाग लगभग समतल है। केवल नदियों, नालों का किनारा कटा–फटा है। नहरों द्वारा सिंचाई होती है। यहाँ काबर तथा मार मिट्टी पायी जाती है। इस भाग में अनाज का अच्छा उत्पादन है।

3- **बागे तथा गन्ता का मैदान** –

इस भाग में मन्दाकिनी (पयस्विनी) नदी बहती हैं, यहाँ पर राकड़, काबर, तथा पडुआ भूमि पायी जाती है। जो कृषि के लिये अच्छी नहीं होती है।

4- **दक्षिण पूर्वी पठार** -

यहाँ विन्ध्यांचल की पहाड़ियों का क्रम है, पहाड़ियों के कारण यहाँ की मिट्टी में कंकड़ अधिक हैं। यहां की भूमि ऊँची–नीची है यहाँ कांटेदार झाड़ियाँ पायी जाती है। इस जनपद में मार, काबर, पडुआ तथा राकड़ मिट्टियाँ पायी जाती है।

यहाँ के प्रमुख पहाड़ों में कांलिजर का पहाड़ जो 1200 फीट ऊँचा है। दूसरा प्रसिद्ध पहाड़ खत्री पहाड़ है। रामचन्द्र, बाम्बेश्वर, सिंघला आदि प्रमुख पहाड़ हैं। यहाँ की प्रमुख नदियाँ यमुना, केन, बागें, गन्ता, गड़रा, चन्द्रावलि, आदि प्रमुख हैं। जनपद की जलवायु महाद्वीपीय प्रकार की है। यहाँ शीत ऋतु में पर्याप्त शीत और गर्मी में तेज गर्मी पड़ती है। यहाँ का औसत तापमान सामान्यतया 25^0 सेन्टीग्रेड से कम तथा ग्रीष्म ऋतु में 48^0 सेन्टीग्रेड तक जाता है। ग्रीष्म ऋतु में सूर्य की किरणें झुलसा देने वाली होती हैं। इस ऋतु में भयंकर लू चलती है। शीत ऋतु में रातें बहुत ही ठंडी रहती हैं।

जनपद बाँदा की भौगोलिक परिस्थितियों ने यहाँ के मानव पर अमिट छाप छोड़ी हैं। यहाँ की नदियाँ गर्मी के दिनों में या तो सूख जाती हैं या बहुत थोड़ा जल रहता है। सामान्य विश्लेषण से ज्ञात होता है कि यहाँ का मनुष्य स्वभाव से भाग्यवादी है और अन्ध विश्वासी भी। वर्षा की विषम परिस्थितियों से बादलों का अवलोकन कर तथा वर्षा का अनुमान करके अपना कृषि कार्य प्रारम्भ करता है । गर्मी के दिनों में नदी, तालाब, पोखर सूख जाते हैं, कुओं का पानी अपने निम्नतम बिन्दु पर पहुँच जाता है।

जनसंख्या का असमान वितरण ऊँची–नीची भूमि पर्वतों तथा ऐकान्तिक पहाड़ियों का अवरोध, वर्षा ऋतु में छोटे–छोटे नाले तथा नदियाँ अपना क्रूरतम रूप प्रदर्शित करती हैं। यहाँ के भयानक वन जो हिंसक जानवरों से भरे हैं, शिक्षा की प्रगति में अवरोध उत्पन्न करते हैं। यहाँ की कच्ची सड़कें दुर्गम मार्ग, काबर मिट्टी का वर्षा काल में दल–दल का रूप धारण कर लेना तथा मार्ग को खतरे युक्त बना देना, यहाँ की ऐसी स्थितियाँ हैं जो भयावह ही नहीं अपितु संचरण में सबसे बड़ी बाधा हैं।

ग्रीष्म ऋतु में चिलचिलाती धूप, धूल धक्कड़ से युक्त औषधियाँ प्रचण्ड लू के थपेड़े जन सामान्य के लिये मुसीबत से कम नहीं होते हैं। बाँदा जनपद कानपुर, इलाहाबाद तथा झांसी जनपद के त्रिकोण पर स्थित है। यहाँ अद्योग–धन्धों का अभाव है। बेरोजगारी विद्यमान है।

बाँदा में अधिकतर खेती मानसूनी वर्षा पर आधारित होने के कारण ग्रामीण जन शक्ति अधिकतर बेकार रहती है । बाँदा में व्यापार लगभग शून्य है, हर वस्तु बाहरी जिलों से मंगाई जाती है, बाँदा एक मात्र नगर है । यहाँ से लकड़ी का कोयला बाँस, लाठियाँ, तेदूं पत्ता, बालू, और जानवरों की खाले बाहरी जनपदों को भेजी जाती हैं। जबकि जीवनोपयोगी हर वस्तु का आयात किया जाता है।

जनपद में यातायात का साधन रेल मार्ग, सड़क तथा जल का प्रवाह है,

नदियों में जहां जल अधिक है, वहां जल द्वारा सामग्री ले जाने तथा आवागमन होता है। बाँदा जनपद कच्ची, पक्की सड़कों तथा रेलवे लाइन से जुड़ा है। यह जनपद मध्य रेल का जंक्शन है। बाँदा जनपद में मुख्य रूप से दो जंक्शन पड़ते हैं– झाँसी–बाँदा तथा कानपुर–बाँदा, बाँदा की लाइनें खैरार जंक्शन में मिलती है। बाँदा से दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, जबलपुर, मुगलसंराय तथा हाबड़ा के लिये सीधी रेल सेवायें उपलब्ध हैं।

बाँदा जनपद की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि –

बाँदा जनपद का अतीत ऐतिहासिक एवं साँस्कृतिक विशेषताओं से गौरवान्ति है।

बाँदा जनपद की राजनीतिक चेतना में महाराज छत्रसाल का व्यक्तित्व अत्यन्त प्रतिभाशाली एवं महत्वपूर्ण रहा है। अन्तिम नवाब अलीबहादुर (द्वितीय) का व्यक्तित्व भी बहुत प्रशंसनीय है।

उत्तर प्रदेश का दक्षिणी जिला बाँदा है जिसकी सीमाएं मध्यप्रदेश से मिलती है। पूर्व में विन्ध्याचल की सुरम्य श्रेणियाँ है, जिनमें चित्रकूट जैसा प्रसिद्ध तीर्थस्थान है । पश्चिम में जनपद हमीरपुर, उत्तर में जनपद फतेहपुर और दक्षिण में मध्यप्रदेश दक्षिण पश्चिम में महोबा स्थित है।

बाँदा का महत्व महाभारत काल से चला आ रहा है। इसके सम्बन्ध में विभिन्न जनश्रुतियाँ प्रचलित है। कुछ लोग इसे कर्णवती नगरी तथा कुछ विराट नगरी के नाम से जानते हैं तथा कुछ लोग बामदेव ऋषि के नाम पर इसे बामदेव नगरी भी कहते हैं। बामदेव नगरी से इसका नाम बदलकर बाम्दा हो गया और संभवतः मुस्लिमकाल में यह बाँदा हो गया।

वीर प्रसविनी भूमि बाँदा जनपद में सदैव राजनीतिक गरिमा जीवित रही है। पद्मपुराण में कालिंजर को तीर्थस्थान के रूप में स्वीकार किया गया एवं इसे भारतीय

कला एवं संस्कृति का केन्द्र माना गया। जनश्रुति के अनुसार कर्णवती नदी के तट पर विराट नगरी बसी थी। इसी का बिगड़ा हुआ स्वरूप बाँदा है। कालिंजर से प्राप्त बौद्ध मूर्तियों से पता चलता है कि यह विशेष प्राचीन जनपदों में से एक है। मौर्य साम्राज्य के पतन के पश्चात गौड़ वंशीय राजाओं के पास यह राज्य रहा। तदुपरान्त चन्देलों ने इसे हस्तगत किया। चन्देल वंशीय राजाओं में परिमाल का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। जिनके दरबार में आल्हा एवं ऊदल नामक वीर योद्धा रहते थे।

राजपूतों की आपसी कलह का लाभ महमूद गजनवी ने उठाया और 1001 में भारत पर प्रबल आक्रमण किया। मुहम्मद गोरी तथा उसके सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने कालिंजर पर आक्रमण किया। भारत में मुगलों का शासन स्थापित होते ही हुमायुँ ने भी आक्रमण किये। तत्पश्चात् शेरशाह ने भी आक्रमण किये। अकबर तथा औरंगजेब ने भी कालिजंर को अपने आधिपत्य में रखा । औरंगजेब के समय में यहाँ चन्देलों का शासन स्थापित हो चुका था। इसके संस्थापक चम्पतराय थे। इसका विकास एवं विस्तार महाराजा छत्रसाल ने किया।

मुगल सम्राट फरूखसियर ने (1713–1719) ने अपने एक महत्वपूर्ण सरदार मो0 खाँ बंगस को भेजा था । इस बीच छत्रसाल अपना साम्राज्य विस्तार करने में लगे रहे । सन् 1728 में नवाब बंगस और छत्रसाल के बीच युद्ध हुआ । पेशवा बाजीराव की मदद से छत्रसाल ने बंगस को परास्त किया । सन् 1740 में बाजीराव की मृत्यु के बाद उनके पुत्र शमशेर बहादुर उर्फ कृष्ण सिंह की मृत्यु 14 जनवरी, 1761 को पानीपत के तृतीय युद्ध अहमद शाह अब्दाली से लड़ते हुये हुयी। उनके पुत्र अली बहादुर ने बुन्देलखण्ड पर विजय प्राप्त की और नवाब की उपाधि धारण की । बाँदा के अन्तिम नवाब अली बहादुर (सानी) ने बाँदा में स्वतन्त्रता संग्राम लड़ा और अंग्रेजो के छक्के छुडाए । बाद में 1897 की क्रांति में भाग लिया और अंग्रेजों के बन्दीगृह से भाग कर बाँदा में स्वतन्त्रता संग्राम की अलख जगायी। 1857 की क्रांति में बाँदा ने अग्रणी

बाँदा में स्वतन्त्रता संग्राम की अलख जगायी। 1857 की क्रांति में बाँदा ने अग्रणी भूमिका निभायी सन् 1942 के भारत छोड़ो आन्दोलन में बाँदा के युवकों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया ।

राजनैतिक एवं धार्मिक विद्वेषवश मुगल एवं अंग्रेजी शासन ने यहां अत्याधिक राजस्व एवं कर लगाकर विकास की गति को रोक दिया। इस भूभाग के निवासियों को आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक तथा शैक्षिक क्षेत्रों में अत्यन्त पिछड़ा रखने का भरसक प्रयास किया।

जनपद बाँदा का क्षेत्रफल एवं जनसंख्या :

बाँदा जनपद का क्षेत्रफल 4137 वर्ग किलोमीटर है। जो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का 2.59 प्रतिशत है। जिसका ग्रामीण क्षेत्रफल 4096.2 वर्ग कि0मी0 है। जबकि नगरीय 40.8 वर्ग किमी0 है। वर्तमान में बाँदा की जनसंख्या 15,00,253 है, जिसमें पुरूष 8,06,543 तथा महिलायें 6,93,710 हैं उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का 0.90 प्रतिशत है। जनपद की ग्रामीण जनसंख्या 12,56,230 और नगरीय 2,44,023 है, जनसंख्या का घनत्व 340 प्रति वर्ग किमी0 है। यहाँ की साक्षरता 54.84 प्रतिशत है जिसमें पुरूषों की 69.89 प्रतिशत और महिलाओं की 37.10 प्रतिशत है। जनपद में 1000 पुरुषों पर 860 महिलायें है।

तहसील बाँदा की कुल जनसंख्या 4,00,449 है। जिसमें पुरुषों की संख्या 2,15,360 है और स्त्रियों की जनसख्या 1,85,089 है। तहसील बबेरू की कुल जनसंख्या 3,77,021 है। जिसमें पुरूष 2,01,695 और स्त्रियां 1,75,326 हैं। तहसील अतर्रा की कुल जनसंख्या 2,40,909 जिसमें पुरूषों की 1,30,051 और स्त्रियों की संख्या 1,10,858 है तहसील नरैनी की कुल जनसंख्या 2,37,851 है। जबकि पुरूष 1,27,868 और स्त्रियां 1,09,984 हैं।

जनपद बाँदा की अनुसूचित जाति की विकास खण्डवार जनसंख्या

	अनुसूचित जाति की जनसंख्या		
	कुल	पुरूष	स्त्री
विकास खण्डवार वर्ष, 2000			
1– जसपुरा	9613	5185	4428
2– तिन्दवारी	24021	13193	10828
3– बड़ोखर खुर्द	30047	16501	13546
4– बबेरू	32033	17391	14642
5– कमासिन	26549	14540	12009
6– बिसण्डा	39379	21323	18056
7– महुआ	42475	23438	19037
8– नरैनी	43113	23399	19714
योग समस्त विकास खण्ड	247230	134970	112260
ग्रामीण	247230	134970	112260
नगरीय	28813	15336	12927
योग जनपद	276043	150856	125187

स्रोत - सांख्यकीय पत्रिका, जनपद बाँदा, 2000

जनपद बाँदा में अनुसूचित जाति की विभिन्न उपजातियों के कुल 2,76,043 व्यक्ति निवास करते हैं। जिनमें पुरूषों की संख्या 1,50,856 तथा स्त्रियों की जनसंख्या 1,25,187 है। आवास की दृष्टि से अनुसूचित जाति के 1,34,970 पुरूष तथा 1,12,260 स्त्रियां कुल 2,47,230 ग्रामीण परिवेश में निवास करते हैं। अनुसूचित जाति की नगरीय जनसंख्या के कुल 28,813 में से 15,336 पुरूष तथा 12,927 स्त्रियां है। उपरोक्त तालिका में निवास खण्डवार अनुसूचित जाति की जनसंख्या का प्रदर्शन किया है जनपद बाँदा में चूँकि ग्रामीण परिक्षेत्र अधिक है अतः अनुसूचित जाति की अधिसंख्य व्यक्ति गाँवों में ही निवास करते हैं।

जनपद बाँदा में विकासखण्डवार साक्षर व्यक्ति तथा साक्षरता का प्रतिशत

	साक्षर व्यक्ति			साक्षरता का प्रतिशत		
	पुरूष	स्त्री	कुल	पुरूष	स्त्री	कुल
विकास खण्डवार वर्ष, 2000						
1– जसपुरा	18007	4664	22671	52.2	16.3	35.9
2– तिन्दवारी	30554	8675	39229	55.9	19.9	39.9
3– बड़ोखर खुर्द	32592	7478	40070	54.2	15.8	37.3
4– बबेरू	32336	6573	38909	51.3	12.8	34.1
5– कमासिन	24268	3883	28151	46.4	9.1	29.7
6– बिसण्डा	25772	4000	29772	44.4	8.4	28.2
7– महुआ	34543	8190	42733	51.1	14.9	34.9
8– नरैनी	39073	7765	46838	44.9	11.0	29.8
योग ग्रामीण	237145	51228	288373	49.7	13.3	33.4
नगरीय	59851	29154	89005	60.5	35.6	49.2
कुलयोग	296996	80382	377378	51.5	17.2	36.1

स्रोत - सांख्यकीय पत्रिका, जनपद बाँदा, 2000

जनपद की शैक्षणिक स्थिति :

जनपद बाँदा शैक्षणिक विकास की दृष्टि से पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। जनपदीय सांख्यकीय वर्ष 2000 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में कुल 33.4 प्रतिशत साक्षरता है, जिसमें पुरूष साक्षरता का प्रतिशत 49.7 तथा स्त्री साक्षरता का प्रतिशत 13.3 है। नगरीय क्षेत्रों में 60.5 प्रतिशत पुरूष तथा 35.6 प्रतिशत स्त्रियां साक्षर है। जनपद में कुल साक्षरता का प्रतिशत 36.1 तथा पुरूषों का 51.5 एवं स्त्रियों का 17.2 है। इसके विश्लेषण से ज्ञात होता है कि साक्षरता का प्रतिशत बहुत कम है। जनपद में निरक्षरता अभी भी अधिक है।

बाँदा जनपद में औद्यागिक विकास :

बाँदा जनपद की लगभग 83 प्रतिशत जनसंख्या गाँवों में निवास करती है

यहाँ की जनता कृषि उपज और कृषि सम्बन्धी कार्यो मेंलगी रहती है। इस जनपद में केन नदी से सम्बन्धित शज़र (एगेट) पत्थर है जिसको काट–छांटकर आभूषण बनाने व उसमें जड़ने के काम आते हैं, विशेष रूप से नदी से लाल बालू प्राप्त होती है। बाँदा जनपद में मुख्य रूप से गिट्टी, बालू, चूना–पत्थर, पत्थर, मिट्टी के बर्तन, जूता, सीमेन्ट आदि सीमित क्षेत्र में चल रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री श्री वी0पी0 सिंह के काल में बाँदा में एक कताई मिल लगाई गयी थी। जो बड़ी मुश्किल से 4–5 वर्ष चली और अब विगत 5 वर्षो से बंद पड़ी है । सरकारी क्षेत्र में कोई उद्योग नहीं है । उपरोक्त कार्य निजी लोगों द्वारा चलाये जाते हैं । यह जनपद उद्योग शून्य जनपद के रूप में जाना जाता है।

अध्ययन में सम्मिलित अनुसूचित जाति :

वर्तमान अध्ययन में विभिन्न जातियों में से निम्नांकित अनुसूचित जातियों को चयनित किया गया है।

(1) चमार : चमार भारत की एक अत्यन्त प्राचीन जाति है इस जाति के लोग भारत के लगभग सभी राज्यों में फैले हुए हैं। उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जातियों में इनकी संख्या सबसे अधिक है । परम्परागत रूप से चमार जाति के सदस्यों का काम चमड़ा साफ करना, जूता बनाना, गन्दगी साफ करना इत्यादि रहा है। इस जाति की स्त्रियां दायी का कार्य करती रही हैं। (ब्रिग्स : 1920 : 10)[1] (रसेल : 1975 : 403–404)[2] इस परम्परागत व्यवसाय के अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में चमार जाति के लोग कृषक, मजदूर या बंधक मजदूर के रूप में कार्य करते रहे हैं। ग्रामीण जजमानी व्यवस्था के एक आवश्यक अंग के रूप में चमार जाति ग्रामीण समुदाय में महत्वपूर्ण भाग लेती रही है।

1– Briggs, G.W. : The chamars, Oxford University Press, London, 1920.

2– Rulless, R.V. : The Tribe and castes of the Central Provinces of India, Rajdhani Book Centre, Delhi, 1975 (Reprint), P. 403.

अपने निम्न और अपवित्र आर्थिक क्रिया कलापों के कारण चमार जाति के साथ सवर्ण हिन्दू जाति अस्पृश्यता का व्यवहार करती रही है । बहुधा मुख्य निवास क्षेत्र से पृथक चमारों की बस्ती रही है। चमार जाति अनेक अन्तर्विवाही उपजाति समूहों में बंटी हुयी है इनमे से घुसिया, झुसिया, जाटव, कन्नौजिया, जैसवार, ग्वालिया, कुलाहा, धर, इत्यादि प्रमुख हैं। घुसिया को चमार जति में उच्च स्थान प्राप्त है, प्रत्येक उपजाति में छोटे–छोटे गोत्र या कुल होते हैं, जिनका नामकरण किसी पौराणिक सन्त या वीर पुरूष के नाम पर होता है । ममेरे और फुफेरे भाई बहनों में विवाह की प्रथा वर्जित है, जिस परिवार से माता या पितामही का सम्बन्ध होता है उसमें विवाह सम्बन्ध वर्जित होता है । बाल विवाह की प्रथा चमारों में अत्यधिक प्रचलित रही है । विवाह सम्बन्ध माता–पिता के द्वारा तय किया जाता है। विवाह विच्छेद का प्रचलन जाति पंचायत के अनुमति से होता रहा है । विवाह संस्कारों में सवर्ण हिन्दुओं का अनुकरण किया जाता है जाति पंचायत एक अत्यन्त शक्तिशाली संस्था रही है। (सच्चिदानंद : 1977 : 18)।[1]

चमार सभी प्रमुख हिन्दू देवी देवताओं की पूजा करते हैं तथा होली, दीपावली इत्यादि सभी प्रमुख त्यौहारों में भाग लेते हैं परन्तु इनमें स्थानीय देवी देवताओं की आराधना और स्थानीय त्यौहारों और कर्मकाण्डों में भाग लेने की भी प्रवृत्ति पायी जाती है। चमारों में कुछ नवीन सम्प्रदायों का उदय हुआ है जिनमें से रविदास सम्प्रदाय, कबीर पन्थ, सतनामी इत्यादि प्रमुख हैं। कुछ क्षेत्रों में आर्य समाज ने भी इनके जीवन को प्रभावित किया है।

(2) **धोबी** : धोबी जाति का परम्परागत व्यवसाय कपड़ा धोना रहा है इन्हें बरेठा, रजक, पारित भी कहा जाता है। (रसेल : 1975 : 519)।[2] चूंकि इस जाति के लोग

1— **Sachchidanand : The Harijan elite. Thomson Press, India, 1972.**

2— **Russel, R.V. : Ibid, 1.519.**

गन्दा कपड़ा धोने के काम में संलग्न रहे है। इसलिये धोबी जाति को अपवित्र माना जाता है। कुछ समुदायों में धोबी को प्रातःकाल देखना अशुभ माना जाता है। धोबी जाति में जाति पंचायत अत्यन्त संगठित और शक्तिशाली रही है। विवाह, सम्पत्ति जातिगत हित इत्यादि सभी क्षेत्रों में जाति पंचायत की भूमिका महत्वपूर्ण रही है।

धोबी जाति के लोग जजमानी प्रथा के एक आवश्यक अंग रहे हैं। उन्हें उनकी सेवाओं के बदले जन्म, विवाह, मृत्यु आदि अवसरों पर सवर्णो के द्वारा उपहार दिया जाता रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में उन्हें कपड़े की धुलाई के बदले में अनाज दिया जाता रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में इस जाति के सदस्य खेती के काम में भी लगे हुए हैं। धोबी जाति में बाल विवाह का अत्यधिक प्रचलन रहा है, निकट रक्त सम्बन्धियों में विवाह सम्बन्ध निषिद्ध रहा है। विवाह विच्छेद और विधवा पुनर्विवाह की अनुमति रही है। वर्तमान समय में दहेज का लेन–देन इनमें बढ़ता जा रहा है।

धोबी सभी हिन्दू देवी देवताओं और त्योहारों को मानते हैं। काली की पूजा विशेष रूप से करते हैं और होली, दशहरा और दिवाली को सक्रिय रूप से मनाते हैं। इनके जातिगत अराध्यदेव को घटोइया कहते हैं जो कपड़ा धोनेवाले घाट का देवता माना जाता है। (रसेल : 1975 : 21)।[1] आषाढ़ के महीने में इस देवता को शराब चढ़ायी जाती है। जिस पत्थर पर ये कपड़ा धोते हैं उसे भी श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं।

आधुनिक काल में धोबी जाति में परिर्वतन हो रहा है। शिक्षित व्यक्ति नौकरी और राजनीति की ओर आकर्षित हो रहे हैं। परम्परागत व्यवसाय को छोड़कर अन्य व्यवसाय को अपनाने की प्रवृत्ति भी बढ़ रही है।

(3) खटिक : खटिक जाति मुख्यतः सब्जी और फल बेचने वाली जाति है। इस जाति के कुछ सदस्य सूअर के मांस बेचने का भी कार्य करते हैं। खटिक शब्द संस्कृत भाषा

1— **Russel, R.V. : Ibid, 1.519.**

में खट्टीका से बना है जिसका अर्थ बधिक या शिकारी है। कुक के अनुसार उत्तर भारत में खटिक जाति के लोग सुअर पालने तथा बेचने का धन्धा भी करते हैं। कुछ स्थानों पर खटिक भेड़ और बकरी पालने व बेचने का भी कार्य करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में खटिक कृषि का कार्य भी करते हैं तथा फल के बगीचे का धन्धा करते हैं।

विवाह अल्पायु में किया जाता है। विवाह विच्छेद की प्रथा प्रचलित है तथा विधवा पुनर्विवाह का भी प्रचलन है। जाति पंचायत अत्यधिक कठोर है तथा जातिगत मर्यादाओं का उल्लंघन करने पर आर्थिक दण्ड और जाति से बहिष्कृत किया जाता है।

चूंकि खटिक जाति का सम्बन्ध बधिक और मांस विक्रय से रहा है अतः हिन्दू जाति में इन्हें अपवित्र और निम्न श्रेणी का माना जाता रहा है। पहले इन्हें हिन्दू मंदिरों में प्रवेश करने की अनुमति नहीं रही है।

(4) **डोमार** : डोमार जाति अस्पृश्य माने जाने वाली जातियों में एक अत्यन्त निम्न कोटि की जाति रही है। इस जाति को लोग मुर्दा जलाना, मल–मूत्र की सफाई करना तथा मरे हुये पशुओं को फेंकना या उसके चमड़े को निकालने का काम करते रहे हैं। मुर्दा पशुओं के मांस का भक्षण तथा मदिरा पान का प्रचलन इस जाति में रहा है। सूअर बेचने व पालने का कार्य भी ये करते हैं। अपने इस निम्न कोटि के कार्यो और व्यवसायों के कारण ये जाति अत्यधिक अपवित्र मानी जाति रही है तथा ये मुख्य निवास क्षेत्र से पृथक् निवास करते रहे हैं। धार्मिक स्थलों में प्रवेश करने की अनुमति इन्हें नहीं रही है।

(5) **पासी** : रसेल ने पासी जाति को एक द्राविड़ियन व्यावसायिक जाति का माना है जिसका परम्परागत व्यवसाय साड़ी या खजूर के पेड़ से ताड़ी उतारना और बेचना (रसेल : 1975 : 380)।[1] इसके अतिरिक्त ये लोग ताड़ या खजूर के पत्ते से चटाई, पेटारी बनाने का काम भी करते रहे हैं। ये लोग शारीरिक दृष्टि से मजबूत और

1— Russel, R.V. : Ibid, P. 380.

परिश्रमी होते हैं। गाँव में ये कृषक व कृषक मजदूर के रूप में काम करते रहे हैं। पासी जाति के लोग अनेक अन्तर्विवाही समूह में बॅटे हुये हैं। विवाह सबन्ध अपने गोत्र से बाहर स्थापित किया जाता है। बधू मूल्य की प्रथा प्रचलित नहीं है। विनिमय विवाह का कुछ प्रचलन रहा है। विवाह सम्बन्ध कम समय में ही स्थापित किये जाते रहे हैं। विवाह विच्छेद की घटनायें कम देखने को मिलती हैं। इस जाति में बालिका की तुलना में बालक का जन्म अधिक आनन्ददायक माना जाता है।

पासी लोग लगभग सभी हिन्दू देवी–देवताओं में आस्था रखते हैं। पासी–जाति के लोग प्रायः सभी त्यौहारों को मनाते हैं। जाति पंचायत अत्यधिक शक्तिशाली रही है। जाति पंचायत सभी प्रकार के अपराधों जैसे चोरी, लैगिक अपराध, पारिवारिक कलह, जातिगत मर्यादा के विरुद्ध आचरण पर दण्ड देती है। यह दण्ड जाति बहिष्कार या अर्थिक दण्ड के रूप में दिया जाता है। पंचायत का प्रमुख वंशानुगत होता है।

(6) **कोरी** : जाति व्यवस्था परम्परागत हिन्दू समाज का संगठनात्मक आधार है । अनेकों परिवर्तनों के बाद भी प्रत्येक जाति अपनी विशेष पहचान रखती है । अनुसूचित जाति में कोरी जाति समूह के लोग सात उपजातियों कुटार, शंखवार, सखोरी, कम्हरिया, अहिरवार कुरमंगना तथा जुलाहा में विभक्त हैं । पेशे से बुनकर ये लोग कपड़ा, दरी बुनने का कार्य करते हैं । परन्तु आधुनिक औद्योगिक युग के सेन्थेटिक कपड़ों ने इनके हथकरघे से बने मोटे सूती कपड़ों की माँग को लगभग समाप्त कर दिया है । अतः ये अधिकाँश बेरोजगार व आर्थिक रूप से विपन्न हैं । अर्थाजन हेतु ये सरकारी व गैर सरकारी नौकरी के साथ मजदूरी, डलिया, टोकरी, चटाई आदि बनाने का कार्य करते हैं । हिन्दू देवी देवताओं के साथ ये अपने कुलदेवता करतार बाबा तथा महात्मा कबीर की पूजा अर्चना करते हैं । विशेष गायन शैली कबीरी का ये संरक्षण कर रहे हैं । कबीरी में ये ढ़ोलक, मंजीरा, हरमोनियम, चिमटा को बजाकर कबीर के दोहे व भजनों का गायन करते हैं । इनकी पूर्ण जानकारी बीजक नामक पस्तक में संकलित है ।

अध्याय-पंचम

सूचनादाताओं की सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि

आयु वर्ग

लैंगिक स्थिति

जातीय स्थिति

आवासीय पृष्ठभूमि

पारिवारिक स्थिति

शैक्षिक स्थिति

सामाजिक-आर्थिक स्थिति

सूचनादाताओं की सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि

इस अध्याय में अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि का विश्लेषण प्रस्तुत है। इस विश्लेषण से यह ज्ञात होता है कि आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में सहभागिता ग्रहण करने वाले अनुसूचित जाति के विद्यार्थी किस सामाजिक स्तर से सम्बन्धित हैं तथा उनकी सामाजिक–आर्थिक पृष्ठभूमि इस शिक्षा व्यवस्था में उनकी उपलब्धि ग्राहयता और अन्तःक्रिया इस प्रकार प्रभावित कर रही है।

इस परिर्वतनशील तथा समस्या प्रधान समाज के व्यवस्थित अध्ययन में इस सामाजिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करना अति आवश्यक होता है। जिसका अंग व्यक्ति है। कुछ समाज वैज्ञानिक अध्ययन जैसे दुर्खीम (1912),[1] सोरोकिन (1927),[2] स्टालकप (1967),[3] एण्डरसन (1961),[4] श्री निवास (1963),[6] राव (1970),[6] इत्यादि के द्वारा व्यक्ति के सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि का उसके जीवन से निकट सम्बन्ध है। विद्यार्थीकाल व्यक्ति के जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण काल है। यह काल निर्माण और विकास का काल है। व्यक्ति का सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस काल में विद्यार्थियों का जीवन सीखने में अधिक सक्रिय रहता है, मूल्यों के आत्मीकरण एवं निर्दिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करने में यह काल विशेष सहायक होता है।

अतः वर्तमान अध्याय में यह प्रयास किया जा रहा है कि अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों की सामान्य सामाजिक एवं आर्थिक विशेषताएं क्या है । उनकी आयु

1— Durkheim, E. : Le Suicide, Passim, Paris, 1962, P. 45.

2— Sorokin, P.A. : Social and Cultural mobility. The free Press Glencoe, 1927, P. 493.

3— Stalcup, R. : Educational Sociology, Mersill & Co., U.S., 1967, P. 7-17.

4— Anderson, C.A. : Skeptical note on the relation of vertical mobility to Education Amer. J. of Socio. LXVI 560 & 70, 1961 P. 288.

5— Srinivas, M.N. : Indias Villages, Asia Publishing house, Bombay, 1963, P. 2.

6— Rao, M.S. : URBANIZATION & Social change, Orient long man Ltd., 1970, P. 7-58.

विवाह, धर्म, जाति, परिवार, आर्थिक एवं शैक्षिक पृष्ठभूमि का स्वरूप क्या है ? क्योंकि ये विशेषताएं विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि और अभिवृत्तियों के निर्माण में अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं इनका विश्लेषण आगे आने वाले अध्यायों में भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है, पृष्ठभूमि सम्बन्धी ये तथ्य, तथ्यों के सहसम्बन्ध ज्ञात करने में सहायक सिद्ध होंगे।

आयु संरचना :

जैविकीय एवं सामाजिक दृष्टिकोण से आयु का मानव समाज में अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है। जैविकीय दृष्टि से आयु व्यक्ति के शारीरिक एवं मानसिक बृद्धि तथा परिपक्वता की द्योतक है। सामाजिक दृष्टि से आयु व्यक्ति के सामाजिक प्रति प्रस्थितिकीय भूमिका, प्रतिष्ठा एवं शक्ति की भी द्योतक है। प्रत्येक समाज में सामाजिक संस्तरण पाया जाता है। आधुनिक एवं परम्परागत समाजों में अधिक आयु के व्यक्ति को अधिक सामाजिक अनुभव होते हैं। जो कम आयु के व्यक्ति को नहीं होते हैं। शिक्षा एक प्रबल माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्ति नवीन सामाजिक स्थितियों को ग्रहण करने की क्षमता का विकास होता है। शिक्षा ग्रहण करने का कार्य प्रायः वाल्या अवस्था में ही होता है। वैसे तो शिक्षा किसी आयु सीमा तक प्राप्त की जा सकती है। अतः आयु और शिक्षा का घनिष्ठ सम्बन्ध है। शिक्षा ग्रहण की अवधि बालक के शारीरिक, मानसिक एवं मनोवैज्ञानिक विकास करने में सहायक होती है। समाजशास्त्रियों ने युवकों के जीवन पर अनेक शोध किये हैं। और पाया है कि जिन समाजों में बाल्यावस्था से युवावस्था का सक्रमण अत्यन्त शीघ्रता के साथ होता है वहाँ इसे औपचारिक रूप से संस्कारगत मान्यता प्राप्त होती है। (जेनेपः 1909)7 आधुनिक जटिल समाजों में युवक निरन्तर स्वतन्त्र होते जा रहें है तथा सामाजिक व सांस्कृतिक जीवन में एक सक्रिय एवं उत्तरदायी सदस्य के रूप में भाग ले रहें हैं। शैक्षणिक जीवन के सन्दर्भ में विद्यार्थी की आयु संरचना का महत्वपूर्ण स्थान है। यद्यपि प्रत्येक शैक्षिक स्तर

विद्यार्थी की आयु संरचना का महत्वपूर्ण स्थान है। यद्यपि प्रत्येक शैक्षिक स्तर के लिये निर्धारित आयु का प्राविधान है। परन्तु भारतीय परिस्थिति में जहाँ शैक्षिक पिछड़ापन अधिक रहा है तथा बालकों को देर से शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश दिया जाता है, ऐसी दशा में शिक्षण संस्थाओं में समान कक्षा में विद्यार्थियों की आयु में महत्वपूर्ण अन्तर पाया जाता है। समाज के भिन्न-भिन्न स्तर और साँस्कृतिक समूहों के आयु के मध्य बहुधा अन्तर पाया जाता है : (गौरे और अन्य : 1970 : 59).[1]

तालिका सं0 5.1 सूचनादाताओं की आयु

आयु समूह	आवृत्ति	प्रतिशत
19–23 वर्ष	330	82.50
24–28 वर्ष	70	17.50
योग	400	17.50

वर्तमान अध्ययन में सम्मिलित 82.5 प्रतिशत छात्र 19 से 23 आयु वर्ग के तथा 17.5 प्रतिशत छात्र 29 से 28 आयु वर्ग के हैं। अनुसूचित जाति के परिवारों में शिक्षा का आरम्भ विलम्ब से हो पाता है। अतः उच्च स्तर तक पहुँचते-पहुँचते ये विद्यार्थी अधिक आयु के हो जाते हैं, साथ ही साथ विद्यार्थी की अनुत्तीर्णता तथा नौकरी में अधिकतम आयु सम्बन्धी छूट इन विद्यार्थियों के उच्च आयु के सहयोगी कारक हैं।

तालिका सं0 5.2 सूचना दाताओं की आयु

शैक्षिक स्तर	19-23 वर्ष	24-28 वर्ष	योग
स्नातक	330	—	330
परास्नातक	—	70	70

1— Gore, M.S. et al, Field Studies in the Sociology of Education, All India Report, N.C.E.R.T., 1970, P. 59.

तालिका सं0 5.2 में सूचनादाताओं के शैक्षिक स्तर एवं आयु के विश्लेषण से स्पष्ट है कि स्नातक स्तर के सभी छात्र 19–23 आयु वर्ग के हैं तथा परास्नातक स्तर पर सभी 70 छात्र 24–28 आयु वर्ग के हैं। इस प्रकार से शिक्षण संस्थाओं में सामान्य विद्यार्थी की अपेक्षा इन विद्यार्थियों का उच्च आयु समूह का होना इनके परम्परागत साँस्कृतिक विशेषताओं और साँस्कृतिक पिछड़ेपन का परिचायक है।

तालिका सं0 5.3 सूचनादाताओं का लिंग

लिंग	आवृत्ति	प्रतिशत
छात्र	280	70.00
छात्राएं	120	30.00
योग	400	100.00

परम्परागत भारतीय समाज में जहाँ अनुसूचित जाति के लोगों को शिक्षा ग्रहण करने पर प्रतिबन्धा थ वहीं स्वतन्त्र भारत में अनुसूचित जाति की लड़कियों को शिक्षा प्रदान करना सरकार की कल्याणकारी योजना एवं अनुसूचित जाति के लोगों की सामाजिक जागरूकता का परिचायक है ।

वर्तमान उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि सूचनादाताओं में अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों में 70 प्रतिशत छात्र तथा 30 प्रतिशत छात्रायें हैं।

तालिका सं0 5.4 सूचनादाताओं की जातिगत स्थिति

जाति	आवृत्ति	प्रतिशत
चमार	150	37.50
धोबी	100	25.00
कोरी	70	17.50
खटिक	50	12.50
डोमार	20	5.00
पासी	10	2.50
योग	400	100.00

भारतीय संविधान की धारा 341 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति राज्यपालों से परामर्श करके प्रत्येक राज्य के लिये सामाजिक–आर्थिक रूप से पिछड़े हुये लोगों को अनुसूचित जाति की सूची घोषित करने का अधिकार रखता है। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में 66 उपजातियों को अनुसूचित जाति में स्थान दिया गया है । वर्तमान सूचनादाताओं की उपजातियों का अध्ययन यह स्पष्ट करता है कि 37.5 प्रतिशत चमार जाति के, 25 प्रतिशत धोबी जाति के, 17.5 प्रतिशत कोरी जाति के, 12.5 प्रतिशत खटिक जाति के, 5 प्रतिशत डोमार (डुमार) जाति के तथा 2.5 प्रतिशत पासी जाति के हैं। इस प्रकार उत्तरदाताओं में अनुसूचित जाति के चमार जाति के उत्तरदाता सबसे अधिक 37.5 प्रतिशत तथा सबसे कम पासी जाति के हैं।

तालिका सं0 5.5 आवासीय पृष्ठभूमि

आवास	आवृत्ति	प्रतिशत
ग्रामीण	310	77.50
नगरीय	90	22.50
योग	400	100.00

सामान्यतया ग्रामीण और नगरीय पृष्ठभूमि का अन्तर विद्यार्थियों के शैक्षिक जीवन को प्रभावित करता है। नगरीय पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को सामाजिक नियोजन का स्तर अपेक्षाकृत अधिक उन्नत होता है। इस कारण उनके शैक्षिक जीवन की दिशा बहुधा ग्रामीण परिवेश के विद्यार्थियों से भिन्न होती है। वर्तमान अध्ययन में चार तहसीलों बाँदा, बबेरू, नरैनी व अतर्रा के अन्तर्गत आने वाले 8 विकास खण्डों कमासिन, बिसण्डा, नरैनी, बबेरू, महुआ, तिंदवारी, बड़ोखर व जसपुरा में स्थित 6 महाविद्यालयों के छात्र–छात्राओं को ग्रामीण स्तर एवं नगरीय स्तर पर बाँट कर अध्ययन किया गया है। इनमें से चार महाविद्यालय जनपद के मुख्यालय बाँदा में ही

स्थित हैं। अतर्रा पोस्ट ग्रेजुएट कालेज, अतर्रा, नगर पालिका, अतर्रा परिक्षेत्र में व एक महाविद्यालय बबेरू तहसील के मुख्यालय बबेरू में स्थित है। सभी महाविद्यालय नगरीय व कस्बाई क्षेत्रों में संचालित हैं। परन्तु उनमे अनुसूचित जाति के अधिकांश विद्यार्थी ग्रामीण परिवेश के अध्यनरत है। वर्तमान अध्ययन में 77.5 प्रतिशत सूचनादाता ग्रामीण स्तर के 22.5 प्रतिशत विद्यार्थी नगरीय परिवेश के हैं। इस प्रकार अधिकतर सूचनादाता ग्रामीण स्तर के ही हैं।

तालिका सं0 5.6 लिंग एवम् आवासीय पृष्ठभूमि

लिंग	ग्रामीण	नगरीय	योग
छात्र	259 (92.50)	21 (7.50)	280
छात्राएं	51 (42.50)	69 (57.50)	120
योग	300 (77.50)	90 (22.50)	400

लिंग के आधार पर आवासीय पृष्ठभूमि का विवरण यह स्पष्ट करता है कि 92.50 प्रतिशत छात्र ग्रामीण परिवेश के हैं। जबकि 42.50 प्रतिशत छात्रायें ग्रामीण स्तर की हैं। 7.50 प्रतिशत छात्र नगरीय तथा 57.50 प्रतिशत छात्रायें नगरीय परिवेश की हैं।

तालिका सं0 5.7 वैवाहिक स्थिति

आवास	आवृत्ति	प्रतिशत
अविवाहित	237	59.25
विवाहित	163	40.75
योग	400	100.00

परम्परागत संस्कृति और नवीन शिक्षा प्रणाली जिन अन्तर्विरोधों से ग्रसित हैं उनमें से प्रमुख पारिवारिक और वैवाहिक दायित्व है। विद्यार्थी जीवन की सफलता

के लिये पारिवारिक और वैवाहिक उत्तरदायित्वों का सीमित होना आवश्यक है। परन्तु पिछड़े हुए समाजों में बाल विवाह या अल्प आयु में विवाह की प्रथा के कारण विद्यार्थी को वैवाहिक जीवन में प्रवेश करना पड़ता है तथा विभिन्न उत्तरदायित्वों को वहन करना पड़ता है। यह स्थित उनके शैक्षिक दायित्वों के भली भाँति निर्वहन में बाधक सिद्ध होती है। युवा पीढ़ी के शिक्षा ग्रहण करने वाले सदस्य अल्प आयु में विवाह की समस्या से पूर्णतयाः मुक्त नहीं हो पाते हैं। अध्ययन में सम्मिलित 59.25 प्रतिशत सूचनादाता अविवाहित तथा 40.75 प्रतिशत विवाहित हैं।

तालिका सं0 5.8 सूचनादाताओं की शैक्षिक एवं वैवाहिक स्थिति

शैक्षिक स्तर	अविवाहित	विवाहित	योग
स्नातक	196 (59.39)	134 (40.61)	330
परास्नातक	41 (58.57)	29 (41.43)	70
योग	237 (59.25)	163 (40.75)	400

सूचनादाताओं का शैक्षिक स्तर एवं वैवाहिक स्थिति देखने से स्पष्ट है कि स्नातक स्तर के 59.39 प्रतिशत अविवाहित तथा 40.61 प्रतिशत विवाहित हैं। इसी प्रकार परास्नातक स्तर के उत्तरदाताओं में से 58.57 प्रतिशत अविवाहित तथा 41.43 प्रतिशत विवाहित हैं। विश्लेषण से स्पष्ट है कि सरकारी प्रयासों के बावजूद भी स्नातक और परास्नातक स्तर के सूचनादाताओं की वैवाहिक स्थिति में बहुत अन्तर नहीं है। अधिकतर उत्तरदाता विवाहित है।

तालिका सं0 5.9 सूचनादाताओं की लिंग एवं वैवाहिक स्थिति

लिंग	अविवाहित	विवाहित	योग
छात्र	190 (67.86)	90 (32.14)	280
छात्राएं	47 (39.16)	73 (60.84)	120
योग	237 (59.25)	163 (40.75)	400

लिंग एवं वैवाहिक स्थिति का आंकलन करने पर तालिका संख्या 5.9 से स्पष्ट है कि 67.86 प्रतिशत छात्र अविवाहित तथा 32.14 प्रतिशत छात्र विवाहित हैं। जबकि 39.16 प्रतिशत छात्रायें अविवाहित तथा 60.84 प्रतिशत छात्रायें विवाहित है। अतः स्पष्ट है कि लिंग के आधार पर छात्रायें अधिकतर विवाहित है।

तालिका सं0 5.10 सूचनादाताओं की आयु एवं वैवाहिक स्थिति

बायु वर्ग (वर्ष)	अविवाहित	विवाहित	योग
19–23 वर्ष	201 (60.90)	129.10 (39.10)	330
24–28 वर्ष	36 (51.52)	34.00 (48.58)	70
योग	237 (59.25)	163.00 (40.75)	400

आयु वर्ग और वैवाहिक स्थिति का आंकलन करने से स्पष्ट होता है कि 60.90 प्रतिशत 19–23 वर्ष आयु वर्ग के सूचनादाता अविवाहित हैं तथा 29.10 प्रतिशत विवाहित हैं। इसी तरह 51.42 प्रतिशत 24–28 वर्ष आयु वर्ग के सूचनादाता विवाहित तथा 48.58 प्रतिशत अविवाहित हैं। अतः स्पष्ट है कि अधिकत्तर उत्तरदाता विवाहित हैं।

तालिका सं0 5.11 सूचनादाताओं के पिता की शिक्षा

पिता की शिक्षा	आवृत्ति	प्रतिशत
अशिक्षित	170	42.50
प्राइमरी	72	18.00
जूनियर हाईस्कूल	45	11.25
हाईस्कूल	38	9.50
इण्टरमीडिएट	29	7.25
स्नातक	21	5.25
स्नातकोत्तर	9	4.00
अन्य व्यावसायिक प्रशिक्षण	16	4.00
योग	400	100.00

तालिका संख्या 5.11 से स्पष्ट है कि जो पिता या अभिभावक अपनी शैक्षिक उपलब्धि से सन्तुष्ट नहीं है वे अपने बालकों या पाल्यों की शिक्षा को अधिक गम्भीरता पूर्वक ग्रहण करने को प्रेरित करते हैं। अतः बालकों के विकास में पिता की शैक्षिक स्थिति का अत्याधिक महत्वपूर्ण स्थान हैं। वर्तमान अध्ययन में सम्मिलित सूचनादाताओं के 42.50 प्रतिशत पिता अशिक्षित हैं। 18 प्रतिशत उत्तरदाताओं के पिता केवल प्राइमरी स्तर तक की ही शिक्षा ग्रहण कर पाये हैं। 11.25 प्रतिशत सूचनादाताओं के पिता जूनियर हाईस्कूल तक ही पढ़ सके हैं। 9.50 प्रतिशत सूचनादाताओं के पिता हाईस्कूल स्तर तक तथा 7.25 प्रतिशत सूचनादाताओं के पिता इण्टरमीडिएट स्तर तक, 5.25 प्रतिशत उत्तरदाताओं के पिता स्नातक स्तर तक तथा 2.25 प्रतिशत उत्तरदाताओं के पिता परास्नातक स्तर की शिक्षा ग्रहण करे हुए हैं । 4 प्रतिशत सूचनादाताओं के पिता विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक प्रशिक्षण किये हुए हैं। यहाँ पर व्यावसायिक प्रशिक्षण से आशय डॉक्टरी, वकालत, इंजीनियरिंग आदि से है। सूचनादाताओं के पिता का शैक्षिक स्तर यह स्पष्ट करता है कि अधिकांश अशिक्षित हैं या अत्यन्त अल्प शिक्षा प्राप्त

है । केवल थोड़े से ही परिवारों में पिता की पीढ़ी में स्नातक, परास्नातक या व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त किये हुये हैं। परिवार में शिक्षा का यह अभाव विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धियों और आकांक्षाओं को निश्चित ही प्रभावित करने का एक कारक है।

तालिका सं0 5.12 सूचनादाताओं का शैक्षिक स्तर एवं उनके पिता की शिक्षा

शैक्षिक स्तर	अशिक्षित	प्राइमरी	जूनियर हाईस्कूल	हाईस्कूल	इण्टर	स्नातक	स्नात-कोत्तर	व्याव0 प्रशिक्षण	योग
स्नातक	144 (43.63)	62 (18.80)	36 (10.90)	28 (8.49)	26 (7.90)	15 (4.54)	06 (1.81)	13 (3.93)	330
परास्नातक	26 (37.15)	10 (14.29)	09 (12.85)	10 (1429)	03 (4.29)	06 (8.57)	03 (4.29)	03 (4.29)	70
योग	170 (42.50)	72 (18.00)	45 (11.25)	38 (9.50)	29 (7.25)	21 (5.25)	09 (2.25)	16 (4.00)	400

सूचनादाताओं के शैक्षिक स्तर के आधार पर उनके पिता के शैक्षिक स्तर को देखने से स्पष्ट है कि स्नातक स्तर के सूचनादाताओं के 43.63 प्रतिशत पिता अशिक्षित, 18.80 प्रतिशत सूचनादाताओं के पिता प्राइमरी स्तर तक, 10.90 प्रतिशत सूचनादाताओं के पिता जूनियर हाईस्कूल स्तर तक, 8.49 प्रतिशत सूचनादाताओं के पिता हाईस्कूल स्तर तक, 7.90 प्रतिशत सूचनादाताओं के पिता इण्टरमीडिएट स्तर तक, 4.54 प्रतिशत सूचनादाताओं के पिता स्नातक स्तर तक के तथा 1.81 प्रतिशत सूचनादाताओं के पिता स्नातकोत्तर स्तर तक तथा 3.93 प्रतिशत सूचनादाताओं के पिता विभिन्न व्यवसायिक प्रशिक्षण प्राप्त हैं। इसी तरह स्नातकोत्तर स्तर के 37.15 प्रतिशत सूचनादाताओं के पिता अशिक्षित, 14.29 प्रतिशत सूचनादाताओं के पिता प्राइमरी स्तर तक, 12.85 प्रतिशत सूचनादाताओं के पिता जूनियर हाईस्कूल स्तर तक, 14.29 प्रतिशत सूचनादाताओं के पिता हाईस्कूल स्तर तक, 4.29 प्रतिशत सूचनादाताओं

के पिता इण्टरमीडिएट स्तर तक, 8.57 प्रतिशत सूचनादाताओं के पिता स्नातक स्तर तक, 4.29 प्रतिशत सूचनादाताओं के पिता परास्नातक स्तर तक तथा 4.29 प्रतिशत सूचनादाताओं के पिता विभिन्न व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त हैं।

अतः उपर्युक्त तालिका संख्या 5.12 से स्पष्ट है कि स्नातक और परास्नातक दोनो ही शैक्षिक स्तर के अधिकतर विद्यार्थियों के पिता अशिक्षित हैं। जिन विद्यार्थियों के पिता शिक्षित है उनकी मात्रा उच्च शैक्षिक वर्ग स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षा में अधिक पायी गयी।

तालिका सं0 5.13 सूचनादाताओं की आवासीय स्थिति एवं उनके पिता की शैक्षिक स्थिति –

आवासीय स्थिति	अशिक्षित	प्राइमरी	जूनियर हाईस्कूल	हाईस्कूल	इण्टर	स्नातक	स्नात-कोत्तर	व्याव0 प्रशिक्षण	योग
ग्रामीण	153 (49.36)	66 (18.80)	35 (10.90)	17 (8.49)	15 (7.90)	08 (4.54)	06 (1.81)	10 (3.93)	310
नगरीय	26 (37.15)	10 (14.29)	09 (12.85)	10 (1429)	03 (4.29)	06 (8.57)	03 (4.29)	03 (4.29)	70
योग	170 (42.50)	72 (18.00)	45 (11.25)	38 (9.50)	29 (7.25)	21 (5.25)	09 (2.25)	16 (4.00)	400

सूचनादाताओं की आवासीय स्थिति एवं उनके पिता की शिक्षा की तुलना करने से ज्ञात होता है कि ग्रामीण स्तर के 49.36 प्रतिशत सूचनादाताओं के पिता अशिक्षित, 21.29 प्रतिशत सूचनादाताओं के पिता प्राइमरी स्तर तक, 11.29 प्रतिशत सूचनादाताओं के पिता जूनियर हाईस्कूल स्तर तक, 5.48 प्रतिशत सूचनादाताओं के पिता हाईस्कूल स्तर तक, 4.85 प्रतिशत सूचनादाताओं के पिता इण्टरमीडियएट तक 2.58 प्रतिशत सूचनादाताओं के पिता स्नातक स्तर तक, 1.93 प्रतिशत सूचनादाताओं के पिता स्नातकोत्तर स्तर तक तथा 3.22 प्रतिशत सूचनादाताओं के पिता विभिन्न

व्यावासिक प्रशिक्षण प्राप्त हैं। इसी प्रकार नगरीय पृष्ठभूमि में निवास करने वाले 18.89 प्रतिशत सूचनादाताओं के पिता अशिक्षित है, 6.67 प्रतिशत सूचनादाताओं के पिता प्राइमरी स्तर तक, 11.11 प्रतिशत सूचनादाताओं के पिता जूनियर हाईस्कूल स्तर तक, 33.33 प्रतिशत सूचनादाताओं के पिता हाईस्कूल स्तर तक, 15.56 प्रतिशत सूचनादाताओं के पिता इण्टरमीडिएट स्तर तक, 14.44 प्रतिशत सूचनादाताओं के पिता स्नातक स्तर तक, 3.33 प्रतिशत सूचनादाताओं के पिता स्नातकोत्तर स्तर तक तथा 6.67 प्रतिशत सूचनादाताओं के पिता विभिन्न व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त हैं।

अतः स्थिति स्पष्ट है कि ग्रामीण परिवेश के अधिकतर सूचनादाताओं के पिता अशिक्षित हैं जबकि नगरीय परिवेश में निवास करने वाले सूचनादाताओं के पिता स्नातक, स्नातकोत्तर के साथ–साथ विभिन्न व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त हैं।

तालिका सं0 5.14 सूचनादाताओं के पिता की व्यावसायिक स्थिति

व्यवसाय	आवृत्ति	प्रतिशत
कृषक	122	30.50
कृषि मजदूर	156	39.00
अन्य मजदूरी	37	9.25
व्यापार/दुकानदारी	19	4.75
सरकारी नौकरी	49	12.25
अन्य व्यवसाय	17	4.25
योग	400	100.00

अनुसूचित जातियों का परम्परागत सामाजिक–साँस्कृतिक पिछड़ापन तथा ग्रामीण क्षेत्र में जमीन का इनके पास न होना, इनके निम्न आर्थिक स्थिति का परिचायक है, जिसका प्रत्यक्ष प्रभाव शिक्षारत विद्यार्थियों पर पड़ना स्वाभाविक है। वर्तमान अध्ययन में सम्मिलित 30.50 प्रतिशत सूचनादाताओं के पिता कृषक,

39.00 प्रतिशत सूचनादाताओं के पिता कृषि मजदूर, तथा 9.25 प्रतिशत सूचनादाताओं के पिता अन्य मजदूरी करते हैं। जबकि 4.75 प्रतिशत सूचनादाताओं के पिता विभिन्न छोटे मोटे व्यापार व दुकानदारी करने लगे हैं। 12.25 प्रतिशत सूचनादाताओं के पिता विभिन्न सरकारी नौकरी कर रहे हैं तथा 4.25 प्रतिशत सूचनादाताओं के पिता चिकित्सा, वकालत, शिक्षा आदि विभिन्न व्यवसाय में लगे हुये हैं।

तालिका सं0 5.15 सूचनादाताओं का शैक्षिक स्तर एवं पिता की व्यावसायिक स्थिति

शैक्षिक स्तर	कृषक	कृषक मजदूर	अन्य मजदूरी	व्यापार/ दुकानदारी	सरकारी नौकरी	अन्य व्यवसाय	योग
स्नातक	102 (30.90)	135 (40.90)	31 (9.40)	14 (4.25)	38 (11.52)	10 (3.03)	330
परास्नातक	20 (28.57)	21 (30.00)	06 (8.57)	05 (7.15)	11 (15.71)	07 (10.00)	70
योग	122 (30.50)	156 (39.50)	37 (9.25)	19 (4.75)	49 (12.25)	17 (4.25)	400

सूचनादाताओं का शैक्षिक स्तर तथा उनके पिता की व्यावसायिक स्थिति के सम्बन्ध को विश्लेषित करने से ज्ञात होता है कि स्नातक स्तर के 30.93 प्रतिशत सूचनादाताओं के पिता कृषक, 40.90 प्रतिशत सूचनादाताओं के पिता कृषक मजदूर तथा 9.40 प्रतिशत सूचनादाताओं के पिता अन्य विभिन्न प्रकार की मजदूरी करते हैं। 4.25 प्रतिशत सूचनादाताओं के पिता व्यापार या दुकानदारी, 11.52 प्रतिशत सूचनादाताओं के पिता सरकारी नौकरी तथा 3.03 प्रतिशत सूचनादाताओं के पिता अन्य व्यवसायों में लगे हुये हैं। परास्नातक स्तर के सूचनादाताओं के 28.57 प्रतिशत कृषक, 30 प्रतिशत सूचनादाताओं के पिता कृषक मजदूर, 8.57 प्रतिशत सूचनादाताओं के पिता विभिन्न प्रकार की मजदूरी करते हैं, 7.15 प्रतिशत सूचनादाताओं के पिता व्यापार या दुकानदारी करते हैं, 15.71 प्रतिशत सूचनादाताओं के पिता सरकारी नौकरी तथा

10.00 प्रतिशत सूचनादाताओं के पिता अन्य व्यवसायों में संलग्न हैं।

इस प्रकार स्पष्ट है कि व्यवसाय की दृष्टि से स्नातक स्तर के विद्यार्थियों की तुलना में स्नातकोत्तर स्तर के विद्यार्थियों की पारिवारिक स्थिति उच्च प्रतीत होती है, क्योंकि कृषक या अन्य व्यवसाय के रूप में स्नातकोत्तर स्तर के विद्यार्थियों के पिता अधिक मात्रा में हैं। जबकि कृषक मजदूर के रूप में स्नातक स्तर के विद्यार्थियों के पिता अधिक हैं।

तालिका सं0 5.16 सूचनादाताओं के पिता की मासिक आय

आय प्रतिमाह (रूपये में)	आवृत्ति	प्रतिशत
रु0 1000 से कम	171	42.75
रु0 1000 से रु0 2000 तक	126	31.50
रु0 2000 से रु0 3000 तक	27	6.00
रु0 3000 से रु0 4000 तक	23	5.75
रु0 4000 से रु0 5000 तक	38	9.50
रु0 5000 से ऊपर	18	4.50
योग	400	100.00

सूचनादाताओं के पारिवारिक आर्थिक स्थिति का विश्लेषण करते हुये उनके पिता की मासिक आय के सम्बन्ध में तथ्यों का संकलन किया गया है। प्राप्त हुये तथ्यों से विदित होता है कि 42.75 प्रतिशत सूचनादाताओं के पिता की मासिक आय रूपये 1000 से कम, 31.50 प्रतिशत सूचनादाताओं के पिता की मासिक आय रूपये 1000 से 2000 तक, 6 प्रतिशत सूचनादाताओं के पिता की मासिक आय रूपये 2000 से 3000 तक, 5.75 प्रतिशत सूचनादाताओं के पिता की मासिक आय रूपये 3000 से 4000 तक, 9.50 प्रतिशत सूचनादताओं के पिता की मासिक आय रूपये 4000 से 5000 तक तथा 4.50 प्रतिशत सूचनादताओं के पिता की मासिक आय रूपये 5000 से अधिक है ।

तालिका सं0 5.17 सूचनादाताओं का शैक्षिक स्तर एवं उनके पिता की मासिक आय

शैक्षिक स्तर	रू01000 से कम	1000 से 2000	2000 से 3000	3000 से 4000	4000 से 5000	5000 से ऊपर	योग
स्नातक	165 (50.00)	113 (34.24)	12 (3.64)	12 (3.64)	22 (6.67)	06 (1.81)	330
परास्नातक	6 (8.57)	13 (18.58)	12 (17.14)	11 (15.71)	16 (22.86)	12 (17.14)	70
योग	171 (42.75)	126 (31.50)	24 (6.00)	23 (5.75)	38 (9.50)	18 (4.50)	400

शैक्षिक आधार पर सूचनादाताओं के पिता की मासिक आय की तुलना करने पर तालिका संख्या 5.17 से स्पष्ट हो जाता है कि स्नातक स्तर के 50 प्रतिशत सूचनादाताओं के पिता की मासिक आय रूपये 1000 से कम, 34.24 प्रतिशत सूचनादाताओं के पिता की मासिक आय रूपये 1000 से 2000 तक, 3.64 प्रतिशत सूचनादाताओं के पिता की आय रूपये 2000 से 3000 तक, 3.64 प्रतिशत सूचनादाताओं के पिता की मासिक आय रूपये 3000 से 4000 तक, 6.67 प्रतिशत सूचनादताओं के पिता की मासिक आय रूपये 4000 से 5000 तक तथा 1.81 प्रतिशत सूचनादताओं के पिता की मासिक आय रूपये 5000 से ऊपर है।

इसी प्रकार परास्नातक स्तर के अध्ययनरत सूचनादाताओं में 8.57 प्रतिशत सूचनादाताओं के पिता की मासिक आय रूपये 1000 से कम, 18.58 प्रतिशत सूचनादाताओं के पिता की मासिक आय रूपये 1000 से 2000 तक, 17.14 प्रतिशत सूचनादाताओं के पिता की मासिक आय रूपये 2000 से 3000 तक, 15.71 प्रतिशत सूचनादाताओं के पिता की मासिक आय रूपये 3000 से 4000 तक, 22.86 प्रतिशत सूचनादाताओं के पिता की मासिक आय रूपये 4000 से 5000 तक तथा 17.14 प्रतिशत सूचनादाताओं के पिता की मासिक आय रूपये 5000 से ऊपर है।

सूचनादाताओं के पिता की मासिक आय के स्तर से स्नातक और परास्नातक स्तर के विद्यार्थियों के विश्लेषण से स्पष्ट है कि परास्नातक स्तर के विद्यार्थियों के पिता की मासिक आय स्नातक स्तर के विद्यार्थियों के पिता की मासिक आय से अधिक हैं।

तालिका सं0 5.18 सूचनादाताओं के परिवार का भूमि-स्वामित्व

जमीन (भूमिं)	आवृत्ति	प्रतिशत
भूमिहीन	57	14.25
1 बीघा या कम	188	47.00
1 बीघा से 3 बीघा	79	19.75
3 बीघा से 5 बीघा	45	11.25
5 बीघा से ऊपर	31	7.75
योग	400	100.00

सामान्यतया अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के परिवार का सम्बन्ध ग्रामीण परिवेश से अधिक है। इनकी बस्तियाँ अधिकतर गाँवों में सामान्य बस्ती से पृथक होती हैं। अधिकांशतः इन लोगों का पारम्परिक व्यवसाय से ही जीवन यापन होता रहा है या फिर ये कृषक मजदूर के रूप में कार्य करते रहे हैं। अतः व्यक्तिगत भू स्म्पत्ति का अभाव रहा है। आधुनिक समय में सरकार द्वारा ऐसे लोगों को भूमि प्रदान की जा रही है। परन्तु यह कार्यक्रम व्यापक रूप से क्रियान्वित नहीं हो सका है, क्योंकि सरकारी पट्टे मिल जाने के बावजूद भी इन लोगों को भूमि पर कब्जे पूर्णतः नहीं मिल पा रहे हैं तथा परिवारों का विभाजन होने से भी कुछ सदस्य भूमिहीन होते जा रहे हैं।

इस अध्ययन में सम्मिलित अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के परिवार की आर्थिक स्थिति का विश्लेषण करते हुये उनके परिवार के भूमि स्वामित्व से सम्बन्धित आकडों का संकलन किया गया है। उपरोक्त तालिका संख्या 5.18 में प्राप्त तथ्यों को

दर्शाया गया है। इन आकंडों के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि 14.25 प्रतिशत सूचनादाताओं के परिवार पूर्णतः भूमि–हीन है, 47 प्रतिशत सूचनादाताओं के परिवार के पास एक बीघा से भी कम भूमि है, 19.75 प्रतिशत सूचनादाताओं के परिवार के पास 1 बीघा से 3 बीघा तक, 11.25 प्रतिशत सूचनादाताओं के परिवार के पास तीन बीघा से 5 बीघा तक तथा केवल 7.75 प्रतिशत सूचनादाताओं के परिवार के पास 5 बीघा या इससे अधिक भूमि है। अतः स्पष्ट है कि अनुसूचित जाति के लोगों के पास जमीन की उपलब्धिता बहुत ही कम है।

तालिका सं0 5.19 **सूचनादाताओं के परिवार का शैक्षिक स्तर एवं भूमि स्वामित्व**

शैक्षिक स्तर	भूमिहीन	1 बीघा से कम	1 बीघा से 3 बीघा	3 बीघा से 5 बीघा	5 बीघा से ऊपर	योग
स्नातक	50 (15.16)	179 (54.24)	59 (17.88)	28 (8.48)	14 (4.24)	330
परास्नातक	7 (10.00)	9 (12.86)	20 (28.58)	17 (24.28)	17 (24.28)	70
योग	57 (14.25)	188 (47.00)	79 (19.75)	45 (11.25)	31 (7.75)	400

सूचनादाताओं के शैक्षिक आधार पर उनके पारिवारिक भूमि स्वामित्व की स्थिति की तुलना करने पर उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि स्नातक स्तर के विद्यार्थियों के 15.16 प्रतिशत परिवार भूमिहीन है, 54.24 प्रतिशत विद्यार्थियों के परिवार एक बीघा से कम, 17.88 प्रतिशत सूचनादाताओं के परिवार एक बीघा से तीन बीघा तक, 8.48 प्रतिशत सूचनादाताओं के परिवार तीन बीघा से 5 बीघा तथा 4.24 प्रतिशत सूचनादाताओं के परिवार 5 बीघा या उससे ऊपर की भूमि के मालिक हैं। इसी प्रकार परास्नातक स्तर के सूचनादाताओं के परिवार में से 10 प्रतिशत भूमिहीन, 12.86 प्रतिशत सूचनादाताओं के परिवार के पास 1 बीघा से कम भूमि, 28.58 प्रतिशत

सूचनादाताओंके परिवार के पास एक बीघा से 3 बीघा, 24.28 प्रतिशत परिवारों के पास तीन से 5 बीघा तथा इतने ही 24.28 प्रतिशत सूचनादाताओं के परिवार के पास 5 बीघा से अधिक भूमि है।

इस स्थिति से स्पष्ट है कि स्नातकोत्तर स्तर के विद्यार्थियों के परिवार के पास जमीन की मात्रा स्नातक स्तर के विद्यार्थियों के परिवार से अधिक है।

तालिका सं0 5.20 सूचनादाताओं के पारिवारिक आवास की दशा

आवास	आवृत्ति	प्रतिशत
झोपड़ी	77	19.25
कच्चा मकान	278	69.50
कच्चा–पक्का मिश्रित	17	4.25
पक्का मकान	28	7.00
योग	400	100.00

प्रस्तुत तालिका द्वारा इस अध्ययन में सम्मिलित विद्यार्थियों की आर्थिक स्थिति का विश्लेषण करते हुये उनके परिवार के आवासीय स्थिति के सम्बन्ध में तथ्यों का संकलन किया गया है जो उपरोक्त तालिका में प्रदर्शित है। प्राप्त तथ्यों से विदित हो रहा है कि सूचनादाताओं में से 19.25 प्रतिशत के परिवार झोपड़ी में, 69.50 प्रतिशत के परिवार कच्चे मकानों में, 4.25 प्रतिशत के परिवार कच्चे पक्के मिश्रित स्थिति के मकानों में तथा 7 प्रतिशत परिवार पक्के मकानों में निवास करते हैं। अतः स्पष्ट है कि अनुसूचित जाति के अधिकांश उत्तरदाताओं के परिवारों के पास पक्के मकानों का अभाव है।

तालिका सं0 5.21 सूचनादाताओं के शैक्षिक स्तर एवं पारिवारिक आवास की प्रकृति –

शैक्षिक स्तर	झोपड़ी	कच्चा	कच्चा पक्का मिश्रित	पक्का	योग
स्नातक	74 (22.42)	234 (70.90)	11 (3.34)	11 (3.34)	330
परास्नातक	3 (4.28)	44 (62.86)	6 (8.58)	17 (24.28)	70
योग	77 (19.25)	278 (69.50)	17 (4.25)	28 (7.00)	400

सूचनादाताओं के शैक्षिक स्तर एवं उनके पारिवारिक आवास की प्रकृति की विवेचना करते हुये तथ्यों के विवरण से स्पष्ट है कि स्नातक स्तर के सूचनादाताओं के 22.42 प्रतिशत पारिवारों के पास निवास हेतु झोपड़ी ही है, 70.90 प्रतिशत परिवार कच्चे मकानों में रहते हैं, 3.34 प्रतिशत सूचनादाताओं के परिवार के पास कच्चे पक्के मिश्रित मकान हैं परन्तु केवल 3.34 प्रतिशत स्नातक स्तर के सूचनादाताओं के परिवार ही पक्के मकानों में निवास करते हैं। इसी प्रकार परास्नाक स्तर के सूचनादाताओं में से 4.28 प्रतिशत सूचनादाताओं के परिवार झोपडियों में रहते हैं, 62.86 प्रतिशत सूचनादाताओं के परिवार कच्चे मकान में निवास करते हैं, 8.58 प्रतिशत सूचनादाताओं के पारिवारिक मकान कच्चे पक्के मिश्रित प्रकार के है, 24.28 प्रतिशत परास्नातक स्तर के सूचनादाताओं के पारिवारिक मकान पक्के बने हुये हैं।

अतः स्पष्ट है कि स्नातकोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के परिवार के पास तुलनात्मक दृष्टि से स्नातक स्तर के विद्यार्थियों की तुलना में पारिवारिक आवास की व्यवस्था अच्छी है।

तालिका सं0 5.22 सूचनादाताओं के पितामह की शिक्षा

पितामह की शिक्षा	आवृत्ति	प्रतिशत
ज्ञात नहीं	75	18.75
निरक्षर	221	55.25
प्राइमरी	70	17.50
जूनियर हाईस्कूल	34	8.50
हाईस्कूल	—	—
इण्टरमीडिएट या ऊपर	—	—
योग	400	100.00

अनुसूचित जाति के परिवारों की दशा पितामह (बाबा) की पीढ़ी में और अधिक पिछड़ी हुयी रही है। इस पीढ़ी में शिक्षा के प्रसार ने केवल थोड़े ही परिवारों को प्रभावित किया है। इस अध्ययन में सम्मिलित 18.75 प्रतिशत सूचनादाताओं को अपने पितामह की शिक्षा ज्ञात ही नहीं हैं, 55.25 प्रतिशत सूचनादाताओं के पितामह निरक्षर रहे हैं, 17.50 प्रतिशत सूचनादाताओं के पितामह प्राइमरी स्तर तक ही पढ़े रहे है तथा मात्र 8.50 प्रतिशत सूचनादाताओं के पितामह ही जूनियर हाईस्कूल तक शिक्षा ग्रहण किये रहे है। हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट तक की शिक्षा से वे दूर ही रहे हैं। अतः स्पष्ट है कि अध्ययन में सम्मिलित अधिकतर सूचनादाताओं के पितामह की शिक्षा रही ही नही है। बहुत थोड़े से अर्थात लगभग एक चौथाई सूचनादाताओं के पितामह ही कुछ शिक्षित रहे हैं।

तालिका सं0 5.23 सूचनादाताओं शैक्षिक स्तर एवं पितामह की शिक्षा

शैक्षिक स्तर	ज्ञात नहीं	निरक्षर	प्राइमरी	जूनियर हाइस्कूल	हाईस्कूल	अण्टरमीडिएट	योग
स्नातक	66 (20.00)	191 (57.88)	55 (16.67)	18 (5.45)	—	—	330
परास्नातक	9 (12.86)	30 (42.86)	15 (21.42)	16 (22.86)	—	—	70
योग	75 (18.75)	221 (55.25)	70 (17.50)	34 (8.50)	—	—	400

सूचनादाताओं के शैक्षिक आधार पर पितामह की शिक्षा के वितरण से ज्ञात होता है कि स्नातक स्तर के सूचनादाताओं में से 20 प्रतिशत को पितामह की शिक्षा ज्ञात नहीं है, 57.88 प्रतिशत सूचनादाताओं के पितामह निरक्षर रहे है, 16.67 प्रतिशत सूचनादाताओं के पितामह केवल प्राइमरी तक ही शिक्षा ग्रहण किये रहे हैं। केवल 5.45 प्रतिशत स्नातक स्तर के सूचनादाताओं के पितामह ही जूनियर हाईस्कूल तक शिक्षा पाये रहे हैं। इसी प्रकार परास्नातक स्तर के सूचनादाताओं में से 12.86 प्रतिशत को अपने पितामह की शिक्षा का ज्ञान नहीं है, 42.86 प्रतिशत सूचनादाताओं के पितामह निरक्षर ही रहे हैं, 21.42 प्रतिशत सूचनादाताओं के पितामह प्राइमरी तक शिक्षित रहे हैं तथा परास्नातक स्तर के विद्यार्थियों में से 22.86 प्रतिशत के पितामह ही जूनियर हाईस्कूल तक शिक्षित रहे हैं।

अतः स्पष्ट है कि स्नातकोत्तर स्तर में अध्ययनरत विद्यार्थियों के पितामह स्नातक स्तर के विद्यार्थियों के पितामह की तुलना में अधिक शिक्षित पाये गये हैं।

तालिका सं0 5.24 सूचनादाताओं के परिवार का पशु स्वामित्व

पशु स्वामित्व	आवृत्ति	प्रतिशत
गाय	29	7.25
बैल	14	3.50
भैंस	13	3.25
बकरी	34	8.50
बकरी–मुर्गी	126	31.50
गाय–बकरी	30	7.50
भैंस–गाय–बैल	15	3.75
पशुहीन	139	34.75
योग	400	100.00

चल सम्पत्ति का एक प्रमुख स्रोत पशु स्वामित्व है। ग्रामीण परिवेश में पशु का प्रयोग कृषि कार्य, दूध प्राप्ति तथा ईधन व्यवस्था के लिये किया जाता है।

पशुओं की उपयोगिता ग्रामीण परिवारों की आवश्यकता के साथ–साथ उनकी आर्थिक स्थिति का भी संकेत देते हैं। सामान्यतया जो परिवार सम्पन्न है उनके पास ही पशुधन उपलब्ध होना सम्भव है। इस अध्ययन के सूचनादाताओं के परिवार की आर्थिक स्थिति का अन्वेषण करते हुये तालिका संख्या 5.24 में दर्शाया गया है ।

प्राप्त तथ्यों सें स्पष्ट है कि सूचनादाताओं में से 7.25 प्रतिशत सूचनादाताओं के परिवार के पास गाय, 3.50 प्रतिशत परिवारों के पास बैल, 3.25 प्रतिशत परिवारों के पास भैंस, 8.50 प्रतिशत परिवारों के पास बकरी, 31.50 प्रतिशत परिवारों के पास बकरी तथा मुर्गी, 7.50 परिवारों के पास गाय तथा बकरी और केवल 3.75 प्रतिशत परिवारों के पास ही भैंस, गाय, बैल के रूप में पर्याप्त पशुधन हैं। सूचनादाताओं के 34.75 प्रतिशत परिवार पशुहीन हैं। उनके पास कोई भी पशुधन नहीं है, अतः स्पष्ट है कि कृषि भूमि की कमी तथा ट्रेक्टर के बढ़ते उपयोग से बैलों के रखने की परम्परा में कमी आयी है। गाय, बकरी, मुर्गी तथा भैंस का व्यावसायिक महत्वपूर्ण है अतः इन्हें सम्पन्न परिवार ही रख पाते हैं।

तालिका सं0 5.25 सूचनादाताओं के परिवार का पशु स्वामित्व

शैक्षिक स्तर	गाय	बैल	भैंस	बकरी	बकरी-मुर्गी	गाय-बकरी	भैंस-गाय बैल	पशुहीन	योग
स्नातक	21 (6.36)	09 (2.73)	10 (3.03)	24 (7.28)	109 (33.03)	17 (5.16)	06 (1.81)	134 (40.60)	330
परास्नातक	08 (11.42)	05 (7.15)	03 (4.28)	10 (14.28)	17 (24.28)	13 (19.78)	09 (12.86)	05 (7.15)	70
योग	29 (7.25)	14 (3.50)	13 (3.25)	34 (8.50)	126 (31.50)	30 (7.50)	15 (3.75)	139 (34.75)	330

पृष्ठांकित तालिका से ज्ञात होता है कि सूचनादाताओं के शैक्षिक आधार पर तथ्यों के विश्लेषण से उनके परिवार की पशुधन की स्थिति से स्नातक स्तर के

सूचनादाताओं के परिवारों में से 6.36 प्रतिशत के पास गाय, 3.73 प्रतिशत के पास बैल, 3.03 प्रतिशत के पास भैंस, 7.28 प्रतिशत के पास बकरी, 33.03 प्रतिशत के पास बकरी तथा मुर्गी दोनों, 5.16 प्रतिशत के पास गाय तथा बकरी दोनों तथा 1.81 प्रतिशत परिवारों के पास भैंस, गाय तथा बैंल हैं जबकि स्नातक स्तर के सूचनादाताओं के 40.60 प्रतिशत परिवारों के पास एक भी पशु नहीं है। अर्थात अधिकांश परिवार पशुहीन हैं।

इसी प्रकार परास्नातक स्तर के सूचनादाताओं के परिवारों में से 11.42 प्रतिशत के पास गाय, 7.15 प्रतिशत के पास बैल, 4.28 प्रतिशत के पास भैंस, 14.28 प्रतिशत के पास बकरी, 24.28 प्रतिशत के पास बकरी तथा मुर्गी दोनों, 18.58 प्रतिशत के पास गाय और बकरी तथा 12.86 प्रतिशत के पास भैंस गाय तथा बैल तीनों पशु हैं। 7.15 प्रतिशत परिवारों के पास एक भी पशु नहीं है।

तालिका सं0 5.26 सूचनादाताओं का शैक्षिक स्तर एवं सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि

शैक्षिक स्तर	उच्च	मध्यम	निम्न	योग
स्नातक	6 (1.82)	27 (8.18)	297 (90.00)	330
परास्नातक	9 (12.86)	43 (61.43)	18 (25.71)	70
योग	15 (3.75)	70 (17.50)	315 (78.75)	400

पृष्ठाँकित तालिका संख्या 5.26 से स्पष्ट है कि स्नातक स्तर पर 1.82 प्रतिशत सूचनादाता उच्च सामाजिक आर्थिक स्तर के, 8.18 प्रतिशत मध्यम सामाजिक आर्थिक स्तर के तथा 90 प्रतिशत सूचनादाता निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर के हैं। इसी प्रकार परास्नातक स्तर के सूचनादाताओं में 12.86 प्रतिशत सूचनादाता उच्च

सामाजिक आर्थिक स्तर के, 61.43 प्रतिशत मध्यम सामाजिक आर्थिक स्तर के तथा 25.71 प्रतिशत निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर के हैं।

अतः स्पष्ट है कि स्नातकोत्तर के विद्यार्थियों का सामाजिक–आर्थिक स्तर, स्नातक स्तर के विद्यार्थियों की तुलना में उच्च है।

तालिका सं0 5.27 सूचनादाताओं का सामाजिक-आर्थिक स्तर

सामाजिक-आर्थिक स्तर	आवृत्ति	प्रतिशत
उच्च	15	3.75
मध्यम	70	17.50
निम्न	315	78.75
योग	400	100.00

सूचनादाताओं के परिवार के आर्थिक, व्यावसायिक शैक्षणिक, सामुदायिक स्थिति का पृथक–पृथक विवेचन करने के पश्चात उनके सामाजिक आर्थिक स्तर के समग्र स्वरूप का अध्ययन आवश्यक है। इस कार्य के लिये प्रमुख सामाजिक परिवर्त जैसे–जाति की शिक्षा, पिता का व्यवसाय, पिता की मासिक आय, परिवार का भूमि स्वामित्व, पशु स्वामित्व, आवासीय दशा और सामुदायिक पृष्ठभूमि की विभिन्नताओं को पृथक–पृथक अंक प्रदान करके सामाजिक–आर्थिक स्थिति की एक समावेशित अनुक्रमणिका तैयार की गयी है। जिसे परिशिष्ट 'अ' में प्रदर्शित की गयी है। इस अध्ययन में 3.75 प्रतिशत सूचनादाता उच्च सामाजिक स्तर के, 17.5 प्रतिशत सूचनादाता मध्यम सामाजिक आर्थिक स्तर के तथा 78.75 प्रतिशत सूचनादाता निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर के हैं।

तालिका सं0 5.28 **सूचनादाताओं का शैक्षिक स्तर एवं उनकी आवासीय पृष्ठभूमि**

आवास	उच्च	मध्यम	निम्न	योग
ग्रामीण	03 (0.96)	24 (7.75)	283 (91.29)	310
नगरीय	12 (13.34)	46 (51.11)	32 (35.55)	90
योग	15 (3.75)	17 (17.50)	315 (78.75)	400

सूचनादाताओं के आवासीय परिवेश के आधार पर तथ्यों का विश्लेषण यह स्पष्ट करता है कि ग्रामीण परिवेश के 0.96 प्रतिशत सूचनादाता उच्च स्तर के हैं, 7.75 प्रतिशत मध्यम स्तर के तथा 91.29 प्रतिशत सूचनादाता निम्न स्तर के हैं। इसी प्रकार नगरीय पृष्ठभूमि के सूचनादातओं में से 13.34 प्रतिशत उच्च स्तर के, 51.11 प्रतिशत मध्यम स्तर के तथा 35.55 प्रतिशत सूचनादाता निम्न स्तर के हैं।

इस प्रकार स्पष्ट है कि नगरीय परिवेश के सूचनादाताओं का सामाजिक-आर्थिक स्तर ग्रामीण परिवेश के सूचनादाताओं से उच्च है।

अध्याय-षष्ठ

सूचना सम्प्रेषण के साधन एवं स्तर

सूचना सम्प्रेषण के साधन एवं स्तर

प्रत्येक समाज, राज्य अथवा राष्ट्र के अपने कुछ विश्वास, आदर्श और मूल्य होते हैं, कुछ लक्ष्य और लक्ष्य प्राप्ति की योजनाएं होती हैं। वह इन सभी को जन–जन तक पहुँचाने का प्रयत्न करता है। आधुनिक सामाजशास्त्री सम्प्रेषण के साधनों को तथा इसकी प्रक्रिया को मानव समाज का जाल मानते हैं। सभी प्रकार के सामाजिक जीवन का अध्ययन सम्प्रेषण संरचना को केन्द्र बिन्दु मानकर किया जा सकता है, क्योंकि व्यक्ति और व्यक्ति का प्रत्येक सम्बन्ध उसकी सूचनाओं के आदान–प्रदान की क्षमता पर निर्भर करता है। सूचना सम्प्रेषण की प्रक्रिया की प्रमुख भूमिका इस प्रकार प्रकट की जाती है । सम्प्रेषण साधनों एवं स्रोतों से जिस प्रकार की सूचनाएं प्रसारित होती है उनके माध्यम से समाज के मूल्यों एवं तत्सम्बन्धी व्यवस्था का निर्धारण होता है। सम्प्रेषण संरचना के आकार–प्रकार अर्थात् सूचना के वृहद् साधन और उसे प्राप्त करने वाले या श्रोता आर्थिक विकास को प्रकट करते हैं। सम्प्रेषण प्रक्रिया के अन्तर्गत जिससे यह पता चलता है कि सूचनाएं कहाँ प्रसारित हो रही हैं और उनका प्रयोग कौन तथा किस प्रकार कर रहा है?इससे समाज में सामंजस्य और सुदढ़ता का आभास मिलता है।

सम्प्रेषण साधनों का स्वामित्व अर्थात सम्प्रेषण प्रक्रिया के नियन्त्रण और सोद्देश्य उपयोग की प्रक्रियाएं किसी व्यवस्था के राजनीति दर्शन को प्रतिबिम्बित करती है (स्क्रैम : 1963 : 34)[1] व्यापक अर्थ में सम्प्रेषण प्रक्रिया का सम्बन्ध सम्पूर्ण मानवीय क्रिया कलापों से है जिसके माध्यम से वह निर्दिष्ट तथा अनिर्दिष्ट सूचनाओं का आदान–प्रदान करता है। सीमित अर्थो में देखा जाए तो इस प्रक्रिया का सम्बन्ध सूचनाओं के प्रसार में लगे वृहद साधनों जैसे समाचार–पत्र, टेलीविजन, फिल्म आदि से लिया जाता है। आज के सामाजिक परिवेश में इन साधनों का महत्व बहुत बढ़ गया

---

1. Schramm, W. Communications development and the developmental process in Lucian Pye's (Eds) Communication and Political Development, Princeton, Princton University Press, 1963, P. 34.

है। इन सभी साधनों का समाज पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ रहा है। इन साधनों का प्रभाव इतना विस्तृत हो रहा है कि मानव जीवन की समस्त क्रियाएं, उनका सोच–विचार, कार्य शैली, व्यवहार तथा सामाजिक–राष्ट्रीय विचार भी प्रभावित हो रहे हैं। एक ओर जहां मानव जीवन में सामाजिक–राजनैतिक जागरूकता का विकास हो रहा है, उनकी सहभागिता बढ़ रही है, आर्थिक स्थितियों की प्रक्रिया में प्रभावशाली परिर्वतन आ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर वैचारिक प्रक्रिया भी प्रभावित हो रही है। आज के विकासशील समाजों के कुछ अध्ययनों से पता चलता है कि परम्परागत समाज को यह साधन आधुनिक समाज की ओर ले जा रहे है। ये सम्प्रेषण के साधन मानवीय समाज को आकर्षित तो कर ही रहे हैं, उन्हें व्यक्तिगत प्रयत्न, परिश्रम और वर्तमान स्थितियों को बदलने के लिये राजनीतिक सक्रियता को महत्व देने लगे हैं।

वर्तमान अध्ययन में अनुसूचित जाति के युवकों में सामाजिक–राजनीतिक जागरूकता, सक्रियता तथा परिर्वतन के प्रति सूचना सम्प्रेषणों के साधनों का क्या प्रभाव है और वे कहाँ तक इनके प्रति उन्मुख है । सूचना सम्प्रेषण के औपचारिक अनौपचारिक अभिकरणों में सहभागिता के द्वारा उनके विचारों एवं तत्सम्बन्धी स्तरों को ज्ञात करने का प्रयास किया जा रहा है।

समाचार-पत्र का अध्ययन :

सूचना सम्प्रेषण के नवीन साधनों में समाचार–पत्रों का प्रमुख एवं महत्वपूर्ण स्थान है। समाचार–पत्र जहाँ एक ओर दिन प्रतिदिन की घटित होने वाली क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं की सूचना देते है, वहीं दूसरी ओर समाचार प्रदत्त करने की शैली, समाचार की प्रकृति, समाचार की समीक्षा विभिन्न विषयों के समसामायिक लेख इत्यादि के माध्यम से मानव के विचार और मनोवृत्तियों के निर्धारण में भी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।

आधुनिक युग में प्रबुद्ध जनमत के निर्माण, राजनैतिक प्रशिक्षण और

राजनीतिक सहभागिता की वृद्धि में समाचार–पत्रों की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण है। वास्तव में परम्परागत समाजों के आधुनिकीकरण का एक महत्वपूर्ण सूचकांक सामाजिक राजनैतिक विगोपन स्तर की उच्चता है। सामाजिक और राजनैतिक विगोपन स्तर के विस्तार में अन्य कोई कारक इतनी अधिक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाहन नहीं करता जितना कि समाचार–पत्र।

समाचार–पत्र के अध्ययन की प्रवृत्ति से सम्बन्धित प्राप्त सूचना निम्न लिखित तालिका में प्रदर्शित की गयी है।

तालिका संख्या–6.1 सामाजिक परिवर्त्य एवम् समाचार–पत्र अध्ययन की प्रवृत्ति

	प्रतिदिन	कभी–कभी	कभी नहीं	योग
शैक्षिक स्तर				
स्नातक	59 (17.87)	243 (73.63)	28 (8.49)	330
परास्नातक	50 (71.42)	17 (24.28)	03 (04.30)	70
लैंगिक स्तर				
छात्र	39 (13.92)	222 (79.28)	19 (6.80)	280
छात्राएं	70 (58.33)	38 (31.67)	12 (10.00)	120
आवासीय पृष्ठभूमि				
ग्रामीण	25 (8.06)	254 (81.94)	31 (10.00)	310
नगरीय	84 (93.33)	06 (06.67)	—	90
सामाजिक–आर्थिक स्तर				
उच्च	10 (66.66)	02 (13.34)	03 (20.00)	15
मध्यम	34 (48.57)	27 (38.58)	09 (12.85)	70
निम्न	65 (20.63)	31 (73.34)	19 (06.00)	315
योग	109 (27.25)	260 (65.00)	31 (07.75)	400

समाचार पत्रों के अध्ययन की प्रवृत्ति से सम्बन्धित सूचना देने वाले सूचनादाताओं का विश्लेषण करने पर तालिका संख्या 6.1 से स्पष्ट है कि समग्र सूचनादाताओं में से 27.25 प्रतिशत सूचनादाता प्रतिदिन समाचार–पत्र पढ़ते हैं, 65.00 प्रतिशत सूचनादाता समाचार–पत्र कभी–कभी ही पढ़ते हैं। परन्तु 7.75 प्रतिशत सूचनादाता समाचार–पत्रों को कभी नहीं पढ़ते हैं । अतः स्पष्ट है कि समाचार–पत्र का प्रतिदिन अध्ययन करने की प्रवृत्ति की तुलना में समाचार–पत्र को समाचार कभी–कभी अध्ययन करने की प्रवृत्ति सूचनादाताओं में अधिक है।

सूचनादाताओं के शैक्षिक स्तर को आधार बनाकर सूचनादाताओं के समाचार–पत्र के अध्ययन करने की प्रवृत्ति का विश्लेषण करने पर यह स्पष्ट होता है। कि स्नातक स्तर की 17.87 प्रतिशत सूचनादाता प्रतिदिन समाचार पत्र का अध्ययन करते हैं। 73.63 प्रतिशत सूचनादाता कभी–कभी ही अध्ययन करते हैं तथा 8.49 प्रतिशत समाचार–पत्रों का कभी अध्ययन नहीं करते हैं। परास्नातक स्तर के सूचना दाताओं में से 71.42 प्रतिशत सूचनादाता प्रतिदिन, 24.28 प्रतिशत कभी–कभी तथा 4.30 प्रतिशत कभी नहीं अध्ययन करते। अतः स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर के सूचनादाताओं की प्रवृत्ति के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि स्नातकोत्तर स्तर के सूचनादाता स्नातक स्तर की तुलना में समाचार–पत्रों का अध्ययन अधिक मात्रा में करते हैं।

लैंगिक स्तर पर सूचनादाताओं के समाचार–पत्रों के अध्ययन करने की प्रवृत्ति के विश्लेषण से स्पष्ट है कि 13.92 प्रतिशत छात्र प्रतिदिन समाचार पत्रों का अध्ययन करते हैं, 79.28 प्रतिशत छात्र कभी–कभी ही समाचार–पत्रों का अध्ययन करते है तथा 6.80 प्रतिशत छात्र समाचार–पत्रों को कभी नहीं पढ़ते हैं। छात्राओं में से 58.33 प्रतिशत समाचार–पत्रों को प्रतिदिन पढ़ती हैं, 31.67 प्रतिशत कभी–कभी समाचार–पत्रों का अध्ययन करती हैं, 10 प्रतिशत ऐसी छात्राएं हैं जो समाचार–पत्रों

का कभी अध्ययन नहीं करती हैं। अतः स्पष्ट है कि छात्रों की तुलना में छात्राएं समाचार–पत्रों का अध्ययन अधिक मात्रा में करती हैं।

आवासीय परिवेश के आधार पर छात्रों का समाचार अध्ययन करने की प्रवृत्ति से सह सम्बन्ध देखने पर यह स्पष्ट होता है कि ग्रामीण परिवेश के 8.06 प्रतिशत सूचर्नादाता प्रतिदिन समाचार–पत्रों का अध्ययन करते हैं, 81.94 प्रतिशत सूचनादाता समाचार–पत्रों का कभी–कभी ही अध्ययन करते हैं तथा 10 प्रतिशत ऐसे ग्रामीण सूचनादाता है जो समाचार–पत्रों का कभी अध्ययन नहीं करते । नगरीय पृष्ठभूमि के सूचनादाताओं में से 93.33 प्रतिशत सूचनादाता प्रतिदिन नियमित रूप से समाचार–पत्रों का अध्ययन करते हैं, 6.67 प्रतिशत कभी–कभी ही समाचार–पत्रों का अध्ययन करते हैं। नगरीय सूचनादाताओं में से ऐसे कोई भी सूचनादाता नहीं हैं जो समाचार पत्रों को न पढ़ते हों । अतः स्पष्ट है कि नगरीय पृष्ठभूमि के सूचनादाता समाचार–पत्रों का अध्ययन निश्चित रूप से करते हैं जबकि ग्रामीण पृष्ठभूमि के सूचनादाताओं द्वारा समाचार पत्र का अध्ययन न करने की प्रवृत्ति समाचार–पत्र की अनुपलब्धता के कारण अधिक है।

सामाजिक–आर्थिक स्तर पर सूचनादाताओं की इस प्रवृत्ति के सह सम्बन्ध के तथ्यों को विश्लेषित करने पर स्पष्ट होता है कि उच्च समाजिक–आर्थिक स्तर के 66.66 प्रतिशत सूचनादाता प्रतिदिन समाचार–पत्रों का अध्ययन करते हैं । 13.34 प्रतिशत समाचार–पत्रों का कभी–कभी अध्ययन करते है परन्तु 20 प्रतिशत ऐसे सूचनादाता है जो समाचार–पत्रों का अध्ययन कभी नहीं कर पाते, मध्यम सामाजिक आर्थिक स्तर के सूचनादाताओं में से 48.57 प्रतिशत सूचनादाता प्रतिदिन, 38.58 प्रतिशत सूचनादाता कभी–कभी समाचार पत्रों का अध्ययन करते हैं, 12.85 प्रतिशत सूचनादाता समाचार–पत्रों का अध्ययन कभी नहीं कर पाते । निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर के सूचनादाताओं में से 20.63 प्रतिशत प्रतिदिन, 73.34 प्रतिशत कभी–कभी

समाचार–पत्रों का अध्ययन करते हैं, 6.03 प्रतिशत ऐसे सूचनादाता हैं जो समाचार पत्रों को कभी नहीं पढ़ते हैं । अतः स्पष्ट है कि मध्यम और निम्न सामाजिक, आर्थिक स्तर के सूचनादाताओं की तुलना में उच्च सामाजिक, आर्थिक स्तर के सूचनादाता समाचार–पत्रों का अध्ययन नियमित और अधिक मात्रा में करते हैं।

समाचार पत्र प्राप्त करने का तरीका :

अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के परिवार की आर्थिक स्थिति निम्न होने के कारण वे समाचार–पत्रों को स्वयं खरीदकर पढ़ने में अनेको कठिनाईयों का सामना करते हैं यह स्थिति उनके लिये एक कठिन समस्या है । अतः वे शिक्षण संस्थाओं के वाचनालयों, मित्रों या पड़ौसियों से मांगकर अथवा चाय–पान की दुकानों से उपलब्ध कर समाचार–पत्रों का अध्ययन करते हैं यह प्रवृत्ति एक और उनके समाचार अध्ययन करने की विकासशील अभिरुचि का परिचायक है तो दूसरी ओर उनकी अन्तः क्रिया की विकसित परिधि को भी सूचित करती है।

वर्तमान अध्ययन के सूचनादाताओं से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर अग्रांकित तालिका संख्या 6.2 से स्पष्ट होता है कि 15.50 प्रतिशत सूचनादाता समाचार पत्रों को स्वयं खरीदकर अध्ययन करते हैं, 23.75 प्रतिशत सूचनादाता विभिन्न शिक्षण संस्थाओं के वाचनालयों में समाचार–पत्रों का अध्ययन करते है, 47.5 प्रतिशत सूचनादाता चाय–पान की दुकानों से समाचार–पत्रों को प्राप्त कर अध्ययन करते हैं, 6.25 प्रतिशत ऐसे सूचनादाता हैं जो अपने पड़ौसियों, मित्रों आदि से माँगकर समाचार पत्रों का अध्ययन करते हैं परन्तु 7.00 प्रतिशत ऐसे सूचनादाता है जो किसी भी तरह से समाचार–पत्रों को न तो प्राप्त करते है न ही उसका अध्ययन करते हैं। अतः स्पष्ट है कि टी स्टालों चाय–पान की दुकानों आदि में उपलब्ध समाचार–पत्रों का अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों की तुलनात्मक संख्या अधिक है।

तालिका संख्या – 6.2 सामाजिक परिवर्त्य एवं समाचार-पत्र प्राप्ति का तरीका

	स्वयं खरीदते हैं	शिक्षण संस्था के वाचनालय से	टी स्टॉल से	मित्रों या पडौसियो स	लागू नहीं	योग
शैक्षिक स्तर						
स्नातक	50 (15.15)	72 (21.82)	163 (49.39)	19 (05.76)	36 (7.88)	330
परास्नातक	12 (17.14)	23 (32.85)	27 (38.58)	06 (8.58)	02 (2.85)	70
लैंगिक स्तर						
छात्र	34 (12.14)	58 (20.72)	172 (61.43)	05 (1.78)	11 (3.93)	280
छात्राएं	28 (23.34)	37 (30.83)	18 (15.00)	20 (16.67)	17 (14.16)	120
आवासीय पृष्ठभूमि						
ग्रामीण	060 (1.94)	84 (27.10)	176 (56.78)	18 (5.80)	26 (8.38)	310
नगरीय	56 (62.22)	11 (12.22)	14 (15.56)	07 (7.78)	02 (2.22)	90
सामाजिक–आर्थिक स्तर						
उच्च	10 (66.66)	03 (20.00)	01 (6.67)	01 (6.67)	-	15
मध्यम	35 (50.00)	09 (12.86)	20 (28.58)	03 (4.28)	03 (4.28)	70
निम्न	17 (5.39)	83 (26.35)	169 (53.65)	21 (6.67)	25 (7.93)	315
योग	62 (15.50)	95 (23.75)	190 (47.50)	25 (6.25)	28 (7.00)	400

पृष्ठाँकित तालिका सं0 6.2 में शैक्षिक स्तर पर सूचनादाताओं के समाचार प्राप्त करने के तरीकों का विश्लेषण करने से स्पष्ट है कि स्नातक स्तर के 15.15 प्रतिशत सूचनादाता समाचारपत्रों को स्वयं खरीदकर अध्ययन करते हैं, 21.82 प्रतिशत सूचनादाता शिक्षण संस्थाओं के वाचनालयों से समाचार–पत्रों का अध्ययन करते हैं, 49.39 प्रतिशत सूचनादाता टी स्टॉलों आदि से समाचार–पत्रों को प्राप्त कर अध्ययन

करते है 5.76 प्रतिशत ऐसे सूचनादाता हैं जो अपने मित्रों व पड़ौसियों से मांगकर समाचार–पत्रों का अध्ययन करते हैं। 7.88 प्रतिशत सूचनादाता किसी तरीके से भी समाचार–पत्रों को प्राप्त नहीं करते। परास्नातक स्तर के 17.14 प्रतिशत सूचनादाता समाचार–पत्रों को स्वयं खरीदकर अध्ययन करते हैं। 32.85 प्रतिशत शिक्षण संस्थाओं के वाचनालयों में समाचार–पत्रों का अध्ययन करते हैं, 38.58 प्रतिशत टी–स्टॉलों से प्राप्त कर समाचार–पत्रों का अध्ययन करते हैं, 8.58 प्रतिशत सूचनादात अपने मित्रों या पड़ौसियों से मांगकर समाचार–पत्रों का अध्ययन करते हैं परन्तु 2.85 प्रतिशत सूचनादाता किसी भी तरीके से समाचार–पत्रों को अध्ययन हेतु प्राप्त नहीं करते। अतः स्पष्ट है कि परास्नातक की तुलना में स्नातक स्तर के सूचनादाता अधिकांशतः टी स्टॉलों से समाचार–पत्रों को प्राप्त कर अध्ययन करते हैं।

लैगिक स्तर पर समाचार प्राप्ति के तरीकों का सहसम्बन्ध विश्लेषित करने पर स्पष्ट होता है कि 12.14 प्रतिशत छात्र समाचार–पत्रों को स्वयं खरीदकर अध्ययन करते हैं, 20.72 प्रतिशत छात्र शिक्षण संस्थाओं के वाचनालयों से प्राप्त कर, 61.43 प्रतिशत छात्र चाय–पान की दुकानों से समाचार–पत्र प्राप्त करके अध्ययन करते हैं, 1.78 प्रतिशत छात्र मित्रों या पड़ौसियों से समाचार–पत्र प्राप्त कर अध्ययन करते हैं, 3.39 प्रतिशत समाचार–पत्रों को कहीं से भी नहीं प्राप्त करते। इसी प्रकार 23.34 प्रतिशत छात्राएं स्वयं खरीदकर समाचार–पत्रों का अध्ययन करते हैं, 30.83 प्रतिशत शिक्षण संस्थाओं के वाचनालय में से समाचार–पत्रों को प्राप्त कर अध्ययन करते है, 15 प्रतिशत छात्राएं टी–स्टॉलों से समाचार–पत्रों का अध्ययन कर लेती है और 16.67 प्रतिशत छात्राएं अपने पड़ौसियों से समाचार–पत्र को प्राप्त कर अध्ययन करती हैं। 14.16 प्रतिशत छात्राएं समाचार–पत्रों को किसी तरीके से नहीं प्राप्त कर पातीं । इन तथ्यों से स्पष्ट है कि छात्राओं की तुलना में छात्र समाचार–पत्रों का अध्ययन टी–स्टॉलों पर ही अधिकता से करते हैं।

आवासीय पृष्ठभूमि के आधार पर सूचनादाताओं के समाचार–पत्रों को प्राप्त करने के तरीकों का सहसम्बन्ध देखने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि ग्रामीण परिवेश के 1.94 प्रतिशत सूचनादाता समाचार–पत्रों को स्वयं खरीदकर 27.10 प्रतिशत शिक्षण संस्थाओं के वाचनालयों से, 56.78 प्रतिशत टी–स्टॉलों से तथा 5.80 प्रतिशत सूचनादाता मित्रों व पड़ौसियों से समाचार–पत्र प्राप्त करके अध्ययन करते हैं परन्तु 8.38 प्रतिशत सूचनादाता समाचार–पत्र प्राप्त नहीं कर पाते। इसी प्रकार नगरीय पृष्ठभूमि के सूचनादाताओं में से 62.22 प्रतिशत स्वयं खरीदकर 12.22 प्रतिशत शिक्षण संस्थाओं के वाचनालयों से 15.56 प्रतिशत चाय पान की दुकानों से तथा 7.78 प्रतिशत अपने मित्रों या पड़ौसियों से समाचार–पत्र प्राप्त करके अध्ययन करते है, परन्तु 2.2 प्रतिशत सूचनादाता कहीं से भी समाचार–पत्र प्राप्त नहीं कर पाते। अतः स्पष्ट है कि ग्रामीण पृष्ठभूमि के सूचनादाताओं द्वारा स्वयं खरीदकर समाचार–पत्रों का अध्ययन करने की अधिकता पायी जाती है।

सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के स्तर से समाचार–पत्र प्राप्त करने के तरीकों के सम्बन्ध देखने से स्पष्ट है कि उच्च सामाजिक आर्थिक स्तर के 66.66 प्रतिशत स्वयं खरीदकर, 20.00 प्रतिशत शिक्षण संस्थाओं के वाचनालयों से, 6.67 प्रतिशत टी–स्टॉलों से और इतने ही 6.67 प्रतिशत अपने मित्रों या पड़ौसियों से समाचार–पत्रों को प्राप्त कर अध्ययन करते हैं । मध्यम सामाजिक आर्थिक स्तर के सूचनादाताओं में से 50 प्रतिशत स्वयं खरीदकर, 12.86 प्रतिशत शिक्षण संस्थाओं के वाचनालयोंसे, 28.58 प्रतिशत टी स्टॉलों से और 4.28 प्रतिशत मित्रों या पड़ौसियों से प्राप्त कर समाचार–पत्रों का अध्ययन करते हैं। 4.28 प्रतिशत सूचनादाता समाचार–पत्र प्राप्त नहीं कर पाते। निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर के बहुत ही कम 5.39 प्रतिशत सूचनादाता स्वयं खरीदकर, 26.35 प्रतिशत शिक्षण संस्थाओं के वाचनालयों से, 53.66 प्रतिशत टी स्टालों से, 6.67 प्रतिशत मित्रों या पड़ौसियों से प्राप्त कर समाचार–पत्रों

का अध्ययन करते है। इस स्तर के 7.93 प्रतिशत सूचनादाता किसी भी तरीके से समाचार–पत्रों को प्राप्त नहीं कर पाते। इस प्रकार स्पष्ट है कि मध्यम और निम्न स्तर के सामाजिक आर्थिक स्तर वाले सूचनादाताओं की तुलना में उच्च सामाजिक आर्थिक स्तर के सूचनादाताओं में स्वयं खरीदकर समाचार–पत्र पढ़ने की अधिकता पायी गयी है।

समाचार में विशेष अभिरूचि –

अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के सामाजिक, राजनैतिक अभिरुचियों का अध्ययन करने की दृष्टि से यह पूछा गया कि वे समाचार–पत्रों में विशेषतः किस समाचार के अध्ययन करने में विशेष अभिरुचि रखते हैं । सूचनादाताओं द्वारा प्राप्त तथ्यों के आधार से यह स्पष्ट होता है कि 52.25 प्रतिशत सूचनादाता राजनैतिक समाचारों में विशेष अभरूचि रखते हैं, 9.25 प्रतिशत खेलकूद समाचारों, 12.25 प्रतिशत सिनेमा, फिल्म सम्बन्धी समाचारों में, 6.75 प्रतिशत हत्याओं, दुर्घटनाओं आदि के समाचारों तथा 11.50 प्रतिशत लेख–समीक्षा आदि समाचारों के अध्ययन के प्रति रुचि रखते हैं। 8.00 प्रतिशत ऐसे सूचनादाता हैं जो किसी प्रकार के किसी समाचारों के अध्ययन में विशेष अभिरूचि नहीं रखते हैं । अतः तुलनात्मक दृष्टि से यह पाया गया कि अनुसूचित जाति के विद्यार्थी राजनैतिक समाचारों के अध्ययन में विशेष रूचि रखते है।

अग्रांकित तालिका सं0 6.3 में शैक्षिक आधार पर सूचनादाताओं के समाचारों में विशेष अभिरूचि का तुलनात्मक सम्बन्ध देखने से यह स्पष्ट होता है कि स्नातक स्तर के 49.39 प्रतिशत सूचनादाता राजनैतिक, 878 प्रतिशत खेलकूद सम्बन्धी, 13.64 प्रतिशत सिनेमा, समाचारों 7.28 प्रतिशत हत्याओं दुर्घटनाओं सम्बन्धी समाचारों तथा 11.28 प्रतिशत सूचनादाता लेख–समीक्षा आदि समाचारों के अध्ययन में विशेष अभिरूचि रखते है परन्तु 9.09 प्रतिशत सूचनादाता किसी विशेष समाचार में

तालिका संख्या-6.3 सामाजिक परिवर्त्य एवं समाचार में विशेष अभिरूचि

	राजनैतिक	खेलकूद	सिनेमा	हत्या दुर्घटना	लेख-समीक्षा आदि	लागू नही	योग
शैक्षिक स्तर							
स्नातक	163 (49.39)	29 (8.78)	45 (13.64)	24 (7.28)	39 (11.82)	30 (9.09)	330
परास्नातक	46 (65.72)	08 (11.43)	04 (5.72)	03 (4.28)	07 (10.00)	02 (2.85)	70
लैंगिक स्तर							
छात्र	167 (59.65)	23 (8.22)	29 (10.35)	15 (5.35)	29 (10.35)	17 (6.08)	280
छात्राएं	42 (35.00)	14 (11.66)	20 (16.67)	12 (10.00)	17 (14.17)	15 (12.50)	120
आवासीय पृष्ठभूमि							
ग्रामीण	152 (49.03)	34 (10.97)	33 (10.64)	25 (8.06)	34 (10.97)	32 (10.33)	310
नगरीय	57 (63.33)	03 (3.33)	16 (7.78)	02 (2.23)	12 (13.33)	—	90
सामाजिक—आर्थिक स्तर							
उच्च	07 (46.66)	02 (13.34)	02 (13.34)	01 (6.66)	03 (20.00)	—	15
मध्यम	33 (47.15)	03 (4.28)	03 (4.28)	02 (2.86)	22 (31.43)	07 (10.00)	70
निम्न	169 (53.65)	32 (10.12)	44 (13.97)	24 (7.61)	21 (6.67)	25 (7.93)	315
योग	209 (52.25)	37 (9.25)	49 (12.25)	27 (6.75)	56 (11.50)	32 (8.00)	400

कोई विशेष अभिरूचि नहीं रखते। परास्नातक स्तर के सूचनादाताओं में 65.72 प्रतिशत राजनैतिक, 11.43 प्रतिशत खेलकूद सम्बन्धी, 5.72 प्रतिशत सिनेमा फिल्म सम्बन्धी 4.28 प्रतिशत हत्या, दुर्घटना सम्बन्धी समाचारों तथा 10 प्रतिशत सूचनादाता लेख–समीक्षा आदि समाचारों के अध्ययन में विशेष अभिरुचि रखते हैं। 2.85 प्रतिशत सूचनादाताओं को कोई विशेष समाचार अध्ययन करने में कोई विशेष अभिरुचि नहीं

है। इस विश्लेषण से स्पष्ट है कि परास्नातक स्तर के सूचनादाताओं की तुलना से स्नातक स्तर के कम सूचनादाता राजनैतिक समाचारों के अध्ययन में विशेष अभिरुचि रखते है परन्तु परिपक्व शैक्षिक स्तर के सूचनादाता होने के कारण इनकी राजनैतिक समाचारों के अध्ययन में विशेष अभिरूचि प्रदर्शित होती है।

लैंगिक आधार पर सूचनादाताओं की समाचार अध्ययन सम्बन्धी अभिरुचि का तुलनात्मक सम्बन्ध देखने से स्पष्ट होता है कि समस्त छात्रों में से 59.65 प्रतिशत राजनैतिक, 8.22 प्रतिशत खेलकूद सम्बन्धी, 10.35 प्रतिशत सिनेमा और फिल्म सम्बन्धी, 5.35 प्रतिशत हत्याओं, दुर्घटनाओं सम्बन्धी तथा 10.35 प्रतिशत विभिन्न लेख समीक्षा आदि समाचारों के अध्ययन के प्रति विशेष अभिरूचि रखते हैं। 6.08 प्रतिशत छात्र किसी विशेष समाचार पर कोई अभिरुचि नहीं रखते। छात्राओं में 35 प्रतिशत राजनैतिक, 11.66 प्रतिशत खेलकूद सम्बन्धी, 16.67 प्रतिशत सिनेमा फिल्म सम्बन्धी, 10.00 प्रतिशत हत्याओं दुर्घटनाओं सम्बन्धी तथा 14.17 प्रतिशत विभिन्न लेख समीक्षा आदि समाचारों के अध्ययन में विशेष अभिरुचि रखती हैं। 12.5 प्रतिशत ऐसी छात्राएं हैं जो किसी विशेष समाचार के प्रति कोई विशेष अभिरुचि नहीं रखती हैं। इस विश्लेषण से स्पष्ट हो जाता है कि छात्राओं की तुलना में छात्र अधिक संख्या में राजनैतिक समाचारों के अध्ययन में विशेष रुचि रखते हैं।

आवासीय पृष्ठभूमि के स्तर पर सूचनादाताओं के समाचारों के अध्ययन के प्रति अभिरुचि का विश्लेषण करने से स्पष्ट होता है कि ग्रामीण पृष्ठभूमि के 49.03 प्रतिशत विद्यार्थी राजनैतिक, 10.97 प्रतिशत खेलकूद सम्बन्धी, 10.64 प्रतिशत सिनेमा फिल्म सम्बन्धी, 8.06 प्रतिशत हत्या दुर्घटनाओं सम्बन्धित तथा 10.97 प्रतिशत विभिन्न लेख–समीक्षा आदि समाचारों आदि का अध्ययन करने में विशेष अभिरुचि रखते हैं। 10.33 प्रतिशत ग्रामीण सूचनादाताओं को किसी विशेष समाचार के अध्ययन में रुचि नहीं है । नगरीय पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों में से 63.33 प्रतिशत राजनैतिक, 3.33

प्रतिशत खेलकूद सम्बन्धी, 7.78 प्रतिशत सिनेमा फिल्म सम्बन्धी, 2.23 प्रतिशत हत्या दुर्घटनाओं सम्बन्धी तथा 13.33 प्रतिशत लेखों समीक्षाओं आदि समाचारों के अध्ययन में विशेष अभिरुचि रखते हैं। इस तुलनात्मक विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि ग्रामीण पृष्ठभूमि के सूचनादाताओं की तुलना में नगरीय पृष्ठभूमि वाले सूचनादाताओं की राजनैतिक समाचारों के अध्ययन में जागरुकता अधिक है।

सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के स्तर के सूचनादाताओं की समाचारों के प्रति अभिरुचि का अध्ययन करने से स्पष्ट हो जाता है कि उच्च सामाजिक आर्थिक स्तर के 46.66 प्रतिशत सूचनादाता राजनैतिक, 13.34 प्रतिशत खेलकूद सम्बन्धित और इतने ही 13.34 प्रतिशत सिनेमा फिल्म सम्बन्धी, 6.66 प्रतिशत हत्या दुर्घटनाओं सम्बन्धी तथा 20 प्रतिशत विभिन्न लेखों समीक्षाओं सम्बन्धी समाचारों के अध्ययन में विशेष अभिरुचि रखते हैं। मध्यम सामाजिक आर्थिक स्तर के सूचनादाताओं में से 47.15 प्रतिशत राजनैतिक, 4.28 प्रतिशत खेलकूद सम्बन्धी, 4.28 प्रतिशत फिल्म सिनेमा सम्बन्धी, 2.86 प्रतिशत हत्या दुर्घटना सम्बन्धी तथा 31.43 प्रतिशत विभिन्न लेखों समीक्षाओं सम्बन्धी समाचारों के अध्ययन में रुचि रखते हैं । 10 प्रतिशत सूचनादाता किसी विशेष समाचार अध्ययन में अभिरुचि नहीं रखते हैं। किसी प्रकार निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर के सूचनादाताओं में से 53.65 प्रतिशत राजनैतिक, 10.17 प्रतिशत खेलकूद सम्बन्धी, 13.97 प्रतिशत सिनेमा फिल्म सम्बन्धी, 7.61 प्रतिशत हत्याओं दुर्घटनाओं सम्बन्धी तथा 6.67 प्रतिशत विभिन्न लेख समीक्षा सम्बन्धी समाचारों के अध्ययन में विशेष अभिरुचि रखते हैं। 7.93 प्रतिशत सूचनादाता किसी विशेष समाचार अध्ययन के प्रति कोई विशेष अभिरूचि नहीं रखते। इस प्रकार विश्लेषण से स्पष्ट है कि उच्च और मध्यम स्तर की तुलना में निम्न स्तर के अनूसूचित जाति के लोगों में राजनैतिक जागरुकता अधिक पायी जाती है।

रेडियो सुनने की प्रवृत्ति -

समाचारों के प्रचार–प्रसार में समाचार–पत्रों की तुलना में रेडियो का प्रभाव क्षेत्र अधिक व्यापक और विस्तृत है। समाचार–पत्रों का सम्बन्ध मुख्यतः शिक्षित व्यक्तियों से होता है और ऐसे व्यक्तियों से होता है जहाँ समाचार पत्र उपलब्ध हो जाते हैं। इसके विपरीत रेडियो समाचार और उसके कार्यक्रम शिक्षित तथा अशिक्षित ग्रामीण तथा नगरीय व्यक्तियों, पुरुष और स्त्रियों सभी को समान रूप से प्रभावित करता है। रेडियो के द्वारा सूचनाओं और विचारों का प्रसार अत्यन्त तीव्रता से होता है और इस विशाल जनसंख्या को निश्चित सूचना और विचार एक साथ प्रदान करके केन्द्रीय विचार शैली के अनुरूप निर्मित किया जा सकता है। सूचनाओं के प्रसार के अतिरिक्त रेडियो की अन्य महत्वपूर्ण विशेषताएं मनोरंजन प्रदान करना तथा क्षेत्रीय संस्कृति को प्रोत्साहित करना है। आधुनिक भारतीय समाज में समाज के विभिन्न वर्गो और विभिन्न संस्कृतियों के मध्य एक सूत्रता प्रदान करने में आकाशवाणी के क्रियाकलापों और कार्यक्रमों की विशेष भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है।

इस अध्ययन के सूचनादाताओं को रेडियो सुनने की प्रवृत्ति का अध्ययन करते हुए प्राप्त आँकड़ों का प्रदर्शन अग्रांकित तालिका संख्या 6.4 में किया गया है जिसके अध्ययन से विदित है कि समस्त सूचनादाताओं में से 10.00 प्रतिशत सूचनादाता ही नियमित रूप से रेडियो समाचार और कार्यक्रमों को सुनते हैं। 61.00 प्रतिशत सूचनादाता कभी–कभी रेडियो सुनते हैं कि अनुसूचित जाति के सूचनादाताओं की आर्थिक स्थिति उनके इस प्रवृत्ति को ही प्रभावित करती है तथा कभी–कभी वे रेडियो सुनने का अवसर प्राप्त कर पाते हैं।

शैक्षिक स्तर पर सूचनादाताओं की इस प्रवृत्ति का अध्ययन करने पर स्पष्ट होता कि स्नातक स्तर के 8.18 प्रतिशत नियमित, 62.73 प्रतिशत कभी–कभी ही रेडियो सुनते हैं। 29.09 प्रतिशत सूचनादाता रेडियो कभी नहीं सुन पाते हैं। परास्नातक स्तर

के सूचनादाताओं में से 18.57 प्रतिशत नियमित रूप से, 52.86 प्रतिशत कभी–कभी रेडियो सुनते हैं, परन्तु 28.57 प्रतिशत रेडियो कभी नहीं सुनते हैं। इस तुलनात्मक अध्ययन से स्पष्ट है कि स्नातक स्तर के विद्यार्थियों की तुलना में परास्नातक स्तर के विद्यार्थी नियमित रूप से अधिक संख्या में रेडियो सुनने की प्रवृत्ति रखते हैं।

तालिका संख्या–6.4 सामाजिक परिवर्त्य एवम् रेडियो सुनने की प्रवृत्ति

	नियमित	कभी–कभी	कभी नहीं	योग
शैक्षिक स्तर				
स्नातक	27 (8.18)	207 (62.73)	96 (29.09)	330
परास्नातक	13 (18.57)	37 (52.86)	20 (28.57)	70
लैंगिक स्तर				
छात्र	29 (10.36)	157 (56.07)	94 (33.57)	280
छात्राएं	11 (9.16)	87 (72.50)	22 (18.34)	120
आवासीय पृष्ठभूमि				
ग्रामीण	30 (9.67)	202 (65.16)	78 (25.17)	310
नगरीय	10 (11.11)	42 (46.66)	38 (42.23)	90
सामाजिक–आर्थिक स्तर				
उच्च	06 (40.00)	08 (53.33)	01 (6.67)	15
मध्यम	13 (18.57)	48 (68.57)	09 (12.86)	70
निम्न	21 (6.66)	188 (59.68)	106 (33.66)	315
योग	40 (10.00)	244 (61.00)	116 (29.00)	400

लैंगिक स्तर के तथ्यों के आधार पर प्राप्त आँकड़ों से स्पष्ट है कि सूचनादाताओं में से 10.36 प्रतिशत छात्र नियमित, 56.07 प्रतिशत कभी–कभी रेडियो सुनते हैं, 33.57 प्रतिशत रेडियो कभी नहीं सुनते हैं। समस्त सूचनादाता छात्राओं में

से 9.16 प्रतिशत नियमित, 72.5 प्रतिशत कभी–कभी रेडियो सुनती हैं और 18.34 प्रतिशत छात्राएं रेडियो कभी नहीं सुनती हैं। यह तुलनात्मक तथ्य स्पष्ट करते हैं कि छात्राओं की तुलना में छात्रों में अधिक और नियमित रेडियो सुनने की प्रवृत्ति की अधिकता है।

आवासीय पृष्ठभूमि के आधार पर इन सूंचनादाताओं के रेडियो सुनने की प्रवृत्ति का अध्ययन करने से स्पष्ट हो जाता है कि ग्रामीण परिवेश के विद्यार्थियों में से 9.67 प्रतिशत नियमित, 65.16 प्रतिशत कभी–कभी ही रेडियो सुनते हैं। 25.17 प्रतिशत ग्रामीण विद्यार्थी रेडियो कभी नहीं सुनते हैं। नगरीय परिवेश में निवास करने वाले समस्त विद्यार्थियों में से 11.11 प्रतिशत नियमित रूप से तथा 46.66 प्रतिशत कभी–कभी ही रेडियो सुनते हैं। 42.23 प्रतिशत ऐसे विद्यार्थी है जो रेडियो कभी नहीं सुनते हैं। इसका मुख्य कारण है अन्य प्रसार माध्यम तथा समाचार–पत्रों का नगरीय स्तर पर सुलभ होना। इन समस्त आँकड़ों के विश्लेषण से स्पष्ट होता कि ग्रामीण परिवेश के सूचनादाताओं की तुलना में नगरीय पृष्ठभूमि के विद्यार्थी नियमित और अधिक संख्या में रेडियो सुनते हैं।

सामाजिक–आर्थिक पृष्ठभूमि के स्तर पर रेडियो सुनने की प्रवृत्ति का विश्लेषण करने से स्पष्ट हो जाता है कि उच्च सामाजिक–आर्थिक स्तर के सूचनादाताओं में से 40 प्रतिशत नियमित तथा 53.33 प्रतिशत कभी–कभी रेडियो सुनते हैं। 6.67 प्रतिशत रेडियो कभी नहीं सुनते हैं। मध्यम सामाजिक आर्थिक स्तर के सूचनादाताओं में से 18.57 प्रतिशत सूचनादाता नियमित , 68.57 प्रतिशत कभी–कभी रेडियो सुनते हैं। 12.86 प्रतिशत सूचनादाता रेडियो कभी नहीं सुनते हैं। निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर के सूचनादाताओं में से 6.66 प्रतिशत ही नियमित, 59.68 प्रतिशत कभी–2 ही रेडियो सुनते है, 33.66 प्रतिशत सूचनादाता रेडियो कभी नहीं सुनते हैं। अतः स्पष्ट है कि मध्यम और निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर की तुलना में उच्च सामाजिक आर्थिक

स्तर के सूचनादाताओं में रेडियो सुनने की प्रवृत्ति की अधिकता पायी जाती है।

रेडियो कार्यक्रमों में अभिरूचि :

अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों में रेडियो सुनने की प्रवृत्ति का गहनता से अध्ययन करते हुये पूछा गया कि उनकी रेडियो कार्यक्रमों के किन कार्यक्रमों के सुनने में विशेष रुचि हैं। प्राप्त तथ्यों के आधार पर अधोलिखित तालिका में ऑकडों का प्रदर्शन किया गया है।

तालिका संख्या-6.5 सामाजिक परिवर्त्य एवं रेडियो कार्यक्रम में रूचि

	समाचार	फिल्म संगीत	लोकगीत	नाटक रूपक	कृषि कार्यक्रम	लागू नही	योग
शैक्षिक स्तर							
स्नातक	40 (12.12)	80 (24.24)	70 (21.21)	18 (5.45)	12 (3.63)	110 (33.35)	330
परास्नातक	30 (42.86)	15 (21.43)	10 (14.28)	02 (2.86)	03 (4.28)	10 (14.29)	70
लैंगिक स्तर							
छात्र	53 (18.93)	50 (17.86)	46 (16.43)	16 (5.71)	13 (4.64)	102 (36.43)	280
छात्राएं	17 (14.16)	95 (37.05)	34 (28.33)	04 (3.34)	02 (1.67)	18 (15.00)	120
आवासीय पृष्ठभूमि							
ग्रामीण	52 (16.78)	73 (23.55)	72 (23.22)	08 (2.58)	13 (4.19)	92 (29.68)	310
नगरीय	18 (20.00)	22 (24.44)	08 (8.88)	12 (13.33)	02 (2.23)	28 (31.12)	90
सामाजिक-आर्थिक स्तर							
उच्च	07 (46.66)	04 (26.66)	02 (13.34)	01 (6.67)	01 (6.67)	–	15
मध्यम	27 (38.57)	14 (20.00)	13 (18.57)	04 (5.72)	03 (4.28)	09 (12.86)	70
निम्न	36 (11.43)	77 (24.44)	65 (20.63)	15 (4.76)	11 (3.49)	111 (35.25)	315
योग	70 (17.50)	95 (23.75)	80 (20.00)	20 (5.00)	15 (3.75)	120 (30.00)	400

सूचनादाताओं में से प्राप्त उत्तरों के आधार पर यह विदित होता है कि रेडियो कार्यक्रमों में 17.5 प्रतिशत सूचनादाताओं की रुचि समाचार सुनने में हैं, 23.75 प्रतिशत फिल्म संगीत, 20.00 प्रतिशत लोकगीत, 5.00 प्रतिशत नाटक, रूपक तथा, 3.75 प्रतिशत कृषि कार्यक्रमों के सुनने में रुचि रखते हैं, 30.00 प्रतिशत सूचनादाता किसी विशेष रेडियो प्रसारण के कार्यक्रमों के सुनने में कोई विशेष रुचि नहीं रखते। इस प्रकार स्पष्ट है कि अधिकतर विद्यार्थी रेडियो का उपयोग मनोरंजन के साधन के रूप में करते हैं। शैक्षिक स्तर पर रेडियो कार्यक्रमों के प्रति रुचि का विश्लेषण करने से ज्ञात हुआ कि स्नातक स्तर के विद्यार्थियों में से 12.12 प्रतिशत समाचार, 24.24 प्रतिशत फिल्म संगीत, 21.21 प्रतिशत लोकगीत, 5.45 प्रतिशत नाटक, रूपक आदि तथा 3.63 प्रतिशत विद्यार्थी कृषि कार्यक्रमों को सुनना पसन्द करते हैं, 33.35 प्रतिशत स्नातक स्तर के विद्यार्थी किसी विशेष रेडियो कार्यक्रमों में कोई विशेष रुचि नहीं रखते हैं। परास्नातक स्तर के विद्यार्थियों में से 42.86 प्रतिशत समाचार, 21.43 प्रतिशत फिल्म संगीत, 14.28 प्रतिशत लोकगीत, 2.86 प्रतिशत नाटक, रूपक तथा 4.28 प्रतिशत कृषि कार्यक्रमों को सुनने में रुचि रखते हैं। 14.29 प्रतिशत परास्नातक स्तर के विद्यार्थी किसी विशेष कार्यक्रम को सुनने में कोई विशेष रुचि नहीं रखते। इस प्रकार स्पष्ट है कि स्नातक स्तर के विद्यार्थियों की तुलना में परास्नातक स्तर के विद्यार्थियों में समाचार सुनने की अधिक प्रवृत्ति पायी जाती है।

लैंगिक स्तर पर तथ्यों का विश्लेषण करने से स्पष्ट है कि समस्त सूचनादाता छात्रों में से 18.98 प्रतिशत समाचार, 17.86 प्रतिशत फिल्म संगीत, 16.43 प्रतिशत लोकगीत, 5.71 प्रतिशत नाटक–रूपक, 4.64 प्रतिशत कृषि कार्यक्रमों को सुनने में रुचि रखते हैं। 36.43 प्रतिशत छात्र कोई विशेष कार्यक्रम सुनने की रुचि नहीं रखते। समस्त छात्राओं में से 14.16 प्रतिशत समाचार, 37.5 प्रतिशत फिल्म संगीत, 28.33 प्रतिशत लोकगीत, 3.34 प्रतिशत नाटक–रूपक, 1.67 प्रतिशत कृषि कार्यक्रम,

सुनने में रुचि रखती हैं। 15 प्रतिशत छात्राएं कोई विशेष कार्यक्रमों को सुनने में कोई रुचि नहीं रखती है। इस प्रकार यह तथ्य उजागर होता है कि छात्राओं की तुलना में छात्र वर्ग में समाचार सुनने में रुचि अधिक है।

आवासीय परिवेश के आधार पर सूचनादाताओं की रुचियों का अध्ययन करने से स्पष्ट होता है कि ग्रामीण आवासीय पृष्ठभूमि के सूचनादाताओं में से 16.78 प्रतिशत समाचार, 23.55 प्रतिशत फिल्म संगीत, 23.22 प्रतिशत लोकगीत, 2.58 प्रतिशत नाटक रूपक तथा 4.19 प्रतिशत कृषि कार्यक्रमों को सुनने में रूचि रखते हैं। 29.68 प्रतिशत ग्रामीण सूचनादाताओं में से किसी विशेष कार्यक्रम को सुनने की रुचि नहीं हैं। आवासीय आधार पर नगरीय आवासीय पृष्ठभूमि के समस्त सूचनादाताओं में से 20.00 प्रतिशत समाचार, 24.44 प्रतिशत फिल्म संगीत, 8.88 प्रतिशत लोकगीत, 13.33 प्रतिशत नाटक–रूपक तथा 2.23 प्रतिशत कृषि कार्यक्रमों को सुनने में रुचि लेते हैं। 31.12 प्रतिशत किसी विशेष कार्यक्रम को सुनने की रुचि नहीं रखते हैं अतः स्पष्ट है कि नगरीय स्तर की तुलना में ग्रामीण स्तर के लोग समाचार सुनने में अधिक रुचि रखते हैं।

सूचनादाताओं के सामाजिक स्तर पर अनेक रेडियो कार्यक्रम में रुचि विश्लेषण करने से स्पष्ट होता हैं कि उच्च सामाजिक आर्थिक स्तर के सभी सूचनादाता कार्यक्रमो को सुनने में रुचि रखते हैं जिनमें से 46.66 प्रतिशत समाचार, 26.66 प्रतिशत फिल्म संगीत, 13.34 प्रतिशत लोकगीत, 6.67 प्रतिशत नाटक–रूपक तथा इतने ही 6.67 प्रतिशत कृषि कार्यक्रमों को सुनने के लिये रुचि रखते हैं। मध्यम सामाजिक आर्थिक स्तर के सूचनादाताओं में से 38.57 प्रतिशत समाचार, 20 प्रतिशत फिल्म संगीत, 18.57 प्रतिशत लोकगीत, 5.72 प्रतिशत नाटक–रूपक, 4.28 प्रतिशत किसी विशेष कार्यक्रमों को सुनने में रुचि लेते हैं। 12.86 प्रतिशत सूचनादाता किसी विशेष कार्यक्रम में कोई विशेष रूचि नहीं रखते है निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर के

सूचनादाताओं में से 16.43 प्रतिशत समाचार, 24.44 प्रतिशत फिल्म संगीत, 20.63 प्रतिशत लोकगीत, 4.76 प्रतिशत नाटक–रूपक, 3.49 प्रतिशत कृषि कार्यक्रमों को सुनने में रुचि रखते हैं। परन्तु 35.25 प्रतिशत ऐसे सूचनादाता जिनको किसी विशेष कार्यक्रमों को सुनने में कोई विशेष रुचि नहीं है। अतः स्पष्ट है कि निम्न और मध्यम सामाजिक आर्थिक स्तर के लोगों की तुलना में उच्च सामाजिक आर्थिक स्तर के लोग समाचार सुनने में अधिक रुचि रखते हैं।

सिनेमा देखने की प्रवृत्ति –

फिल्मों को समाज का दर्पण कहा जाता है । जैसा समाज में होता है, फिल्मों की पटकथा कथानकों और उनके संवादों में उसकी स्पष्ट झलक दिखायी देती हैं, परन्तु आधुनिक मान्यताओं के अनुसार सिनेमा को केवल दर्पण तक ही सीमित करना समीचीन नहीं है। फिल्मे अब ऐसा सशक्त माध्यम है जो समाज के एक बड़े हिस्से को अपनी विषय वस्तु गीत संगीत तथा संवादों से प्रभावित करने से सक्षम हैं। फिल्मों के माध्यम से एक ओर जहाँ पराम्पराओं और संस्कृति को पोषित किया जा रहा हैं। वहीं इनके द्वारा समाज में हिंसा, आतंक, नग्नता और नैतिक मूल्यों के ह्रास का बीजा रोपड़ भी हो रहा है। अतः विद्यार्थियों में सिनेमा देखने की प्रवृत्ति से उनकी अभिरुचि का आंकलन किया जा सकता है।

सूचनादाताओं से सिनेमा देखने सम्बन्धी प्रवृत्ति के परिप्रेक्ष्य में पूछे गये प्रश्नों के प्राप्त उत्तरों के आंकडों का प्रदर्शन अग्रांकित तालिका संख्या 6.6 में विभिन्न स्तरों पर दर्शाया गया हैं।

सूचनादाताओं से प्राप्त उत्तरों के आधार पर समस्त सूचनादाताओं में से 23.00 प्रतिशत सूचनादाता नियमित रूप से सिनेमा देखने की प्रवृत्ति रखते हैं। 60.75 प्रतिशत सूचनादाता कभी–कभी ही सिनेमा देखने की प्रवृत्ति रखते हैं। 16.25 प्रतिशत सूचनादाता की सिनेमा देखने में कोई रुचि नहीं इस विश्लेषण से स्पष्ट है कि

अनुसूचित जाति के लोगों में कभी–कभी सिनेमा देखने की प्रवृत्ति पायी जाती है। क्योंकि सूचनादाताओं में से अधिकांश ने कभी–कभी ही सिनेमा देखने की सूचना दी हैं।

तालिका संख्या–6.6 सामाजिक परिवर्त्य एवम् सिनेमा देखने की प्रवृत्ति

	नियमित	कभी–कभी	कभी नहीं	योग
शैक्षिक स्तर				
स्नातक	81 (24.54)	194 (58.79)	55 (16.67)	330
परास्नातक	11 (15.72)	49 (70.00)	10 (14.28)	70
लैंगिक स्तर				
छात्र	79 (28.22)	176 (62.86)	25 (8.92)	280
छात्राएं	13 (10.83)	67 (55.83)	40 (33.34)	120
आवासीय पृष्ठभूमि				
ग्रामीण	65 (20.97)	183 (59.03)	62 (20.00)	310
नगरीय	27 (30.00)	60 (66.67)	03 (3.33)	90
सामाजिक–आर्थिक स्तर				
उच्च	05 (33.33)	10 (66.67)	–	15
मध्यम	20 (28.57)	50 (71.43)	–	70
निम्न	67 (21.27)	183 (58.09)	65 (20.64)	315
योग	92 (23.00)	243 (60.75)	65 (16.25)	400

शैक्षिक स्तर पर सिनेमा देखने की प्रवृत्ति का विश्लेषण करने से स्पष्ट होता है कि स्नातक स्तर के सूचनादाताओं में से 24.54 प्रतिशत नियमित रूप से, 58.79 प्रतिशत कभी–कभी सिनेमा देखते हैं। 16.67 प्रतिशत सूचनादाता सिनेमा कभी नहीं देखते हैं। इसी प्रकार परास्नातक स्तर के सूचनादाताओं में से 15.72 प्रतिशत

नियमित तथा 70.00 प्रतिशत कभी–कभी सिनेमा देखने की प्रवृत्ति रखते हैं। 14.28 प्रतिशत सूचनादाता सिनेमा कभी नहीं देखते हैं। अतः स्पष्ट है कि परास्नातक स्तर की तुलना में स्नातक स्तर के विद्यार्थियों में नियमित सिनेमा देखने की प्रवृत्ति अधिक पायी गयी है।

लैंगिक स्तर पर सूचनादाताओं की सिनेमा देखने की प्रवृत्ति का विश्लेषण करने से स्पष्ट होता है कि समस्त छात्रों में से 28.22 प्रतिशत नियमित रूप से तथा 62.86 प्रतिशत कभी–कभी सिनेमा देखने में रुचि रखते हैं। 8.92 प्रतिशत छात्रों को सिनेमा देखने में कोई रूचि नहीं हैं। सूचनादाताओ में से 10.83 प्रतिशत छात्राओं को नियमित तथा 55.83 प्रतिशत छात्राओं को कभी–कभी ही सिनेमा देखने में रुचि है। 33.34 प्रतिशत छात्राएं सिनेमा कभी देखना पसन्द नहीं करती हैं। अतः लैंगिक आधार पर तुलनात्मक विश्लेषण से स्पष्ट है कि छात्राओं की तुलना में छात्र अधिक नियमित रूप से सिनेमा देखने की प्रवृत्ति रखते हैं।

आवासीय परिप्रेक्ष्य में विश्लेषण करने पर ज्ञात होता है कि ग्रामीण आवासीय पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों में 20.97 प्रतिशत नियमित रूप से, 59.03 प्रतिशत कभी–कभी सिनेमा देखने की प्रवृत्ति रखते हैं। 20.00 प्रतिशत ग्रामीण विद्यार्थी सिनेमा कभी नहीं देखने की प्रवृत्ति रखते हैं। नगरीय पृष्ठभूमि के समस्त विद्यार्थियों में से 30.00 प्रतिशत नियमित 66.67 प्रतिशत कभी–कभी सिनेमा देखने की प्रवृत्ति रखते हैं। 3.33 प्रतिशत नगरीय विद्यार्थी सिनेमा कभी नहीं देखने की प्रवृत्ति रखते हैं। आवासीय आधार पर तुलनातमक विश्लेषण से स्पष्ट है कि ग्रामीण आवासीय पृष्ठभूमि के लोगों की तुलना में नगरीय आवासीय पृष्ठभूमि के लोगों में सिनेमा देखने की प्रवृत्ति अधिक पायी जाती हैं।

सामाजिक आर्थिक स्तर के आधार पर सूचनादाताओं से प्राप्त सूचना का विश्लेषण करने से स्पष्ट है कि उच्च सामाजिक आर्थिक स्तर के सूचनादाताओं में से

33.33 प्रतिशत नियमित रूप से सिनेमा देखने की प्रवृत्ति रखते हैं। 66.67 प्रतिशत कभी–कभी सिनेमा देखने की प्रवृत्ति रखते हैं। मध्यम सामाजिक आर्थिक स्तर के सूचनादाताओं में से 28.57 प्रतिशत नियमित, 71.43 प्रतिशत कभी–कभी सिनेमा देखने की प्रवृत्ति रखते हैं। इसी प्रकार निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर के समस्त सूचनादाताओं में से 21.27 प्रतिशत नियमित, 98.09 प्रतिशत कभी–कभी ही सिनेमा देखने की प्रवृत्ति रखते हैं। 20.64 प्रतिशत सूचनादाता सिनेमा कभी नहीं देखने की प्रवृत्ति नहीं रखते हैं। अतः स्पष्ट है कि उच्च मध्यम और निम्न सामाजिक स्तर के सूचनादाताओं में क्रमशः घटते हुये क्रम में सिनेमा देखने की प्रवृत्ति पायी जाती है।

टी0वी0 देखने की प्रवृत्ति –

रेडियो और सिनेमा के बाद टी0वी0 कार्यक्रमों में प्रसारण की दुनिया में क्रान्तिकारी परिवर्तन ला दिये हैं। श्रव्य दृश्य का टी0वी0 एक लोकप्रिय और सुलभ माध्यम है। शैक्षिक, मनोरंजक और सामाजिक परिर्वतन के क्षेत्र में टी0वी0 कार्यक्रम अपना विशेष महत्व सिद्ध कर रहे हैं। फिर भी अभी भी सभी के लिये सहजता से टी0वी0 की उपलब्धिता नहीं हैं। सामाजिक शैक्षिक परिवेश के बदलते परिदृश्य में टी0वी0 देखने के प्रति रुझान से लोगों की अभिवृत्तियों को जानने में सहायता मिल सकती हैं। अनुसूचित जाति के महाविद्यालयीय छात्रों से टी0वी0 देखने सम्बन्धी प्रश्न के उत्तर में प्राप्त सूचनाओं के आधार पर अग्रांकित तालिका संख्या 6.7 में तथ्य स्पष्ट हुए हैं।

विश्लेषण से स्पष्ट है कि सूचनादाताओं में से 18.00 प्रतिशत सूचनादाताओं में नियमित टी0वी0 देखने की प्रवृत्ति पायी गयी हैं। 39.00 प्रतिशत सूचनादाता कभी–कभी ही टी0वी0 देखते हैं। 43.00 प्रतिशत सूचनादाता टी0वी0 कभी नहीं देखते हैं। यह तथ्य उजागर करते हैं कि आज भी अनुसूचित जाति के अधिकाँश लोगों के पास टी0वी0 उपकरण या टी0वी0 देखने की सुविधा उपलब्ध नहीं है परन्तु उनमें टी0वी0 देखने की प्रवृत्ति अवश्य अधिक है ।

तालिका संख्या-6.7 सामाजिक परिवर्त्य एवम् टी0वी0देखने की प्रवृत्ति

	नियमित	कभी-कभी	कभी नहीं	योग
शैक्षिक स्तर				
स्नातक	50 (15.15)	109 (33.03)	171 (51.82)	330
परास्नातक	22 (31.43)	47 (67.14)	01 (1.43)	70
लैंगिक स्तर				
छात्र	52 (18.57)	110 (39.28)	118 (42.15)	280
छात्राएं	20 (16.67)	46 (38.33)	54 (45.00)	120
आवासीय पृष्ठभूमि				
ग्रामीण	48 (15.48)	96 (30.97)	166 (53.55)	310
नगरीय	24 (26.67)	60 (66.67)	06 (6.66)	90
सामाजिक—आर्थिक स्तर				
उच्च	12 (80.00)	03 (20.00)	—	15
मध्यम	21 (30.00)	42 (60.00)	07 (10.00)	70
निम्न	39 (12.38)	111 (35.24)	165 (52.38)	315
योग	72 (18.00)	156 (39.00)	172 (43.00)	400

शैक्षिक स्तर पर तथ्यों का विश्लेषण करने से ज्ञात होता है कि स्नातक स्तर के सूचनादाताओं में से 15.15 प्रतिशत नियमित तथा 33.03 प्रतिशत कभी—कभी ही टी0वी0 देखते हैं। 51.82 प्रतिशत सूचनादाता टी0वी0 कभी नहीं देखते हैं। परास्नातक स्तर के सूचनादाताओं में से 31.43 प्रतिशत नियमित रूप से 67.14 प्रतिशत कभी—कभी ही टी0वी0 देखते हैं। 1.43 प्रतिशत टी0वी0 कभी नहीं देखते है अतः स्पष्ट है कि स्नातक स्तर के सूचनादाताओं की तुलना में परास्नातक स्तर के सूचनादाताओं में कभी—कभी टी0वी0 देखने की प्रवृत्ति अधिक पायी गयी है।

लैंगिक स्तर पर इस प्रवृत्ति को विश्लेषित करने से ज्ञात हुआ कि समस्त उत्तरदाता छात्रों में से 18.57 प्रतिशत नियमित, 39.28 प्रतिशत कभी–कभी तथा 42.15 प्रतिशत कभी टी0वी0 नहीं देखते हैं। छात्राओं में 16.67 प्रतिशत नियमित तथा 38.33 प्रतिशत छात्राएं कभी–कभी ही टी0वी0 देखती हैं। 45.00 प्रतिशत छात्राएं टी0वी0 कभी नहीं देखती हैं। अतः स्पष्ट है कि छात्रों की तुलना में छात्राएं बहुत कम ही कभी–कभी टी0वी0 देखती हैं। परन्तु छात्रों में कभी–कभी टी0वी0 देखने की प्रवृत्ति अधिक पायी गयी हैं।

आवासीय पृष्ठभूमि के आधार पर टी0वी0 देखने की प्रवृत्ति का तुलनात्मक विश्लेषण करने से ज्ञात होता है कि ग्रामीण आवासीय पृष्ठभूमि के सूचनादाताओं में से 15.48 प्रतिशत नियमित 30.97 प्रतिशत कभी–कभी टी0वी0 देखते हैं। 53.08 प्रतिशत कभी भी टी0वी0 नहीं देखते हैं। नगरीय पृष्ठभूमि के सूचनादाताओं में से 16.67 प्रतिशत नियमित तथा 66.67 प्रतिशत कभी–कभी ही टी0वी0 देखने की प्रवृत्ति रखते है। 6.66 प्रतिशत सूचनादाता टी0वी0 कभी नहीं देखते हैं। इस अध्ययन से स्पष्ट है कि ग्रामीण सूचनादाताओं की तुलना में नगरीय सूचनादाताओं द्वारा कभी–कभी टी0वी0 देखने की प्रवृत्ति अधिक पायी जाती है।

सामाजिक आर्थिक स्तर पर इस तथ्य का विश्लेषण करने से ज्ञात होता है कि उच्च सामाजिक आर्थिक स्तर के समस्त सूचनादाता टी0वी0 देखने की प्रवृत्ति रखते हैं। जिनमें से 80.00 प्रतिशत नियमित और 20.00 प्रतिशत कभी–कभी टी0वी0 देखते हैं। मध्यम सामाजिक आर्थिक स्तर के सूचनादाताओं में से 30.00 प्रतिशत नियमित तथा 60.00 प्रतिशत कभी–कभी टी0वी0 देखते हैं। 10.00 प्रतिशत सूचनादाता टी0वी0 नहीं देखते हैं। निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर के अधिकाँश 52.38 प्रतिशत सूचनादाता कभी टी0वी0 नहीं देखते हैं। 12.38 प्रतिशत नियमित तथा 35.24 प्रतिशत कभी–कभी टी0वी0 देखने की प्रवृत्ति रखते हैं। सामाजिक आर्थिक स्तर पर तुलना करने से स्पष्ट है कि मध्यम और निम्न स्तर की तुलना में उच्च स्तर के सूचनादाताओं में नियमित टी0वी0 देखने की प्रवृत्ति अधिकता में होती है।

अध्याय-सप्तम्

शैक्षिक जीवन एवं उपलब्धियाँ

शैक्षिक जीवन और उपलब्धियाँ

शिक्षा का उद्देश्य समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करना है । शिक्षा एक ऐसी सामाजिक प्रक्रिया मानी जाती है जो समाज तथा राष्ट्र की समस्याओं के समाधान में महत्वपूर्ण योगदान देती रही है । सामाजिक जटिलता के साथ शिक्षा के कार्यो का क्षेत्र अधिक व्यापक होता जा रहा है । शिक्षा का कार्य केवल ज्ञान प्रदान करना ही नहीं अपितु समाज जिन उत्तरदायित्वों को छोड़ता जा रहा है उन सभी दायित्वों को वहन करना शिक्षा का दायित्व बनता है "शिक्षा व्यक्ति के साँस्कृतिक अनुभव का वह अंग है जो सीखने की प्रक्रिया के द्वारा व्यक्ति को समाज में एक प्रौढ़ व्यक्ति के रूप में भाग लेने के योग्य बनाती है" (हरस्कोविट्स : 1952 : 310)[1] परम्परागत समाजों में शिक्षा संस्कृति की समान विशेषताओं और व्यक्तित्व के आधारभूत लक्षणों के हस्तान्तरण का प्रमुख माध्यम रही है । प्रागैतिहासिक काल से लेकर आज तक शिक्षा अनौपचारिक रूप से सम्पूर्ण जीवन शैली मूल्यों आदर्शों एवं व्यवहार प्रतिमानों का हस्तान्तरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक करती रही है । परन्तु आधुनिक जटिल समाज मे शिक्षा एक औपचारिक व्यवस्था है । शिक्षा यह कार्य शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से निश्चित पाठ्यक्रम शिक्षण विधि और शैक्षणिक उद्देश्य के अनुरूप ज्ञान और कुशलता का हस्तान्तरण नवीन पीढ़ी को करती है । शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य का सर्वतोमुखी विकास रहा है । मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में शिक्षा सक्रिय भूमिका निभाती है । समाज का चाहे जैसा स्वरूप रहा हो शिक्षा ने व्यक्ति के सामाजिक–आर्थिक स्वरूप कों सदैव प्रभावित किया है ।

भारत एक महान प्रजातान्त्रिक देश है जहाँ सामाजिक आर्थिक और धार्मिक जीवन में अनेक अन्तर्विरोध पाये जाते हैं । ऐसी स्थिति में शिक्षा की महती आवश्यकता प्रतीत होती है । समाज में पिछड़े हुए लोग शोषण एवं अन्याय के कारण पिछड़े लोग

1- **Herskovitks, MELVILLE, J. : Man and his work, Alfred A Knopf., New York, 1952, P. 310.**

सामाजिक विषमताओं के कारण पिछड़े व्यक्तियों की तमाम समस्याओं के निवारण में शिक्षा एक महत्वपूर्ण अभिकरण है । अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए जिन महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को लागू किया गया है उनमें से शिक्षा एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है ।

अनुसूचित जाति के सन्दर्भ में शैक्षिक प्रसार की प्रक्रिया युवकों को दो प्रकार से प्रभावित कर रही है । प्रथमतः शिक्षा के द्वारा इस वर्ग के विद्यार्थियों के सामाजिक–आर्थिक आकाँक्षाओं का स्तर ऊँचा होता जा रहा है और दूसरे शिक्षा के द्वारा मूल्यात्मक अन्र्तद्वन्द्व की स्थिति उत्पन्न हो गई है । परम्परागत मूल्यों विचारों एवं व्यवस्थाओं की रूढ़िवादिता तथा आधुनिक विचारों, मूल्यों और आवश्यकताओं की उपयोगिता के मध्य संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो रही है । अतः अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों की जीवन शैली और अभिवृत्तियों के निर्धारण में शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान है ।

प्रस्तुत अध्याय का उद्देश्य नवीन शिक्षा व्यवस्था में अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि एवं सहभागिता का विश्लेषण करना है । अनुसूचित जाति के विद्यार्थी परम्परागत रूप से अत्यन्त पिछड़े सामाजिक–आर्थिक स्तर से सम्बन्धित रहे हैं तथा विशाल हिन्दू समाज के साथ उनकी अन्तःक्रिया प्रतिबन्धित एवं सीमित रही है । सामाजिक–आर्थिक रूप से पिछड़े, अभावग्रस्त तथा संकटपूर्ण पारिवारिक परिस्थितियों और हीन भावना से ग्रसित इन विद्यार्थियों की नवीन शिक्षा व्यवस्था में सहभागिता भी अनेक प्रकार की समस्याओं से ग्रसित रही है । प्रस्तुत अध्याय में यह जानने का प्रयास किया गया है कि इस नवीन शैक्षिक व्यवस्था में अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों की उपलब्धि का स्तर क्या है ? उनके सामाजिक –आर्थिक स्थिति उनकी शैक्षिक उपलब्धि को कितनी मात्रा में प्रभावित करती है ? पिछड़ेपन और शैक्षिक सुविधाओं का स्वरूप क्या है ? इन बातों के साथ ही साथ

"विद्यार्थी–अध्यापक अन्तःक्रिया", "विद्यार्थी–पारिवारिक अन्तःक्रिया" को भी ज्ञात करने का प्रयत्न किया जा रहा है । विद्यार्थियों के शैक्षिक स्तर उनकी जातिगत पृष्ठभूमि और सामाजिक–आर्थिक स्तर के आधार पर तथ्यों का सहसम्बन्ध विश्लेषित करके यह ज्ञात करने का प्रयत्न किया जा रहा है कि अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों की शैक्षिक पृष्ठभूमि सहभागिता और अन्तःक्रिया किस मात्रा में उनके सामाजिक–आर्थिक परिवेश द्वारा प्रभावित और सीमित है ।

तालिका संख्या - 7.1 सूचनादाताओं का शैक्षिक स्तर

शैक्षिक स्तर	आवृत्ति	प्रतिशत
स्नातक (प्रथम वर्ष)	123	30.75
(द्वितीय वर्ष)	103	25.75
(तृतीय वर्ष)	94	23.50
(चतुर्थ वर्ष) केवल कृषि वर्ग के लिए	10	2.50
योग	330	82.50
परास्नातक (पूर्वार्द्ध)	40	10.00
(उत्तरार्द्ध)	30	07.50
योग	70	17.50
महायोग	400	100.00

शैक्षिक स्तर

इस अध्ययन के सूचनादाता महाविद्यालयीय शिक्षा के दो स्तरों से सम्बन्धित हैं । प्रथम शैक्षिक स्तर में स्नातक कक्षाओं के विद्यार्थी तथा दूसरे शैक्षिक स्तर में परास्नातक कक्षाओं के विद्यार्थी सम्मिलित हैं । स्नातक स्तर पर बी0ए0 प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष तथा तृतीय वर्ष ; बी0एस–सी0 प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष

बी0कॉम0 प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष तथा तृतीय वर्ष ; बी0एस–सी0 (कृषि) प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष एवं बी0एड0 के विद्यार्थी सूचनादाता हैं । परास्नातक स्तर पर एम0ए0पूर्वार्द्ध, उत्तरार्द्ध ; एम0एस–सी0 पूर्वार्द्ध, उत्तरार्द्ध ; एम0कॉम पूर्वार्द्ध, एत्तरार्द्ध तथा एम0एड0 के विद्यार्थी सूचनादाता हैं । महाविद्यालयों में अध्ययनरत सूचनादाताओं में स्नातक प्रथम वर्ष के 30.75 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष के 25.75, तृतीय वर्ष के 23.50 प्रतिशत तथा चतुर्थ वर्ष के 2.50 प्रतिशत विद्यार्थी सम्मिलित हैं । स्नातक प्रथम वर्ष की संख्या के साथ बी0एड0 के विद्यार्थी भी सम्मिलित हैं । इस प्रकार स्नातक स्तर में समग्र सूचनादाताओं में से 82.50 प्रतिशत सूचनादाता हैं । परास्नातक स्तर पर पूर्वार्द्ध कक्षाओं के 10.00 प्रतिशत और उत्तरार्द्ध कक्षाओं के 7.50 प्रतिशत सूचनादाता हैं । पूर्वार्द्ध के विद्यार्थियों के साथ एम0एड0 के विद्यार्थी भी सम्मिलित हैं । सूचनादाताओं में परास्नातक स्तर के कुल 17.50 प्रतिशत सूचनादाता हैं । अतः स्पष्ट है कि परास्नातक स्तर की तुलना में स्नातक स्तर के सूचनादाताओं की संख्या अधिक पाई गई है । जैसा कि विगत तालिका संख्या 7.1 से स्पष्ट है ।

चयनित सूचनादाताओं को लैंगिक आवासीय पृष्ठभूमि तथा सामाजिक आर्थिक आधार पर विभाजित करते हुए जो तथ्य प्राप्त हुए हैं उन्हें अग्रांकित तालिका संख्या 7.2 में दर्शाया गया है ।

लैंगिक आधार पर सूचनादाताओं के विश्लेषण से स्पष्ट है कि स्नातक स्तर के 82.50 प्रतिशत छात्र तथा परास्नातक स्तर के 76.50 प्रतिशत छात्र सूचनादाताओं में हैं । 82.50 प्रतिशत स्नातक स्तर की छात्राएं तथा परास्नातक स्तर के 17.50 प्रतिशत छात्राएं सूचनादाता हैं । तुलनात्मक दृष्टि से छात्र–छात्राओं का समान प्रतिनिधित्व सूचनादाताओं में है ।

आवासीय पृष्ठभूमि की दृष्टि से विश्लेषित करने पर पाया गया कि ग्रामीण आवासीय पृष्ठभूमि के 95.48 प्रतिशत स्नातक स्तर के तथा 4.52 प्रतिशत परास्नातक

तालिका संख्या – 7.2 सामाजिक परिवर्त्य एवं शैक्षिक स्तर

	स्नातक	परास्नातक	योग
लैंगिक आधार			
छात्र	231 (82.50)	49 (17.50)	280
छात्राएं	99 (82.50)	21 (17.50)	120
आवासीय पृष्ठभूमि			
ग्रामीण	296 (95.48)	14 (4.52)	310
नगरीय	34 (37.78)	56 (62.22)	90
सामाजिक–आर्थिक स्तर			
उच्च	08 (53.33)	07 (46.67)	15
मध्यम	49 (70.00)	21 (30.00)	70
निम्न	273 (86.66)	42 (13.34)	315
योग	330 (82.50)	70 (17.50)	400

स्तर के सूचनादाता हैं । नगरीय आवासीय पृष्ठभूमि के 37.79 प्रतिशत स्नातक स्तर के और 62.22 प्रतिशत परास्नातक स्तर के सूचनादाता हैं । इस प्रकार स्पष्ट है कि स्नातक स्तर पर नगरीय विद्यार्थियों की तुलना में ग्रामीण विद्यार्थी अधिक हैं परन्तु परास्नातक स्तर के सूचनादाताओं में ग्रामीण विद्यार्थियों की तुलना में नगरीय विद्यार्थी अधिक हैं ।

सामाजिक–आर्थिक स्तर पर सूचनादाताओं का विश्लेषण करने पर पाया गया कि उच्च सामाजिक–आर्थिक स्तर के सूचनादाताओं में 53.33 प्रतिशत स्नातक स्तर तथा 46.67 प्रतिशत परास्नातक स्तर के हैं । मध्यम सामाजिक–आर्थिक स्तर के

सूचनादाताओं में 70 प्रतिशत स्नातक तथा 30 प्रतिशत परास्नातक स्तर के हैं । निम्न सामाजिक–आर्थिक स्तर के सूचनादाताओं में 86.66 प्रतिशत स्नातक तथा 13.34 प्रतिशत परास्नातक स्तर के सूचनादाता हैं । तुलनात्मक दृष्टि से विवेचन करने पर पाया गया कि स्नातक स्तर के सूचनादाताओं में उच्च तथा मध्यम सामाजिक–आर्थिक स्तर के विद्यार्थियों की तुलना में निम्न सामाजिक–आर्थिक स्तर के विद्यार्थी अधिक हैं । परास्नातक स्तर पर मध्यम तथा निम्न सामाजिक–आर्थिक स्तर की तुलना में उच्च सामाजिक–आर्थिक स्तर के विद्यार्थी अधिक हैं ।

अध्ययन विषय -

शैक्षिक जीवन में अध्ययन विषय का चुनाव महत्वपूर्ण स्थान रखता है । विषय का चुनाव ही विद्यार्थियों के भावी व्यावसायिक जीवन की दिशा निर्धारित करता है । इस चुनाव द्वारा उनकी आकाँक्षाओं के स्तर, मूल्यों एवं अभिवृत्तियों के स्वरूप का निर्धारण भी होता है । जैसे – जो विद्यार्थी विज्ञान विषय का अध्यन करते हैं वे जिस प्रकार के मूल्यों और दृष्टिकोणों का विकास अपने अन्दर करते हैं, वह कला विषय का अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों के मूल्यों एवं दृष्टिकोणों से नितान्त भिन्न होते हैं । यह माना जाता है कि विज्ञान का विद्यार्थी अन्य विद्यार्थियों की तुलना में अधिक तार्किक और व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाते हैं । कला या साहित्य के विद्यार्थी मानवीय मूल्यों सौन्दर्य बोध की ओर दूसरे विद्यार्थियों की तुलना में अधिक आकर्षित होते हैं । वाणिज्य विषय का विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थियों की तुलना में अधिक आर्थिक व व्यावसायिक मूल्यों के प्रति आकर्षित होते हैं । कृषि वर्ग के विद्यार्थियों का दृष्टिकोण इन सभी से भिन्न कृषि के उन्नयन के प्रति खोज परक और आर्थिक अधिक होता है । सूचनादाताओं से प्राप्त उत्तरों के आधार पर अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के विषय चुनने की प्रवृत्ति का आंकलन अग्रांकित तालिका संख्या 7.3 के विवेचन से स्पष्ट हो जाता है –

तालिका संख्या - 7.3 सामाजिक परिवर्त्य एवं अध्ययन विषय

	साहित्य	विज्ञान	वाणिज्य	कृषि	योग
शैक्षिक स्तर					
स्नातक	278 (84.24)	25 (7.58)	12 (3.64)	15 (4.54)	330
परास्नातक	54 (77.14)	10 (14.29)	06 (8.57)	—	70
लैंगिक स्तर					
छात्र	224 (80.00)	25 (8.93)	16 (5.71)	15 (5.36)	280
छात्राएं	108 (90.00)	10 (8.33)	02 (1.67)	—	120
आवासीय पृष्ठभूमि					
ग्रामीण	282 (90.97)	10 (3.23)	06 (1.93)	12 (3.87)	310
नगरीय	50 (55.55)	25 (27.78)	12 (13.33)	03 (3.34)	90
सामाजिक–आर्थिक स्तर					
उच्च	03 (20.00)	06 (40.00)	04 (26.67)	02 (13.33)	15
मध्यम	34 (38.58)	18 (25.71)	12 (17.14)	06 (8.57)	70
निम्न	295 (93.66)	11 (3.49)	02 (0.63)	07 (2.22)	315
योग	332 (83.00)	35 (8.75)	18 (4.50)	15 (3.75)	400

इन चारों विषय वर्गों के विद्यार्थियों की आर्थिक, व्यावसायिक आकाँक्षाओं और भावी सामाजिक–आर्थिक गतिशीलता का स्वरूप भी भिन्न भिन्न होगा । विद्यार्थियों के अध्ययन विषय का विश्लेषण इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि विद्यार्थियों द्वारा किसी विशिष्ट विषय समूह को ग्रहण करना उनके व्यक्तिगत अभिरुचि और सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि की ओर भी इंगित करता है । विज्ञान विषय की दुरुहता और जटिलता के कारण इसे ग्रहण करने वाले विद्यार्थी साधारणतः वे हैं जो बौद्धिक स्तर

से सामान्य या सामान्य से उच्च हैं अथवा जिन्हें विज्ञान विषय में रुचि है । सामाजिक–आर्थिक पृष्ठभूमि भी विषय चयन को प्रभावित करती है । जिन विद्यार्थियों का सम्बन्ध निम्न सामाजिक–आर्थिक परिवारों से है या जिनके परिवार में शिक्षा का विशेष प्रभाव नहीं है उन परिवार के विद्यार्थियों के लिए विज्ञान विषय का अध्ययन करना दूसरों की अपेक्षा कठिन होता है ।

अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के विषय चयन की प्रक्रिया भी इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह अधिकाँशतः अत्यन्त पिछड़े और परम्परागत रूप से अशिक्षित समूह से आते हैं । इन समूहों में शिक्षा के प्रति चेतना बिल्कुल नवीन घटना होती है । अपने निम्न आर्थिक और सामाजिक आर्थिक स्थितियों के कारण इनकी आकाक्षांओं का स्तर निम्न होता हैं। अतः इनका विषय चुनाव विज्ञान, कृषि और वाणिज्य की तुलना में साहित्य की ओर अधिक केन्द्रित होता है । इस अध्ययन में इन तथ्यों की पुष्टि काफी हद तक होती हुयी प्रतीत होती है । प्राप्त सूचनाओं से यह तथ्य स्पष्ट होते हैं। कि समस्त सूचनाताओं में से साहित्य वर्ग के विषयों का अध्ययन करने वाले विद्यार्थी 83.00 प्रतिशत विज्ञान वर्ग के 8.75 प्रतिशत वाणिज्य वर्ग के 4.50 प्रतिशत तथा कृषि वर्ग के 3.75 प्रतिशत अनुसूचित जाति के विद्यार्थी हैं । अतः स्पष्ट है कि अनुसूचित जाति के अधिकाँश विद्यार्थी साहित्यिक विषयों का अध्ययन कर रहे हैं। यह तथ्य उनकी निम्न सामाजिक–आर्थिक पृष्ठभूमि, निम्न शैक्षिक उपलब्धि और अकांक्षाओं के निम्नतर स्तर का परिचायक हैं। शैक्षिक स्तर पर अध्ययन विषयों का विश्लेषण करने पर पाया गया है कि स्नातक स्तर के 84.24 प्रतिशत साहित्य वर्ग, 4.58 प्रतिशत विज्ञान वर्ग के, 3.64 प्रतिशत वाणिज्य वर्ग के, 4.54 प्रतिशत कृषि वर्ग के सूचनादाता है। परास्नातक स्तर पर साहित्य वर्ग के 77.14 प्रतिशत विज्ञान वर्ग के 14.29 प्रतिशत तथा वाणिज्य वर्ग के 8.57 प्रतिशत सूचनादाता हैं। परास्नातक स्तर पर कृषि वर्ग के सूचनादाता न होने का कारण है कि अध्ययन परिक्षेत्र के महाविद्यालयों में कृषि विषय

के अध्ययन की सुविधा अभी भी परास्नातक स्तर पर नहीं हैं। अतः विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि परास्नातक स्तर के सूचनादाताओं की अपेक्षा स्नातक स्तर के सूचनादाताओं का रुझान साहित्यिक विषयों के अध्ययन के प्रति अधिक है।

लैंगिक स्तर पर विश्लेषण से ज्ञात होता है कि 80.00 प्रतिशत छात्र साहित्यिक विषय, 8.93 प्रतिशत विज्ञान विषय, 5.71 प्रतिशत वाणिज्य विषय तथा 5.36 प्रतिशत कृषि विषय में अध्ययनरत है। समस्त सूचनादाता छात्राओं में से 90 प्रतिशत छात्रायें साहित्यिक विषय 8.33 प्रतिशत विज्ञान विषय तथा 1.67 प्रतिशत वाणिज्य विषय चयनित कर अध्ययनरत हैं। कृषि विषय के प्रति अभी इस वर्ग की छात्राओं की रुझान में शून्यता हैं परन्तु विज्ञान विषय के अध्ययन में छात्राएं छात्रों के बराबर ही जागरूक हैं। तुलनात्मक दृष्टि से छात्रों की अपेक्षा छात्राएं अधिक संख्या में साहित्यिक विषयों का अध्ययन कर रही हैं।

आवासीय पृष्ठभूमि के आधार पर तथ्यों का विश्लेषण करने से ज्ञात हुआ कि ग्रामीण आवासीय पृष्ठभूमि के 90.97 प्रतिशत साहित्यिक विषय, 3.23 प्रतिशत विज्ञान विषय, 1.93 प्रतिशत वाणिज्य विषय तथा 3.87 प्रतिशत कृषि विषय समूहों को चयनित कर अध्ययन कर रहे हैं। नगरीय आवासीय पृष्ठभूमि के 55.55 प्रतिशत साहित्य विषय 27.78 प्रतिशत विज्ञान विषय, 13.33 प्रतिशत वाणिज्य विषय तथा 3.34 प्रतिशत कृषि विषय समूहों को चयनित कर अध्ययन कर रहे हैं। अतः स्पष्ट है कि नगरीय पृष्ठभूमि वाले अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों की तुलना में ग्रामीण आवासीय पृष्ठभूमि के अनुसूचित जाति के विद्यार्थी अधिक संख्या में साहित्यिक विषयों का अध्ययन करते हैं।

सामाजिक-आर्थिक स्तर पर विवेचना करने से ज्ञात होता है कि उच्च सामाजिक-आर्थिक स्तर के 20.00 प्रतिशत साहित्य, 40 प्रतिशत विज्ञान, 26.67 प्रतिशत वाणिज्य, 13.33 प्रतिशत कृषि विषयों का चयन कर अध्ययन करते पाये गये

हैं। मध्यम सामाजिक–आर्थिक स्तर के 48.58 प्रतिशत साहित्य, 25.71 प्रतिशत विज्ञान 17.14 प्रतिशत वाणिज्य तथा 8.57 प्रतिशत कृषि विषय लेकर अध्ययन करते पाये गये हैं। निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर के 93.66 प्रतिशत साहित्यिक विषय, 3.49 प्रतिशत विज्ञान विषय, 0.63 प्रतिशत वाणिज्य विषय तथा 2.22 प्रतिशत कृषि विषयों का चयन कर अध्ययन करते पाये गये हैं। इन तथ्यों से स्पष्ट है कि उच्च और मध्यम सामाजिक–आर्थिक स्तर के विद्यार्थियों की तुलना में निम्न सामाजिक–आर्थिक स्तर के विद्यार्थी अधिक संख्या में साहित्यिक विषयों का अध्ययन हेतु चयन करते हैं।

छात्रवृत्ति प्राप्ति :

अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु चलाये गये कार्यक्रमों में से अनुसूचित जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान कर उनके शैक्षिक–आर्थिक समस्याओं को निवारित करने का कार्य किया गया हैं। यह शैक्षणिक कल्याण कार्यक्रम अधिक महत्वपूर्ण है। इस कार्यक्रम के द्वारा विद्यार्थियों को शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश की सुविधा, छात्रवृत्ति, पुस्तकीय सहायता और छात्रावास आदि की व्यवस्था की गयी है। शिक्षण शुल्क से अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को पूर्णतः मुक्त कर दिया गया है । जिन विद्यालयों में छात्रावास की व्यवस्था हैं वहां इन छात्रों से छात्रावास शुल्क नही लेने की व्यवस्था है। अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति, शुल्क मुक्ति और आवासीय सुविधा से वंचित किये जाने का प्राविधान भी है शिक्षण संस्थाओं के पुस्तकालयों से इन विद्यार्थियों को पुस्तकीय सहायता देने की भी व्यवस्था है।

इस अध्ययन में सूचनादाताओं से यह पूछा गया है कि उन्हें छात्रवृत्ति की सुविधा प्राप्त है कि नहीं ? सूचनादाताओं से प्राप्त उत्तर के आधार पर आंकडों का विभिन्न स्तरों पर प्राप्त विवरण अग्रांकित तालिका संख्या 7.4 में प्रदर्शित किया गया है।

तालिका संख्या - 7.4 सामाजिक परिवर्त्य एवं छात्रवृत्ति की प्राप्ति

	हाँ	नहीं	योग
शैक्षिक स्तर			
स्नातक	267 (80.90)	63 (19.10)	330
परास्नातक	45 (64.28)	25 (35.72)	70
लैंगिक स्तर			
छात्र	225 (80.36)	55 (19.64)	280
छात्राएं	87 (72.50)	33 (27.50)	120
सामाजिक–आर्थिक स्तर			
ग्रामीण	234 (75.48)	76 (24.52)	310
नगरीय	78 (86.67)	12 (13.33)	90
सामाजिक–आर्थिक स्तर			
उच्च	14 (93.33)	01 (6.67)	15
मध्यम	65 (92.86)	05 (7.14)	70
निम्न	233 (73.96)	82 (26.04)	315
योग	312 (78.00)	88 (22.00)	400

प्राप्त उत्तरों में से 78.00 प्रतिशत सूचनादाताओं ने स्वीकार किया है कि उन्हें छात्रवृत्ति की सुविधा प्राप्त है तथा 22.00 प्रतिशत सूचनादाताओं ने बतलाया कि उन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। उत्तरों का विश्लेषण करने पर पाया गया है कि छात्रवृत्ति सुविधा से वंचित अधिकांश वे विद्यार्थी है जिन्होंने विलम्ब से प्रवेश लिया है। अतः छात्रवृत्ति सुविधा प्राप्त नहीं हो सकी या वे विद्यार्थी है जो अनुत्तीर्ण होने के

कारण छात्रवृत्ति की सुविधा से वंचित कर दिये गये हैं तथा कुछ ऐसे भी विद्यार्थी है जो प्रशासनिक अव्यवस्था और जाति प्रमाणपत्र प्राप्त करने की जटिल प्रक्रिया के कारण छात्रवृत्ति प्राप्त करने से वंचित हो गये हैं। तथ्यों से स्पष्ट है कि छात्रवृत्ति की सुविधा न पाने वाले विद्यार्थियों की तुलना में प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या अधिक है ।

शैक्षिक स्तर पर विश्लेषण करने पर पाया गया कि स्नातक स्तर के 80.90 प्रतिशत विद्यार्थी छात्रवृत्ति पा रहे हैं। 19.10 प्रतिशत विद्यार्थी छात्रवृत्ति नहीं पा रहे हैं। परास्नातक स्तर के 64.28 प्रतिशत विद्यार्थी छात्रवृत्ति प्राप्त कर रहे हैं और 35.72 प्रतिशत विद्यार्थी छात्रवृत्ति प्राप्ति से वंचित हैं। इसका कारण कक्षा में अनुत्तीर्णता या विलम्ब से परीक्षाफल प्राप्त होने के कारण प्रवेश में विलम्ब होना है। अतः स्पष्ट है कि स्नातक स्तर के विद्यार्थी, परास्नातक स्तर के विद्यार्थियों की तुलना में अधिक संख्या में छात्रवृत्ति पा रहे हैं।

लैंगिक स्तर पर छात्रवृत्ति प्राप्त से सम्बन्ध का विवेचना करने पर पाया गया है कि 80.36 प्रतिशत छात्र छात्रवृत्ति पा रहे हैं, 19.64 प्रतिशत छात्र इस सुविधा से वंचित हैं। 72.50 प्रतिशत छात्राएं छात्रवृत्ति पा रही हैं, 27.50 प्रतिशत छात्राएं छात्रवृत्ति नहीं प्राप्त कर रहीं हैं। अतः स्पष्ट है कि छात्राओं की तुलना में छात्र अधिक संख्या में छात्रवृत्ति की सुविधा पा रहे हैं।

आवासीय पृष्ठभूमि के आधार पर विवेचना करने पर पाया गया है कि ग्रामीण आवासीय पृष्ठभूमि के 75.48 प्रतिशत सूचनादाता छात्रवृत्ति पा रहे हैं तथा 24.52 प्रतिशत छात्रवृत्ति नहीं पा रहे हैं। नगरीय आवासीय पृष्ठभूमि के 86.67 प्रतिशत सूचनादाता छात्रवृत्ति प्राप्त कर रहे हैं। 13.33 प्रतिशत यह सुविधा नहीं प्राप्त कर पा रहें हैं । अतः स्पष्ट है कि ग्रामीण स्तर के सूचनादाताओं की तुलना में नगरीय स्तर

के सूचनादाता अधिक संख्या में छात्रवृत्ति सुविधा का लाभ पा रहे हैं।

सामाजिक आर्थिक स्तर पर इस तथ्य की विवेचना करने से ज्ञात हुआ है कि उच्च सामाजिक–आर्थिक स्तर के 93.33 प्रतिशत यह सुविधा पा रहे है, 6.67 प्रतिशत छात्रवृत्ति से वंचित हैं। मध्यम सामाजिक–आर्थिक स्तर के सूचनादाताओं में 92.86 प्रतिशत सूचनादाता छात्रवृत्ति पा रहे हैं। 7.14 प्रतिशत छात्रवृत्ति नहीं पा रहे हैं। निम्न सामाजिक–आर्थिक स्तर के 73.97 प्रतिशत छात्रवृत्ति की सुविधा का उपभोग कर पा रहे हैं। परन्तु 26.04 प्रतिशत छात्रवृत्ति सुविधा के उपभोग से वंचित हैं। तुलनात्मक दृष्टि से मध्यम और निम्न सामाजिक–आर्थिक स्तर के विद्यार्थियों की तुलना में उच्च सामाजिक–आर्थिक स्तर के सूचनादाता अधिक संख्या में छात्रवृत्ति सुविधा पा रहे हैं। अतः स्पष्ट है कि उच्च स्तर के विद्यार्थी अधिक सक्रियता से सुविधाओं का लाभ उठाने में सक्रिय हैं।

आवास से विद्यालय जाने का साधन :

घर से विद्यालय जाने के साधनों के अध्ययन से इनके आर्थिक स्तर आकांक्षाओं तथा इनकी रुचियों का अनुमान लगाया जा सकता है। सूचनादाताओं से प्रश्न पूछा गया कि वे किस साधन से विद्यालय आते है ? पैदल, साईकिल द्वारा, रेलगाड़ी द्वारा बस या टैक्सी द्वारा या अन्य दूसरे साधन स्कूटर रिक्शे के द्वारा। प्राप्त सूचना के आधार अग्रांकित तालिका सं0 7.5 में इस तथ्य का विश्लेषण किया गया है ।

समस्त सूचनादाताओं में से 34.50 प्रतिशत पैदल, 23.00 प्रतिशत साइकिल द्वारा 19.75 प्रतिशत रेलगाड़ी द्वारा 17.75 प्रतिशत बस, या टैक्सी द्वारा तथा 5.00 प्रतिशत स्कूटर या रिक्शे द्वारा घर से महाविद्यालय तक की यात्रा पूरी करते हैं। अतः यह स्पष्ट है कि अधिकांश सूचनादाता पैदल ही आवास से महाविद्यालय अध्ययन हेतु आते हैं।

तालिका संख्या - 7.5 सामाजिक परिवर्त्य एवं आवास से विद्यालय जाने का साधन

	पैदल	साइकिल द्वारा	रेलगाड़ी द्वारा	बस या टैक्सी द्वारा	स्कूटर रिक्शा द्वारा	योग
शैक्षिक स्तर						
स्नातक	122 (36.97)	83 (25.15)	60 (18.18)	53 (16.06)	43 (3.64)	330
परास्नातक	16 (22.85)	09 (12.86)	19 (27.14)	18 (25.72)	08 (11.43)	70
लैंगिक स्तर						
छात्र	80 (28.57)	66 (23.57)	70 (25.00)	57 (20.36)	07 (2.50)	280
छात्राएं	58 (48.33)	26 (21.67)	09 (7.50)	14 (11.67)	13 (10.83)	120
आवासीय पृष्ठभूमि						
ग्रामीण	104 (33.55)	72 (23.22)	62 (20.00)	58 (18.71)	14 (4.52)	310
नगरीय	34 (37.78)	20 (22.22)	17 (18.89)	13 (14.44)	06 (6.67)	90
सामाजिक–आर्थिक स्तर						
उच्च	01 (6.67)	02 (13.33)	02 (13.33)	04 (26.67)	06 (40.00)	15
मध्यम	13 (18.57)	28 (40.00)	06 (8.57)	14 (20.00)	09 (12.86)	70
निम्न	124 (39.37)	62 (19.68)	71 (22.54)	53 (16.82)	05 (1.59)	315
योग	138 (34.50)	92 (23.00)	79 (19.75)	71 (17.75)	20 (5.00)	400

शैक्षिक स्तर पर देखने पर पाया गया है कि स्नातक स्तर के 36.97 प्रतिशत पैदल, 25.15 प्रतिशत साइकिल, 18.18 प्रतिशत रेलगाड़ी द्वारा 16.06 प्रतिशत बस या टैक्सी द्वारा तथा 3.64 प्रतिशत स्कूटर द्वारा विद्यालय आते हैं। परास्नातक स्तर के सूचनादाताओं में से 22.85 प्रतिशत पैदल, 12.86 प्रतिशत साइकिल द्वारा, 27.14 प्रतिशत रेलगाड़ी द्वारा, 25.72 प्रतिशत टैक्सी द्वारा तथा 11.43 प्रतिशत स्कूटर या

रिक्शा आदि साधनों से विद्यालय आते हैं । अतः स्पष्ट है कि परास्नातक स्तर की तुलना में स्नातक स्तर के छात्र अधिक पैदल ही महाविद्यालय आते हैं । बस या टैक्सी या रेलगाड़ी जैसे साधनों का प्रयोग वही विद्यार्थी अधिक कर रहे हैं जो विद्यालय से काफी दूर निवास करके ही अध्ययनरत् हैं ।

लैंगिक स्तर के आधार पर इस तथ्य का तुलनात्मक सम्बन्ध देखने से ज्ञात होता है कि समस्त सूचनादाता छात्रों में से 28.57 प्रतिशत पैदल, 23.57 प्रतिशत साइकिल से 25.00 प्रतिशत रेलगाड़ी से, 20.36 प्रतिशत बस या टैक्सी से तथा 2.50 प्रतिशत स्कूटर, रिक्शा अथवा अन्य साधनों से महाविद्यालय आते हैं । समस्त छात्राओं में से 48.33 प्रतिशत पैदल, 21.67 प्रतिशत साइकिल द्वारा, 7.50 प्रतिशत रेलगाड़ी से 11.67 प्रतिशत बस या टैक्सी द्वारा तथा 10.83 प्रतिशत स्कूटर रिक्शा अथवा अन्य साधनों से छात्राएं महाविद्यालय आती हैं । अतः स्पष्ट है कि छात्रों की तुलना में छात्राओं में पैदल ही महाविद्यालय पहुँचने की अधिकता पायी गयी है ।

आवासीय पृष्ठभूमि के आधार पर विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि ग्रामीण आवासीय पृष्ठभूमि के सूचनादाताओं में से 33.55 प्रतिशत पैदल 23.22 प्रतिशत साइकिल 20.00 प्रतिशत रेलगाड़ी, 19.71 प्रतिशत बस या टैक्सी, 4.52 प्रतिशत स्कूटर रिक्शा अथवा अन्य साधनों द्वारा सूचनादाता महाविद्यालय पहुँचते हैं । नगरीय आवासीय पृष्ठभूमि के सूचनादाताओं में से 37.78 प्रतिशत पैदल 22.22 प्रतिशत साइकिल, 18.89 प्रतिशत रेलगाड़ी, 14.44 प्रतिशत बस या टैक्सी द्वारा तथा 6.67 प्रतिशत स्कूटर, रिक्शा अथवा अन्य साधनों द्वारा महाविंद्यालय पहुँचते हैं । अतः स्पष्ट है कि ग्रामीण सूचनादाताओं की तुलना में नगरीय सूचनादाता अधिक संख्या में पैदल ही महाविद्यालय पहुँचते हैं ।

सामाजिक आर्थिक स्तर के आधार पर तथ्यों के सम्बन्धों का विश्लेषण करने से स्पष्ट हो जाता है कि उच्च सामाजिक–आर्थिक स्तर के सूचनादाताओं में से

6.67 प्रतिशत पैदल 13.33 प्रतिशत साइकिल द्वारा 13.33 प्रतिशत रेलगाड़ी द्वारा, 26.67 प्रतिशत बस या टैक्सी, तथा 40.00 प्रतिशत स्कूटर रिक्शा अथवां अन्य साधनों द्वारा सूचनादाता महाविद्यालय पहुँचते हैं । मध्यम सामाजिक–आर्थिक स्तर के सूचनादाताओं में से 18.57 प्रतिशत पैदल 40.00 प्रतिशत साइकिल द्वारा, 8.57 प्रतिशत रेलगाड़ी द्वारा, 20.00 प्रतिशत बस या टैक्सी द्वारा तथा 12.86 प्रतिशत स्कूटर, रिक्शा अथवा अन्य साधनों द्वारा महाविद्यालय पहुँचते हैं । निम्न सामाजिक–आर्थिक स्तर के समस्त सूचनादाताओं में से 39.37 प्रतिशत सूचनादाता पैदल, 19.68 प्रतिशत साइकिल द्वारा, 22.54 प्रतिशत रेलगाड़ी द्वारा , 16.82 प्रतिशत बस या टैक्सी द्वारा तथा 1.59 प्रतिशत स्कूटर, रिक्शा व अन्य साधनों से महाविद्यालय पहुँचते हैं । अतः स्पष्ट है कि उच्च और मध्यम स्तर की तुलना में निम्न सामाजिक–आर्थिक स्तर के सूचनादाताओं में पैदल ही महाविद्यालय पहुँचने की अधिकता पाई गई है ।

शैक्षिक कठिनाई एवं अध्यापक का सहयोग :

छात्र–अध्यापक सम्बन्ध की महत्वपूर्ण विशेषता है, अध्यापक की ज्ञानात्मक उच्च स्थिति और छात्र से दूरी, आयु का अन्तर भी छात्र–अध्यापक सम्बन्ध के स्वरूप को प्रदान करने में प्रभावकारी महत्व रखता है । अध्यापक की ज्ञानात्मक उच्चता, उसकी व्यवहार कुशलता सामाजिक स्थिति छात्र के शैक्षिक जीवन को प्रभावित करते हैं । गोरे और देसाई : 1967 20–25; नीरा देसाई : 1970 : 191–197 तथा पुर्नवास : 1970 : 190 : 191 आदि के शोध ग्रन्थों में इन तथ्यों को उजागर किया गया है । अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को सामान्यतः अध्ययन विषय को समझने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है । इनकी कठिनाइयों का निवारण अध्यापकों के सहयोगपूर्ण तथा सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार से ही हो पाता है परन्तु छात्रों और अध्यापकों के सम्पर्क के मध्य में अनेक प्रकार की बाधाएं व अवरोध हैं । अनुसूचित जाति के विद्यार्थी बहुधा अपने निम्न सामाजिक–आर्थिक स्तर के कारण हीनता की ग्रन्थि से ग्रसित रहते

हैं तथा अध्यापक से सम्पर्क करने, परामर्श करने व कठिनाई निवारण कराने में संकोच का अनुभव करते हैं । कभी कभी कुछ अध्यापक भी जातिगत, आर्थिक या श्रेष्ठता के विचारों से प्रभावित होकर अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के प्रति उपेक्षापूर्ण व्यवहार अपना लेते हैं । उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि की निम्नता और अपनी जातिगत श्रेष्ठता के आधार पर कभी कभी पक्षपातपूर्ण आचरण करते हैं ऐसी स्थिति में इस वर्ग के विद्यार्थियों की शैक्षिक समस्याओं और कठिनाइयों का समुचित समाधान नहीं हो पाता जिससे उनकी शैक्षिक उपलब्धि बाधित, समस्याग्रस्त तथा अव्यवस्थित हो जाती है । इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखकर अनुसूचित जाति के सूचनादाताओं से यह पूछा गया कि क्या उनकी शैक्षिक कठिनाइयाँ, समस्याओं के निराकरण में उनके अध्यापक उनसे समुचित सहयोग और सहानुभूति रखते हैं अथवा उपेक्षापूर्ण बर्ताव कर उनकी कोई सहायता नहीं करते । उत्तरदाताओं से प्राप्त तथ्यों से अग्रांकित तालिका सं0 7.6 में प्रदर्शित किया गया है ।

तालिका में अंकित तथ्यों से स्पष्ट हुआ कि समस्त सूचनादाताओं में से 61.75 प्रतिशत सूचनाताओं ने यह स्वीकार किया कि अध्यापक उनके शैक्षिक समस्याओं के निवारण में सहानुभूति पूर्ण सहयोग करते हैं। 26.75 प्रतिशत सूचनादाताओं ने अध्यापकों के उपेक्षा पूर्ण असहयोगी रवैया अपनाने की सूचना दी । 11.50 प्रतिशत सूचनादाता इस प्रश्न के उत्तर में कुछ भी नहीं कह सके। अतः स्पष्ट है कि अधिकांश सूचनादाता शैक्षिक समस्याओं के निवारण में अपने अध्यापकों का सहयोग सहानुभूति पूर्ण तथा सहयोगात्मक पाते हैं।

शैक्षिक स्तर पर तथ्यों का विश्लेषण यह बतलाता है कि स्नातक स्तर के सूचनादाताओं में से 62.73 प्रतिशत अपने अध्यापकों का व्यवहार सहयोगात्मक व सहानुभूतिपूर्ण पाते है। 25.76 प्रतिशत उपेक्षापूर्ण असहयोगी व्यवहार पाते हैं। तथा 11.51 प्रतिशत इस सम्बन्ध में कोई उत्तर नहीं देता। परास्नातक स्तर के सूचनादाताओं में से 57.14 प्रतिशत अध्यापकों का व्यवहार सहयोगात्मक तथा सहानुभूतिपूर्ण पाते हैं। 31.42 प्रतिशत सूचनादाताओं ने अध्यापकों का व्यवहार उपेक्षापूर्ण, असहयोगात्मक पाया है तथा 11.43 प्रतिशत ने इस सम्बन्ध में कोई उत्तर नहीं देता। अतः तुलनात्मक दृष्टि से स्पष्ट है कि स्नातक स्तर के विद्यार्थियों ने परास्नातक स्तर के विद्यार्थियों की

तालिका संख्या-7.6 सामाजिक परिवर्त्य एवं अध्यापकों का सहयोग

	सहानुभूतिपूर्ण (सहयोगी)	उपेक्षापूर्ण (असहयोगी)	उत्तर नहीं	योग
शैक्षिक स्तर				
स्नातक	207 (62.73)	85 (25.76)	38 (11.51)	330
परास्नातक	40 (57.14)	22 (31.42)	08 (11.43)	70
लैंगिक स्तर				
छात्र	169 (60.36)	81 (28.93)	30 (10.71)	280
छात्राएं	78 (65.00)	26 (21.67)	16 (13.33)	120
आवासीय पृष्ठभूमि				
ग्रामीण	186 (60.00)	92 (29.67)	32 (10.33)	310
नगरीय	61 (67.78)	15 (16.66)	14 (15.56)	90
सामाजिक–आर्थिक स्तर				
उच्च	13 (86.66)	01 (6.67)	01 (6.67)	15
मध्यम	49 (70.00)	12 (17.14)	09 (12.86)	70
निम्न	185 (58.73)	94 (29.84)	36 (11.43)	315
योग	247 (61.75)	107 (26.75)	46 (11.50)	400

तुलना में अपने अध्यापकों का व्यवहार अधिक सहानुभूतिपूर्ण व सहयोगी पाया है।

लैंगिक स्तर पर तथ्यों के विवेचन से स्पष्ट होता है कि समस्त छात्रों में से 60.36 प्रतिशत छात्रों ने अपने अध्यापकों के व्यवहार सहानुभूतिपूर्ण व सहयोगी तथा 28.93 प्रतिशत ने अध्यापकों के व्यवहार को उपेक्षापूर्ण व असहयोगी पाया है। 10.71 प्रतिशत ने इस सम्बध में कोई उत्तर नहीं दिया। समस्त उत्तरदाता छात्राओं में से 65.00 प्रतिशत छात्राओं ने अध्यापकों का व्यवहार सहयोग व सहानुभूतिपूर्ण पाया है। 21.67 प्रतिशत ने अध्यापकों का व्यवहार असहयोगात्मक व उपेक्षापूर्ण पाया है। 13.33 प्रतिशत छात्राओं ने इस सम्बन्ध में कोई उत्तर नहीं दिया। अतः स्पष्ट है कि छात्रों की अपेक्षा छात्राओं ने अपने अध्यापकों का व्यवहार शैक्षिक समस्याओं के निवारण में सहयोगी व सहानुभतिपूर्ण अधिक पाया है।

आवासीय पृष्ठभूमि के आधार पर तथ्यों से स्पष्ट है कि ग्रामीण आवासीय पृष्ठभूमि के सूचनादाताओं में से 60.00 प्रतिशत अपने अध्यापकों को सहयोग व सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करने वाला पाते हैं। 29.67 प्रतिशत अपने अध्यापकों को

असहयोगी, उपेक्षापूर्ण व्यवहार करने वाला पाते हैं। 10.33 प्रतिशत ने इस सम्बन्ध में कोई उत्तर नहीं दिया। नगरीय–आवासीय पृष्ठभूमि वाले सूचनादाताओं में से 67.78 प्रतिशत सूचनादाता अपने अध्यापकों को सहयोगात्मक सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करने वाला पाते हैं। 16.66 प्रतिशत अपने अध्यापकों को असहयोगी व अपेक्षापूर्ण व्यवहार करने वाला पाते हैं। 15.56 प्रतिशत सूचनादाताओं ने इस सम्बन्ध में कोई उत्तर नहीं दिया। अतः स्पष्ट है कि ग्रामीण विद्यार्थियों की तुलना में नगरीय विद्यार्थियों की शैक्षिक समस्याओं के निवारण के प्रति अध्यापकों का सहयोगात्मक व सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार अधिक पाया गया है।

सामाजिक–आर्थिक स्तर पर सूचनादाताओं से प्राप्त तथ्यों के आधार पर यह स्पष्ट है कि उच्च सामाजिक–आर्थिक स्तर वाले सूचनादाताओं में से 86.66 प्रतिशत अपने अध्यापकों का व्यवहार सहानुभूतिपूर्ण व सहयोगात्मक पाते हैं। 6.67 प्रतिशत अध्यापकों के व्यवहार को उपेक्षापूर्ण व असहयोगात्मक पाते हैं। 6.67 प्रतिशत इस बिन्दु पर कोई विचार व्यक्त नहीं करते । मध्यम सामाजिक–आर्थिक स्तर के सूचनादाताओं में से 70 प्रतिशत अपने अध्यापकों का व्यवहार सहानुभूतिपूर्ण व सहयोगी पाते हैं तथा 12.86 प्रतिशत इस सम्बन्ध में कोई उत्तर नहीं देते हैं। निम्न सामाजिक–आर्थिक स्तर के सूचनादाताओं में से 58.73 प्रतिशत सूचनादाता अपने अध्यापकों का व्यवहार सहानुभूतिपूर्ण व सहयोगी किस्म का पाते हैं। 29.84 प्रतिशत अपने अध्यापकों का व्यवहार उपेक्षापूर्ण तथा असहयोगात्मक पाते हैं। 11.43 प्रतिशत सूचनादाता इस सम्बन्ध में कोई विचार व्यक्त नहीं करते हैं। अतःविश्लेषण से स्पष्ट है कि मध्यम एवं निम्न सामाजिक–आर्थिक स्तर के विद्यार्थियों की तुलना सामाजिक–आर्थिक स्तर के विद्यार्थियों ने शैक्षिक समस्याओं के निराकरण में अध्यापकों के सहयोग को सहानुभूतिपूर्ण व सहयोगी पाया हैं।

विशेष ट्यूशन की व्यवस्था -

विद्यार्थियों के शैक्षिक समस्याओं व कठिनाईयों व निवारण का एक माध्यम विशेष ट्यूशन व्यवस्था व कोचिंग की व्यवस्था हैं। ट्यूशन व कोचिंग व्यवस्था के द्वारा विद्यार्थी अपनी शैक्षिक उपलब्धियों को उचित निर्देशन और परिश्रम के द्वारा अपने आकांक्षाओं के अनुरूप सन्तोषजनक बनाने का प्रयत्न करता है, परन्तु यह व्यवस्था उन्हीं विद्यार्थियों के लिये सम्भव हैं, जिनकी सामाजिक–आर्थिक व्यवस्था दूसरों की अपेक्षा अधिक सन्तोषजनक हैं। विज्ञान, वाणिज्य व कृषि के विद्यार्थियों की शैक्षिक,

व्यावसायिक आकांक्षायें दूसरों की तुलना में उच्च होती हैं। इन विद्यार्थियों का ट्यूशन के प्रति अधिक झुकाव होता है, यद्यपि सरकारी स्तर पर भी अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिये विशेष ट्यूशन की व्यवस्था विद्यालयों में अलग से की गयी हैं, फिर भी इनमें अधिकांश को इस व्यवस्था से वंचित ही रहना पड़ रहा हैं। इस तथ्य को

तालिका संख्या - 7.7 सामाजिक परिवर्त्य एवं विशेष ट्यूशन की व्यवस्था

	हाँ	नहीं	योग
शैक्षिक स्तर			
स्नातक	36 (10.91)	294 (89.09)	330
परास्नातक	06 (8.58)	64 (91.42)	70
लैंगिक स्तर			
छात्र	34 (12.14)	246 (87.86)	280
छात्राएं	08 (6.67)	112 (93.33)	120
सामाजिक–आर्थिक स्तर			
ग्रामीण	12 (3.87)	298 (96.13)	310
नगरीय	30 (33.33)	60 (66.67)	90
सामाजिक–आर्थिक स्तर			
उच्च	08 (53.33)	07 (46.67)	15
मध्यम	32 (45.71)	38 (54.29)	70
निम्न	02 (0.63)	313 (99.37)	315
योग	42 (10.50)	358 (89.50)	400

ध्यान में रखकर सूचनादाताओं से पूछा गया कि क्या उनके शैक्षिक कठिनाईयों के निवारण हेतु विशेष ट्यूशन की व्यवस्था है अथवा नहीं ? प्राप्त उत्तरों के आधार पर तथ्यों का विश्लेषण विगत तालिका संख्या 7.7 में किया गया है।

प्राप्त तथ्यों के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि समस्त सूचनादाताओं में से 10.50 प्रतिशत सूचनादाता ऐसे हैं, जिन्होंने अपने शैक्षिक कठिनाईयों का निवारण हेतु विशेष ट्यूशन की व्यवस्था की है तथा 89.50 प्रतिशत सूचनादाता ट्यूशन की व्यवस्था नहीं कर सके हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि अधिकांश सूचनादाता को ट्यूशन की व्यवस्था नहीं है।

शैक्षिक स्तर पर देखा गया कि स्नातक स्तर के 10.91 प्रतिशत ने ट्यूशन की व्यवस्था की है, 89.09 प्रतिशत सूचनादाता ट्यूशन की व्यवस्था नहीं कर सके हैं। परास्नातक स्तर के सूचनादाताओं में से 8.58 प्रतिशत ने ट्यूशन की व्यवस्था की हैं, परन्तु 91.42 प्रतिशत सूचनादाता ट्यूशन की व्यवस्था नहीं कर सके हैं। अतः स्पष्ट है कि स्नातक स्तर के विद्यार्थियों की अपेक्षा परास्नातक स्तर के ऐसे विद्यार्थियों की संख्या अधिक हैं, जिन्होंने विशेष ट्यूशन की व्यवस्था नहीं की हैं।

लैंगिक स्तर पर विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि समस्त छात्रों में से 12.14 प्रतिशत छात्रों ने ही ट्यूशन की व्यवस्था की हैं, 87.86 प्रतिशत छात्र ट्यूशन की व्यवस्था नहीं कर सके हैं। समस्त छात्राओं में से 6.67 प्रतिशत छात्राओं ने विशेष ट्यूशन की व्यवस्था की हैं। परन्तु 93.33 प्रतिशत छात्राओं ने ट्यूशन की व्यवस्था नहीं की हैं। तुलनात्मक दृष्टि से स्पष्ट है कि छात्रों की तुलना में छात्राओं को ट्यूशन की सुविधा की अनुउपलब्धता अधिक हैं।

आवासीय पृष्ठभूमि पर विचार करने से यह तथ्य उजागर हुये कि ग्रामीण आवासीय पृष्ठभूमि के 3.87 प्रतिशत सूचनादाता ही ट्यूशन की व्यवस्था कर सके हैं,

96.13 प्रतिशत ट्यूशन की व्यवस्था करने में असमर्थ हैं। नगरीय आवासीय पृष्ठभूमि के 33.33 प्रतिशत सूचनादाता ने ट्यूशन की व्यवस्था की है, 66.67 प्रतिशत सूचनादाता ट्यूशन की व्यवस्था नहीं कर सके हैं। अतः स्पष्ट है कि नगरीय आवासीय पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों की अपेक्षा ग्रामीण पृष्ठभूमि के विद्यार्थी अधिक संख्या में हैं, जिनकी ट्यूशन की व्यवस्था नहीं हैं।

सामाजिक–आर्थिक स्तर पर विश्लेषण से ज्ञात होता है कि उच्च–सामाजिक आर्थिक स्तर के 53.33 प्रतिशत सूचनादाताओं ने ट्यूशन की व्यवस्था की है, 46.67 प्रतिशत ने ट्यूशन की व्यवस्था नहीं की है । मध्यम सामाजिक–आर्थिक स्तर के 45.71 प्रतिशत सूचनादाताओं ने ट्यूशन की व्यवस्था की है, 54.29 प्रतिशत सूचनादाताओं ने ट्यूशन की व्यवस्था नहीं की है । निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर के सूचनादाताओं में से केवल 0.63 प्रतिशत सूचनादाताओं को ट्यूशन की व्यवस्था उपलब्ध है, जबकि 99.37 प्रतिशत सूचनादाता ट्यूशन व्यवस्था से वंचित है । अतः तुलनात्मक दृष्टि से स्पष्ट है कि उच्च और मध्यम स्तर की सामाजिक–आर्थिक स्तर वाले विद्यार्थियों की तुलना में भिन्न सामाजिक–आर्थिक स्तर के विद्यार्थियों को शैक्षिक कठिनाई निवारण हेतु विशेष ट्यूशन व्यवस्था उपलब्ध नहीं है ।

शिक्षणेत्तर कार्यक्रमों में सहभागिता :

शिक्षा बालक का सर्वांगीण विकास करने की प्रक्रिया है । व्यापक अर्थ में शिक्षा बालक के व्यक्तित्व में अन्तर्निहित गुणों और विशेषताओं का प्रस्फुटन है । व्यक्तित्व निर्माण और गुणों में विशेषता का समावेश शैक्षिक ज्ञान के माध्यम से ही नहीं, वरन शिक्षणेत्तर क्रिया कलापों में बालक के सहभागिता पर भी निर्भर करती है । जैसे –खेलकूद, साँस्कृतिक कार्यक्रम, वाद–विवाद प्रतियोगिता आदि में भाग लेना । शिक्षणेत्तर कार्यक्रम बालक के खाली समय का सदुपयोग और मनोरंजन को

सम्भव बनाते हैं । बालक इनके द्वारा अनेक रचनात्मक प्रवत्तियों और सामाजिक गुणों के विकास को सम्भव बनाता है । ये कार्यक्रम सहयोग, स्पर्धा, अनुकंरण, नेतृत्व, अनुशासन, नियमबद्धता आदि सद्‌गुणों के विकास में सहायक सिद्ध होते हैं । शिक्षण–संस्था का वातावरण बौद्धिक, सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से विभिन्नतापूर्ण वातावरण में बालक को विरोधी व्यक्तित्व, विचार और दृष्टिकोण वाले व्यक्ति के साथ अन्तःक्रिया का अवसर प्रदान करके समायोजन और सामंजस्य को सम्भव बनाता है । अनुसूचित जाति के सन्दर्भ में शिक्षणेत्तर कार्यक्रमों में सहभागिता एक विशेष व महत्वपूर्ण स्थान रखती है । साँस्कृतिक कार्यक्रम इन विद्यार्थियों को अपनी योग्यता व कुशलता के प्रदर्शन का अवसर प्रदान करते हैं । इनके माध्यम से सामाजिक दूरी और विषमता की दरार को कम करने का अवसर भी मिलता है । साँस्कृतिक कार्यक्रम व अन्य शिक्षणेत्तर क्रियाकलाप अनुसूचित जाति के बालकों को सामाजिक क्रियाओं में समता के आधार पर सहभागिता के अवसर प्रदान करते हैं । अतः इस जाति के विद्यार्थियों के साँस्कृतिक व अन्य शिक्षणेतर कार्यक्रमों में सहभागिता उनकी अभिवृत्ति के आकलन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है । इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए सूचनादाताओं से पूछा गया कि उनकी विभिन्न शिक्षणेत्तर कार्यक्रमों में उनकी सहभागिता कितनी व कैसी है । प्राप्त उत्तरों के आधार पर अग्रांकित तालिका संख्या 7.8 में आँकड़ों का प्रदर्शन किया गया है ।

प्राप्त सूचनाओं के आधार पर यह तथ्य उजागर होता है कि अनुसूचित जाति के कुल सूचनादाताओं में से आधे से अधिक शिक्षणेत्तर कार्यक्रमों में सहभागिता नहीं करते हैं । शिक्षणेत्तर कार्यक्रमों में सहभागिता नहीं करने वाले उत्तरदाताओं का प्रतिशत 59.75 है । कुल उत्तरदाताओं में से 15.75 प्रतिशत खेलकूद, 12.00 प्रतिशत साँस्कृतिक कार्यक्रमों, 7.25 प्रतिशत वाद–विवाद प्रतियोगिताओं तथा 5.25 प्रतिशत

राष्ट्रीय सेवा योजना अथवा एन0सी0सी0 जैसे शिक्षणेत्तर कार्यक्रमों में अपनी सहभागिता निभाते हैं । अतः स्पष्ट है कि अधिकाँश अनुसूचित जाति के विद्यार्थी किसी शिक्षणेत्तर कार्यक्रमों में भाग नहीं लेते हैं जो उनके व्यक्तित्व के निर्माण में एक बड़ी बाधा है ।

तालिका संख्या – 7.8 सामाजिक परिवर्त्य एवं शिक्षणेत्तर कार्यक्रमों में सहभागिता

	सहभागी नही	खेलकूद	साँस्कृतिक कार्यक्रमं	वाद-विवाद प्रतियोगिता	एन.एस.एस. /एन.सी0सी0	योग
शैक्षिक स्तर						
स्नातक	213 (64.56)	51 (15.45)	35 (10.60)	19 (5.76)	12 (3.63)	330
परास्नातक	26 (37.14)	12 (17.14)	03 (18.58)	10 (14.28)	09 (12.86)	70
लैंगिक स्तर						
छात्र	147 (52.50)	55 (19.64)	39 (13.93)	25 (8.93)	14 (5.00)	280
छात्राएं	92 (76.67)	08 (6.67)	09 (7.50)	04 (3.33)	07 (5.83)	120
आवासीय पृष्ठभूमि						
ग्रामीण	197 (63.54)	47 (15.16)	38 (12.26)	21 (6.78)	07 (2.26)	310
नगरीय	42 (46.67)	16 (17.78)	10 (11.11)	08 (8.89)	14 (15.55)	90
सामाजिक–आर्थिक स्तर						
उच्च	–	05 (33.33)	05 (33.33)	02 (13.34)	03 (20.00)	15
मध्यम	35 (50.00)	07 (10.00)	10 (14.28)	08 (11.43)	10 (14.29)	70
निम्न	204 (64.76)	51 (16.19)	33 (10.47)	19 (6.04)	08 (2.54)	315
योग	239 (59.75)	63 (15.75)	48 (12.00)	29 (7.25)	21 (5.25)	400

शैक्षिक स्तर पर आँकलन करने से स्पष्ट है कि स्नातक स्तर के 64.56 प्रतिशत किसी कार्यक्रम में सहभागी नहीं है, 15.45 प्रतिशत-खेलकूद, 10.60 प्रतिशत

साँस्कृतिक कार्यक्रम, 5.76 प्रतिशत वाद–विवाद प्रतियोगिता तथा 3.63 प्रतिशत राष्ट्रीय सेवा योजना अथवा एन0सी0सी0 में भाग लेते हैं । परास्नातक स्तर के 37.14 प्रतिशत किसी कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लेते, 17.14 प्रतिशत खेलकूद, 18.58 प्रतिशत साँस्कृतिक कार्यक्रम, 14.28 प्रतिशत वाद–विवाद प्रतियोगिता तथा 12.86 प्रतिशत राष्ट्रीय सेवा योजना या एन0सी0सी0 जैसे कार्यक्रमों में अपनी सहभागिता निभाते है । अतः स्पष्ट है कि परास्नातक स्तर के विद्यार्थियों की तुलना में स्नातक स्तर के विद्यार्थी अधिक संख्या में किसी भी शिक्षणेतर कार्यक्रमों में भाग नहीं लेते हैं ।

लैंगिक आधार पर विश्लेषण से स्पष्ट है कि समस्त सूचनादाता छात्रों में से 52.50 प्रतिशत शिक्षणेतर कार्यक्रमों में असहभागी हैं । 19.64 प्रतिशत खेलकूद, 13.93 प्रतिशत साँस्कृतिक कार्यक्रम, 8.93 प्रतिशत वाद–विवाद प्रतियोगिताओं तथा 5.00 प्रतिशत छात्र राष्ट्रीय सेवा योजना या एन0सी0सी0 में भाग लेते है । समस्त सूचनादाता छात्राओं में से 76.67 प्रतिशत छात्राएं किसी भी शिक्षणेत्तर कार्यक्रम में सहभागिता नहीं निभातीं । 6.67 प्रतिशत छात्राएं खेलकूद, 7.5 प्रतिशत साँस्कृतिक कार्यक्रम 3.33 प्रतिशत वाद–विवाद प्रतियोगिता तथा 5.83 प्रतिशत राष्ट्रीय सेवा योजना में भाग लेती हैं । एन0सी0सी0 में इनकी सहभागिता का मुख्य कारण अध्ययन क्षेत्र के अन्तर्गत महाविद्यालयों में महिला एन0सी0सी0 यूनिट का न होना है । अतः स्पष्ट है कि छात्रों की तुलना में छात्राओं की अधिक संख्या में शिक्षणेत्तर कार्यक्रमों में असहभागिता पायी जाती है ।

आवासीय पृष्ठभूमि की दृष्टि से तथ्यों पर दृष्टिपात करने पर पाया गया है कि ग्रामीण पृष्ठभूमि के 63.54 प्रतिशत विद्यार्थी किसी शिक्षणेत्तर कार्यक्रम में भाग नहीं लेते । 15.16 प्रतिशत खेलकूद, 12.26 प्रतिशत साँस्कृतिक कार्यक्रम, 6.78 प्रतिशत वाद–विवाद प्रतियोगिता तथा 2.26 प्रतिशत राष्ट्रीय सेवा योजना या एन0सी0सी0 में

सहभागी है । नगरीय पृष्ठभूमि के 46.67 प्रतिशत विद्यार्थी किसी शिक्षणेत्तर कार्यक्रमों में भाग नहीं लेते, 17.78 प्रतिशत खेलकूद में, 11.11 प्रतिशत साँस्कृतिक कार्यक्रमों में, 8.89 प्रतिशत वाद–विवाद प्रतियोगिता में तथा 15.55 प्रतिशत राष्ट्रीय सेवा योजना या एन0सी0सी0 में भाग लेते हैं । अतः स्पष्ट है कि नगरीय स्तर की तुलना में ग्रामीण स्तर के विद्यार्थी अधिक संख्या में किसी भी शिक्षणेत्तर कार्यक्रमों में सहभागिता नहीं निभाते ।

सामाजिक आर्थिक स्तर के आधार पर सम्बन्ध देखने से स्पष्ट है कि उच्च सामाजिक आर्थिक स्तर के कोई भी छात्र ऐसे नहीं है, जो शिक्षणेत्तर कार्यक्रमों में सहभागिता न करते हों । 33.33 प्रतिशत खेलकूद और इतने ही 33.33 प्रतिशत साँस्कृतिक कार्यक्रमों, 13.34 प्रतिशत वाद–विवाद प्रतियोगिताओं तथा 20.00 प्रतिशत राष्ट्रीय सेवा योजना या एन0सी0सी0 में अपनी सहभागिता निभाते हैं । मध्यम सामाजिक–आर्थिक स्तर के सूचनादाताओं में से 50.00 प्रतिशत किसी शिक्षणेत्तर कार्यक्रम में भाग नहीं लेते, 10.00 प्रतिशत खेलकूद, 14.28 प्रतिशत साँस्कृतिक कार्यक्रम, 11.43 प्रतिशत वाद–विवाद प्रतियोगिता तथा 14.29 प्रतिशत राष्ट्रीय सेवा योजना या एन0सी0सी0 में भाग लेते है । निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर के 64.76 प्रतिशत सूचनादाता किसी शिक्षणेत्तर कार्यक्रम में भाग नहीं लेते, 16.19 प्रतिशत खेलकूद 10.47 प्रतिशत साँस्कृतिक कार्यक्रम, 6.04 प्रतिशत वाद–विवाद प्रतियोगिता तथा 2.54 प्रतिशत राष्ट्रीय सेवा योजना या एन0सी0सी0 जैसे शिक्षणेत्तर कार्यक्रमों में सहभागी है । अतः विश्लेषण से स्पष्ट है कि उच्च और मध्यम सामाजिक–आर्थिक स्तर के विद्यार्थियों की तुलना में निम्न सामाजिक–आर्थिक स्तर के उन विद्यार्थियों की संख्या अधिक है, जो किसी भी शिक्षणेत्तर कार्यक्रमों में सहभागी नहीं होते ।

अध्याय-अष्टम्

शैक्षिक मूल्य और सामाजिक जागरूकता

शैक्षिक मूल्य और सामाजिक जागरूकता

शैक्षिक मूल्यों और आकांक्षाओं का अध्ययन न केवल अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के भावी व्यावसायिक गतिशीलता पर प्रकाश ड़ालेगा वरन् इसके द्वारा उनके शैक्षणिक दृष्टिकोण, शैक्षणिक आकांक्षा के स्तर तथा शैक्षणिक जीवन से उत्पन्न पारिवारिक और व्यक्तिगत समस्याओं पर भी प्रकाश पड़ेगा ।

अतः इस अध्याय में शिक्षा के प्रति अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के दृष्टिकोण, मूल्यों और आकांक्षाओं का विश्लेषण किया जा रहा है। अध्ययन का उद्देश्य न केवल भावी शैक्षिक गतिशीलता को ज्ञात करना है, बल्कि यह भी पता लगाना है कि वर्तमान शिक्षा ने अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के व्यक्तिगत और पारिवारिक स्थिति में क्या परिर्वतन उत्पन्न किये हैं तथा शिक्षा ने, इन विद्यार्थियों, उनके परिवार तथा सामुदाय के मध्य किस प्रकार के बिलगाँव और पृथकता को उत्पन्न किया है।

शिक्षा के उद्देश्य –

शिक्षा एक उद्देश्यपूर्ण और निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने की प्रक्रिया है। साधरणतया शिक्षा का उद्देश्य ज्ञान प्राप्ति माना जाता है, परन्तु शिक्षा केवल ज्ञान–पिपासा से प्रेरित एक प्रक्रिया मात्र नहीं है अधिकतर समाजों मे शिक्षा को पद प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता है। प्रारम्भ में औपचारिक शिक्षा समाज के सम्पन्न और प्रतिष्ठित वर्ग के अधिकांश क्षेत्र की वस्तु थी, परन्तु आधुनिक काल में शिक्षा के प्रसार और शिक्षा के समानता की अवधारणा के कारण समाज के प्रत्येक वर्ग को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हो गया । निम्न वर्ग के सदस्यों के लिये शिक्षा नवीन सामाजिक प्रतिष्ठा और पद प्राप्त करने का माध्यम बन गयी।

आधुनिक काल में शिक्षा व्यक्ति और समाज की आर्थिक प्रगति का स्रोत मानी जाती है। शिक्षा और व्यवसाय का सम्बन्ध इतना अधिक घनिष्ठ हो

गया है कि शिक्षा को समाज के आर्थिक आधार का एक अंग माना जाना लगा। (वर्टम : 1962 48)।[1] विकासशील समाजों में शिक्षा, आधुनिकीकरण के द्वार खोलने की कुंजी हैं (फ्रेरिक एण्ड चार्ल्स : 1964 : 181) ।[2] विकसित देशों में शिक्षा आर्थिक श्रेष्ठता को बनाये रखने के लिये आवश्यक ज्ञान और क्षमता प्रदान करती है। व्यक्तिगत दृष्टि से शिक्षा जीविकोपार्जन का एक साधन हैं। अतः आधुनिक युग में शिक्षा और व्यवसायिक व्यवस्था अन्तः सम्बन्धित हो गयी है । विद्यार्थियों के सन्दर्भ में यह अन्तः सम्बन्ध और अधिक महत्वपूर्ण हैं। क्योंकि विषय का चुनाव और शैक्षणिक उपलब्धि भावी व्यावसायिक जीवन के स्वरूप का निर्धारण करती है । (गोरे : 1968 : 79)[3]

आधुनिक समाज में शिक्षा राजनीतिक सहभागिता का एक महत्वपूर्ण माध्यम है क्योंकि इसके द्वारा व्यक्ति के राजनीतिक जागरूकता का विकास होता है। उसके राजनीतिक मूल्यों और अभिवृत्तियों के स्वरूप का स्पष्टीकरण होता है तथा राजनीतिक व्यवस्था में उसकी सहभागिता की मात्रा और दिशा का निर्धारण भी होता है । स्कूल और कालेज न केवल बौद्धिक उपलब्धि के प्रतीक हैं बल्कि राजनीतिक व्यवस्था के निरन्तरता के आधार भी है (ड़ेविड ग्लास : 1961 : 395)।[4] अतः स्पष्ट है कि सामाजिक पद, सामाजिक गतिशीलता और सामाजिक सुरक्षा नागरिकता, आर्थिक लाभ, राजनैतिक प्रभावशीलता, आर्थिक एवं राजनैतिक व्यवस्था की निरन्तरता की दृष्टि से शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान है भारतीय समाज में अनुसूचित जाति का

1—Burtom, R. Clark : Educating the expert society. San Fransicico, Chandler, 1962, P. 48.
2—Frerick, H. and Charls, A.M. : Education man Power and Economic Growth, Stratigies of human resources development, New York, Mc Graw Hill, 1964, P. 181.
3—Gore, M.S. : Some Problems of educated Youth in India in appardorai (Ed.) India. Studies in Social and Political Development, 1847-1967, India, New Delhi, Asia Publishing House, 1968, P. 79.
4—David Glass : Education and social change in Modern World in Halsey et. al. (Eds.) education economy and society, The Free Press of Glincoe, New York, 1961. P. 21.

परम्परागत सामाजिक आर्थिक और साँस्कृतिक जीवन अत्याधिक पिछड़ा रहा।

तालिका संख्या - 8.1 सामाजिक परिवर्त्य एवं शिक्षा का उद्देश्य

	ज्ञान का प्रसार	योग्यता एवं क्षमता का विकास	जीविकोपार्जन का साधन	सामाजिक पद व प्रतिष्ठा में वृद्धि	चरित्र व अनुशासन का विकास	योग
शैक्षिक स्तर						
स्नातक	20 (6.06)	50 (15.15)	118 (35.76)	124 (37.56)	18 (5.47)	330
परास्नातक	23 (32.85)	11 (15.71)	05 (7.14)	20 (28.58)	11 (15.71)	70
लैंगिक स्तर						
छात्र	13 (4.65)	33 (11.78)	100 (35.71)	113 (40.36)	21 (7.50)	280
छात्राएं	30 (25.00)	28 (23.33)	23 (19.17)	31 (25.83)	08 (6.67)	120
आवासीय पृष्ठभूमि						
ग्रामीण	24 (7.74)	44 (14.19)	110 (35.48)	109 (35.16)	23 (7.43)	310
नगरीय	19 (21.11)	17 (18.89)	13 (14.44)	35 (38.89)	06 (6.67)	90
सामाजिक–आर्थिक स्तर						
उच्च	04 (26.67)	05 (33.33)	02 (13.33)	04 (36.67)	—	15
मध्यम	11 (15.72)	05 (7.14)	20 (28.57)	29 (41.43)	05 (7.14)	70
निम्न	28 (8.89)	51 (16.19)	101 (32.06)	111 (35.24)	24 (7.62)	315
योग	43 (10.75)	61 (15.25)	123 (30.75)	144 (36.00)	29 (7.25)	400

शिक्षा के उद्देश्य विद्यार्थी के शैक्षिक मूल्य और उसकी सामाजिक जागरूकता को प्रभावित करते हैं । अतः उनके शिक्षा ग्रहण करने के उद्देश्य की जानकारी से सामाजिक रूप से उनके अन्दर जागरूकता में क्या परिर्वतन आ रहा है और उनके

मूल्यों में कितना परिर्वतन हो रहा है इसका अनुमान लगाया जा सकता है । इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये सूचनादाताओं से प्रश्न किया गया कि उनके शिक्षा ग्रहण करने का क्या उद्देश्य है क्या वे ज्ञान के प्रसार के लिये शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं या अपनी योग्यता व क्षमता का विकास करने के लिये शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं ? या शिक्षा को जीवकोपार्जन का साधन मान रहे हैं ? या समाज में प्रतिष्ठा पाने की लालसा से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं ? अथवा अपने चरित्र एवं अनुशासन का विकास करना चाहते हैं । प्राप्त सूचना के आधार पर जो आंकड़े प्राप्त हुये उन्हें उपरोक्त तालिका संख्या 8.1 में दर्शाते हुए उनकी जागरूकता का अनुमान लगाया गया है।

समस्त सूचनादाताओं में से 10.75 प्रतिशत ने यह माना है कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य ज्ञान का विस्तार करना है, 15.25 प्रतिशत ने शिक्षा को योग्यता एवं क्षमता के विकास में सहायक माना है, 30.75 प्रतिशत ने शिक्षा के जीवकोपार्जन का साधन उपलब्ध कराने वाली माना है। 36.00 प्रतिशत सूचनादाता शिक्षा को समाज में प्रतिष्ठा और उच्च पद दिलाने वाली माना है । 7.25 प्रतिशत सूचनादाताओं ने शिक्षा को चरित्र निर्माण एवं अनुशासन को विकसित करने में सहायक माना है। तुलनात्मक अध्ययन से स्पष्ट है कि अधिकांश सूचनादाताओं ने सामाजिक पद व प्रतिष्ठा में वृद्धि के उद्देश्य से शिक्षा ग्रहण करना स्वीकार किया है परन्तु शिक्षा को जीवकोपार्जन के साधन के रूप में प्रयोग करने वाले विद्यार्थियों की संख्या भी अधिक है । समाज के पिछड़े और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के होने के नाते जीवकोपार्जन का उद्देश्य होना स्वाभाविक ही है।

शैक्षिक स्तर पर विवेचना करने पर यह पाया गया कि स्नातक स्तर के सभी सूचनादाताओं में से 6.06 प्रतिशत शिक्षा के उद्देश्य को ज्ञान का प्रसार करना, 15.15 प्रतिशत ने योग्यता एवं क्षमता का विकास करना, 35.76 प्रतिशत ने जीविकोपार्जन का

साधन, 37.56 प्रतिशत ने समाज में पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि तथा 5.47 प्रतिशत ने शिक्षा का उद्देश्य चरित्र व अनुशासन के विकास के लिये अनिवार्य माना है, इसी प्रकार परास्नास्तक स्तर के सूचनादाताओं में से 32.86 प्रतिशत ने शिक्षा का उद्देश्य ज्ञान का प्रसार, 15.71 प्रतिशत ने शिक्षा को योग्यता एवं क्षमता का विकास करने के उद्देश्य से, 7.14 प्रतिशत ने जीवकोपार्जन के उद्देश्य से, 28.58 प्रतिशत ने समाज में पद व प्रतिष्ठा बढ़ाने के उद्देश्य से, 15.71 प्रतिशत ने चरित्र निर्माण व अनुशासन के विकास के उद्देश्य से शिक्षा ग्रहण करना स्वीकार किया है । तुलनात्मक दृष्टि से शिक्षा के उद्देश्य और विद्यार्थियों की जागरूकता के सम्बन्ध में स्पष्ट है कि परास्नातक स्तर की तुलना में स्नातक स्तर के विद्यार्थी अधिक संख्या में शिक्षा का उद्देश्य समाज में पद व प्रतिष्ठा की वृद्धि करना मानते हैं।

लैंगिक स्तर पर प्राप्त आंकड़ों से स्पष्ट है कि समस्त छात्रों में से 4.65 प्रतिशत शिक्षा का उद्देश्य ज्ञान का प्रसार करना, 11.78 प्रतिशत योग्यता एवं क्षमता का विकास करना, 35.71 प्रतिशत जीविकोपार्जन का साधन होना, 40.36 प्रतिशत समाज में पद व प्रतिष्ठा में वृद्धि करने में सहायक तथा 7.50 प्रतिशत शिक्षा को चरित्र निर्माण तथा अनुशासन विकास में सहायक मानते हैं । समस्त उत्तरदाता छात्राओं में से 25.00 प्रतिशत शिक्षा का उद्देश्य ज्ञान का प्रसार करना, 23.33 प्रतिशत योग्यता एवं क्षमता के विकास में सहायक, 19.17 प्रतिशत जीविकोपार्जन में सहायक साधन के रूप में, 25.83 प्रतिशत समाज में पद व प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिये तथा 6.67 प्रतिशत शिक्षा को चरित्र निर्माण तथा अनुशासन के विकास में सहायक मानती हैं। तुलनात्मक दृष्टि से छात्राओं की तुलना में छात्र अधिक संख्या में यह मानते हैं कि शिक्षा ग्रहण करने का उद्देश्य समाज में पद व प्रतिष्ठा में वृद्धि करना है तथा अधिकांश छात्र शिक्षा का उद्देश्य जीविकापार्जन करने का साधन भी मानते हैं ।

आवासीय पृष्ठभूमि के आधार पर आंकडे देखने से पता लगता है कि 7.74 प्रतिशत ग्रामीण एवं 21.11 प्रतिशत नगरीय सूचनादाता ज्ञान के प्रसार को, 14.19 प्रतिशत ग्रामीण एवं 18.89 प्रतिशत नगरीय सूचनादाता योग्यता एवं क्षमता के विकास को, 35.48 प्रतिशत ग्रामीण एवं 14.44 प्रतिशत नगरीय सूचनादाता जीविकोपर्जन के साधन को, 35.16 प्रतिशत ग्रामीण एवं 38.89 प्रतिशत नगरीय सामाजिक पद व प्रतिष्ठा में वृद्धि को तथा 7.43 प्रतिशत ग्रामीण एवं 6.67 प्रतिशत नगरीय सूचनादाता चरित्र व अनुशासन के विकास को शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य मानते हैं। अतः कहा जा सकता है कि अधिकांश ग्रामीण सूचनादाता जीविकोपार्जन के साधन एवं सामाजिक पद व प्रतिष्ठा में वृद्धि को लगभग समान रूप से शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य मानते हैं। जबकि अधिकांश नगरीय सूचनादाता सामाजिक पद व प्रतिष्ठा में वृद्धि को शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य मानते हैं।

सामाजिक–आर्थिक स्तर के आधार पर आंकडों में विश्लेषण से स्पष्ट है कि 26.67 प्रतिशत उच्च, 15.72 प्रतिशत मध्यम स्तर के एवं 8.89 प्रतिशत निम्न स्तर के सूचनादाता ज्ञान के प्रसार को शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य मानते हैं, 33.33 प्रतिशत उच्च, 7.14 प्रतिशत मध्यम एवं 16.19 प्रतिशत निम्न स्तर के सूचनादाता योग्य एवं क्षमता के विकास, 13.33 प्रतिशत उच्च, 28.57 प्रतिशत मध्यम एवं 32.06 प्रतिशत निम्न स्तर के सूचनादाता जीविकोपार्जन के साधन को शिक्षा का मुख्य उद्देश्य मानते हैं। 26.67 प्रतिशत उच्च, 41.43 प्रतिशत मध्यम एवं 35.24 प्रतिशत निम्न स्तर के सूचनादाता सामाजिक पद एवं प्रतिष्ठा में वृद्धि तथा 7.14 प्रतिशत मध्यम एवं 7.62 प्रतिशत निम्न स्तर के सूचनादाता चरित्र व अनुशासन का विकास शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य मानते हैं। इस प्रकार कह सकते हैं कि उच्च सामाजिक–आर्थिक स्तर के अधिकाँश सूचनादाता योग्यता एवं क्षमता का विकास, शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य मध्यम स्तर के अधिकांश सूचनादाता सामाजिक पद व प्रतिष्ठा में वृद्धि शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य तथा निम्न स्तर

के अधिकांश सूचनादाता जीविकोपार्जन के साधन को, शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य मानते हैं।

तालिका संख्या-8.2 सामाजिक परिवर्त्य एवम् स्त्री शिक्षा के प्रति विचार

	शिक्षा नहीं	केवल प्राइमरी	केवल हाईस्कूल	उच्च शिक्षा	योग
शैक्षिक स्तर					
स्नातक	17 (5.16)	117 (35.46)	98 (29.69)	98 (29.69)	330
परास्नातक	01 (1.43)	06 (8.57)	30 (42.86)	33 (47.14)	70
लैंगिक स्तर					
छात्र	16 (5.72)	122 (43.57)	118 (42.14)	24 (8.57)	280
छात्राएं	02 (1.66)	01 (0.83)	10 (8.30)	107 (89.21)	120
आवासीय पृष्ठभूमि					
ग्रामीण	17 (5.48)	122 (39.36)	109 (35.16)	62 (20.00)	310
नगरीय	01 (1.11)	01 (1.11)	19 (21.11)	69 (76.67)	90
सामाजिक-आर्थिक स्तर					
उच्च	01 (6.67)	02 (13.33)	02 (13.33)	10 (66.67)	15
मध्यम	02 (2.86)	05 (7.14)	42 (60.00)	21 (30.00)	70
निम्न	15 (4.76)	116 (36.83)	84 (26.67)	100 (31.74)	315
योग	18 (4.50)	123 (30.75)	128 (32.00)	131 (32.75)	400

स्त्री शिक्षा के प्रति विचार -

परम्परागत भारतीय समाज में स्त्रियों की शैक्षिक स्थिति अत्यन्त निम्न रही

है। अनुसूचित जातियों में स्त्रियों की शिक्षा नहीं के बराबर रही है। इन परिवारों में स्त्रियों का कार्य परिवार की देखरेख तथा जीविकोपार्जन में सहयोग रहा है। कृषक मजदूर या अन्य दूसरे प्रकार की मजदूरी के द्वारा की जाने वाली आर्थिक क्रियाओं में सम्मिलित कर, परिवार की आय वृद्धि करना, इस समुदाय में स्त्रियों की प्रमुख भूमिका रही है, परन्तु आधुनिक काल के अनुसूचित जाति के शिक्षा के प्रसार और आर्थिक स्थिति की उन्नति के साथ-साथ स्त्री शिक्षा की आवश्यकता का अनुभव किया जाने लगा है तथा संकलन के समय स्त्री शिक्षा के सीमित प्रसार का स्वरूप देखने को मिला है।

वर्तमान अध्ययन के सूचनादाताओं का ध्यान स्त्री शिक्षा की ओर आकर्षित करते हुये पूछा गया है कि उनके विचारानुसार अनुसूचित जाति की स्त्रियों को किस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिये। प्राप्त उत्तरों से यह जानकारी प्राप्त होती है कि 4.50 प्रतिशत सूचनादाता स्त्री शिक्षा का अनुमोदन नहीं करते, 30.75 प्रतिशत सूचनादाताओं ने प्राइमरी स्तर, 32.00 प्रतिशत सूचनादाताओं ने हाईस्कूल स्तर और 32.75 प्रतिशत सूचनादाताओं ने उच्च शैक्षिक स्तर का अनुमोदन किया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि अनुसूचित जाति के अधिकांश विद्यार्थी, स्त्री शिक्षा के अनुमोदक है, परन्तु अधिकांश सूचनादाता हाईस्कूल तक स्त्रियों की शिक्षा का मत व्यक्त करते हैं।

शैक्षिक स्तर पर आधारित आंकड़ों को देखने से पता चलता है कि स्नातक स्तर के 5.16 प्रतिशत सूचनादाता एवं परास्नातक स्तर के 1.43 प्रतिशत सूचनादाताओं का मानना है कि स्त्रियों को शिक्षा नहीं दी जानी चाहिये। स्नातक स्तर के 35.46 प्रतिशत एवं परास्नातक स्तर के 8.57 प्रतिशत सूचनादाताओं का मानना है कि स्त्रियों को केवल प्राइमरी स्तर तक शिक्षा दी जानी चाहिये । स्नातक स्तर के 29.69 प्रतिशत एवं परास्नातक स्तर के 42.86 प्रतिशत सूचनादाताओं के अनुसार हाईस्कूल स्तर तक

तथा स्नातक स्तर के 29.69 प्रतिशत एवं परास्नातक स्तर के 47.14 प्रतिशत के सूचनादाताओं के अनुसार स्त्रियों को उच्च शिक्षा दी जानी चाहिये । इस प्रकार स्नातक स्तर के सर्वाधिक सूचनादाता स्त्रियों को केवल प्राईमरी स्तर तक शिक्षा देने के पक्ष में है जबकि परास्नातक स्तर के सर्वाधिक सूचनादाताओं ने स्त्रियों को उच्च शिक्षा दिये जाने की बात कही है।

लैंगिक स्तर के आधार पर आंकडों को देखने से पता चलता है कि 5.72 प्रतिशत छात्र एवं 1.66 प्रतिशत छात्रायें स्त्रियों को शिक्षा नहीं देने की बात करती हैं/ 43.97 प्रतिशत छात्र एवं 0.83 प्रतिशत छात्राये स्त्रियों को प्राइमरी स्तर तक शिक्षा दिये जाने की बात करती हैं/ 42.14 प्रतिशत छात्र एवं 8.30 प्रतिशत छात्रायें स्त्रियों को हाईस्कूल स्तर तक तथा 8.57 प्रतिशत छात्रायें व 89.21 प्रतिशत छात्रायें स्त्रियों की उच्च शिक्षा की समर्थक हैं । इस प्रकार सर्वाधिक छात्र स्त्रियों को केवल प्राइमरी स्तर तक शिक्षा देने की बात करते है जबकि सर्वाधिक छात्रायें स्त्रियों को उच्च शिक्षा दिये जाने की बात करती हैं।

आवासीय पृष्ठभूमि के आधार पर आंकड़ो के वर्गीकरण से स्पष्ट है कि 5.48 प्रतिशत ग्रामीण एवं 1.11 प्रतिशत नगरीय सूचनादाता स्त्रियों को शिक्षा नहीं दिये जाने की बात करते हैं/ 39.36 प्रतिशत ग्रामीण एवं 1.11 प्रतिशत नगरीय स्त्रियों को प्राइमरी स्तर तक, 35.16 प्रतिशत ग्रामीण एवं 21.11 प्रतिशत नगरीय सूचनादाता स्त्रियों को हाईस्कूल स्तर तक तथा 20.00 प्रतिशत ग्रामीण एवं 76.67 प्रतिशत नगरीय सूचनादाता स्त्रियों को उच्च शिक्षा देने के पक्ष में हैं। अतः कहा जा सकता है कि ग्रामीण स्तर के सर्वाधिक सूचनादाताओं का मत है कि स्त्रियों को प्राइमरी स्तर तक शिक्षा दी जाने चाहिये जबकि अधिकाँश नगरीय सूचनादाताओं का मानना है कि स्त्रियों को उच्च शिक्षा दी जानी चाहिए ।

सामाजिक आर्थिक स्तर के आधार पर प्राप्त आंकडें यह प्रदशित करते हैं कि उच्च स्तर के 6.67 प्रतिशत मध्यम के 2.86 प्रतिशत एवं निम्न स्तर के 4.76 प्रतिशत सूचनादाता स्त्री शिक्षा नहीं चाहते/ उच्च स्तर के 13.33 प्रतिशत, मध्यम के 7.14 प्रतिशत एवं निम्न के 36.83 प्रतिशत स्त्री शिक्षा प्राइमरी स्तर तक, उच्च स्तर के 13.33 प्रतिशत, मध्यम के 60.00 प्रतिशत एवं निम्न स्तर के 26.67 प्रतिशत सूचनादाता स्त्री शिक्षा हाईस्कूल स्तर तक तथा उच्च स्तर के 66.67 प्रतिशत मध्यम स्तर के 30.00 प्रतिशत एवं निम्न स्तर के 31.74 प्रतिशत सूचनादाता स्त्री शिक्षा उच्च स्तर तक दिये जाने के पक्ष में हैं। अतः यह कह सकते हैं कि उच्च सामाजिक आर्थिक स्तर के सर्वाधिक सूचनादाता का मानना है कि स्त्रियों को उच्च शिक्षा दी जानी चाहिये मध्यम स्तर के सर्वाधिक सूचनादाताओं का मानना है कि स्त्रियों को हाईस्कूल स्तर तक शिक्षा दी जानी चाहिये जबकि निम्न स्तर के सर्वाधिक सूचनादाताओं का मानना है कि स्त्री शिक्षा प्राइमरी स्तर तक दी जानी चाहिये । अतः विश्लेषण से स्पष्ट है कि मध्यम तथा निम्न स्तर के सूचनादाताओं की तुलना में उच्च समाजिक आर्थिक स्तर के सूचनादाता स्त्री शिक्षा को उच्च स्तर तक दिये जाने के पक्ष में हैं।

शैक्षिक लक्ष्य पूर्ति की संभावना -

शैक्षिक लक्ष्य को निर्धारित करना एक तथ्य है तथा उसके प्राप्ति की संभावना द्वितीय महत्वपूर्ण विषय है। विद्यार्थियों के द्वारा शैक्षिक लक्ष्य पूर्ण होने की सम्भावना में आस्था न केवल उनके विश्वास एवं दृढ़ता का परिचायक है बल्कि वस्तुस्थिति के प्रति उनकी जागरूकता एवं व्यवहारिता की भी परिचायक है। अनुसूचित जाति के विद्यार्थी जिनकी पारिवारिक और आर्थिक परिस्थितियाँ अत्यन्त जटिल एवं विषमतापूर्ण हैं तथा पद और प्रतिष्ठा का संक्रमण जिसके लिये एक अत्यन्त कठिन कार्य हैं। ऐसे विद्यार्थियों के लिये शैक्षिक लक्ष्य प्राप्त करना एक कठिन कार्य है।

तालिका संख्या-8.3 सामाजिक परिवर्त्य एवम् शैक्षिक लक्ष्यपूर्ति की सम्भावना

	हाँ	नहीं	कह नहीं सकते	योग
शैक्षिक स्तर				
स्नातक	166 (50.30)	120 (36.36)	44 (13.34)	330
परास्नातक	55 (78.57)	14 (20.00)	01 (01.43)	70
लैंगिक स्तर				
छात्र	176 (62.86)	93 (33.21)	11 (3.93)	280
छात्राएं	45 (37.50)	41 (34.20)	34 (28.30)	120
आवासीय पृष्ठभूमि				
ग्रामीण	159 (51.29)	116 (37.42)	35 (11.29)	310
नगरीय	62 (68.89)	18 (20.00)	10 (11.11)	90
सामाजिक–आर्थिक स्तर				
उच्च	13 (86.66)	01 (6.67)	01 (6.67)	15
मध्यम	45 (64.29)	15 (21.42)	10 (14.29)	70
निम्न	163 (51.74)	118 (37.47)	34 (10.79)	315
योग	221 (55.25)	134 (33.50)	45 (11.25)	400

वर्तमान अध्ययन के सूचनादाताओं से इस सम्बन्ध में अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने के लिए जब यह पूछा गया कि वे अपने शैक्षिक लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे या नहीं । प्राप्त उत्तरों से ज्ञात होता है कि 55.25 प्रतिशत सूचनादाताओं का विश्वास है कि वे अपने शैक्षिक लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे । 33.50 प्रतिशत यह अनुभव करते हैं कि वे अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पायेंगे तथा 11.25 प्रतिशत सूचनादाताओं ने इस सम्बन्ध में किसी स्पष्ट मत का उल्लेख नहीं किया है । अतः स्पष्ट है कि अधिकाँश सूचनादाता आशावादी प्रकृति के हैं और उन्हें यह विश्वास है कि वे अपने निर्धारित

शैक्षिक लक्ष्य को अवश्य पूरा कर लेंगे । यह तथ्य अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के बढ़ते हुए आत्म विश्वास एवं प्रभावशीलता का परिचायक है ।

शैक्षिक स्तर के आधार पर प्राप्त आँकड़ों से विदित होता है कि 50.30 प्रतिशत स्नातक स्तर के एवं 78.57 प्रतिशत परास्नातक स्तर के सूचनादाता यह मानते हैं कि वे अपने शैक्षिक लक्ष्य को पा लेगें तथा स्नातक स्तर के 36.36 प्रतिशत एवं परास्नातक स्तर के 20.00 प्रतिशत सूचनादाताओं का मत है कि वह अपना शैक्षिक लक्ष्य नहीं पा पायेगें जबकि स्नातक स्तर के 13.34 प्रतिशत एवं परास्नातक स्तर के 1.34 प्रतिशत सूचनादाताओं ने इस सम्बन्ध में कुछ कहने में अनिश्चता प्रदर्शित की । अतः कह सकते हैं कि स्नातक स्तर के सूचनादाताओं के तुलना में परास्नातक स्तर के सूचनादाताओं को यह विंश्वास अधिक है कि वे अपने शैक्षिक लक्ष्य को प्राप्त कर लेगें।

लैंगिक स्तर के आधार पर व्यवस्थित किये गये आंकड़े प्रदर्शित करते हैं कि 62.86 प्रतिशत छात्र एवं 37.50 प्रतिशत छात्राओं का यह विश्वास है कि वे अपने शैक्षिक लक्ष्य को प्रात कर लेगें तथा 33.21 प्रतिशत छात्र 34.20 प्रतिशत छात्राओं को यह विश्वास नहीं है कि जबकि शेष स्पष्ट कहने में असमर्थ रहें । अतः कहा जा सकता है कि छात्राओं की तुलना में अपना लक्ष्य प्राप्त करने में ज्यादा विश्वास है।

आवासीय पृष्ठभूमि के आधार पर आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि 51.29 प्रतिशत ग्रामीण एवं 68.89 प्रतिशत नगरीय सूचनादाता यह मानते हैं कि वे अपना शैक्षिक लक्ष्य प्राप्त करनें में सफल होगे तथा 37.42 प्रतिशत ग्रामीण एवं 20.00 प्रतिशत नगरीय सूचनादाताओं का मानना है कि वे अपने शैक्षिक लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पायेगें जबकि शेष सूचनादाता अनिश्चय की स्थिति में हैं। अतः ग्रामीण सूचनादाताओं से नगरीय सूचनादाताओं में अपने शैक्षिक लक्ष्य प्राप्ति में अधिक गहन विश्वास है।

सामाजिक आर्थिक स्तर के आधार पर प्राप्त किये गये आंकडों को देखने से पता चलता है कि उच्च स्तर के 86.66 प्रतिशत मध्यम के 64.29 प्रतिशत एवं निम्न के 51.74 प्रतिशत सूचनादाता यह मानते हैं कि वे अपने शैक्षिक लक्ष्य प्राप्त कर लेगें 6.67 प्रतिशत उच्च स्तर के, 21.42 प्रतिशत मध्यम स्तर के एवं 37.47 प्रतिशत निम्न स्तर के सूचनादाताओं का मानना है कि वे अपना शैक्षिक लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पायेगें जबकि शेष ने स्पष्ट राय नहीं दी हैं इस प्रकार स्पष्ट हैं कि उच्च स्तर के सूचनादाताओं के शैक्षिक लक्ष्य प्राप्त कर लेने का विश्वास सबसे अधिक हैं।

परिवार तथा शैक्षिक लक्ष्य पूर्ति में बाधा -

अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के शैक्षिक लक्ष्य का दृढ़ता, आत्म विश्वास एवं व्यक्तिगत प्रभावशीलता का अध्ययन करते हुये उनसे यह पूछा गया कि यदि उनका परिवार भविष्य में उन्नत शिक्षा प्राप्त न करने दे तो क्या ऐसी दशा में वे अपने अध्ययन को अविरल रखते हुये अपने शैक्षिक लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। प्राप्त उत्तरों के आंकड़ों का प्रदर्शन अग्रांकित तालिका संख्या 8.4 में किया गया है । प्राप्त उत्तरों से ज्ञात हुआ कि 20.75 प्रतिशत सूचनादाता अध्ययन छोड़ देगें 36.75 प्रतिशत सूचनादाता स्वतन्त्र रूप से अध्ययनकारी रहेंगे। 31.25 प्रतिशत सूचनादाता परिवार के लोगों को प्रेरित करेगें तथा 11.25 प्रतिशत सूचनादाता स्पष्ट उत्तर नहीं दे पाये इससे यह आभास होता है कि अनुसूचित जाति में स्वावलम्बन एवं स्वतन्त्र मनोवृत्ति का विकास हो रहा हैं तथा वे शैक्षिक समस्याओं के सम्बन्ध में परिवार के इच्छा या अनिच्छा को उतना अधिक महत्वपूर्ण स्थान प्रदान नहीं करते जितना अपने व्यक्तिगत हित, महत्वाकांक्षा और भावी शैक्षिक एवं व्यावसायिक लक्ष्य को महत्व प्रदान करते हैं।

शैक्षिक स्तर के आधार पर आंकड़ो के वर्गीकरण को देखने से ज्ञात होता है कि स्नातक स्तर के 22.72 प्रतिशत परास्नातक स्तर के 11.42 प्रतिशत सूचनादाताओं

तालिका संख्या-8.4 सामाजिक परिवर्त्य एवम् परिवार द्वारा शैक्षिक लक्ष्य पूर्ति में बाधा

	अध्ययन छोड़ देंगे	स्वतन्त्र रूप से अध्ययन जारी रखेंगे	परिवार के लोगों को प्रेरित करेंगे	कह नहीं सकता	योग
शैक्षिक स्तर					
स्नातक	75 (22.72)	120 (36.36)	105 (31.82)	30 (9.10)	330
परास्नातक	08 (11.42)	27 (38.58)	20 (28.58)	15 (25.42)	70
लैंगिक स्तर					
छात्र	25 (8.92)	134 (47.86)	100 (35.72)	21 (7.50)	280
छात्राएं	58 (48.34)	13 (10.83)	25 (20.83)	24 (20.00)	120
आवासीय पृष्ठभूमि					
ग्रामीण	76 (24.52)	100 (32.26)	89 (28.70)	45 (14.52)	310
नगरीय	07 (7.78)	47 (52.22)	36 (40.00)	—	90
सामाजिक–आर्थिक स्तर					
उच्च	01 (6.66)	07 (46.67)	07 (46.67)	—	15
मध्यम	06 (8.57)	25 (35.71)	29 (41.43)	10 (14.29)	70
निम्न	76 (24.13)	115 (36.50)	89 (28.25)	35 (11.12)	315
योग	83 (20.75)	147 (36.75)	125 (31.25)	45 (11.25)	400

का मत है कि परिवार द्वारा सहयोग न करने पर वह अध्ययन छोड़ देंगे । स्नातक स्तर के 36.36 प्रतिशत एवं परास्नातक स्तर के 38.58 प्रतिशत सूचनादाताओं का मानना है कि ऐसी स्थिति में वे स्वतन्त्र रूप से अध्ययन जारी रखेगें तथा स्नातक स्तर के 31.82 प्रतिशत एवं परास्नातक स्तर के 28.58 प्रतिशत का कहना है कि ऐसी स्थिति में

परिवार के लोगों को प्रेरित करेगें तथा शेष ने स्पष्ट राय नहीं दी हैं। अतः कह सकते है कि दोनों स्तर के अधिकांश सूचनादाता इस मत के हैं कि परिवार द्वारा सहयोग न करने पर वह अपना अध्ययन जारी रखेगें जिनमें परास्नातक स्तर के विद्यार्थियों की संख्या अधिक स्वतन्त्र रूप से हैं।

लैंगिक स्तर के आधार पर यह बताते है कि 8.52 प्रतिशत छात्र एवं 48.34 प्रतिशत छात्राएं परिवार के सहयोग न करने पर अध्ययन छोड़ देगे, 47.86 प्रतिशत छात्र 10.83 प्रतिशत छात्राएं स्वतन्त्र रूप से अध्ययन जारी रखेगे, 35.72 प्रतिशत छात्र एवं 20.83 प्रतिशत छात्राएं परिवार के लोगों को प्रेरित करेगें तथा शेष 7.50 प्रतिशत छात्र एवं 20.00 प्रतिशत छात्राएं इस सम्बन्ध में अनिश्चिता की स्थिति में हैं। इस प्रकार अधिकांश छात्रों का कहना हैं कि वे स्वतन्त्र रूप से अध्ययन जारी रखेगें जबकि अधिकांश छात्राओं का कहना कि वह अध्ययन छोड़ देगीं।

आवासीय पृष्ठभूमि के आधार पर आंकड़ों के विश्लेषण से पता चल रहा है कि परिवार के सहयोग न करने पर 24.52 प्रतिशत ग्रामीण एवं 7.78 प्रतिशत नगरीय सूचनादाता अध्ययन छोड़ देगे 32.26 प्रतिशत ग्रामीण एवं 52.22 प्रतिशत नगरीय सूचनादाता स्वतन्त्र रूप से अध्ययन जारी रखेगे, 28.70 प्रतिशत ग्रामीण एवं 40.00 प्रतिशत सूचनादाता परिवार को प्रेरित करेगें तथा शेष ने कोई मत नहीं दिया । अतः दोनों पृष्ठभूमि में ज्यादातर सूचनादाता ऐसी स्थिति में स्वतन्त्र रूप से अध्ययन करने के पक्ष में हैं।

सामाजिक आर्थिक स्थिति के आधार पर विश्लेषित आंकड़ों को देखने से पता चलता है कि परिवार द्वारा सहयोग न करने की स्थिति में उच्च स्तर के 6.67 प्रतिशत, मध्यम स्तर के 8.57 प्रतिशत एवं निम्न स्तर के 24.13 प्रतिशत सूचनादाता अध्ययन छोड़ देगे उच्च स्तर के 46.67 प्रतिशत, मध्यम के 35.71 प्रतिशत एवं निम्न के

36.50 प्रतिशत सूचनादाता स्वतन्त्र रूप से अध्ययन करते रहेंगे। उच्च स्तर के 46.67 प्रतिशत, मध्यम के 41.43 प्रतिशत एवं निम्न के 28.25 प्रतिशत सूचनादाता परिवार के लोगों को प्रेरित करेगें। शेष ने स्पष्ट मत व्यक्त नहीं किया। अतः उच्च स्तर के सर्वाधिक सूचनादाताओं का कहना है कि वे परिवार के सदस्यों को प्रेरित करेगें तथा मध्यम स्तर के अधिकांश सूचनादाताओं का कहना है कि वे भी परिवार के लोगों को प्रेरित करेगें तथा यह भी पाया गया कि मध्यम और निम्न कि तुलना में उच्च सामाजिक आर्थिक स्तर के अधिकाँश सूचनादाता पारिवारिक बाधाओं के बावजूद भी अपना अध्ययन स्वतन्त्र रूप से जारी रखेगें।

व्यवसाय और शैक्षिक लक्ष्य पूर्ति में बाधा -

विद्यार्थियों के शैक्षिक लक्ष्य पूर्ती सम्बन्धी दृढ़ता और विश्वास का अध्ययन करते हुये उनसे पुनः पूछा गया यदि उन्हें निकट भविष्य में कोई रोजगार या नौकरी का अवसर प्राप्त हो जाये तो क्या वे अपने भावी शिक्षा के लक्ष्य को स्थगित कर देगें। प्राप्त आंकडों को अग्रांकित तालिका संख्या 8.5 में प्रदर्शित किया गया हैं। प्राप्त उत्तरों से विदित होता है कि रोजगार या नौकरी मिलने की दशा में 69.50 प्रतिशत सूचनादाता अपने अध्ययन कार्य को स्थगित कर देगें, 15.75 प्रतिशत ऐसी स्थिति में भी वे अपने शैक्षिक कार्यक्रम की पूर्ति करेगें, रोजगार छोड देगें तथा शेष 14.75 प्रतिशत सूचनादाताओं ने अपना स्पष्ट मत नहीं दिया । अतः स्पष्ट है कि अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों में व्यवसाय की उत्कण्ठा उच्च शिक्षा से अधिक है।

शैक्षिक स्तर के आधार पर आंकडों के विश्लेषण से यह पता चलता है कि रोजगार प्राप्त होने की स्थिति में स्नातक स्तर के 70.90 प्रतिशत एवं परास्नातक स्तर के 62.86 प्रतिशत सूचनादाता रोजगार करेगें, 12.73 प्रतिशत स्नातक स्तर के एवं 30.0 प्रतिशत परास्नातक स्तर के सूचनादाता रोजगार छोड देगें और अध्ययन करेगें

तालिका संख्या-8.5 सामाजिक परिवर्त्य एवम् रोजगार प्राप्ति पर शैक्षिक लक्ष्य पूर्ति में बाधा

	रोजगार करेंगे	रोजगार नही वरन अध्ययन करेंगे	कह नहीं सकते	योग
शैक्षिक स्तर				
स्नातक	234 (70.90)	42 (12.73)	54 (16.37)	330
परास्नातक	44 (62.86)	21 (30.00)	05 (07.14)	70
लैंगिक स्तर				
छात्र	243 (86.78)	22 (7.86)	15 (5.36)	280
छात्राएं	35 (29.17)	41 (34.16)	44 (36.67)	120
आवासीय पृष्ठभूमि				
ग्रामीण	228 (73.54)	31 (10.00)	51 (16.46)	310
नगरीय	50 (55.55)	32 (35.56)	08 (8.89)	90
सामाजिक–आर्थिक स्तर				
उच्च	02 (13.13)	12 (70.00)	01 (6.67)	15
मध्यम	24 (34.29)	39 (55.71)	07 (10.00)	70
निम्न	252 (80.00)	12 (3.81)	51 (16.19)	315
योग	278 (69.50)	63 (15.75)	59 (14.75)	400

तथा स्नातक स्तर के 16.37 प्रतिशत एवं परास्नातक स्तर के 7.14 प्रतिशत सूचनादाता स्पष्ट मत नहीं दिये हैं। अतः कहा जा सकता हैं कि दोनों स्तरों के ज्यादातर छात्रों का मत हैं कि रोजगार मिलने पर वे अध्ययन छोड देगें, रोजगार करेगें परास्नातक स्तर के उत्तरदाताओं की अपेक्षा स्नातक स्तर के उत्तरदाता रोजगार प्राप्त होने पर अपना अध्ययन छोड देगें।

लैंगिक स्तर पर आंकड़ों के वर्गीकरण से स्पष्ट है कि 86.78 प्रतिशत छात्र एवं 29.17 प्रतिशत छात्राओं का मानना है कि रोजगार प्राप्त होने की स्थिति में वे रोजगार करेगें, अध्ययन छोड देगें तथा 7.86 प्रतिशत छात्र एवं 34.16 प्रतिशत छात्राएं रोजगार छोड़कर अध्ययन जारी रखेगें शेष ने स्पष्ट राय नहीं दी हैं। इस प्रकार अधिकांश छात्रों का मत है कि रोजगार प्राप्त होने पर वे रोजगार करेगें, अध्ययन छोड देगें, जबकि अधिकांश छात्राएं ऐसी स्थिति में कोई भी निर्णय कर पाने में अपने आपको असहाय सा प्रकट करती हैं।

आवासीय पृष्ठभूमि के आधार पर आंकड़ों के वर्गीकरण से स्पष्ट हो रहा है कि 73.54 प्रतिशत ग्रामीण एवं 55.55 प्रतिशत नगरीय सूचनादाता रोजगार की प्राप्ति होने पर अध्ययन छोड़ देगें 10.00 प्रतिशत ग्रामीण एवं 35.56 प्रतिशत नगरीय सूचनादाता रोजगार छोड़कर अध्ययन जारी रखेगें शेष अनिश्चय की स्थिति में हैं । अतः दोनों स्तर के अधिकांश सूचनादाता रोजगार प्राप्त होने पर अध्ययन छोड देने की बात करते हैं। इनमें भी स्नातक स्तर के सूचनादाताओं का प्रतिशत परास्नातक स्तर के सूचनादाताओं से अधिक हैं। परन्तु ग्रामीण स्तर की अपेक्षा नगरीय स्तर के अधिकांश उत्तरदाता रोजगार छोड़कर अध्ययन जारी रखने में विश्वास रखते हैं ।

सामाजिक–आर्थिक स्तर के आधार पर आंकडों के विश्लेषण से ज्ञात्त होता है कि उच्च स्तर के 13.33 प्रतिशत, मध्यम के 34.29 प्रतिशत एवं निम्न स्तर के 80.00 प्रतिशत सूचनादाता रोजगार मिलने पर रोजगार करेगें, अध्ययन छोड़ देगे तथा उच्च स्तर के 80 प्रतिशत, मध्यम के 55.71 प्रतिशत एवं निम्न के 3.81 प्रतिशत सूचनादाताओं का कहना हैं कि रोजगार मिलने पर भी रोजगार छोड़कर अध्ययन जारी

रखेगें तथा तीनों स्तरों के शेष सूचनादाता ने स्पष्ट मत नहीं दिये । अतः कहा जा सकता है कि उच्च सामाजिक आर्थिक एवं मध्यम स्तर के ज्यादार सूचनादाता रोजगार छोड़ अध्ययन जारी रखने के पक्ष में है जबकि निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर के अधिकांश सूचनादाता रोजगार मिलने पर रोजगार करने एवं अध्ययन छोड़ देने के पक्ष में हैं।

अध्याय-नवम्

शैक्षिक समस्याएं एवं संरक्षण

शैक्षिक समस्याएं एवं संरक्षण

शैक्षिक प्रसार की प्रक्रिया ने राजनैतिक दृष्टि, चेतना और जागरूकता में पर्याप्त विकासोन्मुखी बदलाव ला दिया है। अनुसूचित जाति के युवकों को भी इसका लाभ मिला है । आधुनिक शैक्षणिक प्रसार की प्रक्रिया ने अनुसूचित जाति के युवक–युवतियों को राजनैतिक दृष्टि से चैतन्य और जागरूक बनाया है तथा उनमें राजनैतिक सक्रियता नेतृत्व करने के गुणों आदि का विकास तेजी से हुआ है। अनुसूचित जाति के प्रति किये जाने वाले अन्याय तथा शोषण के प्रति उनमें जागरूकता का विकास हुआ है तथा सीमित मात्रा में उनमें भी राजनैतिक उग्रता का विकास परिलक्षित हो रहा है। (सच्चिदानन्दः 1968, लिंच : 1974 जिलिएट : 1970, सिन्धीः 1979, चौहान : 1975, नायक : 1969 तथा विद्यार्थी एवं राय, 1977 आदि) के अध्ययनों में अनुसूचित जाति के नवयुवकों की राजनैतिक गतिविधियों पर प्रकाश डाला गया है।

इस अध्याय में अनुसूचित जाति को प्रदान किये जाने वाली संवैधानिक आर्थिक, राजनीतिक संरक्षण के प्रति सूचनादाताओं के विचारों का अध्ययन किया गया है। इस अध्ययन में यह भी ज्ञात करने का प्रयास किया गया है कि अनुसूचित जाति के विरुद्ध किये जाने वाले उत्पीड़न, शोषण और अत्याचार के प्रति उत्तरदाता विद्यार्थियों की क्या प्रतिक्रिया है तथा यह भी ज्ञात करने का प्रयत्न किया गया है कि इस जाति के युवक वर्तमान उग्रता और अतिवादिता का किस मात्रा एवं स्तर पर समर्थन करते हैं। इससे उनकी शैक्षणिक, सामाजिक और राजनैतिक समस्याओं पर प्रकाश ड़ालनें तथा उनके निराकरण करने के सुझाव देने में काफी सहायता मिलेगी।

अनुसूचित जाति को राजनैतिक संरक्षण से लाभ –

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् देश में अनुसूचित जाति के सामाजिक आर्थिक

विकास और प्रगति के लिये तथा शोषण और अन्याय से मुक्ति दिलाने के लिये जो नीतियाँ और कार्यक्रम अपनाये गये हैं उनमें से एक प्रमुख कार्यक्रम अनुसूचित जाति के लिये राजनैतिक संरक्षण की व्यवस्था का किया जाना भी है । इसी व्यवस्था के अधीन लोक सभा, राज्य सभा, विधान सभाओं एवं विधान परिषदों में इनके लिये सीटों का आरक्षण किया गया है । विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों को अनुसूचित जाति के प्रत्याशियों के लिये आरक्षित भी किया गया है । यह व्यवस्था अनुसूचित जाति के नेतृत्व को सामान्य राजनैतिक प्रतिस्पर्धा से अलग रखते हुए उनके स्वतन्त्र विकास का अवसर उपलब्ध कराने का एक मार्ग है। परिणामस्वरूप विभिन्न लोक सभा व विधान सभा चुनावो मे अनुसूचित जाति के व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व दिखायी देता है। साथ ही साथ पृथक आरक्षण के कारण ही अनुसूचित जाति के बच्चों मे राजनैतिक जागरुकता और उनकी सहभागिता की वृद्धि मे यह प्रयास सहायक सिद्ध हुआ है। इन सभी तथ्यों को ध्यान मे रखते हुए इस अध्ययन के समस्त सूचनादाताओं से यह पूछा गया कि अनुसूचित जाति को प्रदान की जाने वाली राजनैतिक संरक्षण की व्यवस्था ने उनके समुदाय को किस प्रकार लाभ पहुचाँया है। सूचनादाताओं से प्राप्त सूचनाओं के अधार पर उनके सामाजिक परिवर्त्य और उनके राजनैतिक संरक्षण से प्राप्त लाभों से सम्बन्धित निम्नलिखित आँकड़े प्राप्त हुए हैं, जिनका विभिन्न स्तरों पर तुलनात्मक रूप से तालिका बद्ध किया गया है।

अग्रांकित तालिका संख्या – 9.1 से स्पष्ट हो रहा है कि समस्त सूचनादाताओं में से 44.75 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने यह स्वीकार किया कि राजनैतिक संरक्षण से उनमें राजनैतिक नेतृत्व की वृद्धि हुयी है । 30.50 प्रतिशत सूचनादाता मानते हैं कि राजनैतिक संरक्षण से उनमें राजनैतिक जागरूकता व सहभागिता की वृद्धि हुयी हैं। 5.00 प्रतिशत सूचनादाता राजनैतिक दृष्टि से पराश्रित व अकर्मण्यता के पक्ष में अपना

तालिका संख्या-9.1 सामाजिक परिवर्त्य एवम् राजनैतिक संरक्षण से लाभ

	राजनैतिक नेतृत्व की वृद्धि	राजनैतिक जागरूकता व सहभागिता की वृद्धि	राजनैतिक दृष्टि से पराश्रित व अकर्मण्य	स्वार्थी राजनैतिक तत्वों द्वारा शोषण की वृद्धि	योग
शैक्षिक स्तर					
स्नातक	154 (46.66)	108 (32.73)	13 (3.94)	55 (16.67)	330
परास्नातक	25 (35.71)	14 (20.00)	07 (10.00)	24 (34.29)	70
लैंगिक स्तर					
छात्र	134 (47.86)	93 (33.21)	10 (3.57)	43 (15.36)	280
छात्राएं	45 (37.60)	29 (24.16)	10 (8.33)	36 (30.00)	120
आवासीय पृष्ठभूमि					
ग्रामीण	155 (50.00)	95 (30.65)	13 (4.19)	47 (15.16)	310
नगरीय	24 (26.67)	27 (30.00)	07 (7.77)	32 (35.56)	90
सामाजिक–आर्थिक स्तर					
उच्च	06 (40.00)	03 (20.00)	02 (13.33)	04 (26.67)	15
मध्यम	22 (31.43)	20 (28.57)	07 (10.00)	21 (30.00)	70
निम्न	151 (47.94)	99 (31.43)	11 (3.49)	54 (17.14)	315
योग	179 (44.75)	122 (30.50)	20 (5.00)	79 (19.75)	400

मत व्यक्त किया है, परन्तु 19.75 प्रतिशत सूचनादाताओं ने स्वीकार किया है कि राजनैतिक संरक्षण से स्वार्थी राजनैतिक तत्वों द्वारा उनके शोषण की वृद्धि हुयी है। इस प्रकार थोड़े से सूचनादाताओं को छोड़कर अधिकांश सूचनादाताओं ने राजनैतिक संरक्षण व्यवस्था को अनुसूचित जाति के हित में संवर्धनशील और उपयोगी माना है।

शैक्षणिक स्तर पर इस तथ्य का विश्लेषण करने पर पाया गया है कि स्नातक स्तर के सूचनादाताओं में से 46.66 प्रतिशत राजनैतिक नेतृत्व की वृद्धि को स्वीकार करते हैं। 32.73 प्रतिशत राजनैतिक जागरूकता व सहभागिता की वृद्धि में सहायक मानते हैं। 3.94 प्रतिशत इस व्यवस्था को राजनैतिक दृष्टि से पराश्रित कर देने वाली व अकर्मण्य कर देने वाले मानते हैं, जबकि 16.67 प्रतिशत इसे स्वार्थी राजनैतिक तत्वों द्वारा शोषण की वृद्धि का रास्ता मानते हैं। परास्नातक स्तर के सूचनादाताओं में से 35.71 प्रतिशत इस व्यवस्था को राजनैतिक नेतृत्व की वृद्धि में सहायक 20.00 प्रतिशत राजनैतिक जागरूकता व सहभागिता की वृद्धि में सहायक मानते हैं। 10.00 प्रतिशत सूचनादाता इसे राजनैतिक दृष्टि से पराश्रित व अकर्मण्य बना देने वाली मानते हैं और 34.29 प्रतिशत इस व्यवस्था को स्वार्थी राजनैतिक तत्वों द्वारा शोषण की वृद्धि का मार्ग मानते हैं। अतः स्पष्ट है कि परास्नातक स्तर की तुलना में स्नातक स्तर की सूचनादाताओं में राजनैतिक संरक्षण की व्यवस्था को राजनैतिक नेतृत्व की वृद्धि मानने की अधिकता पायी गयी हैं।

लैंगिक स्तर पर विश्लेषण करने से ज्ञात होता है कि छात्रों में से 47.86 प्रतिशत इस व्यवस्था को राजनैतिक नेतृत्व में वृद्धि करने वाली, 33.21 प्रतिशत इसे राजनैतिक जागरूकता व सहभागिता की वृद्धि में सहायक मानते हैं तथा 3.75 प्रतिशत इसे राजनैतिक दृष्टि से पराश्रित व अकर्मण्य बनाने वाली, 15.36 प्रतिशत इस व्यवस्था को स्वार्थी राजनैतिक तत्वों द्वारा शोषण की वृद्धि में सहायक मानते हैं। समस्त छात्राओं में से 37.60 प्रतिशत इस व्यवस्था को राजनैतिक नेतृत्व में वृद्धि करने में सहायक तथा 24.16 प्रतिशत इसे राजनैतिक जागरूकता व सहभागिता की वृद्धि में सहायक मानती हैं। 8.33 प्रतिशत छात्राएं इसे राजनैतिक दृष्टि से पराश्रित व अकर्मण्य बनाने वाली तथा 30.00 प्रतिशत छात्राएं इसे स्वार्थी राजनैतिक तत्वों द्वारा शोषण की

वृद्धि करने वाली व्यवस्था मानती हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि छात्राओं की तुलना में छात्र सूचनादाता राजनैतिक संरक्षण व्यवस्था को राजनैतिक नेतृत्व की वृद्धि करने में सहायक अधिक मानते हैं।

आवासीय परिप्रेक्ष्य में किये गये विवेचन से यह ज्ञात होता है कि ग्रामीण आवासीय पृष्ठभूमि के सूचनादाताओं में से 50.00 प्रतिशत सूचनादाता इस व्यवस्था को राजनैतिक नेतृत्व में वृद्धि करने वाली, 30.65 प्रतिशत राजनैतिक जागरूकता व सहभागिता की वृद्धि करने में सहायक मानते हैं। 4.19 प्रतिशत इसे राजनैतिक दृष्टि से पराश्रित व अकर्मण्यता बढ़ाने वाली, 15.16 प्रतिशत इसे स्वार्थी राजनैतिक तत्वों द्वारा शोषण की वृद्धि में सहायक मानते हैं। नगरीय आवासीय पृष्ठभूमि के सूचनादाताओं में से 26.67 प्रतिशत इस व्यवस्था को राजनैतिक नेतृत्व की वृद्धि करने वाली 30.00 प्रतिशत इस व्यवस्था को राजनैतिक जागरूकता व सहभागिता में वृद्धि करने वाली मानते हैं। 7.77 प्रतिशत इसे राजनैतिक दृष्टि से पराश्रित व अकर्मण्यता में वृद्धि करने वाली तथा 35.56 प्रतिशत इसे स्वार्थी राजनैतिक तत्वों द्वारा शोषण की वृद्धि में सहायता प्रदान करने वाली माना है। अतः इस तुलनात्मक विवेचना से स्पष्ट है कि नगरीय पृष्ठभूमि के सूचनादाताओं की तुलना में ग्रामीण पृष्ठभूमि के सूचनादाता राजनैतिक संरक्षण की व्यवस्था को राजनैतिक नेतृत्व में वृद्धि करने में अधिक लाभदायक मानते हैं।

सामाजिक आर्थिक स्तर के आधार पर राजनैतिक संरक्षण व्यवस्था से लाभ के तुलनात्मक विश्लेषण से ज्ञात होता है कि उच्च सामाजिक आर्थिक स्तर के सूचनादाताओं में से 40.00 प्रतिशत इस व्यवस्था को राजनैतिक नेतृत्व की वृद्धि में सहायक, 20.00 प्रतिशत राजनैतिक जागरूकता व सहभागिता की वृद्धि में सहायक मानते हैं। 13.33 प्रतिशत इसे राजनैतिक दृष्टि से पराश्रित कर देने वाली तथा

अकर्मण्य बना देने वाली, 26.67 प्रतिशत से स्वार्थी राजनैतिक तत्वों द्वारा शोषण की वृद्धि करने वाली मानते हैं। मध्यम सामाजिक–आर्थिक स्तर वाले सूचनादाताओं में से 31.43 प्रतिशत इस व्यवस्था को राजनैतिक नेतृत्व में वृद्धि कारक 28.57 प्रतिशत राजनैतिक जागरूकता व सहभागिता के वृद्धि में सहायक मानते हैं। 10.00 प्रतिशत इसे राजनैतिक दृष्टि से पराश्रित व अकर्मण्य बनाने वाली तथा 30.00 प्रतिशत इसे स्वार्थी राजनैतिक तत्वों द्वारा शोषण की वृद्धि में सहायक मानते हैं। निम्न सामाजिक आर्थिक–स्तर के सूचनादाताओं में से 47.94 प्रतिशत इस व्यवस्था को राजनैतिक नेतृत्व की वृद्धि करने वाली तथा 31.43 प्रतिशत इसे राजनैतिक जागरूकता व सहभागिता बढ़ाने वाली मानते हैं। 3.49 प्रतिशत इस व्यवस्था को राजनैतिक दृष्टि से पराश्रित व अकर्मण्य बना देने वाली व 17.14 प्रतिशत से स्वार्थी राजनैतिक तत्वों द्वारा शोषण की वृद्धि कर देने वाली मानते हैं। अतः स्पष्ट है कि उच्च और मध्यम सामाजिक आर्थिक स्तर के सूचनादाताओं की तुलना में निम्न सामाजिक–आर्थिक स्तर के सूचनादाताओं ने यह विचार और मान्यता अधिक पायी गयी है । राजनैतिक संरक्षणता व्यवस्था से उनकी राजनैतिक नेतृत्व की वृद्धि होती है।

क्रूरता व अत्याचार के प्रति प्रतिक्रिया –

सामाजिक दृष्टि से अनुसूचित जाति के प्रति हो रही क्रूरता और अत्याचार व शोषण का अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को कटु अनुभव हुए हैं। उनके विचारों में इस विषय पर अत्यन्त प्रखर प्रतिक्रिया देखने को मिलती है। प्रतिदिन समाचार–पत्रों में प्रकाशित अत्याचार शोषण व उनके प्रति हो रही क्रूरतम घटनायें यह दर्शाती है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचति जाति के लोग विभिन्न प्रकार के सामाजिक, धार्मिक और राजनैतिक अन्याय से पीडित हैं, जिसकी परिणति उनकी बस्तियों को जलाये जाने, उनकी स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार तथा हत्या के रूप में होती हैं। इन क्रूरतम घटनाओं

के प्रति अनुसूचित जाति में आक्रोश का पाया जाना स्वाभाविक है, किन्तु इन घटनाओं के प्रति उनकी प्रतिक्रिया अत्यन्त क्षीण और दबी हुई सी होती है। बहुसंख्यक सबल सवर्णो के भय शासन–प्रशासन की उदासीनता और उनकी आर्थिक दुबर्लता उन्हें बहुधा हो रहे अत्याचार व अन्याय को मूक बन कर स्वीकार करने को बाध्य करते हैं। परन्तु बढ़ते हुये शैक्षिक परिर्वतन के कारण युवा और शिक्षित व्यक्तियों की मनोदशा ऐसी नही रह गयी हैं। उनकी प्रतिक्रियाएं विद्रोह, प्रतिरोध और जनमत के परिवर्तन की ओर बढ़ रही हैं। इस अध्ययन में यह पूछा गया कि उनकी जाति के प्रति किये जाने वाली कूरता, अत्याचार व शोषण के प्रति उनके क्या विचार हैं ? उनको क्या करना चाहिये ? सूचनादाताओं से प्राप्त उत्तरों के आधार पर अग्रांकित तालिका संख्या 9.2 में दर्शाते हुए उनके विचार की विवेचना की गयी है।

समस्त उत्तरदाताओं की सूचना के आधार पर सबसे अधिक 33.5 प्रतिशत सूचनादाताओं में अत्याचार व क्रूरता के खिलाफ संगठित होकर विद्रोह कर देने के पक्ष में अपने मत व्यक्त किये, 22.5 प्रतिशत सूचनादाताओं का मानना है कि इस सम्बन्ध में पुलिस और कानून की सहायता ली जानी चाहिये। 16.75 प्रतिशत सूचनादाता यह मानते हैं कि हो रहे अत्याचार के प्रति सब का ध्यान आकर्षित करना चाहिये तथा 27.25 प्रतिशत सूचनादाता यह मानते हैं कि क्रूरता और अत्याचार से अपने को सुरक्षित करने के लिये आर्थिक व शैक्षिक उन्नति का प्रयास करना चाहिये। अतः इस विलेषण से यह स्पष्ट रूप से जानकारी मिलती है कि अनुसूचित जाति के सबसे अधिक सूचनादाता क्रूरता और अत्याचार के खिलाफ संगठित होकर विद्रोह कर देने के पक्ष में हैं।

शैक्षिक स्तर पर इन विचारों का विश्लेषण करने से ज्ञात होता है कि स्नातक स्तर के सूचनादाताओं मे से 39.39 प्रतिशत सूचनादाताओं का मत है कि

तालिका संख्या-9.2 सामाजिक परिवर्त्य एवम् हो रहे क्रूरता व अत्याचार के सम्बन्ध में विचार

	संगठित होकर विद्रोह करना चाहिए	पुलिस और कानून की सहायता लेनी चाहिए	अत्याचार के प्रति सबका ध्यान आकर्षित करना चाहिए	आर्थिक व शैक्षिक उन्नति का प्रयास करना चाहिए	योग
शैक्षिक स्तर					
स्नातक	130 (39.39)	50 (15.16)	53 (16.06)	97 (29.39)	330
परास्नातक	04 (5.71)	40 (57.14)	14 (20.00)	12 (17.15)	70
लैंगिक स्तर					
छात्र	109 (38.94)	61 (21.78)	43 (15.36)	67 (23.92)	280
छात्राएं	25 (20.84)	29 (24.16)	24 (20.00)	42 (35.00)	120
आवासीय पृष्ठभूमि					
ग्रामीण	127 (40.97)	65 (20.96)	54 (17.43)	64 (20.64)	310
नगरीय	07 (7.78)	25 (27.78)	13 (14.44)	45 (50.00)	90
सामाजिक-आर्थिक स्तर					
उच्च	02 (13.33)	03 (20.00)	03 (20.00)	07 (46.67)	15
मध्यम	14 (20.00)	18 (25.71)	16 (22.86)	22 (31.43)	70
निम्न	118 (37.47)	69 (27.90)	48 (15.23)	80 (25.40)	315
योग	134 (33.50)	90 (22.50)	61 (16.75)	109 (27.25)	400

संगठित होकर विद्रोह करना चाहिये। 15.18 का मत है कि पुलिस और कानून की सहायता लेनी चाहिये, 16.06 प्रतिशत का मत है कि अत्याचार के प्रति सबका ध्यान आकर्षित करना चाहिये। 29.39 का मत है कि अपना आर्थिक व शैक्षिक उन्नति का प्रयास करना चाहिये। परास्नातक स्तर के समस्त सूचनादाताओं में से 5.71 प्रतिशत

का मत है कि संगठित होकर विद्रोह करना चाहिये, 57.14 प्रतिशत का मत है कि पुलिस और कानून की सहायता लेनी चाहिये, 20.00 प्रतिशत का मत है कि अत्याचार के प्रति सबका ध्यान आकर्षित करना चाहिये, तथा 17.15 प्रतिशत का मत है कि अपने आर्थिक व शैक्षिक उन्नति का प्रयास करना चाहिये। अतः स्पष्ट है कि परास्नातक स्तर के विद्यार्थियों की तुलना में स्नातक स्तर के विद्यार्थियों में इस मत की अधिकता पायी जाती है कि क्रूरता और अत्याचार के विरुद्ध संगठित होकर विद्रोह कर देना चाहिये।

लैंगिक स्तर पर इस सम्बन्ध में विचारों का विश्लेषण करने पर पाया गया कि समस्त उत्तरदाता छात्रों में से 38.94 प्रतिशत का मत है कि क्रूरता व अत्याचार के खिलाफ संगठित होकर विद्रोह करना चाहिये, 21.78 प्रतिशत का मत है कि पुलिस और कानून की सहायता लेनी चाहिये, 15.36 प्रतिशत का मत है कि अत्याचार के प्रति सबका ध्यान आकर्षित करना चाहिये तथा 23.92 प्रतिशत का मत है कि अपनी आर्थिक व शैक्षिक उन्नति का प्रयास करना चाहिये। समस्त उत्तरदाता छात्राओं में से 20.84 प्रतिशत का मत है कि संगठित होकर विद्रोह करना चाहिये, 24.16 प्रतिशत का मत है कि पुलिस और कानून की सहायता लेनी चाहिये। 20 प्रतिशत का मत है कि अत्याचार के प्रति सबका ध्यान आकर्षित करना चाहिये तथा 35.00 प्रतिशत का मत है कि अपनी आर्थिक व शैक्षिक उन्नति का प्रयास करना चाहिये। अतः स्पष्ट है कि छात्राओं की तुलना में छात्र वर्ग के सूचनादाताओं ने क्रूरता व अत्याचार के विरुद्ध संगठित होकर विद्रोह कर देने के मत को अधिकता से स्वीकार किया है .।

आवासीय पृष्ठभूमि के आधार पर इस सम्बन्ध के तथ्यों के तुलनात्मक अध्ययन से यह परिलक्षित होता है कि ग्रामीण आवासीय पृष्ठभूमि के सूचनादाताओं में से 40.97 प्रतिशत इस क्रूरता व अत्याचार के विरुद्ध संगठित होकर विद्रोह कर देने के पक्ष में हैं, 20.96 प्रतिशत पुलिस और कानून की सहायता लेने के पक्ष में हैं, 17.43

प्रतिशत अत्याचार के प्रति सबका ध्यान आकर्षित करने के पक्ष में हैं, और 20.64 प्रतिशत आर्थिक व शैक्षिक उन्नति करने के पक्ष में हैं। इसी प्रकार नगरीय आवासीय पृष्ठभूमि के सूचनादाताओं में से 7.78 प्रतिशत इस क्रूरता व अत्याचार के विरुद्ध संगठित होकर विद्रोह करने के पक्ष में, 27.78 प्रतिशत पुलिस और कानून की सहायता लेने के पक्ष में, 14.44 प्रतिशत अत्याचार के प्रति सबका ध्यान आकर्षित करने के पक्ष में और 50.00 प्रतिशत अपनी आर्थिक व शैक्षिक उन्नति के प्रयास करने के पक्ष में हैं। अतः स्पष्ट है कि नगरीय सूचनादाताओं की तुलना में ग्रामीण सूचनादाता क्रूरता और अत्याचार के विरुद्ध संगठित होकर विद्रोह कर देने के पक्ष में अधिक हैं और नगरीय पृष्ठभूमि के सूचनादाता ग्रामीण सूचनादाताओं की तुलना में क्रूरता व अत्याचार के विरुद्ध अनुसूचित जाति को अपनी आर्थिक व शैक्षिक उन्नति करने के पक्ष में अधिक हैं।

सामाजिक–आर्थिक आधार पर क्रूरता व अत्याचार के विरुद्ध प्रतिक्रिया जानने पर यह तत्व उजागर हुए हैं कि उच्च सामाजिक आर्थिक स्तर के सूचनादाताओं से 13.33 प्रतिशत का मत है कि संगठित होकर विद्रोह करना चाहिये, 20.00 प्रतिशत का मत है कि पुलिस और कानून की सहायता लेनी चाहिये, 20.00 प्रतिशत का मत है कि अत्याचार के प्रति सबका ध्यान आकर्षित करना चाहिये, 46.67 प्रतिशत का मत है कि अपनी आर्थिक व शैक्षिक उन्नति का प्रयास करना चाहिये। मध्यम सामाजिक आर्थिक स्तर के सूचनादाताओं में से 20.00 प्रतिशत का मत है कि संगठित होकर विद्रोह करना चाहिये। 25.71 प्रतिशत का मत है कि पुलिस और कानून की सहायता लेनी चाहिये, 22.86 प्रतिशत का मत है कि अत्याचार के प्रति सबका ध्यान आकर्षित करना चाहिये तथा 31.43 प्रतिशत का मत है कि अपनी आर्थिक व शैक्षिक उन्नति का प्रयास करना चाहिये। निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर के सूचनादाताओं में से 37.47 का

मत है कि संगठित होकर विद्रोह करना चाहिये, 27.90 प्रतिशत का मत है कि पुलिस और कानून की सहायता लेनी चाहिये, 15.23 प्रतिशत का मत है कि अत्याचार के प्रति सबका ध्यान आकर्षित करना चाहिये, 25.40 प्रतिशत का मत है कि अपनी आर्थिक व शैक्षिक उन्नति का प्रयास किया जाना चाहिये। अतः स्पष्ट है कि निम्न स्तर कि तुलना में उच्च स्तर के सूचनादाताओं का यह अधिक मानना है कि क्रूरता या अत्याचार के विरुद्ध अनुसूचित जाति को अपने आर्थिक व शैक्षिक उन्नति का प्रयास करना चाहिये।

गैर सरकारी आरक्षण -

सरकारी संस्थाओं, विभागों में सरकारी संरक्षण नीति के तहत अनुसूचित जाति के लोगों को सेवाओं में आरक्षण प्राप्त है, परन्तु निजी क्षेत्र के गैर सरकारी संस्थाओं व उद्योगों में इसकी कोई व्यवस्था अभी तक नहीं हो सकी है और न ही इस ओर किसी तरह का प्रयास और विचार मन्थन हो रहा है । इस अध्ययन में गैर सरकारी सेवा में आरक्षण व्यवस्था से सम्बन्धित विचार जानने के लिये सूचनादाताओं से पूछा गया कि क्या गैर सरकारी संस्थाओं में सेवा के लिये आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिये। प्राप्त उत्तरों के आधार पर विभिन्न स्तरों पर विचार व्यक्त करने की दृष्टि से अग्रांकित तालिका संख्या 9.3 में प्राप्त आंकडे प्रदर्शित किये गये हैं।

समस्त सूचनादाताओं में से 83.5 प्रतिशत सूचनादाताओं में इस व्यवस्था से सहमति व्यक्ति की 5.00 प्रतिशत असहमति व्यक्त की तथा 11.50 प्रतिशत इस विषय पर कुछ नहीं कह सके। शैक्षिक स्तर पर गैर सरकारी सेवा में आरक्षण सम्बन्धी विचार जानने पर ज्ञात हुआ कि स्नातक स्तर के समस्त सूचनादाताओं में से 83.94 प्रतिशत इस विचार से सहमत, 5.46 प्रतिशत असहमत तथा 10.60 प्रतिशत कुछ भी कहने में असमर्थ रहे । परास्नातक स्तर के सूचनादाताओं में से 21.42 प्रतिशत ने इस विचार से सहमति और 2.86 प्रतिशत ने असहमति व्यक्त की तथा 15.72 प्रतिशत कुछ भी

तालिका संख्या-9.3 सामाजिक परिवर्त्य एवम् गैर सरकारी सेवा में आरक्षण सम्बन्धी व्यवस्था

	सहमत	असहमत	कह नहीं सकते	योग
शैक्षिक स्तर				
स्नातक	277 (83.84)	18 (5.46)	35 (10.60)	330
परास्नातक	57 (81.42)	02 (2.86)	11 (15.72)	70
लैंगिक स्तर				
छात्र	250 (89.29)	04 (1.43)	26 (9.28)	280
छात्राएं	84 (70.00)	16 (13.33)	20 (16.67)	120
आवासीय पृष्ठभूमि				
ग्रामीण	272 (87.75)	11 (3.54)	27 (8.71)	310
नगरीय	62 (68.89)	09 (10.00)	19 (21.11)	90
सामाजिक–आर्थिक स्तर				
उच्च	11 (73.33)	04 (26.67)	–	15
मध्यम	50 (71.42)	08 (11.43)	12 (17.15)	70
निम्न	273 (86.68)	08 (2.53)	34 (10.79)	315
योग	334 (83.50)	20 (5.00)	46 (11.50)	400

कहने मे असमर्थता व्यक्त की। अतः स्पष्ट है कि परास्नातक स्तर की तुलना में स्नातक स्तर के विद्यार्थियों में गैर सरकारी सेवाओं में आरक्षण की व्यवस्था के पक्ष में अधिक मत व्यक्त किए। इनका मानना है कि गैर सरकारी संस्थाओं और उद्योगों की सेवाओं में भी आरक्षण का लाभ मिलना चाहिये।

लैंगिक स्तर पर इस व्यवस्था का विचार जानने से स्पष्ट होता है कि समस्त छात्रों में 89.29 प्रतिशत ने सहमति और 1.43 प्रतिशत ने असहमति व्यक्त की 9.28 प्रतिशत छात्र इस पर अपने विचार नही व्यक्त कर सके समस्त छात्राओं में से

70.00 प्रतिशत छात्राओं ने सहमति, 13.33 प्रतिशत ने असहमति व्यक्त की, 16.67 प्रतिशत छात्रायें इस पर अपने विचार नहीं व्यक्त कर सकीं। अतः इस विश्लेषण से ज्ञात होता है कि गैर सरकारी संस्थाओं, उद्योगों की सेवाओं में आरक्षण के पक्ष में छात्राओं की तुलना में छात्रों ने अधिक मत व्यक्त किये। छात्रों का मानना है कि सरकारी संस्थाओं की भाँति ही गैर सरकारी सेवाओं में भी आरक्षण की सुविधा मिलनी चाहिये।

आवासीय परिवेश के परिप्रेक्ष्य में समस्या पर विचार करने से पाया गया कि ग्रामीण आवासीय पृष्ठभूमि के समस्त सूचनादताओं में से 87.75 प्रतिशत ने आरक्षण के पक्ष में सहमति, 3.54 प्रतिशत ने आरक्षण के सम्बन्ध में असहमति व्यक्त की, 8.71 प्रतिशत ने इस पर कुछ भी नहीं कहा । नगरीय आवासीय पृष्ठभूमि के सूचनादाताओं में से 68.89 प्रतिशत ने इसके पक्ष में सहमति, 10.00 प्रतिशत ने असहमति व्यक्त की 21.11 प्रतिशत सूचनादाता कुछ भी नहीं कह सके। इस विश्लेषण से यह तथ्य उजागर होता है कि नगरीय आवासीय पृष्ठभूमि के अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों की तुलना में ग्रामीण आवासीय पृष्ठभूमि के अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों में गैर सरकारी संस्थाओं, उद्योगों की सेवाओं में आरक्षण की अधिक वकालत की। ग्रामीण विद्यार्थियों का मत है कि गैर सरकारी क्षेत्रों की सेवाओं में भी आरक्षण की सुविधा मिलनी चाहिये।

सामाजिक आर्थिक स्तर पर गैर सरकारी सेवाओं के आरक्षण सम्बन्धी विचार को जानने से यह तथ्य उजागर हुए कि उच्च सामाजिक आर्थिक स्तर के सूचनादाताओं में से 73.33 प्रतिशत इसके पक्ष में सहमत तथा 26.67 प्रतिशत असहमत रहें। मध्यम सामाजिक–आर्थिक स्तर के सूचनादाताओं में से 73.42 प्रतिशत ने इस विचार के पक्ष मे सहमति, 11.43 प्रतिशत ने असहमति व्यक्त की तथा 17.15 प्रतिशत

ने कोई भी जानकारी नहीं दी । निम्न सामाजिक–आर्थिक स्तर के सूचनादाताओं में से 86.68 प्रतिशत ने गैरसरकारी आरक्षण के पक्ष में मत व्यक्त किया, 2.53 प्रतिशत ने असहमति व्यक्त की तथा 10.79 प्रतिशत ने कोई विचार व्यक्त नहीं किए हैं । इन तथ्यों के विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि उच्च और मध्यम सामाजिक आर्थिक स्तर के सूचनादाताओं की तुलना में निम्न सामाजिक–आर्थिक स्तर के सूचनादाताओं ने अपने अधिक मत इस विचार पर व्यक्त किये कि अनुसूचित जाति के लोगों को गैर सरकारी संस्थाओं और उद्योगों की सेवाओं में भी आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिये।

सरकारी सेवा में आरक्षण सुविधा की अवधि –

आजादी के 55 वर्ष के बाद भी आरक्षण सुविधा पर लाभ पाये हुये लोगों में उनके द्वारा आरक्षण से जो जीवन स्तर विकसित होना चाहिये, वह नही हो पाया है। यही कारण है कि प्रारम्भ में आरक्षण व्यवस्था 10 वर्ष तक लागू किया जाना प्राविधान था। लेकिन हर 10 वर्ष बाद इस व्यवस्था को पुनः पुनः और अधिक अवधि के लिये बढ़ाया जाता रहा है परन्तु फिर भी अभी अनुसूचित जाति में इस आरक्षण सुविधा का सम्यक प्रभाव उस स्तर तक देखने को नहीं मिलता जो इस लम्बी अवधि में मिल जाना चाहिये था। सूचनादाताओं से यह जानकारी करने के लिये कि सरकारी सेवा में आरक्षण की सुविधा कब तक होनी चाहिए, के सम्बन्ध में उत्तर के लिये 4 विकल्पों पर विचार व्यक्त करने के लिये कहा गया । क्या आरक्षण सुविधा जीवन भर के लिये होनी चाहिये ? या आरक्षण सुविधा 25 वर्ष तक और दी जानी चाहिये ? या इस सुविधा को समाप्त ही कर देना चाहिये । समस्त सूचनादाताओं में से जो उत्तर प्राप्त हुए हैं, उनसे इनकी इस सुविधा के प्रति क्या मनोविचार हैं, का जानने का प्रयास किया। जिसे आंकड़ों के रूप में अग्राँकित तालिका संख्या 9.4 में दर्शाया गया हैं।

तालिका संख्या-9.4 सामाजिक परिवर्त्य एवम् सरकारी सेवा में आरक्षण की सुविधा

	जीवन भर के लिए	अगले 25 वर्ष तक के लिए	सुविधा समाप्त कर देनी चाहिये	कह नहीं सकता	योग
शैक्षिक स्तर					
स्नातक	187 (56.67)	85 (25.76)	42 (12.72)	16 (4.85)	330
परास्नातक	28 (40.00)	23 (32.86)	15 (21.43)	04 (5.71)	70
लैंगिक स्तर					
छात्र	150 (53.57)	66 (23.57)	47 (16.78)	17 (6.08)	280
छात्राएं	65 (54.17)	42 (35.00)	10 (8.33)	03 (2.50)	120
आवासीय पृष्ठभूमि					
ग्रामीण	173 (55.80)	68 (21.94)	51 (16.46)	18 (5.80)	310
नगरीय	42 (46.67)	40 (44.44)	06 (6.67)	02 (2.22)	90
सामाजिक-आर्थिक स्तर					
उच्च	03 (20.00)	07 (46.67)	03 (20.00)	02 (13.33)	15
मध्यम	17 (24.28)	30 (42.86)	15 (21.43)	08 (11.43)	70
निम्न	195 (61.90)	71 (22.54)	39 (12.38)	10 (3.18)	315
योग	215 (53.75)	108 (27.00)	57 (14.25)	20. (5.00)	400

उपरोक्त तालिका के आंकडों के विश्लेषण से स्पष्ट है कि समस्त उत्तरदाताओं में से 53.75 प्रतिशत इस आरक्षण सुविधा को जीवन भर के लिये बनाये रखने के पक्ष में हैं, 27.00 प्रतिशत सूचनादाता इस सुविधा को केवल अगले 25 वर्षों तक के लिये ही मिलने के पक्ष में हैं, 14.25 प्रतिशत सूचनादाता इस सुविधा को समाप्त कर देने के

पक्ष में हैं, 5.00 प्रतिशत सूचनादाता इस प्रशन के उत्तर को देने में असमंजस की स्थिति में रहें और कुछ भी नहीं कह सके।

शैक्षिक स्तर पर जब इस प्रश्न के बारे में विचार जाने गये तो पाया गया कि स्नातक स्तर के सूचनादाताओं में से 56.67 प्रतिशत इसे जीवन भर के लिये, 25.76 प्रतिशत इसे अगले 25 वर्ष तक जारी रखने के तथा 12.75 प्रतिशत इस सुविधा को समाप्त ही कर देने के पक्ष में है, 4.85 प्रतिशत सूचनादाता इस पर अपने कोई विचार व्यक्त नहीं कर सके। परास्नातक स्तर के 40.00 प्रतिशत सूचनादाता इस सुविधा को जीवनभर के लिये जारी रखने, 32.96 प्रतिशत इस सुविधा को अगले 25 वर्ष तक जारी रहने के तथा 21.43 प्रतिशत इस सुविधाा को समाप्त कर देने के पक्ष में है, 5.71 प्रतिशत इस पर अपना कोई विचार नहीं रख सके। अतः स्पष्ट है कि परास्नातक स्तर के विद्यार्थियों की तुलना में स्नातक स्तर के विद्यार्थी इस पक्ष में अधिक हैं कि सरकारी सेवा में आरक्षण सुविधा का लाभ हमेशा–हमेशा के लिये जीवन भर मिलना चाहिये।

लैंगिक स्तर पर इस विचार के विषय में जो आंकडे प्राप्त हुये, उनके आधार पर समस्त छात्रों में से 53.57 प्रतिशत इस सुविधा का लाभ जीवन भर के लिये, 23.57 प्रतिशत इस सुविधा का लाभ अगले 25 वर्षो तक के लिये होने के पक्ष में हैं, 16.78 प्रतिशत इस सुविधा को समाप्त कर देने के पक्ष में हैं, 6.08 प्रतिशत छात्रों ने इस पर कुछ नहीं कहा । सूचनादाता छात्राओं में से 54.17 प्रतिशत छात्राएं इस सुविधा को जीवन भर के लिये, 35.00 प्रतिशत छात्राए इसे अगले 25 वर्ष तक के लिये जारी रखने के पक्ष में हैं, 8.33 प्रतिशत छात्राएं इस सुविधा को समाप्त कर देने के पक्ष में हैं, परन्तु 2.22 प्रतिशत छात्राएं इस पर अपने कोई विचार नही प्रकट कर सकीं । अतः स्पष्ट है कि छात्र–छात्राओं में अधिकांश आरक्षण सुविधा को जीवन भर मिलते

रहने के पक्ष में हैं, परन्तु छात्राओं की तुलना में छात्र इस सुविधा को जीवन भर के लिये मिलते रहने के पक्ष में अधिक हैं।

आवासीय पृष्ठभूमि के आधार पर इस सुविधा पर अपने विचार व्यक्त करते हुये समस्त ग्रामीण आवासीय पृष्ठभूमि के सूचनादाताओं में से 55.80 प्रतिशत इस आरक्षण सुविधा को जीवन भर जारी रखने के पक्ष में, 21.94 सूचनादाता इस सुविधा को अगले 25 वर्ष तक के लिये जारी रखने के पक्ष में हैं, 16.46 प्रतिशत का मत है कि इस सुविधा को अब समाप्त कर देना चाहिये, 5.80 प्रतिशत इस पर कुछ नहीं कह सके। नगरीय आवासीय पृष्ठभूमि के समस्त सूचनादाताओं में से 46.67 प्रतिशत सूचनादाता इस आरक्षण सुविधा को जीवन भर मिलते रहने के पक्ष में, 44.44 प्रतिशत इस सुविधा को अगले 25 वर्ष तक मिलते रहने के पक्ष में, 6.67 प्रतिशत इस सुविधा को समाप्त कर देने के पक्ष में हैं, 2.22 प्रतिशत सूचनादाता इस पर कोई विचार नहीं दे सके । अतः स्पष्ट हो जाता है नगरीय सूचनादाताओं की तुलना में ग्रामीण सूचनादाताओं की संख्या इस पक्ष में अधिक है कि सरकारी सेवाओं में आरक्षण की सुविधा जीवन भर मिलती रहनी चाहिए।

सामाजिक–आर्थिक स्तर पर विश्लेषण करने पर पाया गया कि उच्च सामाजिक–आर्थिक स्तर के 20.00 प्रतिशत सूचनादाता इस पक्ष में है कि आरक्षण सुविधा का लाभ जीवन पर्यन्त मिलता रहें, 46.67 प्रतिशत सूचनादाता इसे अगले 25 वर्ष तक ही मिलते रहने के पक्ष में हैं, 20.00 प्रतिशत सूचनादाता इसे समाप्त कर देने के पक्ष में हैं,जबकि 23.33 प्रतिशत इस पर कोई मत व्यक्त नही कर सके। मध्यम सामाजिक–आर्थिक स्तर के सूचनादाताओं में से 24.28 प्रतिशत इस सुविधा को जीवन भर बनाये रखने के पक्ष में, 42.86 प्रतिशत इस सुविधा को अगले 25 वर्ष तक बनाये रखने के पक्ष में हैं, 24.43 प्रतिशत इस सुविधा को समाप्त कर देने के पक्ष में हैं,

11.43 प्रतिशत इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कह सके। निम्न सामाजिक–आर्थिक स्तर के सूचनादाताओं में से 61.90 प्रतिशत इस सुविधा को जीवन भर बनाये रखने के पक्ष में, 22.54 प्रतिशत इसे अगले 25 वर्ष तक के लिये बनाये रखने के पक्ष में हैं, 12.38 प्रतिशत इस सुविधा को समाप्त कर देने के पक्ष में हैं, जबकि 3.18 प्रतिशत सूचनादाता इस पर अपने कोई विचार नहीं व्यक्त कर सके। अतः इस विश्लेषण से स्पष्ट हो जाता है कि निम्न सामाजिक–आर्थिक स्तर के अधिकांश अनुसूचित जाति के व्यक्ति इस सुविधा को जीवन पर्यन्त बनाये रखने के पक्ष में हैं, जो उच्च और मध्यम सामाजिक–आर्थिक स्तर वाले सूचनादाताओं की तुलना में अधिक हैं।

स्वजाति के उच्च सामाजिक-आर्थिक स्तर वालों के आरक्षण समाप्ति पर विचार -

स्वतन्त्र भारत में आधी शताब्दी तक की लम्बी अवधि में सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को मिलने वाली आरक्षण सुविधा का लाभ, कुछ को पर्याप्त मात्रा में मिल गया है, जिससे उनके सामाजिक–आर्थिक स्तर को दूसरे की तुलना में उच्चता प्राप्त हो गयी हैं। परन्तु आज भी अनुसूचित जाति का एक बड़ा तबका आरक्षण सुविधा के बावजूद भी उन कुछ उच्च सामाजिक–आर्थिक स्तर वालों की तुलना में बहुत पीछे हैं। अतः अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों से यह पूछा गया कि क्या स्वजाति के उच्च सामाजिक–आर्थिक स्तर वाले व्यक्तियों के आरक्षण को समाप्त कर देना चाहिये अथवा नहीं। समस्त सूचनादाताओं से प्राप्त उत्तरों के आधार पर अग्रांकित तालिका संख्या 9.5 बनायी गयी है, जो इस पर स्पष्ट प्रकाश डालती हैं।

विश्लेषण से स्पष्ट है कि समस्त सूचनादाताओं में से अधिकांश 78.00 प्रतिशत सूचनादाता इस पक्ष में हैं कि स्वजाति के उच्च सामाजिक–आर्थिक स्तर प्राप्त कर लेने वालों की आरक्षण सुविधा समाप्त कर देनी चाहिये, 20.00 प्रतिशत सूचनादाता

इस विचार से असहमत पाये गये तथा 2.00 प्रतिशत सूचनादाता इस पर कोई विचार व्यक्त नहीं कर सके। अतः स्पष्ट है कि अनुसूचित जाति के अधिकांश विद्यार्थी इस विचार से सहमत हैं कि आरक्षण सुविधा द्वारा उच्च सामाजिक–आर्थिक स्तर प्राप्त कर चुके लोगों को आरक्षण की सुविधा समाप्त कर देनी चाहिये।

तालिका संख्या–9.5 सामाजिक परिवर्त्य एवम् स्वजाति के उच्च सामाजिक–आर्थिक स्तर वालों के आरक्षण समाप्ति पर विचार

	सहमत	असहमत	कह नहीं सकते	योग
शैक्षिक स्तर				
स्नातक	266 (80.60)	60 (18.18)	04 (1.22)	330
परास्नातक	46 (65.71)	20 (28.57)	04 (5.72)	70
लैंगिक स्तर				
छात्र	211 (75.36)	66 (23.57)	03 (1.07)	280
छात्राएं	101 (84.17)	14 (11.67)	05 (4.16)	120
आवासीय पृष्ठभूमि				
ग्रामीण	231 (74.52)	73 (23.54)	06 (1.94)	310
नगरीय	81 (90.00)	07 (7.78)	02 (2.22)	90
सामाजिक–आर्थिक स्तर				
उच्च	02 (13.33)	13 (86.67)	–	15
मध्यम	15 (21.42)	55 (78.58)	–	70
निम्न	295 (93.66)	12 (3.80)	08 (2.54)	315
योग	312 (78.00)	80 (20.00)	08 (2.00)	400

शैक्षिक स्तर पर सूचनादाताओं से प्राप्त उत्तरों के आधार पर यह पाया गया कि स्नातक स्तर के 80.60 प्रतिशत सूचनादाता यह मानते हैं कि उच्च सामाजिक आर्थिक स्तर वाले स्वजातियों की आरक्षण सुविधा समाप्त होनी चाहिये, 18.18 प्रतिशत

इस कथन से असहमत हैं, 1.22 प्रतिशत इस पर कोई विचार व्यक्त नहीं कर सके हैं। परास्नातक स्तर के सूचनादाताओं में से 65.71 प्रतिशत इस कथन से सहमत है कि उच्च सामाजिक–आर्थिक स्तर वाले स्वजातियों का आरक्षण समाप्त होना चाहिये, 28.57 प्रतिशत इस कथन से असहमत हैं, 5.72 प्रतिशत सूचनादता इस पर अपना कोई मत प्रकट नहीं कर सक । अतः स्पष्ट है कि परास्नातक स्तर के विद्यार्थियों की तुलना में स्नातक स्तर के विद्यार्थी इस पक्ष में अधिक हैं कि अनुसूचित जाति के उच्च सामाजिक–आर्थिक स्तर प्राप्त किये हुये लोगो का आरक्षण समाप्त कर देना चाहिये।

लैंगिक स्तर पर इस बिन्दु पर जो उत्तर प्राप्त हुये उनसे स्पष्ट है कि समस्त छात्रों में से 75.36 प्रतिशत इस पक्ष में है कि आरक्षण समाप्त कर देना चाहिये। जबकि 23.57 प्रतिशत ने अपनी असहमति व्यक्त की, 1.07 प्रतिशत छात्र कुछ नहीं कह सके । छात्राओं में से 84.17 प्रतिशत ऐसी छात्राएं है जो यह मानती है कि स्वजाति के उच्च सामाजिक–आर्थिक स्तर वालों का आरक्षण समाप्त होना चाहिये, 11.67 प्रतिशत छात्राएं इस कथन से असहमति व्यक्त करती हैं, 4.16 प्रतिशत कुछ भी कहने में असमर्थ रही हैं। अतः स्पष्ट है कि छात्र वर्ग की तुलना में छात्राएं इस पक्ष में अधिक हैं कि उच्च सामाजिक–आर्थिक स्तर प्राप्त कर चुके अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को आरक्षरण सुविधा से वंचित कर दिया जाये।

आवासीय पृष्ठभमि के आधार पर इस तथ्य के सम्बन्ध में विचार जानने पर पाया गया कि ग्रामीण आवासीय पृष्ठभूमि के 74.52 प्रतिशत सूचनादाता इस कथन से सहमत है कि उच्च सामाजिक–आर्थिक स्तर वाले स्वजातियों को आरक्षण सुविधा नहीं मिलनी चाहिये, 23.54 प्रतिशत सूचनादाता इस मत से असहमत हैं, 1.94 प्रतिशत सूचनादाता इस पर कोई विचार व्यक्त नहीं कर सके। नगरीय आवासीय पृष्ठभूमि के सूचनादाताओं में से 90.00 प्रतिशत सूचनादाता इस विचार से सहमत हैं कि स्वजाति

के उच्च सामाजिक–आर्थिक स्तर वालों की आरक्षण सुविधा समाप्त कर देनी चाहिये। 7.78 प्रतिशत इस कथन से असहमति व्यक्त करते हैं, 2.22 प्रतिशत इस विचार पर कुछ नहीं कह सके। अतः स्पष्ट है कि ग्रामीण स्तर की तुलना में नगरीय स्तर के सूचनादाताओं ने अधिक संख्या में इस मत पर अपना पक्ष रखा कि उच्च सामाजिक–आर्थिक स्तर प्राप्त कर चुके व्यक्तियों की आरक्षण सुविधा समाप्त कर देनी चाहिये।

सामाजिक–आर्थिक स्तर के आधार पर इस विचार के सन्दर्भ में विश्लेषण करने पर पाया गया कि उच्च सामाजिक–आर्थिक स्तर के 13.33 प्रतिशत सूचनादाता इस कथन पर सहमत है कि उच्च सामाजिक–आर्थिक स्तर प्राप्त स्वजातियों का आरक्षण समाप्त होना चाहिये, जबकि 86.87 प्रतिशत ने इस कथन के प्रति असहमति व्यक्त की । मध्यम सामाजिक–आर्थिक स्तर के सूचनादाताओं में से 24.42 प्रतिशत इस कथन के पक्ष में सहमत तथा 78.58 प्रतिशत सूचनादाता इस कथन से असहमत रहे। निम्न सामाजिक–आर्थिक स्तर के 93.66 प्रतिशत सूचनादाताओं का मत है कि उच्च सामाजिक–आर्थिक स्तर वाले स्वजातियों को आरक्षण सुविधा से वंचित किया जाये। 3.80 प्रतिशत इस विचार से असहमत हैं तथा 2.54 प्रतिशत सूचनादाता इस बिन्दु पर अपनी कोई राय न दे सके । अतः विश्लेषण से यह तथ्य उजागर होता है कि उच्च तथा मध्यम सामाजिक–आर्थिक स्तर के विद्यार्थियों की तुलना में निम्न सामाजिक–आर्थिक स्तर के विद्यार्थी अधिक संख्या में यह स्पष्ट मत रखते हैं कि आरक्षण व्यवस्था के अन्तर्गत प्राप्त सुविधाओं से उच्च सामाजिक–आर्थिक स्तर प्राप्त कर चुके अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को आरक्षण सुविधाओं से वंचित कर दिया जाये।

अध्याय-दशम्

सामाजिक समस्याओं के प्रति प्रतिक्रिया

सामाजिक समस्याओं के प्रति प्रतिक्रिया

प्रस्तुत अध्याय के अध्ययन में सम्मिलित अनुसूचित जाति के शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों के सामाजिक मूल्यों और अन्तःक्रिया का विश्लेषण किया जा रहा है। परम्परागत रूप से अत्यन्त पिछड़े रहे हैं, जिनका सामाजिक, सांस्कृति जीवन अनेक प्रकार की विसंगतियों और अवरोधों से ग्रस्त रहा है तथा जिनका आर्थिक स्तर अत्यन्त निम्न रहा है उन समाजों में शिक्षा के द्वारा मूल्यों में क्रान्तिकारी परिवर्तन होते हैं। यह हिन्दू समाज की विडम्बना ही कही जायेगी कि अनुसूचित जाति के लोगों को सामाजिक तथा सांस्कृतिक धारा से काट कर रखा गया। जिसके परिणामस्वरूप इस जाति समूह के सामाजिक जीवन में अनेक बुराईयाँ प्रवेश कर गयी।

वैवाहिक और पारिवारिक जीवन, सामाजिक सहवास और सामाजिक अन्तःक्रिया के क्षेत्र में अनुसूचित समुदाय अनेक प्रकार की समस्याओं और संकीर्णताओं से घिरा हुआ है।

प्रस्तुत अध्याय चार खण्ड़ों में विभक्त है :—

प्रथम खण्ड	: वैवाहिक मूल्य
द्वितीय खण्ड	: पारिवारिक मूल्य
तृतीय खण्ड	: धार्मिक मूल्य
चतुर्थ खण्ड	: सामाजिक अन्तः क्रिया

प्रथम खण्डः वैवाहिक मूल्य –

विवाह एक संस्था है । लगभग सभी समाजो में विवाह का अस्तित्व आवश्यक रूप से पाया जाता रहा है हिन्दू समाज में विवाह एक धार्मिक संस्कार माना जाता है। धर्म–अर्थ–काम–मोक्ष हिन्दू धर्म के चार पुरूषार्थ कहे गये हैं । वैवाहिक बन्धन एक पवित्र एवं जन्म जन्मान्तर तक चलने वाला बन्धन है फलस्वरूप विवाह–

विच्छेद, पुनर्विवाह परम्परागत वैवाहिक मान्यताओं के प्रतिकूल व्यवस्था रही है । विवाह की मान्यता उच्च एवं निम्न दोनो समाजों में बराबर रही है लेकिन अनुसूचित जातियो में बाल विवाह, विवाह–विच्छेद, विधवा विवाह का प्रचलन अपेक्षाकृत अधिक रहा है ।

अनुसूचित जाति के युवक शिक्षा, सम्प्रेषण के साधनों के प्रभाव और बाह्य समाज से सम्पर्क इत्यादि परिवर्तन की नवीन शक्तियों से प्रभावित हो रहे हैं । शिक्षा प्रसार के परिणामस्वरूप जनजातीय समुदाय में वधु मूल्य की प्रथा शिथिल हो रही है । अब वैवाहिक निर्णय लेते समय युवकों की इच्छा को ध्यान में रखा जाने लगा है । (नायक : 1969 : 259 – 271)[1] और कालेज (शाह और थाकर : 1978 : 209)।[2] स्तर के विद्यार्थियों का अध्ययन यह स्पष्ट करता है कि जीवन साथी के चुनाव के चयन में अधिकाँश विद्यार्थी माता पिता के निर्णय और सत्ता को मानते हैं ।

प्रस्तुत खण्ड में यह जानने का प्रयास किया जा रहा है कि शिक्षा प्रसार के परिणामस्वरूप अनुसूचित जाति के युवकों में वैवाहिक मान्यताओं विशेषकर विवाह की आयु, जीवन–साथी का चयन, अन्तर्जातीय विवाह, दहेज, विवाह–विच्छेद, विधवा पुनर्विवाह के सम्बन्ध में इन जातियों के दृष्टिकोण में क्या अन्तर उत्पन्न हुआ है।

युवक के विवाह की सम्भावित आयु –

परम्परागत रूप से अनुसूचित जाति में अल्पायु में ही विवाह कर दिए जाते रहे हैं । कन्यादान की प्रथा प्रभावी रही । परिवार के लोग शीघ्र ही उत्तरदायित्व से मुक्त होना चाहते रहे हैं । अल्पायु में विवाह के प्रमुख कारण बालक और बालिका के

1- Nayak T.B. : Impact of Education on the Bhils, Cultural change in the Tribal life of Madhya Pradesh, Research Programme Committee Planning Commission, New Delhi.

2- Shah, B.V. and Thaker, J.D. : Scheduled Caste and Scheduled Tribe College student, in Gujrat A Sociological Studies, Sardar Patel University Vallabh Vidyanagar, 1978.

चरित्र की रक्षा, आर्थिक भार से मुक्ति तथा वृद्ध व्यक्तियों की अपने पुत्र वधुओं से मिलने की इच्छा तथा प्रपोत्र देखने की इच्छा रही है । ग्रामीण समुदाय में अल्पायु में विवाह का प्रमुख कारण गृह कार्य एवं कृषि कार्य में स्त्रियों के सहयोग की आवश्यकता रही है ।

आधुनिक काल में शिक्षा तथा शिक्षा द्वारा आय परिवर्तनों के परिणामस्वरूप विवाह की आयु निरन्तर उच्च होती जा रही है । प्रायः शिक्षा समाप्त करने के पश्चात या फिर आजीविका प्राप्त होने के बाद ही विवाह करना उचित माना जाता है । जीवन की कठोर आर्थिक परिस्थितियों ने व्यक्ति को परिवार सीमित करने के लिए बाध्य किया है ।

युवक की सम्भावित आयु -

परम्परागत रूप से अनुसूचित जाति में अल्पायु में ही विवाह सम्बन्ध स्थापन का प्रचलन रहा है । विवाह परिवार के वयोवृद्ध सदस्यों के द्वारा आयोजित किया जाता था तथा अत्यन्त कम आयु के बालक बालिकाओं को परिवार के सदस्यों द्वारा विवाह में दे दिया जाता रहा है । अल्पायु में विवाह के प्रमुख कारण परिवार के सदस्यों का उत्तरदायित्व मुक्ति की भावना, बालक एवं बालिकाओं के चरित्र की रक्षा, उचित सामाजीकरण, आर्थिक भार से मुक्ति तथा वृद्ध व्यक्तियों की पुत्रवधू एवं प्रपोत्र देखने की इच्छा रहा है । ग्रामीण समुदाय में अल्प व्यस्क में विवाह का एक अन्य प्रमुख कारण स्त्री के श्रम शक्ति की प्राप्ति भी रहा है । कृषि कार्य एवं गृह कार्य को सम्पादित करने के लिए स्त्रियों के सहयोग की आवश्यकता रही है । अतः कम आयु में ही विवाह सम्बन्ध स्थापित करके परिवार के सदस्यों को नवीन श्रम शक्ति प्राप्त होती रही है ।

आधुनिक काल में परिवर्तन की नवीन शक्तियों के प्रभाव के परिणामस्वरूप

विवाह की आयु निरन्तर उच्च होती जा रही है । नगरीय एवं औद्योगिक समाज की आवश्यकता के अनुरूप साधारणतया विवाह सम्बन्ध शिक्षा समाप्ति के पश्चात या स्वतन्त्र आजीविका प्राप्त करने के पश्चात किया जाना उचित माना जाता है । जीवन की कठोर आर्थिक परिस्थितियों ने व्यक्ति के परिवार सीमित करने को बाध्य किया है । इस कारण भी विलम्ब से विवाह सम्बन्ध स्थापित किए जा रहे हैं ।

तालिका संख्या-10.1 सामाजिक परिवर्त्य एवम् युवकों के विवाह की सम्भावित आयु

	15.20 वर्ष	21.25 वर्ष	26.30 वर्ष	31.35 वर्ष	योग
शैक्षिक स्तर					
स्नातक	33 (10.00)	172 (52.12)	77 (23.33)	48 (14.55)	330
परास्नातक	13 (18.57)	32 (45.72)	24 (34.28)	01 (1.43)	70
लैंगिक स्तर					
छात्र	26 (9.28)	160 (57.14)	54 (19.28)	40 (14.30)	280
छात्राएं	20 (16.67)	44 (36.67)	47 (39.16)	09 (7.50)	120
आवासीय पृष्ठभूमि					
ग्रामीण	33 (10.65)	167 (53.87)	70 (22.58)	40 (12.90)	310
नगरीय	13 (14.44)	37 (41.11)	31 (34.45)	09 (10.00)	90
सामाजिक–आर्थिक स्तर					
उच्च	01 (6.67)	05 (33.33)	06 (40.00)	03 (20.00)	15
मध्यम	01 (1.43)	28 (40.00)	31 (44.28)	10 (14.29)	70
निम्न	44 (13.97)	171 (54.29)	64 (20.31)	36 (11.43)	315
योग	46 (11.50)	204 (51.00)	101 (25.25)	49 (12.25)	400

वर्तमान अध्ययन में सूचनादाताओं का ध्यान विवाह की आयु के सम्बन्ध में होने वाले इन परिवर्तनों की ओर आकर्षित करते हुए उनसे यह पूछा गया कि वे किस

आयु में युवकों का विवाह उचित मानते है । प्राप्त उत्तरों के आँकड़ो को विगत तालिका संख्या 10.1 में प्रदर्शित किया गया है ।

प्राप्त आँकड़ों से स्पष्ट हो रहा है कि 11.50 प्रतिशत सूचनादाता युवकों के विवाह की आदर्श आयु 15–20 वर्ष, 51.00 प्रतिशत 21–25 वर्ष, 25.25 प्रतिशत, 26–30 वर्ष तथा 12.25 प्रतिशत सूचनादाता 31–35 वर्ष को उचित मानते हैं । इस प्रकार स्पष्ट है कि 21–25 वर्ष के मध्य युवकों की शादी को ज्यादातर सूचनादाता सही मानते हैं ।

शैक्षिक स्तर के आधार पर उक्त आँकड़ों को व्यवस्थित कर विश्लेषण से स्पष्ट हो रहा है कि स्नातक स्तर के 10.00 प्रतिशत तथा परास्नातक के (18.57) प्रतिशत सूचनादाता युवकों के विवाह की आयु 15–20 वर्ष स्नातक स्तर के 52.12 प्रतिशत एवं परास्नातक स्तर के 45.72 प्रतिशत 21–25 वर्ष, स्नातक के 23.33 प्रतिशत एवं परास्नातक के 34.28 प्रतिशत 26–30 वर्ष तथा स्नातक स्तर के 14.55 प्रतिशत एवं परास्नातक स्तर के 1.43 प्रतिशत सूचनादाता युवकों के विवाह की आदर्श आयु 31–35 वर्ष मानते हैं । इस प्रकार दोनों ही शैक्षिक स्तर के सर्वाधिक सूचनादाता 21–25 वर्ष के युवकों की शादी की आदर्श आयु मानते हैं ।

लैंगिक स्तर के आधार पर आँकड़ों को देखने से पता चलता है कि युवकों के विवाह की आयु 15–20 वर्ष को 9.28 प्रतिशत छात्र एवं 16.67 प्रतिशत छात्राएं, 21–25 वर्ष को 57.14 प्रतिशत छात्र, 36.67 प्रतिशत छात्राएं, 26–30 वर्ष को 19.28 प्रतिशत छात्र एवं 39.16 प्रतिशत छात्राएं तथा 31–35 वर्ष को 14.30 प्रतिशत छात्र एवं 7.50 प्रतिशत छात्राएं उचित मानती हैं । इस प्रकार कहा जा सकता है कि छात्रों का सर्वाधिक प्रतिशत 21–25 वर्ष में युवक की शादी का पक्षधर है जबकि छात्राओं में अधिकाँश का मत 26–30 वर्ष में युवकों की शादी की पक्षधर हैं । अतः छात्राओं की

तुलना में छात्र अधिक संख्या में शादी की आयु 21–25 वर्ष के मध्य होने को प्राथमिकता देते हैं ।

आवासीय पृष्ठभूमि के आधार पर आँकड़ों से स्पष्ट है कि युवकों की शादी की आदर्श आयु 15–25 वर्ष मानने वालों में 10.65 प्रतिशत ग्रामीण एवं 14.44 प्रतिशत नगरीय सूचनादाता हैं, 21–25 वर्ष मानने वालों में 53.87 प्रतिशत ग्रामीण एवं 41.11 प्रतिशत नगरीय सूचनादाता हैं । 26–30 वर्ष मानने वालों में 22.58 प्रतिशत ग्रामीण एवं 34.45 प्रतिशत नगरीय सूचनादाता हैं तथा 31–35 वर्ष मानने वालों में 12.90 प्रतिशत ग्रामीण एवं 10.00 प्रतिशत नगरीय सूचनादाता हैं । इस प्रकार स्पष्ट हो रहा है कि ग्रामीण तथा नगरीय दोनो तरह के अधिकाँश सूचनादाताओं के मतानुसार युवकों की शादी की आदर्श आयु 21–25 वर्ष होना चाहिए । इस आयु वर्ग में शादी के विषय में नगरीय सूचनादाताओं की अपेक्षा ग्रामीण सूचनादाताओं की संख्या अधिक है ।

इसी प्रकार सामाजिक–आर्थिक स्तर के आधार पर आँकड़ों को व्यवस्थित कर देखने से पता लगता है कि 15–20 वर्ष में युवकों की शादी की आदर्श आयु मानने वालों में 6.67 प्रतिशत उच्च सामाजिक–आर्थिक स्तर के सूचनादाता हैं, 1.43 प्रतिशत मध्यम स्तर के एवं 13.97 प्रतिशत निम्न स्तर के सूचनादाता हैं । 21–25 वर्ष को आदर्श आयु मानने वालों में उच्च स्तर के 33.33 प्रतिशत, मध्यम स्तर के 40.00 प्रतिशत एवं निम्न स्तर के 54.29 प्रतिशत सूचनादाता हैं । 26–30 वर्ष को आदर्श आयु मानने वालों में उच्च स्तर के 40.00 प्रतिशत, मध्यम के 44.28 प्रतिशत एवं निम्न के 20.31 प्रतिशत सूचनादाता हैं तथा 31–35 वर्ष के आदर्श आयु मानने वालों में उच्च

स्तर के 20.00 प्रतिशत, मध्यम के 14.29 प्रतिशत तथा निम्न के 11.43 प्रतिशत सूचनादाता हैं । अतः कहा जा सकता है कि 21–25 वर्ष के निम्न स्तर के अधिकाँशतः सूचनादाताओं द्वारा आदर्श आयु माना है तथा 26–30 वर्ष के मध्यम वर्ग के अधिकाँश सूचनादाताओं ने आदर्श आयु माना है । इसी प्रकार उच्च स्तर के अधिकाँश सूचनादाताओं ने भी 26–30 वर्ष के विवाह को आदर्श आयु माना है । उच्च और मध्यम स्तर के सूचनादाताओं की तुलना में निम्न स्तर के अधिकाँश सूचनादाता युवकों की शादी की आयु 21–25 वर्ष के मध्य आदर्श आयु मानते हैं ।

युवती के विवाह की सम्भावित आयु –

परम्परागत रूप से पिछड़े अनुसूचित जाति समूह में बालिकाओं का विवाह अत्यन्त अल्प आयु में किया जाता रहा है । अनुसूचित जाति वर्ग की स्त्रियों के सतीत्व की रक्षा तथा कन्या भार से मुक्ति के लिए 10 वर्ष से कम आयु में ही विवाह सम्बन्ध स्थापित करना उचित मानते रहे हैं । अतः आधुनिकता के साथ वैवाहिक आयु के बढ़ते हुए वर्तमान में अनुसूचित जाति के युवतियों के वैवाहिक जीवन के शुरू करने की आयु पर सूचनादाताओं से प्राप्त उत्तरों को अग्रांकित तालिका संख्या 10.2 में प्रदर्शित किया गया है ।

वर्तमान अध्ययन के सूचनादाताओं के युवती के विवाह की सम्भावित आयु सम्बन्धी दृष्टिकोण का अध्ययन स्पष्ट करता है कि 20.25 प्रतिशत सूचनादाता 15–20 वर्ष की आयु, 69.25 प्रतिशत सूचनादाता 21–25 वर्ष की आयु के 6.00 प्रतिशत सूचनादाता 26–30 वर्ष को तथा 4.50 प्रतिशत सूचनादाता 21–35 वर्ष की आयु को युवतियों के विवाह की आदर्श आयु मानते हैं । इस प्रकार स्पष्ट है कि अधिकाँश सूचनादाता युवती की शादी 21–25 वर्ष में किए जाने को उचित मानते हैं ।

तालिका संख्या-10.2 सामाजिक परिवर्त्य एवम् युवती के विवाह के समय सम्भावित आयु

	15.20 वर्ष	21.25 वर्ष	26.30 वर्ष	31.35 वर्ष	योग
शैक्षिक स्तर					
स्नातक	78 (23.64)	214 (64.84)	22 (06.68)	16 (4.48)	330
परास्नातक	03 (04.28)	63 (90.00)	02 (2.86)	02 (2.86)	70
लैंगिक स्तर					
छात्र	65 (23.21)	175 (62.50)	23 (8.21)	17 (6.08)	280
छात्राएं	16 (13.34)	102 (85.00)	01 (0.83)	01 (0.83)	120
आवासीय पृष्ठभूमि					
ग्रामीण	76 (24.51)	202 (65.17)	15 (4.84)	17 (5.48)	310
नगरीय	05 (5.56)	75 (83.33)	09 (10.00)	01 (1.11)	90
सामाजिक–आर्थिक स्तर					
उच्च	01 (6.67)	08 (53.33)	03 (20.00)	03 (20.00)	15
मध्यम	01 (1.43)	55 (78.57)	10 (14.29)	04 (5.71)	70
निम्न	79 (25.07)	214 (67.93)	11 (3.50)	11 (3.50)	315
योग	81 (20.25)	277 (69.25)	24 (6.00)	18 (4.50)	400

शैक्षिक स्तर को आधार बना कर देखा गया तो प्राप्त आँकड़े प्रदर्शित करते हैं कि 15–20 वर्ष की आयु को 23.64 प्रतिशत स्नातक एवं 4.28 प्रतिशत परास्नातक स्तर के सूचनादाता उचित मानते हैं । 21–25 वर्ष की आयु को 64.84 प्रतिशत स्नातक स्तर के एवं 90.00 प्रतिशत परास्नातक स्तर के सूचनादाता उचित मानते हैं । 26–30 वर्ष को 6.68 प्रतिशत स्नातक स्तर के एवं 2.86 प्रतिशत परास्नातक स्तर के सूचनादाता उचित मानते हैं तथा 31–35 वर्ष की आयु को 4.84 प्रतिशत

स्नातक स्तर के एवं 2.86 प्रतिशत परास्नातक स्तर के सूचनादाता उचित मानते हैं । अतः स्पष्ट है कि 21–25 वर्ष के बीच युवती की शादी को परास्नातक स्तर के सूचनादाता सर्वाधिक महत्व देते हैं ।

लैंगिक स्तर के आधार पर आँकड़ों को देखने से स्पष्ट है कि 15–20 वर्ष की आयु को 23.21 प्रतिशत छात्र एवं 13.34 प्रतिशत छात्राएं सही मानती हैं । 21–25 वर्ष की आयु को 62.50 प्रतिशत छात्र एवं 85.00 प्रतिशत छात्राएं उचित मानती हैं । 26–30 वर्ष को 8.21 प्रतिशत छात्र एवं 0.83 प्रतिशत छात्राएं उचित मानती हैं तथा 31–35 वर्ष को 6.08 प्रतिशत छात्र एवं 0.83 प्रतिशत छात्राएं उंचित मानती हैं । इस प्रकार स्पष्ट है कि 21–25 वर्ष में विवाह को सही मानने में छात्राएं छात्रों की तुलना में अधिक हैं ।

आवासीय पृष्ठभूमि के आधार पर आँकड़ों के विश्लेषण से स्पष्ट है कि 15–20 वर्ष की आयु को युवती के विवाह की आदर्श आयु मानने वालों में 24.51 प्रतिशत ग्रामीण सूचनादाता एवं 5.56 प्रतिशत नगरीय सूचनादाता हैं । 21–25 वर्ष की आयु को उचित मानने वालों में 65.17 प्रतिशत ग्रामीण एवं 83.33 प्रतिशत नगरीय सूचनादाता हैं । 26–30 वर्ष को उचित मानने वालों में 4.84 प्रतिशत ग्रामीण एवं 10.00 प्रतिशत नगरीय सूचनादाता हैं तथा 31–35 वर्ष को उचित मानने वालों में 5.48 प्रतिशत ग्रामीण एवं 1.11 प्रतिशत नगरीय सूचनादाता हैं । इस प्रकार दोनों ही आवासीय पृष्ठभूमि के अधिकाँश सूचनादाता 21–25 वर्ष को आदर्श आयु मानते हैं लेकिन इनमें नगरीय सूचनादाताओं का प्रतिशत सर्वाधिक है ।

सामाजिक–आर्थिक स्तर को आधार बनाकर आँकड़ों के विश्लेषण से यह पता चलता है कि 15–20 वर्ष के आदर्श आयु मानने वाले 6.67 प्रतिशत उच्च स्तर के

1.43 प्रतिशत मध्यम स्तर के एवं 25–07 प्रतिशत निम्न स्तर के सूचनादाता हैं । 21–25 वर्ष को आदर्श आयु मानने वाले 53.33 प्रतिशत उच्च स्तर के 78.57 प्रतिशत मध्यम स्तर के एवं 67.93 प्रतिशत निम्न स्तर के सूचनादाता हैं । 26–30 वर्ष को आदर्श आयु मानने वालों में 20.00 प्रतिशत उच्च स्तर के 14.29 प्रतिशत मध्यम स्तर के एवं 3.50 प्रतिशत निम्न स्तर के सूचनादाता हैं । इसी प्रकार 31–35 वर्ष की आयु को उचित मानने वालों में 20 प्रतिशत उच्च स्तर के 5.71 प्रतिशत मध्यम स्तर के एवं 3.50 प्रतिशत निम्न स्तर के सूचनादाता हैं । इस प्रकार स्पष्ट है कि तीनों स्तरों के अधिकाँश सूचनादाता 21–25 वर्ष को आदर्श आयु मानते हैं । लेकिन इनमें भी मध्यम स्तर के सूचनादाताओं का प्रतिशत उच्च एवं निम्न की तुलना में अधिक है ।

जीवन साथी का चयन -

परम्परागत रूप से जीवन साथी के चयन का कार्य युवक–युवती के माता पिता परिवार के वयोवृद्ध सदस्य या निकट सगे सम्बन्धियों द्वारा किया जाता रहा है । अधिकाँश विवाह सम्बन्ध अल्पायु में ही स्थापित किए जाते रहे हैं । अतः इस प्रकार के विवाह में युवक युवती की स्वतन्त्र इच्छा या निर्णय का कोई महत्व नहीं होता है । परन्तु आधुनिक काल में परिवर्तन की नवीन शक्तियों विशेषकर शिक्षा के प्रसार, नवीन पारिवारिक और वैवाहिक मूल्यों का प्रचलन, युवकों की स्वतन्त्र मनोवृत्ति इत्यादि कारणों से विवाह की आयु पहले की तुलना में उच्च होती जा रही है और वैवाहिक निर्णय की प्रक्रिया में युवक सदस्यों को भी सम्मिलित किया जाने लगा है । अनुसूचित जातियों में विवाह सम्बन्ध पूर्णतया परिवार के द्वारा आयोजित व्यवस्था रही है । अल्पवय में ही विवाह सम्बन्ध स्थापित किए जाते रहे हैं । इन समुदायों में आधुनिक काल में वैवाहिक निर्णय के क्षेत्र में सीमित परिवर्तन उत्पन्न हुए हैं शिक्षा ग्रहण करने वाले युवकों की मनोवृत्ति में इस प्रकार का परिवर्तन मुख्य रूप से हुआ है । इस

मनोवृत्ति को जानने से प्राप्त उत्तरों को निम्नाँकित तालिका संख्या 10.3 में प्रदर्शित कर स्थिति स्पष्ट की गई है ।

तालिका संख्या-10.3 सामाजिक परिवर्त्य एवम् जीवन साथी का चुनाव

	माता-पिता के द्वारा	युवा सदस्य द्वारा स्वतंत्र रूप से	युवा सदस्यों से परामर्श द्वारा	योग
शैक्षिक स्तर				
स्नातक	240 (72.73)	30 (9.09)	60 (18.18)	330
परास्नातक	01 (1.42)	35 (50.00)	34 (48.58)	70
लैंगिक स्तर				
छात्र	145 (51.78)	52 (18.57)	83 (29.65)	280
छात्राएं	96 (80.00)	13 (10.84)	11 (9.16)	120
आवासीय पृष्ठभूमि				
ग्रामीण	230 (74..20)	29 (9.35)	51 (16.45)	310
नगरीय	11 (12.22)	36 (40.00)	43 (47.78)	90
सामाजिक–आर्थिक स्तर				
उच्च	02 (13.33)	07 (46.67)	06 (40.00)	15
मध्यम	26 (37.14)	20 (28.57)	24 (34.29)	70
निम्न	213 (67.62)	38 (12.06)	64 (20.32)	315
योग	241 (60.25)	65 (16.25)	94 (23.50)	400

वर्तमान अध्ययन के सूचनादाताओं के वैवाहिक निर्णय सम्बन्धी मनोवृत्ति का अध्ययन यह स्पष्ट करता है कि 60.25 प्रतिशत सूचनादाता विवाह सम्बन्ध को माता पिता द्वारा आयोजित किया जाना उत्तम मानते हैं । 16.25 प्रतिशत सूचनादाता मानते हैं कि अपने विवाह का निर्णय स्वतन्त्र रूप से लेना चाहिए । 23.50 प्रतिशत सूचनादाता

के विचारानुसार परिवार के युवा सदस्यों से परामर्श करके विवाह सम्बन्ध स्थापित करना चाहिए । अतः स्पष्ट है कि अधिकाँश सूचनादाताओं का मानना है कि विवाह का निर्णय माता पिता के द्वारा ही किया जाना चाहिए ।

शैक्षिक स्तर पर आँकड़ों को देखने पर विदित होता है कि स्नातक स्तर के 72.73 प्रतिशत एवं परास्नातक स्तर के 1.42 प्रतिशत सूचनादाता विवाह का निर्णय माता पिता द्वारा किए जाने के पक्षधर हैं । स्नातक स्तर के 9.09 प्रतिशत एवं परास्नातक स्तर के 50.00 प्रतिशत सूचनादाता अपने विवाह का निर्णय स्वतन्त्र रूप से लिए जाने के पक्ष में हैं । स्नातक स्तर के 18.18 प्रतिशत एवं परास्नातक स्तर के 48.58 प्रतिशत सूचनादाताओं का मानना है कि विवाह का निर्णय युवा सदस्यों से परामर्श करके किया जाना चाहिए । इस प्रकार स्पष्ट है कि स्नातक स्तर के अधिकाँश सूचनादाता माता पिता द्वारा विवाह का निर्णय लिए जाने की बात करते हैं । वहीं परास्नातक स्तर के सूचनादाता प्रथम वरीयता युवा सदस्यों द्वारा स्वतन्त्र रूप से द्वितीय वरीयता युवा सदस्यों के परामर्श से विवाह का निर्णय लिए जाने को देते प्रतीत होते हैं । अतः स्पष्ट है कि परास्नातक स्तर के विद्यार्थियों की तुलना में स्नातक स्तर के विद्यार्थी माता पिता के द्वारा ही जीवन–साथी का चुनाव करते हैं ।

लैंगिक स्तर को आधार बना कर आँकड़ों के विश्लेषण करने से स्पष्ट हो रहा हैं कि 51.78 प्रतिशत छात्र एवं 80.00 प्रतिशत छात्राएं विवाह का निर्णय माता पिता द्वारा लिए जाने के समर्थक हैं तथा 18.57 प्रतिशत छात्र एवं 10.84 प्रतिशत छात्राएं युवा सदस्यों द्वारा स्वतन्त्र रूप से विवाह का निर्णय लिए जाने के हक में हैं जब कि 29.65 प्रतिशत छात्र एवं 9.16 प्रतिशत छात्राओं का मानना है कि विवाह के निर्णय में युवा सदस्यों से परामर्श लिया जाए । अतः कहा जा सकता है कि अधिकाँश छात्र छात्राओं का मत है कि विवाह का निर्णय माता पिता द्वारा ही लिया जाना चाहिए

जिसमें छात्राओं की संख्या अधिक है ।

आवासीय पृष्ठभूमि के आधार पर आँकड़ों को देखने से ज्ञात होता है कि 74.20 प्रतिशत ग्रामीण एवं 12.22 प्रतिशत नगरीय सूचनादाता विवाह का निर्णय माता पिता द्वारा लिये जाने के पक्ष में हैं तथा 9.35 प्रतिशत ग्रामीण एवं 40.00 प्रतिशत नगरीय सूचनादाताओं का मानना है कि विवाह का निर्णय युवाओं द्वारा स्वतन्त्र रूप से लिया जाना चाहिए । जबकि 16.45 प्रतिशत ग्रामीण एवं 47.78 प्रतिशत नगरीय सूचनादाता इस मत के हैं कि विवाह का निर्णय युवा सदस्यों की परामर्श से किया जाना चाहिए । अतः कहा जा सकता है कि अधिकाँश ग्रामीण सूचनादाता विवाह का निर्णय माता पिता द्वारा लिए जाने के पक्षधर हैं और अधिकाँश ग्रामीण सूचनादाता विवाह का निर्णय युवा सदस्यों से परामर्श द्वारा किए जाने के पक्ष में हैं । अतः स्पष्ट है कि नगरीय सूचनादाताओं की तुलना में ग्रामीण सूचनादाता अधिक संख्या में माता–पिता को ही जीवन–साथी के चुनाव में महत्व देते हैं ।

सामाजिक–आर्थिक स्तर के आंकड़ों के आधार पर विवेचन से स्पष्ट है कि उच्च स्तर के 13.33 प्रतिशत, मध्यम स्तर के 37.14 प्रतिशत एवं निम्न स्तर के 67.12 प्रतिशत सूचनादाता विवाह का निर्णय माता–पिता द्वारा लिये जाने के पक्ष में है तथा 46.67 प्रतिशत उच्च स्तर के 28.57 प्रतिशत मध्यम स्तर के एवं 12.06 प्रतिशत निम्न स्तर के सूचनादाताओं का मानना है कि विवाह का निर्णय युवाओं द्वारा स्वतन्त्र रूप से किया जाना चाहिये। जबकि 40.00 प्रतिशत उच्च स्तर के, 34.29 प्रतिशत मध्यम स्तर के एवं 20.23 प्रतिशत निम्न स्तर के सूचनादाताओं का मानना है कि विवाह का निर्णय युवा सदस्यों के परामर्श से किया जाना चाहिये। इस प्रकार कहा जा सकता है कि निम्न एवं मध्यम स्तर के अधिकांश सूचनादाता विवाह निर्णय माता–पिता द्वारा लिये जाने का समर्थन करते है जबकि उच्च स्तर के अधिकांश सूचनादाता युवाओं द्वारा

स्वतन्त्र रूप से विवाह सम्बन्धी निर्णय लेने को सही मानते है। तुलनात्मक दृष्टि से उच्च तथा मध्यम सामाजिक–आर्थिक स्तर के सूचनादाताओं की अपेक्षा निम्न सामाजिक–आर्थिक स्तर के सूचनादाताओं की अधिकांश संख्या यह मानती है कि जीवन साथी का चुनाव माता–पिता के द्वारा किया जाना ही उचित है।

अन्तजार्तीय विवाह के प्रति दृष्टिकोण –

परम्परागत हिन्दू समाज में "अन्तर्विवाह" से सम्बन्धित एक अत्यन्त कठोर एवं महत्वपूर्ण निषेध रहा है इस नियम के अनुसार एक उपजाति के सदस्य अपने ही समूह में विवाह कर सकते हैं, उससे बाहर नहीं । यह नियम जातिगत सुदृढ़ता और रक्त सम्बन्धी पवित्रता के लिये अत्यन्त कठोरता से पालन किया जाता रहा है इस नियम का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों को जाति से बहिष्कृत एवं धर्मच्युत माना जाता रहा है अनुसूचित जाति समूह में भी इस नियम का पालन किया जाता रहा है। और अन्तजार्तीय विवाह किसी भी रूप में अनुमोदित नहीं रहा है आधुनिक काल में अनुसूचित जाति के सदस्यों में सवर्ण हिन्दू जातियों द्वारा किये जाने वाले अन्याय एवं अत्याचार के प्रति जो जागृति उत्पन्न हुयी है उसकी एक अभिव्यक्ति अन्तजार्तीय विवाह की अकांक्षा है। इस जाति समूह के सदस्य अपनी सामाजिक स्थिति को उन्नत करने के लिये तथा उच्च जाति के शोषण का प्रतिकार करने के लिये उच्च जाति की स्त्रियों के साथ विवाह सम्बन्ध स्थापित करने की कामना करते हैं । दूसरी ओर शिक्षा के समान्य प्रभाव ने जाति, धर्म, सम्प्रदाय की संकीर्णता के परिसीमन में जो योगदान दिया है वह इस जाति समूहों में अन्तजार्तीय विवाह की आकांक्षा के रूप में परिलक्षित हो रहा है। अन्तजार्तीय विवाह सम्बन्धी विचारों को जानने पर प्राप्त आंकड़ों को अग्रांकित तालिका संख्या 10.4 में दर्शाया गया है।

तालिका संख्या-10.4 सामाजिक परिवर्त्य एवम् अन्तर्जातीय विवाह को मान्यता

	हाँ	नहीं	कह नहीं सकते	योग
शैक्षिक स्तर				
स्नातक	213 (64.54)	72 (21.82)	45 (13.64)	330
परास्नातक	42 (60.00)	21 (30.00)	07 (10.00)	70
लैंगिक स्तर				
छात्र	224 (60.00)	24 (8.57)	32 (11.43)	280
छात्राएं	31 (25.83)	69 (57.50)	20 (16.67)	120
आवासीय पृष्ठभूमि				
ग्रामीण	214 (69.03)	49 (15.80)	47 (15.17)	310
नगरीय	41 (45.56)	44 (48.88)	05 (5.56)	90
सामाजिक–आर्थिक स्तर				
उच्च	07 (46.67)	05 (33.33)	03 (20.00)	15
मध्यम	33 (47.14)	29 (41.43)	08 (11.43)	70
निम्न	215 (68.25)	59 (18.74)	41 (13.01)	315
योग	255 (63.75)	93 (23.25)	52 (13.00)	400

वर्तमान अध्ययन के सूचनादाताओं के अन्तजार्तीय विवाह सम्बन्धी दृष्टिकोण का अध्ययन यह स्पष्ट करता है कि 63.75 प्रतिशत सूचनादाता अन्तजार्तीय विवाह को मान्यता देते है 23.25 प्रतिशत सूचनादाता अन्तजार्तीय विवाह को मान्यता नहीं देते है। तथा 13.00 प्रतिशत सूचनादाता इस सम्बन्ध में कुछ कहने में असमर्थ रहे है, इस प्रकार स्पष्ट है कि 63.75 प्रतिशत सूचनादाता अन्तजार्तीय विवाह के पक्ष में हैं।

शैक्षिक स्तर को आधार बनाकर आंकड़ों के विश्लेषण से यह पता लगता

है कि 64.54 प्रतिशत स्नातक स्तर के एवं 60.00 प्रतिशत परास्नातक स्तर के सूचनादाता अन्तजातीय विवाह के पक्ष में है तथा 21.82 प्रतिशत स्नातक स्तर के एवं 30.00 प्रतिशत परास्नातक स्तर के सूचनादाता अन्तजातीय विवाह को मान्यता देने के पक्ष में नहीं है जबकि 13.64 प्रतिशत स्नातक स्तर के एवं 10.00 प्रतिशत परास्नातक स्तर के सूचनादाता इस सम्बन्ध में कुछ भी स्पष्ट मत प्रकट नहीं कर सके है । इस प्रकार कहा जा सकता है कि परास्नातक स्तर की अपेक्षा स्नातक स्तर के सूचनादाताओं का प्रतिशत अन्तजातीय विवाह को मान्यता दिये जाने के पक्ष में अधिक है।

लैंगिक स्तर के आधार पर आंकड़ों के विश्लेषण से स्पष्ट है कि 80.00 प्रतिशत छात्र एवं 25.83 प्रतिशत छात्रायें अन्तजातीय विवाह को मान्यता देने के पक्ष में है तथा 8.57 प्रतिशत छात्र एवं 57.50 प्रतिशत छात्रायें ऐसे विवाह को मान्यता दिये जाने के खिलाफ है, शेष ने अपना स्पष्ट मत नहीं दिया है । अतः स्पष्ट है कि अधिकांश छात्र अन्तजातीय विवाह को सही मानते हैं जबकि अधिकांश छात्राएं अन्तजातीय विवाह को मान्यता दिये जाने के पक्ष में नहीं है, छात्राओं की तुलना में छात्र अधिक संख्या में अन्तजातीय विवाह सम्बन्ध को सही मानते हैं।

आवासीय पृष्ठभूमि के आधार पर व्यवस्थित किये गये आंकड़े बता रहे है कि 69.03 प्रतिशत ग्रामीण एवं 45.56 प्रतिशत नगरीय सूचनादाता अन्तजातीय विवाह को मान्यता दिये जाने के पक्ष में है तथा 15.80 प्रतिशत ग्रामीण एंव 48.88 प्रतिशत नगरीय सूचनादाता ऐसे विवाह को मान्यता दिये जाने के पक्ष में नहीं है जबकि 15.17 प्रतिशत ग्रामीण एवं 5.56 प्रतिशत नगरीय सूचनादाताओं ने स्पष्ट मत नहीं दिया है । अतः कह सकते है कि अन्तजातीय विवाह को मान्यता दिये जाने के पक्ष में अधिकांश ग्रामीण सूचनादाता हैं और मान्यता नहीं दिये जाने के पक्ष में अधिकांश

नगरीय सूचनादाता है ग्रामीण सूचनादाता अधिक संख्या में अन्तजार्तीय विवाह करने के पक्ष में है।

सामाजिक आर्थिक स्तर के आधार पर प्राप्त आंकड़े यह प्रदर्शित कर रहे है कि 46.67 प्रतिशत उच्च, 47.14 प्रतिशत मध्यम एवं 68.25 प्रतिशत निम्न स्तर के सूचनादाता अन्तजार्तीय विवाह को मान्यता दिये जाने के पक्ष में है तथा 33.33 प्रतिशत उच्च 41.43 प्रतिशत मध्यम एवं 18.74 प्रतिशत निम्न स्तर के सूचनादाता ऐसे विवाह को मान्यता दिये जाने के खिलाफ हैं जबकि 20.00 प्रतिशत उच्च, 41.43 प्रतिशत मध्यम एवं 13.01 प्रतिशत निम्न स्तर के सूचनादाताओं ने स्पष्ट मत नहीं दिया है इससे स्पष्ट है कि निम्न सामाजिक–आर्थिक स्तर के सूचनादाता मध्यम एवं उच्च स्तर के सूचनादाताओं की अपेक्षा अन्तजार्तीय विवाह का अधिक पक्ष ले रहे हैं।

विधवा पुनर्विवाह के प्रति दृष्टिकोण –

परम्परागत हिन्दू समाज में विवाह सम्बन्ध जन्म जन्मान्तर का अटूट सम्बन्ध माना जाता रहा है । मृत्यु या विवाह–विच्छेद के द्वारा इस सम्बन्ध को भंग नहीं किया जा सकता था । पति की मृत्यु के पश्चात पत्नी के सती होने की प्रथा भी प्रचलित रही है परन्तु ये सभी नियम सवर्ण हिन्दू जातियों की विशेषता रही है निम्न जाति में विधवा पुनः विवाह, विवाह–विच्छेद या एक से अधिक पत्नियां रखना, अनुचित नहीं माना जाता रहा है । जाति पंचायत की अनुमति से या कुछ दण्ड स्वीकार करके इस प्रकार के वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित किये जाते रहें है विधवा पुनर्विवाह सम्बन्धी प्रश्न के प्राप्त आँकडों को अग्रांकित तालिका संख्या 10.5 में दर्शाया गया है।

वर्तमान अध्ययन के सूचनादाताओं से विधवा विवाह के सम्बन्ध में प्रश्न पूछने से ज्ञात हुआ कि 68.00 प्रतिशत सूचनादाता इस प्रकार के विवाह का समर्थन करते हैं तथा 18.00 प्रतिशत सूचनादाता ऐसे विवाह से अपनी असहमति प्रकट करते

है जबकि 14.00 प्रतिशत सूचनादाता किसी स्पष्ट मत का उल्लेख नहीं करते हैं । अतः स्पष्ट है कि विधवा पुनर्विवाह को मान्यता देने वाले सूचनादाताओं की संख्या सबसे अधिक है।

तालिका संख्या–10.5 सामाजिक परिवर्त्य एवम् विधवा पुनर्विवाह के प्रति दृष्टिकोण

	सहमत	असहमत	कह नहीं सकता	योग
शैक्षिक स्तर				
स्नातक	213 (64.54)	67 (20.30)	50 (15.16)	330
परास्नातक	59 (84.29)	05 (7.14)	06 (8.57)	70
लैंगिक स्तर				
छात्र	183 (65.36)	65 (23.21)	32 (11.43)	280
छात्राएं	89 (74.17)	07 (5.83)	24 (20.00)	120
आवासीय पृष्ठभूमि				
ग्रामीण	195 (62.90)	68 (21.94)	47 (15.16)	310
नगरीय	77 (85.56)	04 (4.44)	09 (10.00)	90
सामाजिक–आर्थिक स्तर				
उच्च	12 (80.00)	02 (13.33)	01 (6.67)	15
मध्यम	55 (68.56)	10 (14.29)	05 (7.14)	70
निम्न	205 (65.08)	60 (19.04)	50 (15.88)	315
योग	272 (68.00)	72 (18.00)	56 (14.00)	400

शैक्षिक स्तर पर आंकड़ों के वर्गीकरण से स्पष्ट हो रहा है कि स्नातक स्तर के 64.54 प्रतिशत एवं परास्नातक स्तर के 84.29 प्रतिशत सूचनादाता विधवा विवाह से सहमत है तथा 20.30 प्रतिशत स्नातक स्तर के एवं 7.14 प्रतिशत परास्नातक स्तर के सूचनादाता इससे असहमत है, जबकि स्नातक स्तर के 15.16 प्रतिशत एवं परास्नातक

स्तर के 8.57 प्रतिशत ने अपना स्पष्ट मत नहीं दिया । अतः कहा जा सकता है कि परास्नातक स्तर के सूचनादाता स्नातक स्तर के सूचनादाताओं की अपेक्षा विधवा पुर्नविवाह का अधिक समर्थन करते हैं ।

लैंगिक स्तर के आधार पर आँकड़े यह प्रदर्शित कर रहे है कि 65.36 प्रतिशत छात्र एवं 74.17 प्रतिशत छात्राएं विधवा विवाह के पक्ष में हैं तथा 23.21 प्रतिशत छात्र एवं 5.83 प्रतिशत छात्रायें इसके खिलाफ है जबकि शेष ने अपनी स्पष्ट राय नहीं दी। अतः छात्रों की तुलना में छात्राएं विधवा पुनर्विवाह के पक्ष में अधिक संख्या में है ।

आवासीय पृष्ठभूमि के आधार पर आंकड़े यह दर्शा रहे है कि 62.90 प्रतिशत ग्रामीण एवं 85.56 प्रतिशत नगरीय सूचनादाता विधवा विवाह के पक्ष में 21.54 प्रतिशत ग्रामीण एवं 4.44 प्रतिशत नगरीय सूचनादाता इसके पक्ष में नहीं हैं जबकि 15.16 प्रतिशत ग्रामीण एवं 10.00 प्रतिशत नगरीय सूचनादाता इस सम्बन्ध में स्पष्ट राय नहीं दे पाये। इससे स्पष्ट हो रहा है कि विधवा पुनर्विवाह के पक्ष मे नगरीय सूचनादाता ग्रामीण सूचनादाताओं से अधिक संख्या में है।

सामाजिक–आर्थिक स्तर के आधार पर आँकड़ों को देखने से पता चलता है कि 80.00 प्रतिशत उच्च स्तर के 78.56 प्रतिशत मध्यम स्तर के एवं 65.08 प्रतिशत निम्न स्तर के सूचनादाता विधवा पुनर्विवाह से सहमत है तथा 13.33 प्रतिशत उच्च स्तर के, 14.29 प्रतिशत मध्यम स्तर के एवं 19.04 प्रतिशत निम्न स्तर के सूचनादाता विधवा विवाह से असहमत है शेष ने स्पष्ट राय नहीं दी। अतः निम्न एवं मध्यम स्तर की अपेक्षा उच्च स्तर के सूचनादाताओं की संख्या विधवा पुनर्विवाह से सहमति व्यक्त करने के सम्बन्ध में अधिक है।

विवाह-विच्छेद के प्रति दृष्टिकोण -

विवाह–विच्छेद के औचित्य के प्रति सूचनादाताओं का ध्यान आकृष्ट करते हुये सूचनादाताओं से यह पूछा गया कि क्या वे पुरूष या स्त्री को विवाह–विच्छेद का अधिकार प्रदान करना उचित मानते हैं ? उत्तरदाताओं से प्राप्त उत्तरों को निम्नाँकित तालिका संख्या 10.6 में प्रदर्शित कर विश्लेषित किया गया है।

तालिका संख्या–10.6 सामाजिक परिवर्त्य एवम् विवाह विच्छेद के प्रति दृष्टिकोण

	सहमत	असहमत	कह नहीं सकता	योग
शैक्षिक स्तर				
स्नातक	36 (10.91)	240 (72.73)	54 (16.36)	330
परास्नातक	11 (15.72)	44 (62.85)	15 (21.43)	70
लैंगिक स्तर				
छात्र	38 (13.57)	191 (68.21)	51 (18.22)	280
छात्राएं	09 (7.50)	93 (77.50)	18 (15.00)	120
आवासीय पृष्ठभूमि				
ग्रामीण	30 (9.68)	226 (72.90)	54 (17.42)	310
नगरीय	17 (18.89)	58 (64.44)	15 (16.67)	90
सामाजिक–आर्थिक स्तर				
उच्च	05 (33.33)	06 (40.00)	04 (26.67)	15
मध्यम	21 (30.00)	40 (57.14)	09 (12.86)	70
निम्न	21 (6.67)	238 (75.55)	56 (17.78)	315
योग	47 (11.75)	284 (71.00)	69 (17.25)	400

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि 11.75 प्रतिशत सूचनादाता विवाह–विच्छेद के अधिकार से सहमत है, 71.00 प्रतिशत सूचनादाता विवाह–विच्छेद के अधिकार से

असहमत है और 17.25 प्रतिशत सूचनादाताओं ने इस सम्बन्ध में किसी स्पष्ट मत का उल्लेख नहीं किया है जिन सूचनादाताओं ने विवाह–विच्छेद के अधिकार से सहमति जताई है उन्होंने व्यक्तित्व सम्बन्धी भिन्नता, निरन्तर अस्वस्थता, दुश्चरित्रता, निःसत्तानता इत्यादि परिस्थितियों में पुरूष या स्त्री के विवाह–विच्छेद के अधिकार का समर्थन किया है । सूचनादाताओं से अनौपचारिक वार्ता द्वारा यह भी स्पष्ट होता है कि वे विवाह–विच्छेद के नियम को न तो अत्यधिक कठोर और न ही अत्यन्त शिथिल बनाना चाहते हैं । अधिकांश सूचनादाताओं का मत है कि विवाह–विच्छेद का प्रयोग स्त्रियों के शोषण के रूप में नहीं किया जाना चाहिये। अधिकांश सूचनादाता विवाह–विच्छेद से असहमत हैं।

शैक्षिक स्तर के आधार पर प्राप्त आंकड़ो से यह स्पष्ट होता है कि स्नातक स्तर के 10.51 प्रतिशत सूचनादाता विवाह–विच्छेद के अधिकार से सहमत है, 72.73 प्रतिशत सूचनादाता विवाह विच्छेद से असहमत है तथा 16.36 प्रतिशत सूचनादाताओं ने इस सम्बन्ध में कुछ भी कहने में असमर्थता व्यक्त की है । इसी प्रकार परास्नातक स्तर के 15.72 प्रतिशत सूचनादाता विवाह विच्छेद के अधिकार से सहमत है, 62.85 प्रतिशत असहमत है तथा 21.43 प्रतिशत ने कुछ भी कहने में असमर्थता व्यक्त की है अतः स्पष्ट है कि परास्नातक स्तर की तुलना में स्नातक स्तर के सूचनादाताओं द्वारा विवाह विच्छेद के बारें में असहमति की अधिकता पायी गयी है।

लैंगिक स्तर के आधार पर प्राप्त आंकड़ों के आधार से स्पष्ट है कि छात्र 13.57 प्रतिशत तथा छात्रायें 7.50 प्रतिशत विवाह–विच्छेद से सहमत है, 68.21 प्रतिशत छात्र 77.50 प्रतिशत छात्रायें विवाह–विच्छेद से असहमत है तथा 18.22 प्रतिशत छात्रों तथा 15.00 प्रतिशत छात्राओं ने इस सम्बन्ध में कुछ भी स्पष्ट कहने में असमर्थता व्यक्त की है । इस प्रकार यह स्पष्ट है कि छात्रों की अपेक्षा छात्राओं ने विवाह–विच्छेद

के अधिकार से अधिक असहमति व्यक्त की है।

आवासीय पृष्ठभूमि के आधार पर स्पष्ट है कि ग्रामीण सूचनादाता 9.68 प्रतिशत तथा नगरीय सूचनादाता 18.89 प्रतिशत विवाह–विच्छेद से सहमत है, 72.90 प्रतिशत ग्रामीण सूचनादाता तथा 64.44 प्रतिशत नगरीय सूचनादाता विवाह विच्छेद से असहमत है एवं 17.42 प्रतिशत ग्रामीण सूचनादाता तथा 16.67 प्रतिशत नगरीय सूचनादाताओं ने इस सम्बन्ध में कुछ भी कहने में असमर्थता व्यक्त की है, इस प्रकार नगरीय की अपेक्षा ग्रामीण सूचनादाताओं में विवाह–विच्छेद के प्रति असहमति अधिक दिखाई देती है।

सामाजिक आर्थिक स्तर के आधार पर प्राप्त आंकड़ो से स्पष्ट है कि उच्च स्तर के 33.33 प्रतिशत, मध्यम स्तर के 30.00 प्रतिशत या निम्न स्तर के 6.67 प्रतिशत सूचनादाता विवाह–विच्छेद के अधिकार से सहमत है तथा उच्च स्तर के 40.00 प्रतिशत, मध्यम स्तर के 57.14 प्रतिशत तथा निम्न स्तर के 75.55 प्रतिशत सूचनादाता विवाह–विच्छेद के अधिकार से असहमत हैं जबकि उच्च स्तर के 26.67 प्रतिशत मध्यम स्तर के 12.86 प्रतिशत तथा निम्न स्तर के 17.78 प्रतिशत सूचनादाताओं ने इस सम्बन्ध में कुछ भी कहने में अपनी असमर्थता व्यक्त की है इस प्रकार स्पष्ट है कि उच्च एवं मध्यम स्तर की अपेक्षा निम्न स्तर के सूचनादाताओं ने विवाह–विच्छेद के प्रति अधिक असहमति व्यक्त की है।

दहेज प्रथा के प्रति दृष्टिकोण –

आधुनिक भारतीय समाज में दहेज प्रथा एक अत्यन्त जटिल व ज्वलन्त समस्या है । समाज का उच्च वर्ग इसमें पूरी तरह लिप्त है । समाज का निम्न वर्ग भी मध्यम एवं उच्च वर्ग का अनुकरण कर इस समस्या का शिकार हो रहा है । वह अपनी हैसियत से अधिक पैसा शादी विवाह में खर्च करके तमाम समस्याओं जैसे

ऋणग्रस्तता, निर्धनता आदि में फंस जाता है इसके बावजूद भी समाज में दहेज लेना तथा देना एक फैशन सा बन् गया है।

अनुसूचित जाति के परिवार भी इस समस्या से मुक्त नहीं है । इन समुदायों में भी उच्च जाति की जीवन शैली को अनुकरण करने की जो प्रवृत्ति प्रारम्भ हुयी है, यह समस्या उसी से सम्बन्धित है । इस सम्बन्ध में पूछे गये प्रश्न के उत्तर से प्राप्त आंकड़ों को निम्नाँकित तालिका संख्या 10.7 में प्रदर्शित किया गया है।

तालिका संख्या–10.7 सामाजिक परिवर्त्य एवम् दहेज प्रथा के प्रति दृष्टिकोण

	सहमत	असहमत	कह नहीं सकते	योग
शैक्षिक स्तर				
स्नातक	52 (15.75)	231 (70.00)	47 (14.25)	330
परास्नातक	14 (20.00)	49 (70.00)	07 (10.00)	70
लैंगिक स्तर				
छात्र	52 (18.58)	191 (68.21)	37 (13.21)	280
छात्राएं	14 (11.66)	89 (74.17)	17 (14.17)	120
आवासीय पृष्ठभूमि				
ग्रामीण	47 (15.16)	216 (69.68)	47 (15.16)	310
नगरीय	19 (21.11)	64 (17.11)	07 (7.78)	90
सामाजिक–आर्थिक स्तर				
उच्च	09 (60.00)	04 (26.67)	02 (13.33)	15
मध्यम	15 (21.42)	50 (71.43)	06 (7.15)	70
निम्न	42 (13.34)	226 (71.74)	47 (14.92)	315
योग	66 (16.50)	280 (70.00)	54 (13.50)	400

वर्तमान अध्ययन के सूचनादाताओं का दहेज प्रथा के सम्बन्ध में दृष्टिकोण का अध्ययन स्पष्ट करता है कि 16.50 प्रतिशत सूचनादाता दहेज प्रथा से सहमत है, 70.00 प्रतिशत सूचनादाता दहेज प्रथा से असहमत है तथा 13.50 प्रतिशत ने इस सम्बन्ध में कुछ भी स्पष्ट कहने में असमर्थता व्यक्त की है। अतः सूचनादाताओं में दहेज प्रथा का विरोध करने वालों की संख्या अधिक है।

शैक्षिक स्तर के आधार पर प्राप्त आँकड़ों से यह स्पष्ट है कि स्नातक स्तर के 15.75 प्रतिशत एवं परास्नातक स्तर के 20.00 प्रतिशत सूचनादाता दहेज प्रथा से सहमत है तथा 70.00 प्रतिशत स्नातक स्तर के तथा उतने ही 70.00 प्रतिशत परास्नातक स्तर के सूचनादाता इस प्रथा से असहमत है जबकि दोनों स्तरों के शेष सूचनादाता इस सम्बन्ध में स्पष्ट विचार व्यक्त नहीं कर सके । अतः स्पष्ट है कि दोनो स्तरों के अधिकाँश सूचनादाता दहेज प्रथा के विरोधी हैं।

इसी प्रकार लैंगिक स्तर के आंकड़े यह स्पष्ट करते है कि 18.59 प्रतिशत छात्र एवं 11.66 प्रतिशत छात्राएं इस प्रथा से सहमत है तथा 68.21 प्रतिशत छात्र 74.17 प्रतिशत छात्राएं दहेज प्रथा से असहमत है, शेष छात्र छात्राएं इस सम्बन्ध में अपना स्पष्ट मत व्यक्त नहीं कर सके । अतः स्पष्ट है कि छात्राएं छात्रों की तुलना में दहेज प्रथा के अधिक खिलाफ हैं।

इसी प्रकार आवासीय पृष्ठभूमि के आधार पर आँकडे यह प्रदर्शित कर रहे हैं कि 69.68 प्रतिशत ग्रामीण एवं 71.11 प्रतिशत नगरीय सूचनादाता दहेज प्रथा से असहमत है तथा 15.16 प्रतिशत ग्रामीण तथा 21.11 प्रतिशत नगरीय सूचनादाता इस प्रथा से सहमत हैं । जबकि 15.16 प्रतिशत ग्रामीण एवं 7.78 प्रतिशत नगरीय सूचनादाता इस सम्बन्ध में अपना मत स्पष्ट नहीं कर सके। अतः स्पष्ट है कि ग्रामीण

सूचनादाताओं की तुलना में नगरीय सूचनादाताओं की अधिकांश संख्या दहेज प्रथा के खिलाफ हैं।

सामाजिक–आर्थिक स्तर के आधार पर प्राप्त आँकड़ों से यह स्पष्ट हो रहा है कि उच्च स्तर के 60.00 प्रतिशत सूचनादाता दहेज प्रथा से सहमत हैं, 26.67 प्रतिशत असहमत हैं तथा 13.33 प्रतिशत कुछ भी स्पष्ट नहीं कह पाये, मध्यम स्तर के 21.42 प्रतिशत सूचनादाता दहेज प्रथा से सहमत हैं, 71.43 प्रतिशत असहमत है तथा 7.15 प्रतिशत अपना स्पष्ट मत नही दे पाये, निम्न स्तर के 13.34 प्रतिशत सूचनादाता दहेज प्रथा से सहमत हैं, 71.74 प्रतिशत असहमत हैं तथा 14.52 प्रतिशत अपना स्पष्ट मत नहीं दे सके । इस प्रकार स्पष्ट है कि उच्च स्तर के सूचनादाता मध्यम एवं निम्न स्तर के सूचनादाताओं की अपेक्षा दहेज प्रथा के अधिक पक्षधर हैं जबकि मध्यम तथा निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर के सूचनादाता दहेज प्रथा से असहमत हैं तुलनात्मक दृष्टि से उच्च तथा मध्यम स्तर के सूचनादाताओं की तुलना में निम्न स्तर के सूचनादाताओं की अधिक संख्या दहेज प्रथा की विरोधी है ।

द्वितीय खण्ड : पारिवारिक मूल्य –

संयुक्त परिवार और कलह –

संयुक्त परिवार में सदस्यों की अधिकता अधिकाँशतः व्यक्तित्व व हितों की भिन्नता के कारण पारस्परिक कलह को प्रोत्साहन देता है एक या दो सदस्यों की आय पर आश्रित परिवार बहुधा सदस्यों की अवश्यकताओं और आय के स्रोत में असमानता होने के कारण तनाव व अन्तर्विरोध को जन्म देता है, स्त्रियों में कलह संयुक्त परिवार की एक प्रमुख विशेषता है।

वर्तमान अध्ययन के सूचनादाताओं का ध्यान संयुक्त परिवार की कलह सम्बन्धी विशेषता की ओर आकर्षित करते हुये पूछा गया कि क्या वे इस कथन से सहमत हैं या नहीं, कि संयुक्त परिवार समान्यतः कलह और विग्रह को प्रोत्साहन देता

है, प्राप्त सूचनाओं को निम्नाँकित तालिका संख्या 10.8 में दर्शाया गया है।

तालिका संख्या-10.8 सामाजिक परिवर्त्य एवम् संयुक्त परिवार तथा कलह

	सहमत	आहमत	कह नहीं सकते	योग
शैक्षिक स्तर				
स्नातक	133 (40.30)	142 (43.03)	55 (16.67)	330
परास्नातक	23 (32.86)	31 (44.28)	16 (22.86)	70
लैंगिक स्तर				
छात्र	110 (39.23)	140 (50.00)	30 (10.77)	280
छात्राएं	46 (38.34)	33 (33.50)	41 (34.16)	120
आवासीय पृष्ठभूमि				
ग्रामीण	100 (32.26)	150 (48.39)	60 (19.35)	310
नगरीय	56 (62.22)	23 (25.56)	11 (12.22)	90
सामाजिक–आर्थिक स्तर				
उच्च	05 (33.33)	07 (46.67)	03 (20.00)	15
मध्यम	28 (40.00)	29 (41.43)	13 (19.57)	70
निम्न	123 (39.04)	137 (43.50)	55 (17.46)	315
योग	156 (39.00)	173 (43.25)	71 (17.75)	400

प्राप्त आँकड़ों से स्पष्ट है कि 39.00 प्रतिशत सूचनादाता इस कथन से सहमत हैं तथा 43.25 प्रतिशत सूचनादाता इस कथन से सहमत नहीं है जबकि शेष 17.75 प्रतिशत सूचनादाताओं से इस सम्बन्ध से किसी मत का उल्लेख नहीं किया है अतः स्पष्ट है कि अधिकाँश सूचनादाता इस कथन से असहमत है कि संयुक्त परिवार कलह के कारण हैं।

शैक्षिक स्तर के आधार पर प्राप्त आँकड़े यह प्रदर्शित करते हैं कि स्नातक स्तर के 40.30 प्रतिशत एवं परास्नातक स्तर के 32.86 प्रतिशत सूचनादाता यह मानते है कि संयुक्त परिवार सामान्यतः कलह एवं विग्रह को प्रोत्साहन देता है तथा 43.03 प्रतिशत स्नातक स्तर के एवं 44.28 प्रतिशत परास्नातक स्तर के सूचनादाता ऐसा नहीं मानते, जबकि दोनों स्तरों के शेष सूचनादाता इस सम्बन्ध में कुछ भी स्पष्ट मत नहीं दे सके। इस प्रकार इन आँकड़ों से स्पष्ट है कि अधिकांश सूचनादाता संयुक्त परिवार के कलह का कारण मानने से इन्कार करते है । स्नातक स्तर के तुलना में परास्नातक स्तर के सूचनादाताओं की अधिकाँश संख्या यह मानती है कि संयुक्त परिवार, पारिवारिक कलह के लिये उत्तरदायी नहीं है।

लैंगिक स्तर के आधार पर प्राप्त आँकड़ों से यह स्पष्ट हो रहा है कि 39.23 प्रतिशत छात्र संयुक्त परिवार को कलह का कारण मानते हैं जबकि 50.00 प्रतिशत छात्र ऐसा नहीं मानते है जबकि छात्राओं में 38.34 प्रतिशत छात्राएं संयुक्त परिवार को कलह का कारण मानती हैं और 27.50 प्रतिशत छात्राएं ऐसा नहीं मानती हैं । अतः स्पष्ट है कि छात्रों की तुलना में छात्राएं संयुक्त परिवार को कलह का कारण अधिक मानती हैं।

आवासीय पृष्ठभूमि के आधार पर आंकड़े देखने से पता चलता है कि ग्रामीण सूचनादाताओं में 32.26 प्रतिशत एवं नगरीय मतदाताओं में 62.22 प्रतिशत सूचनादाता संयुक्त परिवार को कलह का कारण मानते है तथा 48.39 प्रतिशतं ग्रामीण सूचनादाता तथा 25.56 प्रतिशत नगरीय सूचनादाता संयुक्त परिवार को पारिवारिक कलह का कारण नहीं मानते हैं। शेष ने अपनी स्पष्ट राय नहीं दी है इस प्रकार ग्रामीण की तुलना में नगरीय सूचनादाता संयुक्त परिवार को कलह तथा विग्रह का कारण अधिक मानते हैं।

सामाजिक–आर्थिक स्तर को आधार मानकर प्राप्त आंकड़ों के विश्लेषण से स्पष्ट है कि उच्च स्तर के 33..33 प्रतिशत, मध्यम स्तर के 40.00 प्रतिशत तथा निम्न स्तर के 39.04 प्रतिशत सूचनादाता संयुक्त परिवार को कलह का कारण मानते है, उच्च स्तर के 46.67 प्रतिशत, मध्यम स्तर के 41.43 प्रतिशत एवं निम्न स्तर के 43.50 प्रतिशत सूचनादाता ऐसा नहीं मानते हैं, जबकि शेष ने अपनी स्पष्ट राय नहीं दी है। अतः स्पष्ट है कि उच्च एवं निम्न स्तर की अपेक्षा मध्यम स्तर के सूचनादाताओं की संख्या संयुक्त परिवार को कलह का कारण मानने में अधिक हैं।

एकाकी परिवार और व्यक्तिगत स्वातन्त्रय –

एकाकी परिवारों में व्यक्ति स्वातन्त्रय और व्यक्तिगत हितों की पूर्ति की सम्भावना सर्वाधिक रहती है क्योंकि यह परिवार न केवल आकार की दृष्टि से सीमित प्रकृति का होता है वरन् इस प्रकार के परिवारों की आन्तरिक संरचना, पारिवारिक परिवेश, सदस्यों की जीवन शैली और व्यवहार प्रतिमान का एक विशिष्ट स्वरूप होता है। वर्तमान अध्ययन में सूचनादाताओं से पूछा गया कि क्या वे इस कथन से सहमत है कि एकाकी परिवार सदस्यों को स्वतन्त्रता प्रदान करके उसे विकास का अधिक अवसर प्रदान करता है। प्राप्त उत्तरों के आंकड़ों को अग्रांकित तालिका संख्या 10.9 में प्रदर्शित किया गया है।

प्राप्त उत्तरों से स्पष्ट है कि 56.50 प्रतिशत सूचनादाता इस कथन से सहमत हैं तथा 28.25 प्रतिशत असहमत है, जबकि 15.25 प्रतिशत इस सम्बन्ध में स्पष्ट मत का उल्लेख नहीं करते हैं। इस प्रकार अध्ययन में सम्मलित अधिकतर सूचनादाता एकाकी परिवार को पारिवारिक जीवन का एक उत्तम प्रतिमान मानते हैं जो व्यक्ति को कार्य एवं व्यवहार की पर्याप्त स्वतन्त्रता प्रदान करके इसके उन्नति एवं प्रगति के मार्ग में सहायक है।

तालिका संख्या-10.9 सामाजिक परिवर्त्य एवं एकाकी परिवार व व्यक्तिगत स्वातन्त्र्य

	सहमत	असहमत	कह नहीं सकते	योग
शैक्षिक स्तर				
स्नातक	191 (57.88)	93 (28.18)	46 (13.94)	330
परास्नातक	35 (50.00)	20 (28.57)	15 (21.43)	70
लैंगिक स्तर				
छात्र	185 (66.07)	63 (22.50)	32 (11.43)	280
छात्राएं	41 (34.17)	50 (41.67)	29 (24.16)	120
आवासीय पृष्ठभूमि				
ग्रामीण	184 (59.36)	88 (28.38)	38 (12.26)	310
नगरीय	42 (46.70)	25 (27.80)	23 (25.50)	90
सामाजिक–आर्थिक स्तर				
उच्च	10 (66.67)	02 (13.33)	03 (20.00)	15
मध्यम	40 (57.14)	19 (27.14)	11 (15.72)	70
निम्न	176 (55.87)	92 (29.20)	47 (14.93)	315
योग	226 (56.50)	113 (28.25)	61 (15.25)	400

शैक्षिक स्तर के आधार पर प्राप्त आंकड़ों से विदित होता है कि स्नातकोत्तर स्तर के 57.88 प्रतिशत एवं परास्नातक के 50.00 प्रतिशत सूचनादाता इस कथन से सहमत है कि एकाकी परिवार व्यक्ति को अधिक स्वतन्त्रता एवं विकास का अवसर प्रदान करता है। परास्नातक स्तर के 28.18 प्रतिशत एवं परास्नातक स्तर के 28.57 प्रतिशत सूचनादाता इस कथन से असहमत हैं। जबकि दोनों स्तरों के शेष सूचनादाता अपना मत स्पष्ट करने में सफल नहीं रहे । इस प्रकार स्नातक स्तर के सूचनादाता

परास्नातक स्तर के सूचनादाताओं की तुलना में इस कथन से अधिक सहमत दिखाई देते हैं।

लैंगिक स्तर के आधार पर प्राप्त आंकड़े यह दर्शाते हैं कि 66.07 प्रतिशत छात्र एवं 14.17 प्रतिशत छात्राएं इस कथन से सहमत हैं तथा 22.50 प्रतिशत छात्र एवं 41.67 प्रतिशत छात्राएं इस कथन से असहमत है, जबकि 11.43 प्रतिशत छात्र एवं 24.16 प्रतिशत छात्राएं इस सम्बन्ध में भ्रम की स्थिति में है, इस कथन से ज्यादातर छात्रों ने सहमति व्यक्त की, जबकि ज्यादातर छात्राओं ने असहमति व्यक्त की है।

आवासीय पृष्ठभूमि के आधार पर प्राप्त आंकड़ों से स्पष्ट हो रहा है कि 59.36 प्रतिशत ग्रामीण एवं 46.70 प्रतिशत नगरीय सूचनादाता इस मत से सहमत हैं तथा 28.38 प्रतिशत ग्रामीण एवं 27.80 प्रतिशत नगरीय सूचनादाता इस कथन से असहमत हैं दोनों स्तरों के शेष सूचनादाताओं ने इस कथन में अपना कोई स्पष्ट मत नहीं दिया है अतः कहा जा सकता है कि नगरीय सूचनादाताओं की तुलना में ग्रामीण सूचनादाता इस मत से अधिक सहमत हैं।

सामाजिक–आर्थिक स्तर के आधार पर प्राप्त आंकड़ों से यह स्पष्ट है कि उच्च स्तर के 66.67 प्रतिशत, मध्य स्तर के 57.14 प्रतिशत, निम्न स्तर के 55.87 प्रतिशत सूचनादाता इस मत से असहमत है तथा उच्च स्तर के 13.33 प्रतिशत, मध्य स्तर के 27.14 प्रतिशत एवं निम्न स्तर के 29.20 प्रतिशत सूचनादाता इस कथन से असहमत हैं शेष ने अपनी स्पष्ट राय नहीं दी । इस प्रकार मध्यम एवं निम्न स्तर की अपेक्षा उच्च स्तर के सूचनादाता इस कथन से अधिक सहमत दिखाई दिये है कि एकाकी परिवार व्यक्तिगत स्वतन्त्रता एवं विकास का अधिक अवसर प्रदान करते हैं।

तृतीय खण्ड : धार्मिक मूल्य

धार्मिक स्थल में आराधना –

परम्परागत रूप से हिन्दू धार्मिक स्थलों में अनुसूचित जाति के सदस्यों का प्रवेश निषिद्ध रहा है लेकिन वर्तमान आधुनिक काल में इस सम्बन्ध में कमी आयी है तथा अनुसूचित जाति के लोग विशेष कर शिक्षित युवक मन्दिरों में पूजा पाठ एवं दशनार्थ आने लगे हैं । ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले अनुसूचित जाति के युवक अनेक स्थानीय देवी देवताओं जैसे– ग्राम्य देवता, कुलदेवता, बरमदेव, खेरापति इत्यादि की आराधना करते हैं । हिन्दू संस्कृति से सम्पर्क के कारण शिव, हनुमान, दुर्गा, भवानी, काली की आराधना की प्रवृति रही है । संकट, बीमारी, परीक्षा आदि अवसर पर इन युवकों में पूजा–पाठ तथा मन्दिरों के दर्शन की प्रवृत्ति अधिक पायी जाती है। प्राप्त आंकड़ों को अग्रांकित तालिका संख्या 10.10 में दर्शाया गया है।

वर्तमान अध्ययन के सूचनादाताओं के धार्मिक स्थलों में आराधना की प्रवृत्ति का अध्ययन यह स्पष्ट करता है कि 29.00 सूचनादाता धार्मिक स्थलों में अराधना नियमित रूप से, 49.00 प्रतिशत सूचनादाता कभी–कभी तथा 22.00 प्रतिशत सूचनादाताओं ने इस सम्बन्ध में कोई उत्तर नहीं दिया है । नियमित रूप से पूजा पाठ करने वाले वे विद्यार्थी है जो सप्ताह के निश्चित दिनों देवी देवताओं के दर्शन अवश्यक रूप से करते हैं और कभी–कभी मन्दिर जाकर पूजा–पाठ करने वाले वे विद्यार्थी है जो किसी धार्मिक पर्व, बिमारी, संकट, परीक्षा आदि अवसरों पर मन्दिर जाते हें। अतः कभी–कभी ही आराधना स्थल में जाने वालों की संख्या अधिक है।

शैक्षिक स्तर के आधार पर आंकड़ों के विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि स्नातक स्तर में 30.03 प्रतिशत परास्नातक स्तर में 10.00 प्रतिशत सूचनादाता नियमित रूप से धार्मिक स्थलों में अराधना करते हैं तथा स्नातक स्तर के 46.36 प्रतिशत तथा

परास्नातक स्तर के 61.42 प्रतिशत सूचनादाता कभी–कभी आराधना करते हैं। दोनों स्तरों के शेष सूचनादाताओं ने कोई उत्तर नहीं दिया । अतः कहा जा सकता है कि नियमित रूप से पूजा पाठ करने के मामले में स्नातक स्तर के छात्र–छात्राओं की तुलना में परास्नातक स्तर के छात्र छात्रा कम संख्या में हैं तथा कभी–कभी पूजा–पाठ करने के मामले में परास्नातक स्तर के छात्र–छात्राओं की तुलना में स्नातक स्तर के छात्रा–छात्राओं की संख्या कम है।

तालिका संख्या–10.10 सामाजिक परिवर्त्य एवम् धार्मिक स्थल में आराधना

	नियमित	कभी कभी	उत्तर नहीं	योग
शैक्षिक स्तर				
स्नातक	109 (30.03)	153 (46.36)	68 (20.61)	330
परास्नातक	07 (10.00)	43 (61.42)	20 (28.57)	70
लैंगिक स्तर				
छात्र	95 (33.93)	135 (48.21)	50 (17.86)	280
छात्राएं	21 (17.50)	61 (50.83)	38 (31.67)	120
आवासीय पृष्ठभूमि				
ग्रामीण	99 (31.93)	143 (46.13)	68 (21.94)	310
नगरीय	17 (18.89)	53 (58.89)	20 (22.22)	90
सामाजिक–आर्थिक स्तर				
उच्च	04 (26.67)	08 (53.33)	03 (20.00)	15
मध्यम	28 (40.00)	30 (42.86)	12 (17.14)	70
निम्न	84 (26.67)	158 (50.16)	73 (23.17)	315
योग	116 (29.00)	196 (49.00)	88 (22.00)	400

लैंगिक स्तर के आधार पर प्राप्त आंकड़ों से स्पष्ट है कि 33.93 प्रतिशत छात्र एवं 17.50 प्रतिशत छात्रायें नियमित आराधना करते है तथा 48.21 प्रतिशत छात्र एवं 50.83 प्रतिशत छात्राएं कभी–कभी आराधना करती है, जबकि 17.86 प्रतिशत छात्रों ने एवं 21.67 प्रतिशत छात्रों ने इस सम्बन्ध में कोई उत्तर नहीं दिया । अतः कहा जा सकता है कि नियमित पूजा–पाठ के सम्बन्ध में छात्र छात्राओं से आगे हैं ।

आवासीय पृष्ठभूमि के आधार पर प्राप्त किये गये आँकड़ों से यह विदित होता है कि 31.93 प्रतिशत ग्रामीण एवं 18.89 प्रतिशत नगरीय सूचनादाता नियमित पूजा–पाठ करते हैं तथा 46.13 प्रतिशत ग्रामीण एवं 58.89 प्रतिशत नगरीय सूचनादाता कही–कहीं पूजा–पाठ करते हैं। जबकि दोनों ही पृष्ठभूमि के 21.94 प्रतिशत तथा 22.22 प्रतिशत सूचनादाताओ ने इस सम्बन्ध में अपना मत नहीं दिया। अतः कह सकते है कि नगरीय सूचनादाताओं की तुलना में ग्रामीण सूचनादाता नियमित पूजा–पाठ के मामले में आगे हैं।

इसी प्रकार सामाजिक–आर्थिक स्तर को आधार मानकर प्राप्त किये गये आंकडे यह दर्शाते है कि उच्च स्तर के 26.67 प्रतिशत, मध्यम स्तर के 40.00 प्रतिशत एवं निम्न स्तर के 26.67 प्रतिशत सूचनादाता नियमित पूजा–पाठ करते हैं तथा उच्च स्तर के 53.33 प्रतिशत मध्यम स्तर के 42.86 प्रतिशत एवं निम्न स्तर के 50.16 प्रतिशत कभी–कभी पूजा–पाठ करते हैं। शेष तीनों स्तरों के सूचनादाता इस सम्बन्ध में कोई उत्तर नहीं दे सके हैं। इससे स्पष्ट है कि नियमित पूजा पाठ एवं आराधना के मामले में उच्च स्तर निम्न स्तर की तुलना में मध्यम स्तर के सूचनादाता अधिक है।

शिक्षा एवं धार्मिक अन्धविश्वास –

आधुनिक शिक्षा, तर्क विवेक शीलता एवं व्यवहारिकता के गुणों को

प्रोत्साहित करती है तथा रूढ़िवादिता, अन्धविश्वास एवं संक्रीणता का विरोध करती हैं। सूचनादाताओं से यह प्रश्न करने पर कि क्या शिक्षा धार्मिक अन्धविश्वास तथा संक्रीर्णता को कम करने में सक्षम है ? प्राप्त उत्तरों को निम्नाँकित तालिका संख्या 10.11 में दर्शाया गया है।

तालिका संख्या-10.11 सामाजिक परिवर्त्य एवम् शिक्षा से धार्मिक अन्ध विश्वास तथा संकीर्णता में कमी

	सहमत	असहमत	कह नहीं सकते	योग
शैक्षिक स्तर				
स्नातक	217 (65.75)	75 (22.73)	38 (11.52)	330
परास्नातक	44 (62.86)	24 (34.29)	02 (02.86)	70
लैंगिक स्तर				
छात्र	212 (75.71)	45 (16.07)	23 (8.22)	280
छात्राएं	49 (40.83)	54 (45.00)	17 (15.17)	120
आवासीय पृष्ठभूमि				
ग्रामीण	207 (66.77)	65 (20.97)	38 (12.26)	310
नगरीय	54 (60.00)	34 (37.80)	02 (2.20)	90
सामाजिक–आर्थिक स्तर				
उच्च	07 (46.67)	03 (20.00)	05 (33.33)	15
मध्यम	45 (64.29)	15 (21.43)	10 (14.28)	70
निम्न	209 (66.35)	81 (25.72)	25 (7.93)	315
योग	261 (65.25)	99 (24.75)	40 (10.00)	400

वर्तमान अध्ययन के सूचनादाताओं का ध्यान शैक्षिक प्रसार की इस भूमिका की ओर आकर्षित करने से यह विदित होता है कि 65.25 प्रतिशत सूचनादाता इस

कथन से सहमत हैं कि शिक्षा के द्वारा धार्मिक अन्धविश्वास एवं संक्रीर्णता में कमी आती जा रही है। 24.75 प्रतिशत सूचनादाता इस कथन से असहमत है, जबकि 10.00 प्रतिशत सूचनादाताओं ने इस सम्बन्ध में अपना मत स्पष्ट नहीं किया है। अतः स्पष्ट है कि अध्ययन में सम्मलित अधिकाँश सूचनादाता यह मानते है कि शिक्षा द्वारा अन्धविश्वास संक्रीर्णता तथा रूढ़िवादिता में कमी आयी है।

शैक्षिक स्तर के आधार प्राप्त किये गये, आंकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि स्नातक स्तर के 65.75 प्रतिशत परास्नातक स्तर के 62.86 प्रतिशत सूचनादाता इस कथन से सहमत हैं तथा स्नातक स्तर के 22.73 प्रतिशत एवं 34.29 प्रतिशत परास्नातक स्तर के सूचनादाता इससे असहमत हैं और शेष दोनो स्तरों के शेष सूचनादाता इस सम्बन्ध में अपना स्पष्ट मत नहीं दे पाये । अतः परास्नातक स्तर की अपेक्षा स्नातक स्तर के सूचनादाताओं की संख्या सहमति में अधिक है।

लैंगिक आधार पर आंकड़ों के विश्लेषण से स्पष्ट हो रहा है कि 75.71 प्रतिशत छात्र तथा 40.83 प्रतिशत छात्रायें इस कथन से सहमत हैं तथा 16.07 प्रतिशत छात्र एवं 45.00 प्रतिशत छात्राएं इस कथन से असहमत हैं, जबकि 8.22 प्रतिशत छात्र एवं 14.17 प्रतिशत छात्राओं ने इस सम्बन्ध में स्पष्ट मत नहीं दिया है । अतः कहा जा सकता है कि छात्राओं की अपेक्षा छात्र इस कथन से अधिक सहमत हैं कि शिक्षा के प्रसार से धार्मिक अन्धविश्वास एवं संकीर्णता में कमी आयी है।

आवासीय पृष्ठभूमि को आधार बनाकर आंकड़ों का विश्लेषण करने पर स्पंष्ट है कि 66.77 प्रतिशत ग्रामीण एवं 60.00 प्रतिशत नगरीय सूचनादाता इस कथन से सहमत है तथा 20.97 प्रतिशत ग्रामीण और 37.80 प्रतिशत नगरीय सूचनादाता असहमत हैं, जबकि 12.26 प्रतिशत ग्रामीण एवं 2.20 प्रतिशत नगरीय सूचनादाताओं ने

इस सम्बन्ध में अपना स्पष्ट मत नहीं दिया है । अतः कह सकते हैं कि नगरीय की अपेक्षा ग्रामीण सूचनादाता इस कथन से अधिक सहमत हैं, की शिक्षा से धार्मिक अन्धविश्वास एवं संक्रीर्णता में कमी आयी है।

सामाज़िक–आर्थिक स्तर के आधार पर विश्लेषित आँकड़े यह बताते हैं कि उच्च स्तर के 46.67 प्रतिशत तथा मध्यम स्तर के 64.29 प्रतिशत एवं निम्न स्तर के 66.35 प्रतिशत सूचनादाता इस कथन से सहमत हैं तथा उच्च स्तर के 20.00 प्रतिशत मध्यम स्तर के 21.43 प्रतिशत एवं निम्न स्तर के 25.72 प्रतिशत सूचनादाता इस कथन से असहमत हैं तथा शेष ने इस सम्बन्ध में अपना कोई मत नहीं दिया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर के सूचनादाता इस कथन से मध्यम एवं उच्च स्तर के सूचनादाताओं से अधिक सहमत हैं कि शिक्षा धार्मिक संक्रीर्णता को कम करती है।

धार्मिक स्थल में प्रवेश की समानता –

परम्परागत रूप से मंदिरों तथा अन्य धार्मिक स्थलों पर निम्न जाति के सदस्यों का प्रवेश निषिद्ध रहा है । यद्यपि कानून द्वारा यह प्रतिबन्ध समाप्त कर दिया गया है लेकिन फिर भी अस्पृश्यों तथा निम्न जतियों के साथ यह असमानता आज भी व्यवहारिक रूप से विद्यमान है । वर्तमान अध्ययन के सूचनादाताओं का ध्यान इस समस्या की ओर आकर्षित करने से प्राप्त उत्तरों के आधार पर अग्रांकित तालिका संख्या 10.12 को तैयार किया गया है।

तालिका से स्पष्ट है कि अध्ययन में सम्मलित 65.75 प्रतिशत धार्मिक स्थलों पर सभी जातियों के समान परिवेश के समर्थक है, 22.75 प्रतिशत सूचनादाता इस मत से असहमत हैं तथा 11.50 प्रतिशत ने इस सम्बन्ध में मत स्पष्ट नहीं किया है। अतः स्पष्ट है कि सूचनादाताओं में अधिक संख्या में यह मानते है कि धार्मिक स्थलों में

प्रवेश के मामलों में सभी जातियों को समान अधिकार होना चाहिये।

तालिका संख्या-10.12 सामाजिक परिवर्त्य एवम् धार्मिक स्थलों में प्रवेश की समानता

	सहमत	असहमत	कह नहीं सकते	योग
शैक्षिक स्तर				
स्नातक	208 (63.03)	78 (23.64)	44 (13.33)	330
परास्नातक	55 (78.57)	13 (18.57)	02 (02.86)	70
लैंगिक स्तर				
छात्र	192 (68.58)	58 (20.71)	30 (10.71)	280
छात्राएं	71 (59.17)	33 (27.50)	16 (13.33)	120
आवासीय पृष्ठभूमि				
ग्रामीण	190 (61.30)	80 (25.80)	40 (12.90)	310
नगरीय	73 (81.11)	11 (12.22)	06 (6.67)	90
सामाजिक-आर्थिक स्तर				
उच्च	10 (66.67)	02 (13.33)	03 (20.00)	15
मध्यम	55 (78.57)	12 (17.14)	03 (4.29)	70
निम्न	198 (62.86)	77 (24.45)	40 (12.69)	315
योग	263 (65.75)	91 (22.75)	46 (11.50)	400

शैक्षिक आधार पर आंकड़ों के विश्लेषण से स्पष्ट है कि स्नातक स्तर के 63.03 प्रतिशत एवं परास्नातक स्तर के 78.57 प्रतिशत सूचनादाता इस मत से असहमत हैं कि सभी जातियों को समान रूप से मन्दिरों तथा धार्मिक स्थलों में जाने की स्वतन्त्रता होनी चाहिये तथा स्नातक स्तर के 23.64 प्रतिशत एवं परास्नातक स्तर 18.57 प्रतिशत सूचनादाताओं का मत इसके विपरीत है जबकि स्नातक स्तर के 13.33

प्रतिशत एवं परास्नातक स्तर के 2.86 प्रतिशत सूचनादाताओं ने इस सम्बन्ध में स्पष्ट मत नहीं व्यक्त किया है । अतः कह सकते हैं कि स्नातकों की अपेक्षा परास्नातक स्तर के सूचनादाताओं ने इस कथन में अधिक विश्वास व्यक्त किया है कि धार्मिक स्थलों में प्रवेश करने की सभी जातियों को समान स्वतन्त्रता हो।

लैंगिक स्तर के आधार पर आंकड़ों के विवेचन से स्पष्ट है कि 68.58 प्रतिशत छात्र एवं 59.17 प्रतिशत छात्राएं इस कथन से सहमत हैं तथा 20.71 प्रतिशत छात्र एवं 27.50 प्रतिशत छात्राएं इस कथन से असहमत हैं शेष अनिश्चय की अस्थिति में हैं । अतः छात्राओं से छात्र इस मामले में अधिक सहमत प्रतीत हो रहे है कि मन्दिरों में प्रवेश में सभी जातियों की समानता होनी चाहिये।

आवासीय पृष्ठभूमि के आधार पर प्राप्त आंकड़े यह प्रदर्शित कर रहे है कि 61.30 प्रतिशत ग्रामीण एवं 81.11 प्रतिशत नगरीय सूचनादाता इस कथन से सहमत है तथा 25.80 प्रतिशत ग्रामीण एवं 12.22 प्रतिशत नगरीय सूचनादाता इस कथन से असहमत हैं जबकि शेष ने स्पष्ट मत नहीं दिया है । इस प्रकार ग्रामीणों की तुलना में नगरीय सूचनादाता मन्दिरों में सभी के समान प्रवेश के अधिकार के अधिक समर्थक हैं।

सामाजिक–आर्थिक स्तर के आधार पर आंकड़ों के विश्लेषण से यह बात उभरकर सामने आयी है कि उच्च सामाजिक आर्थिक स्तर के 66.67 प्रतिशत मध्यम के 78.59 प्रतिशत निम्न स्तर के 62.86 प्रतिशत सूचनादाता इस कथन से सहमत हैं तथा उच्च स्तर के 13.33 प्रतिशत मध्यम के 17.14 प्रतिशत तथा निम्न स्तर के 24.45 प्रतिशत सूचनादाता इस कथन से असहमत हैं जबकि उच्च स्तर के 20.00 प्रतिशत मध्यम स्तर के 4.29 प्रतिशत एवं निम्न स्तर के 12.69 प्रतिशत ने स्पष्ट मत व्यक्त नहीं

किये हैं । अतः स्पष्ट है कि कथन की सहमति के सम्बन्ध में उच्च एवं निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर के सूचनादाताओं की तुलना में मध्यम सामाजिक आथिक स्तर के सूचनादाताओ का प्रतिशत अधिक है।

चतुर्थ खण्ड : सामाजिक अन्तःक्रिया

सवर्ण हिन्दू जाति से प्राप्त आमंत्रण -

परम्परागत रूप से सर्वण हिन्दू जाति अस्पृश्य जातियों के मध्य खान–पान सम्बन्धी निषेध का अत्यन्त कठोरता के साथ पालन किया जाता रहा है उच्च जाति के व्यक्ति अपने यहाँ अस्पृश्यों को किसी भी पारिवारिक या सामाजिक उत्सव पर आंमत्रित नहीं करते रहे हैं। यदि जजमानी या अन्य किसी आर्थिक सम्बन्ध के कारणं उन्हें आंमत्रित भी किया गया है तो उन्हें मुख्य भोज के बाद पृथक स्थान पर भोजन प्रदान किया गया है। सम्मलित भोजन पूर्णतया निषिद्ध रहा है। परन्तु आधुनिक काल में शिक्षा के प्रसार, सामाजिक, आर्थिक सम्बन्धों की नवीन प्रकृति, लौककीकरण एवं आधुनिकीकरण की नवीन प्रक्रियाओं ने खान–पान एवं सामाजिक सहवास सम्बन्धी प्रतिबन्धों को शिथिल करने में जो योगदान दिया है उसकी एक महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति अनुसूचित जाति के शिक्षित सम्पन्न एवं प्रभावशाली व्यक्तियों का उच्च जातियों के साथ निरन्तर बढ़ता हुआ सम्पर्क एवं अन्तःक्रिया है । वर्तमान अध्ययन में सूचनादाताओं के सामाजिक–आर्थिक अनुभव के इस महत्वपूर्ण पक्ष का अन्वेशण करते हुए उनसे यह पूछा गया कि क्या सवर्ण हिन्दू जाति के यहाँ विवाह या किसी अन्य सामाजिक आर्थिक अवसर पर भोजन के लिये उन्हें आमंत्रित किया गया है या नहीं ? प्राप्त सूचनाओं को अग्रांकित तालिका संख्या 10.13 में प्रदर्शित किया गया है।

तालिका संख्या-10.13 सामाजिक परिवर्त्य एवम् सवर्ण हिन्दू जाति से प्राप्त आमन्त्रण

	हाँ	नहीं	योग
शैक्षिक स्तर			
स्नातक	57 (17.27)	273 (82.73)	330
परास्नातक	22 (31.43)	48 (68.57)	70
लैंगिक स्तर			
छात्र	72 (25.71)	208 (74.29)	280
छात्राएं	07 (5.83)	113 (94.17)	120
आवासीय पृष्ठभूमि			
ग्रामीण	52 (16.77)	258 (83.23)	310
नगरीय	27 (30.00)	63 (70.00)	90
सामाजिक–आर्थिक स्तर			
उच्च	08 (53.33)	07 (46.67)	15
मध्यम	39 (55.71)	31 (44.29)	70
निम्न	32 (10.16)	283 (89.84)	315
योग	79 (19.75)	321 (80.25)	400

उपरोक्त तालिका के अध्ययन से विदित होता है कि अध्ययन में सम्मलित 19.75 प्रतिशत सूचनादाताओं को सवर्ण हिन्दू जाति के यहां आमंत्रण का अवसर प्राप्त हुआ है यह अवसर विवाह, धार्मिक अनुष्ठान या पर्व रहे हैं तथा 80.25 प्रतिशत सूचनादाताओं को यह अवसर प्राप्त नहीं हुआ। इस प्रकार स्पष्ट है कि अधिकांश सूचनादाताओं को सवर्ण हिन्दू जाति के यहां आमंत्रण का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है।

शैक्षिक स्तर के आधार पर तथ्यों का विश्लेषण यह बतलाता है कि स्नातक

स्तर के 17.27 प्रतिशत सूचनादाताओं को सर्वण हिन्दुओं के यहां खान–पान में सम्मलित होने का अवसर मिला है। जबकि 82.73 प्रतिशत को यह अवसर प्राप्त नहीं हुआ है परास्नातक स्तर के 13.43 प्रतिशत सूचनादाताओं को सवर्ण हिन्दूओं के यहां खान पान में सम्मलित होने का अवसर प्राप्त हुआ है. 68.57 प्रतिशत को यह अवसर प्राप्त नहीं हुआ है। इस प्रकार स्नातकों की अपेक्षा परास्नातक स्तर के सूचनादाताओं को सवर्ण हिन्दुओं के यहां आमंत्रण के अवसर अधिक मिले हैं।

लैंगिक स्तर के आधार पर आंकड़ों के विवेचन से स्पष्ट है कि 25.71 प्रतिशत छात्रों एवं 5.83 प्रतिशत छात्राओं को सवर्ण हिन्दुओं के यहां खान–पान का अवसर मिला है तथा 74.29 प्रतिशत छात्र एवं 94.17 प्रतिशत छात्राओं को यह अवसर नहीं मिला है । अतः स्पष्ट है कि छात्राओं की तुलना में छात्रों को यह अवसर अधिक मिला है।

आवासीय पृष्ठभूमि के आधार पर आंकड़ों के विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि 16.77 प्रतिशत ग्रामीण एवं 30.00 प्रतिशत नगरीय सूचनादाताओं को यह अवसर मिला है तथा 83.23 प्रतिशत ग्रामीण एवं 70.00 प्रतिशत नगरीय सूचनादाताओं को यह अवसर नहीं मिला है । इस प्रकार ग्रामीणों की अपेक्षा नगरीय सूचनादाताओं को सवर्णो के यहाँ आमंत्रण के अधिक अवसर प्राप्त हुए हैं।

सामाजिक आर्थिक स्तर के आधार पर आंकड़ों के विश्लेषण से यह ज्ञात हुआ है कि उच्च सामाजिक स्तर के 93.33 प्रतिशत, मध्यम के 55.71 प्रतिशत एवं निम्न स्तर के 10.16 प्रतिशत को सवर्ण हिन्दुओं के यहाँ खान–पान का अवसर प्राप्त हुआ हैं तथा उच्च स्तर के 46.67 प्रतिशत मध्यम के 44.29 प्रतिशत एवं निम्न स्तर के 89.84 प्रतिशत सूचनादाताओं को यह अवसर नहीं मिला । अतः स्पष्ट है कि उच्च तथा

निम्न स्तर के सूचनादाताओं की तुलना में मध्यम स्तर के सूचनादाताओं को सवर्ण जातियों के उत्सवों पर्वो व शादी आदि में सबसे अधिक आमंत्रण मिला है।

उच्च जाति की जीवन शैली का अनुकरण -

समकालीन भारतीय समाज में निम्न जातियों ने अपने जीवन शैली एवं व्यवहार के तरीकों को परिर्वतित करने तथा सामाजिक प्रतिष्ठा के सोपान में अधिक उच्च स्थान प्राप्त करने के लिये जिन नवीन सन्दर्भ बिन्दुओं को चुना है उनमे से एक महत्वपूर्ण सन्दर्भ बिन्दु उच्च जाति हैं। अनेक अध्ययनों द्वारा यह विदित हुआ है कि निम्न जाति के सदस्य अपने निवास क्षेत्र के उच्चजाति की जीवन शैली व्यवहार प्रतिमान तथा दृष्टिकोण को अपना रहे हैं । एम0 एन0 श्रीनिवास ने इस प्रक्रिया को संस्कृतिकरण के नाम से सम्बोधित किया है । वर्तमान अध्ययन के सूचनादाताओं का अध्ययन इस प्रक्रिया की ओर आकर्षित करते हुये उनसे यह पूछा गया कि क्या अनुसूचित जाति की जीवन शैली व्यवहार के प्रतिमान एवं प्रथाओं को अपना लेना चाहिये प्राप्त सूचनादाताओं को अग्रांकित तालिका संख्या 10.14 में दर्शाया गया है ।

तालिका में दर्शाए गए आँकड़ो से ज्ञात होता है कि 40.50 प्रतिशत सूचनादाता इस कथन से सहमत हैं कि अनुसूचित जाति की जीवन शैली को अपना लेना चाहिये तथा 48.25 प्रतिशत सूचनादाता इस कथन से असहमत हैं, जबकि 11.25 प्रतिशत सूचनादाताओं ने इस सम्बन्ध में स्पष्ट मत नहीं दिया, जिन सूचनादाताओं ने उच्च जाति के जीवन शैली के अनुकरण का विरोध किया है। उनमें से अधिकतर अपनी जातिगत संस्कृति के प्रति गर्व एवं श्रेष्ठता की अनुभूति रखते है। ये उच्च जाति के शोषण के प्रति आक्रोश का भाव रखते हुये उस जाति की जीवन शैली को अपनाना उचित नहीं समझते हैं। अधिकांश सूचनादाताओं ने इस कथन से असहमति व्यक्त की है।

तालिका संख्या-10.14 सामाजिक परिवर्त्य एवम् उच्च जाति की जीवन शैली का अनुकरण

	सहमत	असहमत	कह नहीं सकते	योग
शैक्षिक स्तर				
स्नातक	117 (35.45)	179 (54.25)	34 (10.30)	330
परास्नातक	45 (64.29)	14 (20.00)	11 (15.71)	70
लैंगिक स्तर				
छात्र	102 (36.43)	154 (55.00)	24 (8.57)	280
छात्राएं	60 (50.00)	39 (32.50)	21 (17.50)	120
आवासीय पृष्ठभूमि				
ग्रामीण	112 (36.13)	154 (49.68)	44 (14.19)	310
नगरीय	50 (55.56)	39 (43.33)	01 (1.11)	90
सामाजिक–आर्थिक स्तर				
उच्च	09 (60.00)	03 (20.00)	03 (20.00)	15
मध्यम	45 (64.29)	20 (28.57)	05 (7.14)	70
निम्न	108 (34.28)	170 (53.97)	37 (11.75)	315
योग	162 (40.50)	193 (48.25)	45 (11.25)	400

प्राप्त आंकड़ों को शैक्षिक स्तर पर व्यवस्थित करने से यह ज्ञात होता है कि स्नातक स्तर के 35.45 प्रतिशत एवं परास्नातक स्तर के 64.29 प्रतिशत सूचनादाता इस कथन से सहमत हैं तथा स्नातक स्तर की 54.25 प्रतिशत एवं परास्नातक स्तर के 20.00 प्रतिशत सूचनादाता इस कथन से असहमत हैं, जबकि दोनों स्तरों के शेष सूचनादाताओं ने इस सम्बन्ध में स्पष्ट मत नहीं दिया है। अतः कह सकते हैं कि परास्नातक के सूचनादाता स्नातक स्तर के सूचनादाताओं की तुलना में उच्च जाति की

जीवन शैली अपनाने के अधिक पक्षधर हैं।

लैंगिक स्तर के आधार पर प्राप्त आंकड़े यह परिलक्षित करते हैं। कि 36.43 प्रतिशत एवं 50.00 प्रतिशत छात्राओं का मानना है कि उच्च जाति की जीवन शैली अपना लेना चाहिये तथा 55.00 प्रतिशत छात्र एवं 32.50 प्रतिशत छात्राओं का कहना है कि नही अपनाना चाहिये। जबकि 8.57 प्रतिशत छात्र एवं 17.50 प्रतिशत छात्राएं इस सम्बन्ध में असमंजस की स्थिति में हैं। अतः कहा जा सकता है कि छात्रों की तुलना में छात्राएं उच्च जाति की जीवन शैली अपनाने की अधिक पक्षधर हैं।

आवासीय पृष्ठभूमि के आधार पर आंकड़ों के विश्लेषण से स्पष्ट है कि 36.13 प्रतिशत ग्रामीण एवं 55.56 प्रतिशत नगरीय सूचनादाता इस कथन से सहमत हैं कि उच्च जाति की जीवन शैली अपना लेना चाहिये तथा 49.68 प्रतिशत ग्रामीण एवं 43.33 प्रतिशत नगरीय सूचनादाता इस कथन से असहमत हैं। दोनों स्तर के शेष सूचनादाताओं ने स्पष्ट मत नहीं दिया है । अतः ग्रामीण की तुलना में नगरीय सूचनादाता इस कथन से अधिक सहमत हैं।.

सामाजिक–आर्थिक स्तर के आधार पर आंकड़ों के विश्लेषण से स्पष्ट है कि उच्च स्तर के 60.00 प्रतिशत, मध्यम स्तर के 64.29 प्रतिशत एवं निम्न स्तर के 34.28 प्रतिशत सूचनादाता इस कथन से सहमत हैं तथा उच्च स्तर के 20.00 प्रतिशत मध्यम स्तर के 28.50 प्रतिशत एवं निम्न स्तर के 53.97 प्रतिशत इस कथन से असहमत हैं, जबकि उच्च स्तर के 20.00 प्रतिशत मध्यम स्तर के 7.14 प्रतिशत एवं निम्न स्तर के 11.75 प्रतिशत सूचनादाता इस सम्बन्ध में अपना स्पष्ट मत व्यक्त नहीं कर पाये । इससे स्पष्ट है कि मध्यम स्तर के एवं उच्च स्तर के अधिकांश सूचनादाता मानते हैं। कि उच्च जाति की जीवन शैली अपना लेना चाहिये। जिनमें उच्च सामाजिक आर्थिक स्तर के सूचनादाताओं की संख्या अधिक है।

आधुनिक परिर्वतन एवं अनुसूचित जाति की स्थिति का मूल्यांकन –

आधुनिक काल में अनुसूचित जाति के सामाजिक आर्थिक जीवन को प्रभावित करने वाले कारकों एवं शक्तियों को दो वर्गो में बाँटा जा सकता है। एक ओर अुनसूचित जाति के लिये सरकार के द्वारा अपनाए गए कार्यक्रम, नीतियां एवं कल्याणकारी योजनाएं हैं जिन्होंने इन समूहों के सामाजिक–आर्थिक प्रगति पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया है, दूसरी ओर परिर्वतन की नवीन सामान्य शक्तियां जैसे– औद्योगीकरण, नगरीयकरण, शिक्षा का प्रसार, यातायात एवं संचार के साधनों का विकास इत्यादि हैं। अध्ययन में सम्मलित सूचनादाता परिर्वतन के नवीन कारकों और शक्तियों का अनुसूचित जाति के सामाजिक आर्थिक प्रगति पर क्या प्रभाव मानते हैं। प्राप्त उत्तरों के आंकड़े अग्रांकित तालिका संख्या 10.15 में दशाये गये हैं।

इस तथ्य का अन्वेषण करने से विदित होता है कि 67.25 प्रतिशत सूचनादाता यह मानते हैं कि नवीन परिर्वतनों के द्वारा अनुसूचित जाति की स्थिति पहले की तुलना में उन्नत हुई है परन्तु यह उच्च जाति से अभी भी नीचे हैं । 5.50 प्रतिशत सूचनादाता यह मानते है कि नवीन परिर्वतनों ने अनुसूचित जाति की स्थिति को उच्च जाति के बराबर बना दिया है, 16.00 प्रतिशत सूचनादाताओं का यह विचार है कि अनुसूचित जाति की स्थिति में अभी कोई विशेष परिर्वतन नहीं हुआ है। तथा 11.25 प्रतिशत सूचनादाताओं ने इस सम्बन्ध में कोई स्पष्ट मत नहीं दिया है। अतः स्पष्ट है कि अध्ययन में सम्मलित आधे से अधिक सूचनादाता यह मानते हैं कि आधुनिक काल में परिर्वतन के नवीन कारकों अनुसूचित जाति के सामाजिक स्थिति में परिर्वतन ला दिया है। इस प्रकार की धारणा रखने वाले अधिकतर सूचनादाता यह मानते हैं कि परिवर्तन के द्वारा इन समूहों की सामाजिक स्थिति उन्नत अवश्य हुयी है परन्तु यह उच्च जाति की तुलना में अभी भी निम्न है।

तालिका संख्या-10.15 सामाजिक परिवर्त्य एवम् आधुनिक परिवर्तन व अनुसूचित जाति की स्थिति

	स्थिति उन्नत परन्तु उच्च जाति से नीचे	स्थिति उच्च जाति के बराबर हो गयी है	स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है	कह नहीं सकता	योग
शैक्षिक स्तर					
स्नातक	231 (70.00)	17 (5.15)	38 (11.51)	44 (13.34)	330
परास्नातक	38 (54.28)	05 (7.14)	26 (37.14)	01 (1.44)	70
लैंगिक स्तर					
छात्र	221 (78.93)	17 (6.07)	18 (6.43)	24 (8.57)	280
छात्राएं	48 (40.00)	05 (4.16)	46 (38.34)	21 (17.50)	120
आवासीय पृष्ठभूमि					
ग्रामीण	234 (76.48)	08 (2.58)	28 (9.04)	40 (12.90)	310
नगरीय	35 (38.89)	14 (15.56)	36 (40.00)	05 (5.55)	90
सामाजिक–आर्थिक स्तर					
उच्च	03 (20.00)	05 (33.33)	03 (20.00)	04 (26.67)	15
मध्यम	45 (64.29)	13 (18.57)	08 (11.43)	04 (5.71)	70
निम्न	221 (70.16)	04 (1.27)	53 (16.83)	37 (11.74)	315
योग	269 (67.25)	22 (5.50)	64 (16.00)	46 (11.25)	400

प्राप्त आंकड़ों को शैक्षिक आधार पर विश्लेषित करने से स्पष्ट हो रहा है कि स्नातक स्तर के 70.00 प्रतिशत तथा परास्नातक स्तर के 54.28 प्रतिशत सूचनादाताओं का मत है कि स्थिति उन्नत हुयी है परन्तु उच्च जाति से निम्न है, स्नातक स्तर के 5.15 प्रतिशत एवं परास्नातक के 7.14 प्रतिशत सूचनादाताओं का मानना है कि स्थिति उच्च जाति के बारबर हो गयी है। स्नातक स्तर के 11.51 प्रतिशत एवं परास्नातक स्तर

के 37.14 प्रतिशत सूचनादाता मानते है कि स्थिति में कोई परिर्वतन नहीं हुआ है। जबकि शेष सूचनादाताओं से स्पष्ट मत नहीं मिला है। इस प्रकार स्नातक स्तर के अधिकांश सूचनादाताओं का मानना है कि परिवर्तन के नवीन कारणों से अनुसूचित जाति की स्थिति ऊँची है परन्तु यह उच्च जाति से निम्न है।

लैंगिक स्तर के आधार पर प्राप्त आंकड़ों से ज्ञात हो रहा है कि 78.93 प्रतिशत छात्र एवं 40.00 प्रतिशत छात्राएं स्थिति उन्नत तथा उच्च स्तर से नीचे मानते हैं। 6.07 प्रतिशत छात्र एवं 4.16 प्रतिशत छात्राएं स्थिति में उच्च जाति के बराबर हो गयी मानती हैं। 6.43 प्रतिशत छात्र एवं 38.34 प्रतिशत छात्रायें स्थिति में कोई परिर्वतन नहीं हुआ मानती हैं, तथा 8.57 प्रतिशत छात्र एवं 17.50 प्रतिशत छात्राएं इस सम्बन्ध में भ्रम की स्थिति में है । अतः कह सकते है कि स्थिति उन्नत परन्तु उच्च जाति से नीचे मानने वालों का प्रतिशत अधिक है इसमें भी छात्राओं से छात्र अधिक है।

आवासीय पृष्ठभूमि के आधार पर आंकड़ों से विदित हो रहा है कि 75.48 प्रतिशत ग्रामीण तथा 38.89 प्रतिशत नगरीय सूचनादाताओं का मानना है कि आधुनिक परिर्वतन से अनुसूचित जाति की स्थिति उन्नत हुयी है। लेकिन उच्च जाति से निम्न है। 2.58 प्रतिशत ग्रामीण एवं 15.56 प्रतिशत नगरीय सूचनादाताओं का मानना है कि स्थिति उच्च जाति के बराबर हो गयी है। 9.04 प्रतिशत ग्रामीण एवं 40.00 प्रतिशत नगरीय सूचनादाताओं ने कहा कि स्थिति में कोई परिर्वतन नहीं हुआ है, जबकि शेष सूचनादाताओं ने स्पष्ट मत व्यक्त नहीं किया है । अतः यह कह सकते है कि सर्वाधिक ग्रामीण सूचनादाता यह मानते हैं कि स्थिति बेहतर हुयी है लेकिन उच्च जाति से निम्न है।

सामाजिक–आर्थिक स्तर के आधार पर आँकड़ो के विश्लेषण से स्पष्ट है कि उच्च स्तर के 20.00 प्रतिशत मध्यम के 64.29 प्रतिशत एवं निम्न के 70.16 प्रतिशत सूचनादाता यह मानते है कि आधुनिक परिर्वतन से अनुसूचित जाति की स्थिति उन्नत हुयी है परन्तु उच्च जाति से नीचे हैं। उच्च स्तर के 33.33 प्रतिशत मध्यम के 18.57 प्रतिशत तथा निम्न के 1.27 प्रतिशत सूचनादाताओं का मत है कि स्थिति उच्च जाति के बराबर हो गयी है तथा उच्च स्तर के 20.00 प्रतिशत मध्यम के 11.43 प्रतिशत एवं निम्न स्तर के 16.83 प्रतिशत सूचनादाता यह मानते हैं कि स्थिति में कोई परिर्वतन नहीं हुआ हैं। अतः कहा जा सकता है कि निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर के सर्वाधिक सूचनादाता यह मानते है कि स्थिति उन्नत परन्तु उच्च जाति से नीचे हैं, जबकि उच्च सामाजिक–आर्थिक स्तर के सर्वाधिक सूचनादाता यह मानते है कि स्थिति उच्च जाति के बराबर हो गयी है।

अध्याय-एकादश

सामान्यीकरण

निष्कर्ष

प्रस्तुत शोध का योगदान

भावी अध्ययन हेतु सुझाव

सामान्यीकरण

वर्तमान अध्ययन का उद्देश्य समकालीन भारतीय समाज में शिक्षा द्वारा अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के जीवन शैली, भूमिका अधिग्रहण, अभिवृत्तियों और मूल्यों के क्षेत्र में होने वाले परिवर्तन एवं समस्याओं का अध्ययन करना है । समाज के सामाजिक–आर्थिक, शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग के लोगों के प्रगति और उत्थान में शिक्षा की भूमिका निर्णायक और प्रभावशाली है।

भारतीय समाज में वर्ग जिसे संवैधानिक भाषा में अनुसूचित जाति के नाम से सम्बोधित किया गया है, अनेक सामाजिक–धार्मिक निर्योग्यताएं प्रतिबन्धित सामाजिक–सहवास व्यवसायों और कार्यो की पूर्व परिभाषित निम्नता और अपवित्रता ने उन्हें अनेक प्रकार की सामाजिक न्याय और शोषण से ग्रसित कर रखा है।

नवीन राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था की स्थापना कल्याणकारी राज्य की अवधारणा की महत्ता सामाजिक न्याय, समानता और सहभागिता के मूल्यों की प्रधानता के स्वरूप भारतीय समाज में जिन नीतियों, कार्यक्रमों और उपायों का अनुकरण किया जा रहा है । उनमें से एक प्रमुख अनुसूचित जाति की राजनीतिक तथा आर्थिक संरक्षण प्रदान करना तथा उनके शैक्षिक प्रगति के लिये प्रयत्न करना है। इस समुदाय के सदस्यों को शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश की सुविधा, शुल्क मुक्ति, छात्रवृत्ति आवासीय सुविधा, पुस्तकीय सहायता, निःशुल्क विशेष अध्ययन व्यवस्था इत्यादि प्रदान की गयी है । साथ ही नौकरी में भी आरक्षण की सुविधा प्रदान की गयी है। इन प्रदत्त सुविधाओं एवं विभिन्न कार्यक्रमों का उनके जीवन शैली, मूल्य संरचना, आधुनिकीकरण सामाजिक–आर्थिक गतिशीलता पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है।

प्रस्तुत अध्ययन परिर्वतन के नवीन शक्तियों मुख्यतः शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में

अनुसूचित जाति के युवकों के जीवन शैली अभिवृत्ति, शैक्षिक समस्याओं एवं मान्यताओं के अध्ययन के लिये आयोजित किया गया है। अध्ययन का मुख्य लक्ष्य यह ज्ञात करना है कि सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुये समुदाय के विद्यार्थियों के शैक्षणिक सहभागिता और उपलब्धि का स्वरूप क्या है ? शिक्षा किस प्रकार इन विद्यार्थियों के शैक्षिक उन्नयन में सहायक है। इन विद्यार्थियों के शैक्षिक जीवन और सामाजिक अन्तःक्रिया से सम्बन्धित प्रमुख समस्यायें क्या है ? शिक्षा ने इनके सामाजिक, राजनैतिक जागरूकता एवं सहभागिता को किस प्रकार प्रभावित किया है तथा शिक्षा के द्वारा परम्परागत मूल्य–संरचना और आधुनिक मूल्य–संरचना अन्तर्विरोधों का स्वरूप क्या है ?

अध्ययन के इन सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए जनपद बाँदा के अनुसूचित जाति के स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत 400 छात्र–छात्राओं को वर्तमान अध्ययन के सूचनादाता के रूप में चुना गया है । अध्ययन में बाँदा जनपद के मुख्यालय पर स्थित महाविद्यालय नगरीय क्षेत्र के अन्तर्गत हैं तथा तहसील मुख्यालय पर स्थित दो महाविद्यालयों को ग्रामीण क्षेत्र में रखा गया है। उत्तरदाताओं का चयन निर्धारित कोटा के अन्तर्गत 'दैव निदर्शन' की प्रक्रिया को अपनाकर किया गया है। अध्ययन के समग्र के अनुपात में अनुसूचित जाति के 280 छात्र तथा 120 छात्राओं को निदर्श में सम्मिलित किया गया है । अनुसूचित जाति के समूह के अन्तर्गत सम्मिलित विभिन्न जाति के विद्यार्थियों की संख्या इस प्रकार है–चमार–150(105छात्र, 45 छात्राएं), धोबी–100 (70 छात्र, 30 छात्राएं), कोरी–70 (49 छात्र, 21 छात्राएं), खटिक – 50 (35 छात्र 15 छात्राएं), डोमार–20 (14 छात्र, 06 छात्राएं), पासी–10 (07 छात्र 03 छात्राएं) ।

अध्ययन के निमित्त सूचनाओं का संकलन साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से किया गया है । व्यक्तिगत साक्षात्कार और अवलोकन के माध्यम से पूरक सूचनाएं एकत्रित की गई हैं । आवश्यक द्वितीय तथ्यों के निमित्त जनपद बाँदा के जनगणना कार्यालय, साँख्यिकी कार्यालय, जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय, समाज कल्याण कार्यालय तथा महाविद्यालय के कार्यालयों से प्राप्त आँकड़ों का प्रयोग किया गया है । विभिन्न अध्यायों में संकलित तथ्यों के विश्लेषण के द्वारा निम्नलिखित सामान्य निष्कर्ष प्राप्त हुए हैं :–

सूचनादाताओं की सामाजिक–आर्थिक पृष्ठभूमि -

विद्यार्थी जीवन व्यक्ति के सम्पूर्ण जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष है यह अवस्था निर्माण और विकास की अवस्था है । वर्तमान अध्ययन में सम्मिलित अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों की सामाजिक–आर्थिक पृष्ठभूमि का अध्ययन उनके परम्परागत सामाजिक–आर्थिक संरचना से सम्बन्धित विशेषताओं को प्रदर्शित करता है ।

शैक्षिक जीवन के सन्दर्भ में विद्यार्थी की आयु संरचना का महत्वपूर्ण स्थान है यद्यपि प्रत्येक शैक्षणिक स्तर के लिये निर्धारित आयु का प्राविधान है, परन्तु भारतीय परिस्थिति में जहाँ शैक्षणिक पिछड़ाव अत्यधिक रहा है तथा बालकों को विलम्ब से शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश दिया जाता है । ऐसी दशा में शिक्षण संस्थाओं में समान कक्षा में विद्यार्थियों की आयु में महत्वपूर्ण अन्तर पाया जाता है वर्तमान अध्ययन में सम्मलित 82.50 प्रतिशत विद्यार्थी 19–23 वर्ष आयु के 17.50 प्रतिशत 24–28 वर्ष की आयु के विद्यार्थी हैं।

परम्परागत भारतीय समाज में जहाँ अनुसूचित जाति के लोगों को शिक्षा ग्रहण करने पर प्रतिबन्ध था, वहीं स्वतन्त्र भारत में अनुसूचित जाति के छात्रों के साथ

छात्राओं को भी शिक्षा प्रदान करना सरकार की कल्याणकारी योजना एवं अनुसूचित जाति के लोगों की सामाजिक जागरूकता का परिचायक है। वर्तमान अध्ययन में 70.00 प्रतिशत छात्र, 30 प्रतिशत छात्राएं हैं जिनमें 37.50 प्रतिशत चमार, 25.00 प्रतिशत धोबी, 17.50 प्रतिशत कोरी, 12.50 प्रतिशत खटिक, 5.00 प्रतिशत डोमार तथा 2.50 प्रतिशत पासी जाति समूह के हैं (तालिका संख्या 5.4) । वर्तमान अध्ययन में 77.50 प्रतिशत उत्तरदाता ग्रामीण परिवेश के एवं 22.50 प्रतिशत नगरीय परिवेश के हैं ।

अनुसूचित जाति के युवा पीढ़ी के शिक्षा ग्रहण करने वाले सदस्य अल्प आयु में विवाह की समस्या से पूर्णतया मुक्त नहीं हो पाये है । अध्ययन में सम्मलित 59.25 प्रतिशत सूचनादाता अविवाहित तथा 40.75 प्रतिशत विवाहित हैं (तालिका संख्या 5.7) । अध्ययन से यह विदित होता है कि जो पिता या अभिभावक अपनी शैक्षिक उपलब्धि से सन्तुष्ट नहीं है, अपने बच्चो की शिक्षा को अधिक गम्भीरतापूर्वक ग्रहण करने को प्रेरित करते हैं । अतः बालकों के विकास में पिता की शैक्षिक स्थिति का अधिक महत्वपूर्ण स्थान है । वर्तमान अध्ययन में अधिकतर सूचनादाताओं के पिता (42.50 प्रतिशत) अशिक्षित हैं । परिवार में शिक्षा का यह अभाव इन विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि को निश्चित रूप से प्रभावित करने का एक कारक है (तालिका संख्या 5.11)। सूचनादाताओं के अभिभावक कृषक या कृषक मजदूर हैं, अल्प मात्रा में सरकारी नौकरी तथा विभिन्न व्यवसाय से सम्बन्धित हैं (तालिका संख्या 5.14) । 42.75 प्रतिशत सूचनादाताओं के पिता रु0 1,000 या कम तथा 31.50 प्रतिशत के पिता 2000 से कम मासिक आय प्राप्त करते हैं जो उनके निम्न आर्थिक स्थिति का परिचायक है (तालिका संख्या 5.16) साथ ही इन लोगों के पास जमीन की

उपलब्धता भी कम है (तालिका संख्या 5.18) । अध्ययन में सम्मलित 19.25 प्रतिशत सूचनादाताओं के पास आवास के रूप में झोपड़ी है, जबकि 69.50 प्रतिशत के पास कच्चा मकान है, अल्प मात्रा (4.25 प्रतिशत) के पास कच्चा पक्का मिश्रित मकान है (तालिका संख्या 5.20) । वर्तमान सूचनादाताओं के पितामह की शिक्षा स्थिति और अधिक निम्न पायी गयी है क्योंकि 18.75 प्रतिशत विद्यार्थियों को ज्ञात ही नहीं है कि उनके पितामह की क्या शिक्षा थी, जबकि 55.25 प्रतिशत विद्यार्थियों के पितामह निरक्षण रहे हैं । एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि किसी भी विद्यार्थी के पितामह की शिक्षा जूनियर हाईस्कूल से ऊपर नहीं पायी गई है (तालिका संख्या 5.2) ।

चल सम्पत्ति का एक प्रमुख स्रोत पशु स्वामित्व है । पशुओं कर उपयोगिता ग्रामीण परिवारों के आवश्यकता के साथ–साथ उनकी आर्थिक स्थिति का भी संकेत है । वर्तमान अध्ययन में 34.75 प्रतिशत सूचनादाताओं के पास कोई भी पशुधन नहीं है, जिनके पास पशु हैं उनमें 7.25 प्रतिशत के पास गाय 3.50 प्रतिशत के पास बैल, 3.25 प्रतिशत के पास भैंस है, अधिकतर सूचनादाता 31.50 के पास बकरी और मुर्गी की अधिकता है जो व्यवसायिक लाभ एवं परिवार की आवश्यकता पूर्ति हेतु रखी गई है (तालिका संख्या 5.24)।

सूचनादाताओं के परिवार के आर्थिक व्यवसायिक, शैक्षिक, सामुदायिक स्थिति के विश्लेषण के पश्चात समग्र रूप से अध्ययन किया गया है । जिसके लिए पिता की शिक्षा, व्यवसाय, मासिक आय, भूमि स्वामित्व, पशु स्वामित्व, आवास की दशा, सामुदायिक पृष्ठभूमि की विभिन्नताओं को अलग–अलग अंक प्रदान करके सामाजिक–आर्थिक स्थिति की एक समावेशित अनुक्रमणिका तैयार की गई है । जिसे परिशिष्ट 'अ' में प्रदर्शित किया गया है । अध्ययन में 3.75 प्रतिशत उच्च, 17.50

प्रतिशत मध्यम तथा 78.75 निम्न सामाजिक–आर्थिक स्तर के सूचनादाता रखे गए हैं (तालिका संख्या 5.27) ।

सूचना सम्प्रेषण के साधन एवं स्तर -

व्यापक अर्थ में सम्प्रेषण प्रक्रिया का सम्बन्ध सम्पूर्ण मानवीय क्रिया कलापों से है जिसके माध्यम से यह निर्दिष्ट अथवा अनिर्दिष्ट सूचनाओं का आदान प्रदान करता है । समाचार–पत्र का प्रतिदिन अध्ययन 27.25 प्रतिशत जबकि 65.00 प्रतिशत कभी–कभी अध्ययन करते हैं। उच्च सामाजिक–आर्थिक स्तर से सम्बन्धित विद्यार्थी 66.66 प्रतिशत प्रतिदिन अध्ययन करते है जबकि छात्रायें तुलनात्मक रूप से छात्रों से अधिक अध्ययन करती पायी गयी हैं (तालिका संख्या 6.1)।

समाचार–पत्र उच्च सामाजिक–आर्थिक स्तर के 66.66 प्रतिशत एवं मध्यम सामाजिक स्तर के 50.00 प्रतिशत, ग्रामीण स्तर के 1.94 प्रतिशत नगरीय स्तर के 62.22 प्रतिशत स्वयं खरीदकर समाचार–पत्र पढ़ने की आदत है, जबकि 47.50 प्रतिशत टी–स्टॉल आदि पर 23.75 प्रतिशत शिक्षण संस्थाओं के वाचनालय से तथा 6.25 प्रतिशत पडोसी से मांगकर अध्ययन करते हैं । समाचार–पत्र में राजनैतिक समाचार पढ़ने की प्रवृत्ति अधिक पायी गयी है (तालिका संख्या 6.2, 6.3) ।

रेडियो सुनने की प्रवृत्ति नियमित मात्र 10.00 प्रतिशत है, जबकि कभी कभी सुनने वालों की संख्या 61.00 प्रतिशत है, अभी भी 29.00 प्रतिशत सूचनादाता रेडियो कभी नहीं सुनते । रेडियों में समाचार 17.50 प्रतिशत फिल्म, संगीत 23.76 प्रतिशत लोकगीत 20.00 प्रतिशत सुनने में वरीयता देते हैं । अल्प मात्रा में 5.00 प्रतिशत नाटक, रूपक एवं 3.75 प्रतिशत कृषि कार्यक्रम पसन्द करते हैं (तालिका संख्या 6.4 एवं 6.5) ।

सिनेमा देखने की प्रवृत्ति का विस्तार हो रहा है, 60.75 प्रतिशत कभी कभी तथा 23.00 प्रतिशत नियमित सिनेमा देखते हैं । टी0वी0 आधुनिक प्रौद्योगिकी की क्रान्तिकारी उपलब्धि है जिसे दृष्य–श्रव्य माध्यम से अधिक उपयोगी समझा जा रहा है परन्तु निम्न, सामाजिक, आर्थिक स्तर के 52.38 प्रतिशत तथा ग्रामीण परिवेश के 53. 55 प्रतिशत उत्तरदाता अभी इसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं । केवल 18.00 प्रतिशत सूचनादाता प्रतिदिन तथा 39.00 प्रतिशत कभी–कभी उपयोग करते हैं (तालिका संख्या 6.7)।

शैक्षिक जीवन और उपलब्धियाँ –

अनुसूचित जाति के विघार्थियों के सामाजिक–आर्थिक परिवेश की विशेषताएं उनके शैक्षिक जीवन और उपलब्धि को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। पाठ्यक्रम का चुनाव, छात्र–अध्यापक अन्तःक्रिया, शिक्षणेत्तर कार्यक्रमों में सहभागिता इत्यादि तथ्य इन विद्यार्थियों के परिवेश की असमानताओं, असंगतियों और विवशताओं को प्रतिबिम्बित करती हैं।

अध्ययन में सम्मलित सूचनादाताओं के शैक्षिक स्तर का अध्ययन यह स्पष्ट करता है कि 82.50 प्रतिशत छात्र स्नातक स्तर के विभिन्न पाठक्रमों बी0ए0,बी0एस–सी0, बी0काम0, बी0एस–सी0 (कृषि) के प्रथम वर्ष–द्वितीय वर्ष तृतीय वर्ष व चतुर्थ वर्ष के तथा बी0एड0 के छात्र हैं, 17.50 प्रतिशत छात्र परास्नातक स्तर के विभिन्न पाठक्रमों एम0ए0, एम0एस–सी0, एम0काम0 पूर्वार्द्ध व उत्तरार्द्ध तथा एम0एड0 के छात्र हैं (तालिका संख्या 7.1) ।

सम्पूर्ण सूचनादाताओं में साहित्यिक विषयों का अध्ययन 83.00 प्रतिशत सूचनादाता करते हैं विज्ञान 8.75 प्रतिशत, 4.50 प्रतिशत वाणिज्य तथा 3.75 प्रतिशत

कृषि का अध्ययन करते हैं । ग्रामीण परिवेश के 90.97 प्रतिशत छात्र तथा 90.00 प्रतिशत छात्राएं व 80.00 प्रतिशत छात्र साहित्यिक विषय चुनते हैं। उच्च सामाजिक स्तर के 26.67 प्रतिशत विज्ञान विषय लेते हैं (तालिका संख्या 7.3) । सम्पूर्ण सूचनादाताओं मे 78.00 प्रतिशत छात्रवृत्ति प्राप्त कर रहे है, जबकि 22.00 प्रतिशत इससे वंचित हैं।

ग्रामीण परिवेश के छात्र पैदल, बस, टैक्सी, रेल, साइकिल से लम्बी दूरी तय करके समय, धन एवं श्रम का एक महत्वपूर्ण अंश शिक्षण संस्थाओं तक पहुँचने में व्यय करते हैं । घर से शिक्षण संस्था तक 34.50 प्रतिशत पैदल, 23.00 प्रतिशत साइकिल द्वारा, 19.75 प्रतिशत रेलगाड़ी द्वारा, 17.75 प्राइवेट बस, टैक्सी द्वारा, मात्र 5.00 प्रतिशत स्कूटर व रिक्शा से आते हैं । रिक्शा व स्कूटर से उच्च सामाजिक आर्थिक स्तर के 40.00 प्रतिशत एवं मध्यम सामाजिक स्तर के 12.58 प्रतिशत छात्र आते हैं । निम्न सामाजिक स्तर के केवल 1.59 प्रतिशत विद्यार्थी स्कूटर, रिक्शा या अन्य साधनों का प्रयोग करते हैं (तालिका संख्या 7.5) ।

शैक्षिक जीवन की सफलता का एक महत्वपूर्ण आधार विद्यार्थी के द्वारा पाठ्यक्रम का भलीभाँति अनुसरण करना है । कक्षा में अपने पाठ्यक्रम सम्बन्धी कठनाइयों का निराकरण कर पाना उनके शैक्षिक रुचि आदत और उनकी व्यक्तिगत प्रयत्नशीलता को प्रकट करता है । अध्यापक की ज्ञानात्मक उच्चता उसकी व्यवहार कुशलत, सामाजिक स्थिति, छात्र के शैक्षिक जीवन को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण स्थान रखती है । अनुसूचित जाति के छात्र अपने अध्ययन विषय में आई कठनाइयों का निवारण अपने अध्यापकों के सहयोग और सहानुभूति के द्वारा ही कर पाते हैं परन्तु इनके मध्य कुछ बाधाएं हैं । प्राप्त सूचनाओं से विदित है कि 61.75 प्रतिशत छात्र अध्यापकों से प्राप्त सहयोग को सहानुभूतिपूर्ण व सहयोगी मानते हैं, जबकि 26.75

प्रतिशत उपेक्षापूर्ण व सहयोगी मानते हैं, जबकि 11.50 प्रतिशत इस सन्दर्भ में मौन हैं (तालिका संख्या 7.6) ।

विद्यार्थियों के शैक्षिक कठिनाई निवारण का एक माध्यम विशेष ट्यूशन या कोचिंग की व्यवस्था है । सामान्यता जिन विद्यार्थियों की उच्च शैक्षिक आकाँक्षा है ऐसे लोगों का ट्यूशन के प्रति अधिक झुकाव पाया गया है । परन्तु सामाजिक–आर्थिक स्तर निम्न होने पर इस अपेक्षा की पूर्ति में कठिनाई आती है । वर्तमान अध्ययन के केवल 10.50 प्रतिशत सूचनादाता ऐसे हैं जिन्हें अपनी शैक्षिक समस्या के निवारण हेतु विशेष ट्यूशन की व्यवस्था है । इनमें उच्च सामाजिक आर्थिक स्तर एवं नगरीय परिवेश के छात्रों को भी यह सुविधा प्राप्त है । तुलनात्मक दृष्टि से छात्राओं में मात्र 6.67 प्रतिशत को ही विशेष ट्यूशन की व्यवस्था है (तालिका संख्या 7.7) ।

शिक्षणेत्तर कार्यक्रमों में सहभागिता न केवल खाली समय का सदुपयोग व मनोरंजन की दृष्टि से लाभदायक है, वरन इनके द्वारा अनेक रचनात्मक प्रवृत्तियों एवं सामाजिक गुणों का विकास भी सम्भव होता है । खेलकूद वाद–विवाद प्रतियोगिता एवं अन्य साँस्कृतिक गतिविधियों में सहभागिता से जहाँ व्यक्तिगत योग्यता और कुशलता के प्रदर्शन का अवसर उपलब्ध होता है । वहीं अनुसूचित जाति के सन्दर्भ में सामाजिक दूरी और विषमता की दरार को सीमित करने का अवसर भी मिलता है । वर्तमान अध्ययन में 59.75 प्रतिशत उत्तरदाता किसी भी प्रकार के शिक्षणेतर कार्यक्रम में भाग नहीं लेते । मात्र 15.75 प्रतिशत खेलकूद में 12.00 प्रतिशत साँस्कृतिक कार्यक्रम में, 7.25 प्रतिशत वाद–विवाद में एवं 5.25 प्रतिशत महाविद्यालय स्तर पर राष्ट्रीय सेवा योजना अथवा एन0सी0सी0 में सहभागी रहे हैं (तालिका संख्या 7.8)।

शैक्षिक मूल्य एवं सामाजिक जागरूकता –

शैक्षिक प्रक्रिया की उद्देश्यमूलकता और प्रयोजन सिद्धता का अध्ययन करते हुए यह विदित होता है कि वर्तमान अध्ययन के एक तिहाई विद्यार्थी शिक्षा को सामाजिक पद एवं प्रतिष्ठा में वृद्धि का साधन मानते हैं, जबकि 30.75 प्रतिशत ने जीविकोपार्जन का साधन माना है । ज्ञान प्रसार, योग्यता व क्षमता का विकास, चरित्र व अनुशासन के विकास को शिक्षा का अन्य गौढ़ लक्ष्य बतलाया गया है । सामान्यतया इस जाति समूहों को भारतीय समाज में जो निम्न सामाजिक स्थिति और असन्तोषजनक अवसर प्राप्त हो रहे हैं उनके निराकरण के लिए युवा वर्ग शिक्षा को एक उपयोगी और आवश्यक साधन मानता है । इसीलिए अधिकतर सूचनादाता शिक्षा को जीविकोपार्जन और सामाजिक पद प्रतिष्ठा की वृद्धि का प्रमुख्या साधन मानते हैं (तालिका संख्या 8.1) ।

स्त्री शिक्षा की आवश्यकता का अनुभव इस वर्ग में किया जाने लगा है । उच्च सामाजिक–आर्थिक स्तर के 66.67 प्रतिशत तथा छात्राएं 89.21 प्रतिशत अनुसूचित जाति के स्त्री की उच्च शिक्षा का अनुमोदन करते हैं । मात्र 4.76 प्रतिशत निम्न सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के उत्तरदाता स्त्री शिक्षा का अनुमोदन नहीं करते हैं (तालिका संख्या 8.2) ।

शैक्षिक प्रकार की प्रक्रिया ने आकाँक्षाओं के विस्तार में महत्वपूर्ण योगदान दिया है । शैक्षिक लक्ष्य का निर्धारण एक तथ्य है तथा उसके प्राप्ति की सम्भावना भी महत्वपूर्ण विषय है । विद्यार्थियों के द्वारा शैक्षिक लक्ष्य पूर्ति होने की सम्भावना में आस्था न केवल उनके विश्वास और दृढ़ता का परिचायक है वरन् वस्तुस्थिति के प्रति उनकी जागरूकता और व्यवहारिकता का भी परिचायक है ।

नगरीय पृष्ठभूमि के 68.89 प्रतिशत तथा उच्च सामाजिक आर्थिक स्तर के 86.66 प्रतिशत विद्यार्थियों को अपने शैक्षिक लक्ष्य पूर्ति की सम्भावना है । छात्रों की तुलना में छात्राओं को 37.50 प्रतिशत ही शैक्षिक लक्ष्य प्राप्त करने की सम्भावना है , आधे सूचनादाता 51.74 जिनकी निम्न आर्थिक स्थिति है, को भी शैक्षिक लक्ष्य पूर्ति की सम्भावना है (तालिका संख्या 8.3)।

शिक्षा प्राप्त करने वाले अनुसूचित जाति के उत्तरदाताओं में स्वावलम्बन और स्वतन्त्र मनोवृत्ति का विकास हो रहा है तथा वे शैक्षिक समस्याओं के सम्बन्ध में परिवार की इच्छा या अनिच्छा को उतना अधिक महत्वपूर्ण स्थान नहीं देते जितना अपने व्यक्तिगत हित, महत्वाकाँक्षा और भावी शैक्षिक तथा व्यावसायिक लक्ष्य को महत्व प्रदान करते हैं । केवल 20.75 प्रतिशत उत्तरदाता परिवार द्वारा शैक्षिक पूर्ति में अवरोध करने पर अध्ययन छोड़ देंगे (तालिका संख्या 8.4) ।

छात्र–छात्राओं से यह ज्ञात करने पर कि यदि उनको निकट भविष्य में कोई रोजगार आदि मिल जाए तो भावी शिक्षा के लक्ष्य को स्थगित कर देंगे ? जो परिणाम प्राप्त हुआ उससे स्पष्ट है कि अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों में व्यवसाय की उत्कण्ठा निम्न सामाजिक–आर्थिक स्तर के विद्यार्थियों में 80.00 प्रतिशत पायी गयी है (तालिका संख्या 8.5)।

शैक्षिक समस्यायें एवं संरक्षण -

अनुसूचित जाति समूह को स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात संवैधानिक, राजनीतिक आर्थिक संरक्षण प्रदान किया गया है । राजनैतिक रूप से प्राप्त आरक्षण ने इस जाति के नेतृत्व को सामान्य प्रतिस्पर्धा से पृथक रखकर उनके स्वतन्त्र विकास का अवसर उपलब्ध कराया है । जिससे उनकी राजनीतिक जागरूकता एवं सहभागिता में वृद्धि हो

रही है । वर्तमान अध्ययन के अधिकतर सूचनादाता राजनीति संरक्षण की व्यवस्था को अनुसूचित जाति के हित सम्वर्द्धन के लिये एक उपयोगी व्यवस्था मानते हैं (तालिका सं0 9.1) ।

अनुसूचित जाति के सामाजिक अनुभव का एक अत्यन्त कटु विषय उनके प्रति किया जाने वाला अत्याचार व शोषण है, पुरानी पीढ़ी के इस समूह के सदस्य भय, प्रशासन की उदासीनता और अपनी आर्थिक निर्बलता के कारण अन्याय व अत्याचार को मौन रूप से स्वीकार करते रहे हैं परन्तु युवा वर्ग और शिक्षित व्यक्ति की मनःस्थिति इस प्रकार की नहीं है । उनकी प्रतिक्रियायें, प्रतिरोध, विद्रोह और जनमत के परिवर्तन की है । वर्तमान अध्ययन के सूचनादाता के सक्रियता का अध्ययन यह स्पष्ट करता है कि 33.50 प्रतिशत युवा वर्ग ने आक्रामक व उग्र रूप का समर्थन किया है (तालिका संख्या 9.2) ।

अनुसूचित जाति के युवा सूचनादाता 83.50 प्रतिशत, गैर सरकारी सेवा में भी व्यावसायिक आरक्षण चाहते हैं (तालिका संख्या 9.3) । सरकारी सेवा में आधे उत्तरदाता 53.75 प्रतिशत जीवन भर के लिए आरक्षण चाहते हैं, जब कि 27.00 प्रतिशत अगले 25 वर्ष के लिए ही आरक्षण की सुविधा चाहते हैं (तालिका संख्या 9.4) । सूचनादाताओं से यह ज्ञात करने पर किस्वजाति के उच्च सामाजिक आर्थिक स्तर वाले लोगों को क्या आरक्षण की सुविधा नहीं देनी चाहिए ? 78.00 प्रतिशत सूचनादाता इस तथ्य से सहमत हैं (तालिका संख्या 9.5) ।

सामाजिक समस्याओं के प्रति प्रतिक्रिया -

1. वैवाहिक मूल्य -

परम्परागत रूप से अनुसूचित जातियों में अल्पायु में ही विवाह का प्रचलन

है परन्तु शिक्षा में वृद्धि के कारण वैवाहिक आयु निरन्तर उच्च होती जा रही है । युवकों की वैवाहिक आयु 51.00 प्रतिशत 21 से 25 वर्ष तथा 25.25 प्रतिशत 26–30 वर्ष चाहते हैं, जबकि युवती के विवाह की आयु 69.25 प्रतिशत 21–25 वर्ष मानते हैं । 85.00 प्रतिशत छात्राएं भी 21–25 वर्ष विवाह की आयु चाहती हैं । उच्च सामाजिक आर्थिक स्तर के 6.67 प्रतिशत सूचनादाता 20 वर्ष से पूर्व युवती या युवक का विवाह आज ही चाहते हैं (तालिका संख्या 10.1; 10.2) । तीवन साथी का चुनाव अधिकतर सूचनादाता माता–पिता की इच्छा 60.25 प्रतिशत से ही चाहते हैं (तालिका संख्या 10.3)।

शिक्षा के सामान्य प्रभाव में अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों में अन्तर्जातीय विवाह की आकाँक्षा को उन्नत बनाया है । 63.75 प्रतिशत अन्तर्जातीय विवाह को मान्यता प्रदान करत हैं (तालिका संख्या 10.4)। विधवा विवाह का समर्थन 68.00 प्रतिशत सूचनादाता करते हैं (तालिका संख्या 10.5)। अधिकतर सूचनादाता 71.00 प्रतिशत न तो विवाह–विच्छेद के पक्ष में हैं और न ही 70.00 प्रतिशत दहेत प्रथा का समर्थन करते हैं (तालिका संख्या 10.6; 10.7)।

2. पारिवारिक मूल्य -

संयुक्त परिवार प्रणाली को महत्व प्रदान करते हुए 43.25 प्रतिशत विद्यार्थियों ने व्यक्ति की सुरक्षा हेतु इसे आवश्यक माना है, फिर भी 39.00 प्रतिशत यह मानते हैं कि संयुक्त परिवार अब कलह के केन्द्र बनते जा रहे हैं । नगरीय पृष्ठभूमि के 62.22 प्रतिशत विद्यार्थी इस तथ्य को स्वीकार भी करते हैं (तालिका संख्या 10.8) । अधिकतर 56.50 प्रतिशत सूचनादाता इस कथन से सहमत हैं कि एकाकी परिवार व्यक्ति को अधिक स्वतन्त्रता और विकास का अवसर प्रदान करते हैं, इस सन्दर्भ में अनुसूचित

जाति के छात्र सूचनादाता 66.07 प्रतिशत संयुक्त परिवार के शीघ्र विघटन के समर्थक हैं (तालिका संख्या 10.9) ।

3. धार्मिक मूल्य –

आधुनिक काल में शिक्षा के प्रसार और हिन्दू संस्कृति के निरन्तर बढ़ते हुए प्रभाव के कारण अनुसूचित जाति के धार्मिक जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहे हैं । धार्मिक स्थलों में आराधना 29.00 प्रतिशत नियमित और 49.00 प्रतिशत कभी कभी करते हैं । आधुनिक शिक्षा तर्क विवेकशीलता और व्यवहारिकता के मूल्यों को प्रोत्साहन देती है तथा रूढ़िवादिता अन्ध विश्वास और संकीर्णता का विरोध करती है । वर्तमान अध्ययन में 65.25 प्रतिशत सूचनादाता सहमत हैं कि शिक्षा के द्वारा धार्मिक अन्ध विश्वास और संकीर्णता में निरन्तर कमी आती जा रही है (तालिका संख्या 10.11) । अनुसूचित जाति के युवकों के धार्मिक जीवन के क्षेत्र में जहाँ एक ओर वृहद् साँस्कृतिक परम्पराओं और सार्वभौमीकरण की प्रवृत्ति देखने को मिलती है वहीं उनमें अपने स्थानीय संस्कृति की लघु परम्पराओं और क्षेत्रीयकरण की प्रवृत्तियाँ भी देखने को मिलती हैं । विभिन्न धार्मिक स्थलों में 65.75 प्रतिशत प्रवेश की समानता चाहते हैं (तालिका संख्या 10.12) ।

4. सामाजिक अन्तःक्रिया –

परम्परागत रूप से सवर्ण हिन्दू जाति और निम्न जातियों विशेषता अनुसूचित जाति के मध्य सामाजिक सहवास अत्यन्त सीमित और प्रतिबन्धित रहा है, परन्तु आधुनिक काल में इस क्षेत्र में सीमित मात्रा में परिवर्तन उत्पन्न हो रहा है । अध्ययन में सम्मिलित 19.75 प्रतिशत सूचनादाताओं को सवर्ण हिन्दू जाति से आमन्त्रण मिला है जिसके पीछे उत्तरदायी कारक उच्च शिक्षा, नगरीय परिवेश एवं उच्च सामाजिक–आर्थिक

स्थिति रहा है (तालिका संख्या 10.13) । उच्च जातियों की जीवन शैली का अनुकरण 40.50 प्रतिशत सूचनादाता उचित मानते हैं (तालिका संख्या 10.14) । अनुसूचित जातियों का अभी भी ग्रामीण परिवेश में अन्य अनुसूचित जातियों के मध्य सामाजिक भेद–भाव विशेषतः खान–पान, विवाह में आज भीदेखा जा सकता है जिसे शिक्षा ग्रहण करने वाले अधिकतर सूचनादाता समाप्त करना चाहते हैं ।

स्वतन्त्र परिवर्त्य और अध्ययन की सामान्य प्रवृत्तियाँ -

वर्तमान अध्ययन में सम्मिलित सूचनादाताओं के शैक्षिक स्तर, लैंगिक स्तर, आवासीय पृष्ठभूमि एवं सामाजिक–आर्थिक स्तर को स्वतन्त्र परिवर्त्य तथा शैक्षिक उपलब्धि, सामाजिक समस्या को पराश्रित परिवर्त्य माना गया है । सवातन्त्र परिवर्त्य शैक्षिक स्तर है इस आधार पर विद्यार्थियों को दो वर्गों में बाँटा गया है । स्नातक और स्नातकात्तर कक्षाओं में अध्ययनरत छात्र हैं । इनमें अधिकतर विद्यार्थियों की निम्न सामाजिक–आर्थिक पृष्ठभूमि है । स्नातक और स्नातकोत्तर कक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि, सूचना सम्प्रेषण के साधनों से प्रभावित होने का स्तर तथा सामाजिक अन्तःक्रियाओं के प्रति प्रतिक्रिया का स्तर उच्च पाया गया है ।

अध्ययन में प्रयुक्त दूसरा परिवर्त्य लैंगिक स्तर है जिनमें सूचनादाताओं को छात्र एवं छात्रा के रूप में विभाजित किया गया है । लैंगिक स्तर के आधार पर अध्ययन से प्राप्त सामान्य निष्कर्ष की विवेचना करने पर यह विदित होता है कि अनुसूचित जाति के छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि का स्तर मध्यम एवं सामाजिक समस्याओं के प्रति प्रतिक्रिया पर जहाँ परम्परागत जीवन शैली का प्रभाव है वही आधुनिक मूल्य विकसित हो रहे हैं । इनकी तुलना में छात्राओं का शैक्षिक उपलब्धि शैक्षिक आकाँक्षा, उच्च पाई गई है साथ ही सामाजिक समस्याओं के प्रति प्रतिक्रिया का

अध्ययन यह स्पष्ट करता है कि छात्राएं आधुनिक मूल्यों को ग्रहण करने की दिशा में उन्मुख है ।

अध्ययन में प्रयुक्त तीसरा स्वतन्त्र परिवर्त्य आवासीय पृष्ठभूमि है जिसमें ग्रामीण एवं नगरीय् स्तर पर सूचनादाताओं को विभाजित किया गया है ।प्राप्त निष्कर्ष से विदित है कि ग्रामीणस्तर के सूचनादाताओं की शैक्षिक उपलब्धि, सामाजिक स्तर मध्यम एवं सामाजिक समस्याओं के प्रति प्रतिक्रिया निम्न है, वहीं नगरीय स्तर के सूचनादाताओं काशैक्षिक स्तर मध्यम एवं सामाजिक समस्याओं के प्रति प्रतिक्रिया का स्तर उच्च पाया गया है ।

अध्ययन में प्रयुक्त चौथा स्वतन्त्र परिवर्त्य सूचनादाताओं की सामाजिक–आर्थिक पृष्ठभूमि का स्तर है । इस आधार पर सूचनादाताओं को तीन वर्गो में बाँटा गया है– उच्च सामाजिक–आर्थिक स्तर, मध्यम सामाजिक–आर्थिक स्तर और निम्न सामाजिक–आर्थिक स्तर के सूचनादाता । उच्च सामाजिक–आर्थिक स्तर के सूचनादाताओं की शैक्षिक उपलब्धि का स्तर उंच्च पाया गया है । इन सूचनादाताओं का सामाजिक समस्याओं के प्रति मूल्यात्मक दृष्टिकोण आधुनिकता प्रधान है । मध्यम सामाजिक–आर्थिक स्तर के सूचनादाताओं की शैक्षिक उपलब्धि मध्यम तथा मूल्यात्मक दृष्टिकोण से आधुनिक है । निम्न सामाजिक–आर्थिक स्तर के सूचनादाताओं की शैक्षिक उपलब्धि मध्यम तथा मूल्यात्मक दृष्टिकोण परम्परागत है तथा सीमित मात्रा में आधुनिक मूल्यों को ग्रहण कर रहे हैं ।

निष्कर्ष

जनपद बाँदा के स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षा में अध्ययनरत अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों पर आधारित वर्तमान अध्ययन से यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि अत्यन्त जटिल एवं अभावग्रस्त आर्थिक परिस्थितियों में निवास करने वाले तथा परम्परागत सामाजिक कुण्ठाओं और असमानताओं से ग्रसित युवा समूह के सदस्य शिक्षा के माध्यम से अपने सामाजिक–आर्थिक परिस्थितियों के परिवर्तन हेतु प्रयत्नशील हैं । निम्न सामाजिक–आर्थिक उत्तर के होते हुए भी उनके शैक्षिक उपलब्धि का स्वरूप सन्तोषजनक है । उनके शैक्षिक जीवन की प्रमुख समस्या परिवार की आर्थिक–स्थिति का असन्तोषजनक तथा परिवार में शैक्षिक परिवेश की अनुपयुक्तता है । शिक्षण संस्था में उनके सामाजिक सम्पर्क और अन्तःक्रिया की परिधि विस्तृत हो रही है । शिक्षक से उन्हे अपेक्षित सहयोग व सहानुभूति प्राप्त नहीं है जिसका कारण इन विद्यार्थियों की संकोची एवं अर्न्तमुखी प्रकृति तथा इन समुदायों के प्रति परम्परागत रूप से व्याप्त पूर्व धारणा, पक्षपात और हेय दृष्टिकोण है । परम्परागत संस्थाएं व्यवहार प्रतिमान और मूल्य शिथिल पड़ते जा रहे हैंतथा आधुनिकता की ओर भी अग्रसर हो रहे हैं ।

अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों विशेषतः छात्राओं की शिक्षा ने उन्हें न केवल उच्चशैक्षिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये प्रेरित किया है वरन् उसके द्वारा वे परम्परागत आर्थिक व व्यावसायिक तुलना में उच्च लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये अभिप्रेरित हो रहे हैं । आरक्षण की सुविधा से उच्च आर्थिक स्थिति प्राप्त लोगों को सदैव आरक्षण न प्रदान करने की भावना सुविधाविहीन विद्यार्थियों द्वारा व्यक्त की गई है । अनुसूचित जाति के विरुद्ध किए जाने वाले अत्याचार व शोषण के प्रति यद्यपि वे

अत्यन्त जागरूक व चिन्तित हैं तथापि इनके प्रति उनकी प्रतिक्रिया व आक्रोश संयत और शान्तिपूर्ण है ।

अध्ययन से एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष यह भी प्राप्त होता है कि अनुसूचित जाति के छात्राओं की शिक्षा में बढ़ती रुचि उनके परम्परागत सामाजिक संरचना में मूलभूत परिवर्तन का संकेत दे रही है । प्रस्तुत अध्ययन शिक्षा के नियामक और निर्धारित भूमिका को परिपुष्ट करता है ।

प्रस्तुत शोध का योगदान

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात भारत सरकार ने देश में संविधान लागू किया । प्रजातान्त्रिक जीवन को सफल बनाने के लिए शासन ने सभी नागरिकों को समान अधिकार प्रदान किए हैं । जिसमें स्त्री–पुरुष, धनी–निर्धन, उच्च निम्न सभी को बराबर अधिकार प्राप्त हैं लेकिन आज भी भारत में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों में सामाजिक, शैक्षिक आर्थिक, साँस्कृतिक सभी स्तरों पर अभूतपूर्व गिरावट और पिछड़ापन व्याप्त है ।

शोध के निष्कर्षों से ज्ञात होता है कि इस समुदाय की स्थिति किसी भी स्तर पर ठीक नहीं है । इस समुदाय की उच्च शिक्षा की हालत जब इतनी खराब है तो प्राथमिक, माध्यमिक स्तरों पर स्थिति कैसी होगी ?

बाँदा जनपद उत्तर प्रदेश का एक अत्यन्त पिछड़ा क्षेत्र है । अतः इसकी समस्याओं के आधार पर देश में निवास कर रहे अनुसूचित जाति के लोगों की समस्याओं का निदान सुगमतापूर्वक प्राप्त किया जा सकता है । प्रस्तुत शोध के निष्कर्ष

एवं सुझाव अनुसूचित जाति की समस्याओं के निदान में शिक्षाशास्त्रियों सरकारी नीति के निर्धारकों, प्रशासकों, समाजशास्त्रियों एवं भविष्य में शोध कार्य करने वाले समाजशास्त्र के विद्यार्थियों के लिए मार्गसूचक सिद्ध होगा ।

भावी अध्ययन के लिए सुझाव –

1– अनुसूचित जाति के महाविद्यालयीय विद्यार्थियों की सामाजिक एवं साँस्कृतिक चेतना का अध्ययन विषय पर शोध किया जा सकता है ।

2– महाविद्यालयीय स्तर पर अनुसूचित जाति की छात्राओं की शैक्षिक अभिवृत्ति एवं सामाजिक परिवेश का अध्ययन किया जा सकता है ।

3– सामाजिक परिवर्तन तथा शिक्षा एक दूसरे के पूरक हैं । अतः शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन विषय पर शोध किया जा सकता है ।

4– ग्रामीण अनुसूचित जाति की महिलाओं में सामाजिक चेतना का सर्वेक्षण को अध्ययन का विषय बनाया जा सकता है ।

5– अनुसूचित जाति की शिक्षित और अशिक्षित महिलाओं की सामाजिक आर्थिक स्थिति और मूल्यों का सामाजिक परिवर्तन के प्रति उनकी अभिवृत्तियों के सम्बन्ध में तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है ।

6– माध्यमिक शैक्षिक स्तर के अनुसूचित जाति के छात्र–छात्राओं की शैक्षिक समस्याओं का अध्ययन किया जा सकता है ।

7– अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों एवं शिक्षकों के शैक्षिक व सामाजिक सम्बन्धों का अध्ययन किया जा सकता है ।

8– अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों की शैक्षिक समस्याओं और कठिनाइयों के निवारण में शिक्षकों के व्यवहार का समाजशास्त्रीय अध्ययन किया जा सकता है ।

9– अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों की शिक्षा एवं उनके सामाजिक समरसता की अभिवृत्ति का अध्ययन किया जा सकता है ।

10– अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को शिक्षा की ओर दन्मुख करने के सरकारी व सामाजिक प्रयासों का मूल्याँकन व सर्वेक्षण किया जा सकता है ।

11– अनिवार्य शिक्षा कार्यक्रमों के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के बालकों को शिक्षित करने में आ रही कठिनाइयों का एक अध्ययन, किया जा सकता है ।

परिशिष्ट

(अ) सामाजिक-आर्थिक स्तर अनुक्रमणिका

(ब) साक्षात्कार अनुसूची

(स) सन्दर्भ ग्रन्थ-सूची

परिशिष्ट 'अ'

सामाजिक–आर्थिक स्थिति अनुक्रमणिका

सामाजिक–आर्थिक स्थिति अनुक्रमणिका सूचनादाताओं की सामाजिक–आर्थिक स्थिति का एक मापदण्ड है । यह अनुक्रमणिका भारतीय ग्रामीण क्षेत्र में सामाजिक स्थिति सम्बन्धी विशिष्ट चरों जैसे– शिक्षा, व्यावसाय, आय, भूमि स्वामित्व, पशु स्वामित्व आदि को लेकर बनाई गई है । इन विशेषताओं के विभिन्न वर्गों को गुणांक देने की विधि नीचे दी गई है । इस अनुक्रमणिका के आधार पर कोई भी उत्तरदाता अधिक से अधिक 37 और कम से कम 5 अंक प्राप्त कर सकता है । वे उत्तरदाता जो 5–15 अंक प्राप्त करते हैं, की सामाजिक स्थिति को निम्न, जो 16–25 अंक प्राप्त करते हैं की मध्यम जो 26 से 37 अंक प्राप्त करते हैं उनको उच्च माना गया है ।

प्रश्न संख्या	सामाजिक परिवर्त्य	गुणाँकित वर्ग	अनुदानित अंक
(1)	आवासीय पृष्ठभूमि	ग्रामीण	1
		नगरीय	2
(2)	पिता की शिक्षा	अशिक्षित	0
		प्राइमरी	1
		जूनियर हाईस्कूल	2
		हाईस्कूल	3
		इण्टरमीडिएट	4
		स्नातक	5
		परास्नातक	6
		अन्य व्यावसायिक प्रशिक्षण	7
(3)	पिता का व्यवसाय	कृषक	3
		कृषक मजदूर	1
		अन्य मजदूरी	2
		व्यापार दुकानदारी	3
		सरकारी नौकरी	4
		अन्य व्यवसाय (इंजी0,डॉ0,अध्या0)	5

(4)	पिता की मासिक आय	रु01000 या कम	1
		रु01000 से 2000 तक	2
		रु02000 से 3000 तक	3
		रु03000 से 4000 तक	4
		रु04000 से 5000 तक	5
		रु05000 से ऊपर	6
(5)	भूमि स्वामित्व (बीघे में)	भूमिहीन	0
		1 बीघा या कम	1
		1 बीघा से 3 बीघा	2
		3 बीघा से 5 बीघा	3
		5 बीघा या ऊपर	4
(6)	आवासीय दशा	झोपड़ी	1
		कच्चा मकान	2
		कच्चा पक्का मिश्रित मकान	3
		पक्का मकान	4
(7)	पशु स्वामित्व	गाय	2
		बैल	3
		भैंस	4
		बकरी	1
		बकरी–मुर्गी	5
		गाय–बकरी	3
		भैंस–गाय–बैल	9

अधिकतम अंक ... 37

न्यूनतम अंक ... 05

सामाजिक-आर्थिक स्तर

निम्न	...	5 – 15
मध्यम	...	16 – 25
उच्च	...	26 – 37

साक्षात्कार अनुसूची

महाविद्यालयीय अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों की शैक्षिक अभिवृत्ति,सामाजिक मान्यताएं एवं समस्याएं

(बाँदा जनपद के सन्दर्भ में एक समाजशास्त्रीय अध्ययन)

नोट :-आपसे सम्बन्धित नीचे कुछ कथन दिये गये है इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ें और इनमें से जिस कथन को आप सबसे अधिक उपयुक्त समझते हों उस पर (√) चिन्ह लगाने का कष्ट करें । आप द्वारा दिया गया प्रत्येक विवरण पूर्णरूप से गुप्त रखा जायेगा।

(1) परिचयात्मक विवरण :-

1.1. नाम : ....

1.2. आयु : ....

1.3. लिंग – पुरूष/स्त्री

1.4. जातिगत स्थिति – ....

1.5. आवासीय पृष्ठभूमि – ग्रामीण/नगरीय

1.6. वैवाहिक स्थिति – अविवाहित/विवाहित

1.7. पिता की शिक्षा :-

1. अशिक्षित 2. प्राइमरी 3. जू0हाईस्कूल
4. हाईस्कूल 5. इण्टरमीडिएट 6. स्नातक
7. स्नातकोत्तर 8. अन्य व्यावसायिक प्रशिक्षण

1.8. पितामह की शिक्षा :-

1. ज्ञात नहीं 2. निरक्षर 3. प्राइमरी
4. जूनियर हाईस्कूल 5. हाईस्कूल 6. इण्टरमीडिएट या ऊपर

1.9. पिता का व्यवसाय :-

1. कृषक 2. कृषक मजदूर 3. अन्य मजदूरी
4. व्यापार/दुकानदारी 5. सरकारी नौकरी 6. प्रोफेशन(इंजी0/डॉ0/अध्या0)

1.10. पिता की मासिक आय :-

1. रू0 1000 से कम 2. रू01000 से 2000 3. रू0 2000 से– 3000
4. रू0 3000 से– 4000 5. रू04000 से 5000 6. रू0 5000 या ऊपर

1.11. भूमि स्वामित्व (जमीन बीघा)

1. भूमिहीन 2. 1 बीघा या कम 3. 1 बीघा से 3 बीघा

4. 3 बीघा से 5 बीघा 5. 5 बीघा या ऊपर

1.12. आवासीय दशा :–

1. झोपड़ी 2. कच्चा मकान 3. कच्चा–पक्का–मिश्रित

4. पक्का

1.13. पशु स्वामित्व :–

1. गाय 2. बैल 3. भैस

4. बकरी 5. बैल–गाय 6. गाय–बकरी–मुर्गी

7. भैंस गाय 8. बैल 9. पशुहीन

(2) सूचना सम्प्रेषण के माध्यम एवं अभिवृत्तियाँ :–

2.1. आपके समाचार पत्र पढ़ने की प्रवृत्ति क्या है ?

प्रतिदिन / कभी–कभी / कभी नहीं

2.2. आप समाचार पत्र कहाँ से प्राप्त करते हैं?

1. स्वंय खरीदते हैं 2. शिक्षण संस्था के वाचनालय से 3. टी स्टाल से

4. पड़ोसी से मांगकर 5. लागू नहीं

2.3. आपकी समाचार पत्र में विशेष अभिरूचि किस समाचार में है?

1. राजनैतिक 2. खेल–कूद 3. सिनेमा

4. हत्या दुर्घटना 5. लेख समीक्षा आदि 6. लागू नहीं

2.4. आपके रेडियो सुनने की प्रवृत्ति क्या है?

1. नियमित 2. कभी–कभी 3. कभी नहीं

2.5. आपकी रेडियो कार्यक्रम में विशेष रूचि किस प्रकार के कार्यक्रम में है–

1. समाचार 2. फिल्म संगीत 3. लोकगीत

4. नाटक–रूपक 5. कृषि कार्यक्रम 6. लागू नहीं

2.6. आपके सिनेमा देखने की प्रवृत्ति क्या है ?

1. नियमित 2. कभी–कभी 3. कभी नहीं

2.7. आपके टी0वी0 देखने की प्रवृत्ति क्या है ?

1. नियमित 2. कभी–कभी 3. कभी नहीं

(3) शैक्षिक जीवन और उपलब्धियाँ :-

3.1 आप किस कक्षा के छात्र हैं ?

1. बी0ए0 भाग–1/2/3 2. बी0एस–सी0भाग–1/2/3

3. बी0कॉम भाग–1/2/3 4. बी0एस–सी0(कृषि) भाग–1/2/3/4

5. एम0ए0 भाग–1/2 6. एम0काम0 भाग–1/2

7. एम0एस–सी0 भाग–1/2 8. एम0एस–सी0(कृषि) भाग – 1/2

3.2. छात्रवृत्ति की सुविधा प्राप्त हैं–

1. हाँ 2. नहीं

3.3. घर से विद्यालय किस साधन से आते हैं :–

1. पैदल 2. साइकिल द्वारा 3. रेलगाड़ी द्वारा

4. बस–टैक्सी द्वारा 5. अन्य (स्कूटर/रिक्शा)

3.4. शैक्षिक कठिनाई के निवारण में अध्यापकों का कैसा सहयोग है–

1. सहानुभूतिपूर्ण कठिनाई का निवारण करते हैं 2. उपेक्षापूर्ण बर्ताव करते हैं

3. उत्तर नहीं

3.5. शैक्षिक कठिनाई के निवारण हेतु क्या विशेष ट्यूशन की व्यवस्था है–

1. हाँ 2. नहीं

3.6. शिक्षणेतर कार्यक्रमों में आपकी सहभागिता कैसी है –

1. सहभागी नहीं 2. खेलकूद 3. सांस्कृतिक कार्यक्रम

4. वाद–विवाद 6. राष्ट्रीय सेवा योजना/एन0सी0सी0

(4) शैक्षिक मूल्य और सामाजिक जागरूकता :-

4.1. शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या हैं–

1. ज्ञान का प्रसार 2. योग्यता एवम् क्षमता का विकास

3. जीविकोपार्जन का साधन उपलब्ध कराना 4. सामाजिक पद एवम् प्रतिष्ठा की वृद्धि

5. चरित्र एवम् अनुशासन का विकास

4.2. आपके विचारानुसार स्त्री शिक्षा कहाँ तक होनी चाहिये–

1. शिक्षा नहीं
2. केवल प्राइमरी या मिडिल
3. केवल हाईस्कूल / इण्टरमीडिएट
4. उच्च शिक्षा

4.3. आपके शैक्षिक लक्ष्य पूर्ति की सम्भावना है–

1. हाँ
2. नहीं
3. कह नहीं सकता

4.4. शैक्षिक लक्ष्यपूर्ति के मार्ग में बाधायें–

यदि परिवार शिक्षा न देना चाहे तो आप क्या करेंगे–

1. अध्ययन छोड देगें
2. स्वतंत्र रूप से अध्ययन जारी रखेंगे
3. परिवार के लोगों को प्रेरित करेंगे
4. कह नहीं सकता

4.5. आपको रोजगार प्राप्त हो जाये तो–

1. रोजगार करेंगे
2. रोजगार नहीं वरन् अध्ययन करेंगे
3. कह नहीं सकता

4.6. क्या आप सहमत हैं कि उच्च शिक्षा ग्रहण करने के नाते आपके परिवार का मान–सम्मान जाति समूह में बढ़ रहा है–

1. सहमत
2. असहमत
3. कह नहीं सकता

(5) शैक्षिक समस्यायें एवम् संरक्षण :-

5.1. आपके विचारानुसार अनुसूचित जाति को प्रदान किये जाने वाले राजनैतिक संरक्षण से क्या लाभ हुआ–

1.राजनैतिक नेतृत्व की वृद्धि
2. राजनैतिक जागरूकता व सहभागिता की वृद्धि
3.राजनैतिक दृष्टि से पराश्रित व अकर्मण्य
4.स्वार्थी,राजनैतिक तत्वों द्वारा शोषण कीवृद्धि

5.2. बहुधा अनुसूचित जाति के लोगों के साथ अन्य व्यक्तियों द्वारा क्रूरता और अत्याचार का व्यवहार किया जा रहा है, इस सम्बन्ध में आपको क्या करना चाहिये–

1. संगठित होकर विद्रोह करना चाहिये
2. पुलिस और कानून की सहायता लेनी चाहिये
3. अत्याचार के प्रति सबका ध्यान आकर्षित करना चाहिये
4. आर्थिक व शैक्षिक उन्नति का प्रयत्न करना चाहिये

5.3. क्या गैर सरकारी संस्थाओं में सेवा के लिये आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिये–

1. सहमत   2. असहमत   3. कह नहीं सकता

5.4. सरकारी सेवा में आरक्षण की सुविधा कब तक दी जानी चाहिये–

1. जीवन भर के लिये   2. अगले 25 वर्षों तक दी जानी चाहिये

3. समाप्त कर देनी चाहिये   4. कह नहीं सकता

5.5. अनुसूचित जाति के वे लोग जिनकी सामाजिक–आर्थिक स्थिति उच्च हो गयी है ऐसे लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिये–

1. सहमत   2. असहमत   3. कह नहीं सकता

(6) सामाजिक समस्याओं के प्रति प्रतिक्रिया :-

6.1. आपके विचारानुसार युवकों के विवाह के समय आयु क्या होनी चाहिये–

1. 15–20 वर्ष   2. 21–25 वर्ष   3. 26–30 वर्ष

4. 31–35 वर्ष

6.2. आपके विचारानुसार युवती की विवाह के समय आयु क्या होनी चाहिये–

1. 15–20 वर्ष   2. 21–25 वर्ष

3. 26–30 वर्ष   4. 31–35 वर्ष

6.3. आपके विचारानुसार जीवन साथी का चयन किस प्रकार करना चाहिये–

1. माता–पिता के द्वारा   2. युवा सदस्य द्वारा स्वतन्त्र रूप से

3. युवा सदस्यों के परामर्श द्वारा   4. अन्य

6.4. क्या आप अन्तर्जातीय विवाह को उचित मानते हैं–

1. हाँ   2. नहीं   3. कह नहीं सकता

6.5. क्या विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करते हैं–

1. सहमत   2. असहमत   3. कह नहीं सकता

6.6. क्या आप विवाह–विच्छेद के अधिकार को उचित मानते हैं–

1. सहमत   2. असहमत   3. कह नहीं सकता

6.7. क्या आप दहेज–प्रथा को उचित मानते हैं–

1. सहमत   2. असहमत   3. कह नहीं सकता

6.8. क्या आप यह मानते हैं कि संयुक्त परिवार विग्रह और कलह को प्रोत्साहन देता है–

1. सहमत 2. असहमत 3. कह नहीं सकता

6.9. क्या आप यह मानते हैं कि एकाकी परिवार व्यक्ति को स्वतन्त्रता प्रदान करके उसे विकास का अवसर देता है–

1. सहमत 2. असहमत 3. कह नहीं सकता

6.10. क्या आप किसी धार्मिक स्थल में आराधना करने जाते हैं–

1. नियमित 2. कभी–कभी 3. उत्तर नहीं

6.11. क्या आप यह मानते हैं कि शिक्षा के कारण धार्मिक अन्धविश्वास और संकीर्णता कम हो रही हैं–

1. सहमत 2. असहमत 3. कह नहीं सकता

6.12. क्या आप इस विचार से सहमत हैं कि धार्मिक स्थलों में प्रवेश की समता सभी जातियों को समान रूप से मिलनी चाहिये–

1. सहमत 2. असहमत 3. कह नहीं सकता

6.13. क्या आपको सवर्ण हिन्दू जाति के यहाँ विवाह या अन्य सामाजिक उत्सवों पर बुलाया गया हैं–

1. हाँ 2. नहीं

6.14. क्या अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्यों को अपनी स्थिति में परिर्वतन के लिये उच्च जाति के जीवन शैली प्रथाओं और व्यवहार के तरीकों को अपना लेना चाहिये–

1. सहमत 2. असहमत 3. कह नहीं सकता

6.15. आपके विचारानुसार आधुनिक काल के परिर्वतन के नवीन कारक और सरकार की नीति से अनुसूचित जाति के सामाजिक स्थिति में परिर्वतन हुआ हैं–

1. स्थिति उन्नत हुयी है, परन्तु उच्च जाति से नीचे है

2. स्थिति उच्च जाति के बराबर हो गयी है

3. स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है

4. कह नहीं सकता

BIBILIOGRAPHY

Anderson, C.A. : Skeptical nation the Relation of vertical mobility to Education, American Journal of Sociology, XVI, P. 560-70.

Bindu, R.P. : Progress of education of scheduled castes in Uttar Pradesh, Ph.D. Thesis (Unpublishes), B.H.U., Varanasi, 1974.

Bose, A.B. : Educational Development Among Scheduled castes. Man in India, 1970, Vol. 50, No. 3, July - Sept., P. 209-35.

Briggs, G.W. : The Chamars Religious life of India, Series Association Press, Calcutta, 1920.

Brokover, W.B. : A Sociology of education in India. Amar Book Company, 1955, P. 313.

Buch, M.B. : A Survey of Research in Education. Centre of advanced study in education, Baroda, 1974.

Chandra Sekher, K. : Educational Problems of Scheduled castes, N.C.E.R.T., 1969.

Chauhan, B.R. : Special Problems of the Education, Anu Publication, Meerut, 1975.

Chitnis, S. : Literacy and education enrolment among the scheduled castes of Maharastra. Tata Institute of Social Science, Bombay, 1974.

Cooley, C.H. : Human nature and the social order, New Tork, Scriterier, 1902.

Desai, I.P. : A Profile of Education among the scheduled Tribe of Gujrat, I.C.S.S.R., 1974.

Desai, Neera : Role expectations from Teacher and available inducement in modernzing India (ed). S.P.Ruhela, N.C.E.R.T., 1970, P. 192.

Dewey, John : Education and Social change, In the social Frontier, 2 May, 1973, P. 235-237.

Dubey, S.C. : Approach to the Tribal Problem. Journal of Social research, 1960.

Pandey, P.N. : Education and Social Mobility Among Scheduled castes, Ph.D. Thesis (Unpublished), B.H.U., Varanasi, 1979, P. 115.

Parvathamma, C. : The study of scheduled castes and scheduled tribe. College student in Karnatak, Department of Post Graduate Studied and research in Sociology, Mysoor University, 1974, I.C.S.S.R.

Pannekar, K.M. : Hindu Society at Cross Roads asia Publishing House, Bombay.

Prabhu, P.N. : Hindu Social Organization, The Popular Book Department, Bombay, 1954.

Rao, M.S. : Urbanization and Social charge, Orient Logmans Ltd., 1970, P. 7-58.

Schichidanand : Education and change in social values, Man in India, Vol. 48, I Jan- March 1968, P. 71-85.

Sanegiri, R.V. : The effect of second world war on Education, master thesis in Education, Bombay University, 1950.

Singh, Yogendra : The process of sociolization and Education in M.S.Gore et. al. (ed.) Papers in the sociology of Education in India, N.C.E.R.T., Delhi, 1967, P. 52-53.

Singh, N.K. : Education and social change. Rawat Publication, Jaipur, 1979.

Srinivas, M.N. : Indias Villages, Asia Publishing House, Bombay, 1963, P.12.

" : Social change in Modern India (Hindi edition). Rajkamal Prakashan, Delhi, 1967.

Shyam Lal, K.S. Saxena(ed): Ambedkar and Nation - Building, Rawat Publications New Delhi, 1998.

Vakil, A.K. : Reservation Policy and scheduled caste in India, Ashish Publication House, New Delhi, 1985.

Pandey, P.N. : Education and Social Mobility Among Scheduled castes, Ph.D. Thesis (Unpublished), B.H.U., Varanasi, 1979, P. 115.

Parvathamma, C. : The study of scheduled castes and scheduled tribe. College student in Karnatak, Department of Post Graduate Studied and research in Sociology, Mysoor University, 1974, I.C.S.S.R.

Pannekar, K.M. : Hindu Society at Cross Roads asia Publishing House, Bombay.

Prabhu, P.N. : Hindu Social Organization, The Popular Book Department, Bombay, 1954.

Rao, M.S. : Urbanization and Social charge, Orient Logmans Ltd., 1970, P. 7-58.

Schichidanand : Education and change in social values, Man in India, Vol. 48, I Jan- March 1968, P. 71-85.

Sanegiri, R.V. : The effect of second world war on Education, master thesis in Education, Bombay University, 1950.

Singh, Yogendra : The process of sociolization and Education in M.S.Gore et. al. (ed.) Papers in the sociology of Education in India, N.C.E.R.T., Delhi, 1967, P. 52-53.

Singh, N.K. : Education and social change. Rawat Publication, Jaipur, 1979.

Srinivas, M.N. : Indias Villages, Asia Publishing House, Bombay, 1963, P.12.

______ ,, ______ : Social change in Modern India (Hindi edition). Rajkamal Prakashan, Delhi, 1967.

Shyam Lal, K.S. Saxena(ed): Ambedkar and Nation - Building, Rawat Publications New Delhi, 1998.

Vakil, A.K. : Reservation Policy and scheduled caste in India, Ashish Publication House, New Delhi, 1985.

Census of India 1991, Series - 25 : Uttar Pradesh. Primary census Abstract, Scheduled caste and scheduled Tribe Population

साँख्यिकी पत्रिका, जनपद बाँदा 1996, अर्थ एवं संख्या प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, उ0प्र0

महाविद्यालयीय अभिलेख 2000–2001.

*****